लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Third-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद का हिन्दी संस्करण

11 जून, 1980/21 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

का शुद्धि पत्र

पृष्ठ 113, पंक्ति 11 "श्री आर0 वेंकटरमन" के स्थान पर "श्री आर0 वेंकटरामन" पढ़िये ।

पृष्ठ 113, पंक्ति 29 "श्री गुलाम रसूल कोयक" के स्थान पर "श्री गुलाम रसूल कोचक" पढ़िये ।

पृष्ठ 122, पंक्ति 28 का लोप कर दिया जाये ।

पृष्ठ 124, पंक्ति 1 का लोप कर दिया जाये ।

पृष्ठ 124, अंतिम पंक्ति के पश्चात "प्रस्ताव स्वीकृत हुआ" पढ़िये ।

विषय सूची

अंक 3, बुधवार, 11 जून, 1980/21 ज्येष्ठ 1902 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 42, 44, 45, 47 और 49 से 51	1—14
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 43, 48 और 52 से 60	15—18
अतारांकित प्रश्न संख्या 332 से 420 और 422 से 466	19—80
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—	
त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था की स्थिति	80—81
हिन्दुस्तान टाइम्स और पैट्रियट के विरूद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	82
सभा पटल पर रखे गये पत्र	82—84
अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना—	
उत्तर रेल के दिल्ली डिवीजन के लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल—	
श्री आर० के० महालगी	84—86
श्री सी० के० जाफर शरीफ	84—92
श्री नारायण चौबे	85—87
श्री दीनेन भट्टाचार्य	87—88
श्री कमलापति त्रिपाठी	88—91
श्री ज्योतिर्मय बसु	89—91
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	91
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
पहला प्रतिवेदन	92
आसाम में विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या का संविधान के उपबंधों के अंतर्गत समाधान करने के बारे में याचिका	92
हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	93
नियम 377 के अधीन मामले—	
(एक) पैराफिन मोम का समान वितरण—	
श्री सोमनाथ चटर्जी	93
(दो) मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन—	
डा० वसंत कुमार पण्डित	93—94
(तीन) कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कोको उत्पादकों की समस्यायें—	
श्री जनार्दन पुजारी	94
(चार) कच्छ की रन से नमक की ढुलाई के लिये रेल वैगनों के उपलब्ध न होने का समाचार—	
श्री दिग्विजय सिंह	94
(पांच) धान के मूल्य के पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता—	
श्री पी० राजगोपाल	95

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

1--223 लोक सभा नई दिल्ली/80

विषय	पृष्ठ
लेखानुदानों की मांगें (आसाम), 1980-81—	
श्री चन्द्रजीत यादव	95–97
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत	97–99
श्री सोमनाथ चटर्जी	99–102
श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय	102–104
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	105–107
श्री सी० टी० दंडपाणि	107–109
श्री कमला मिश्र मधुकर	109–110
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	111
श्री जी० एम० बनातवाला	111–113
श्री गुलाम रसूल कोचक	113–115
श्री अमर राय प्रधान	115–116
श्री राम जेठमलानी	116–118
श्री हरिकेश बहादुर	118–119
श्री आर० वेंकटरामन	119–125
आसाम विनियोग (दूसरा लेखानुदान) विधेयक, 1980—पुरःस्थापित—	
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री आर० वेंकटरामन	125–131
श्री जार्ज फर्नान्डीज	125–128
श्री ज्योतिर्मय बसु	128–129
खण्ड 2, 3 और 1 —	
पास करने का प्रस्ताव—	
श्री आर० वेंकटरामन	131
आसाम के कुछ विधायकों सहित कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के बारे में वक्तव्य	131–132
तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (सम्पत्ति समपहरण) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—	
श्री मगनभाई बारोट	132
श्री सतीश अग्रवाल	132
श्री सईद मसुदल हुसैन	133
श्री पी० के० कोडियन	133–134
श्री सी० टी० दंडपाणि	134–135
श्री मूलचन्द डागा	135–136

लोक-सभा

बुधवार, 11 जून, 1980/21 ज्येष्ठ, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई। अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

प्रश्न सूची का वितरण

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : हममें से बहुत से सदस्यों को आपके आने तक प्रश्न सूची नहीं मिली। हमारे नेता को यह सूची नहीं मिली है। मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, ताकि भविष्य में ऐसा न हो।

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे अनुमति दी जाये कि मैं अपनी मातृ-भाषा मैथिली में शपथ ग्रहण करूं।

अध्यक्ष महोदय : आप हिन्दी में कर लीजिए, वह तो होगा नहीं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : चूंकि आपकी अनुमति नहीं मिली, इसलिए मैं हिन्दी में ही कर रहा हूं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : आज हमें प्रश्न-सूची नहीं दी गयी।

अध्यक्ष महोदय : यह मुझे पहले ही बताया जा चुका है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह आपके विभाग की बहुत गम्भीर गलती है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी जांच करेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सोवियत संघ द्वारा भारी पानी की सप्लाई

*41. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी पानी के लिए सोवियत संघ से कोई सहायता मांगी है;

(ख) क्या यह सच है कि सोवियत संघ भारतीय परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए भारी पानी देने पर सहमत हो गया है; और

(ग) क्या उसकी सप्लाई की शर्तें वही हैं जो अमरीका की थी और यदि नहीं, तो वे किस प्रकार उदार हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अन्तरिक्ष विभागों में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तथा (ख) मार्च, 1980 में की गई व्यवस्था के अनुसार सोवियत संघ भारत को 256 मीटरिक टन भारी पानी देने के लिए सहमत हो गया है।

(ग) इस व्यवस्था के अंतर्गत सोवियत संघ द्वारा भारी पानी की सप्लाई पर संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था लागू करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, अमरीका के वर्तमान आंतरिक कानून के अनुसार ऐसी सप्लाई पर संपूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था का लागू किया जाना आवश्यक है।

श्री के० पी० सिंह देव : 1974 में शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु विस्फोट के बाद हमें भारी पानी की सप्लाई करने के मामले में विभिन्न देश उदासीनता बरत रहे हैं और सोवियत संघ पहले की भांति संकट में हमारा साथ दे रहा है। इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सोवियत संघ भारी पानी के उपयोग के बदले भारत को अपने परमाणु संस्थानों की अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण करना होगा।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : जी, नहीं।

2—223 एल०एस०एस०, नई दिल्ली/80

श्री के० पी० सिंह देव : चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारी पानी की कमी है और भारत की तत्संबंधी जरूरतें स्वदेशी भारी पानी की सप्लाई से अधिक हैं, इसलिए इस स्थिति में मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसकी स्वदेशी सप्लाई, विशेषरूप से तालचेर और दूसरे संयंत्रों द्वारा इसकी सप्लाई के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री विजय एन० पाटिल : भारी पानी की स्वदेशी सप्लाई, विशेषकर तालचेर से सप्लाई के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। लेकिन बिजली की कमी के कारण फिलहाल इसमें कठिनाई पैदा हो रही है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महादय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि पूर्ण सुरक्षाउपायों के लिए नहीं कहा गया है और न ही इसके लिए सहमति हुई है, लेकिन यह वास्तविक प्रश्नके केवल छोटे से अंश का ही उत्तर है। प्रश्न यह है कि क्या पूर्ण सुरक्षोपायों के आपत्तिजनक अंश अर्थात् प्रिंसिपल आफ परसूट को स्वीकार कर लिया गया है। मैंने समाचारपत्रों में इसके बारे में दिये गये विवरण को देखा है। सरकार ने यह कहा है कि वह किसी शर्त के लिए राजी नहीं हुई है। मैं यह जानान चाहता हूँ कि क्या 'प्रिंसिपल आफ परसूट' को स्वीकार कर लिया गया है। यदि ऐसा है, तो यह अपनाये गये रवैये से अलग है। क्या सरकार इस समझौते के विवरण को सभापटल पर रखने के लिए तैयार है ताकि यह एक रहस्यपूर्ण बात न रहे और व्यापार संबंधी आरोपों का मामला न बन जाये।

श्रीमती इंदिरा गांधी : माननीय सदस्य ने स्वयंही ये आरोप तैयार किये हैं। जहाँ तक मैंने देखा है, समाचार पत्रों में दिये गये अधिकांश विवरण उनके भाषणों पर आधारित हैं। हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति ने इसका उल्लेख किया हो। मैं इस बारे में नहीं जानती। मैंने जो कुछ देखा है, उसीके आधार पर मैं यह कह रही हूँ। इस में कोई रहस्य नहीं है। हम अपनी पहली स्थिति से किसी प्रकार पीछे नहीं हटे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरा प्रश्न यह है कि क्या 'प्रिंसिपल आफ परसूट' को स्वीकार कर लिया गया है और क्या सरकार करार की एक प्रतिलिपि सभापटल पर रखेगी ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : हम इस बात पर विचार करें कि इसे सभापटल पर रखा जा सकता है अथवा नहीं। इस बारे में क्या नियम है, मुझे नहीं मालूम। हम अपने पहले दृष्टिकोण से पीछे नहीं हटे हैं। इस कथन से मेरा आशय केवल यही है कि हम ऐसी किसी बात के लिए सहमत नहीं हुए हैं, जो पहले नहीं थी।

श्री चन्द्रजीत यादव : भारत सरकार बधाई की पात्र है क्यों कि वह इस बारे में अपनाये गये अपने पहले के रवैये से पीछे नहीं हटी है।

एक माननीय सदस्य : क्या आप इस बारे में पूर्णरूप से आश्वस्त हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं पूर्णरूप से आश्वस्त हूं, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे देश को कुल कितने भारी पानी की आवश्यकता है, और क्या सोवियत संघ के साथ किया गया यह करार अस्थाई व्यवस्था है, जिससे हम अपनी मोजूदा दिक्कतों को दूर करेंगे अथवा यह एक ऐसा करार है जिसके अन्तर्गत भविष्य में भी हमारी भारी पानी संबंधी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। मैं प्रधानमंत्री से एक अन्य बात यह जानता चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति कार्टर ने यह बयान दिया है कि वह तारापुर संयंत्र को भारी पानी की सप्लाई के लिए विशेष रूप से प्रयास करेंगे। श्री कार्टर की उस सार्वजनिक घोषणा का क्या बना। वह इसके लिए अब भी सहमत हुए हैं अथवा नहीं ?

श्री विजय एन० पाटिल : हमें जो भारी पानी मिलेगा, वह एक वर्ष के लिये काफी होगा, उसकी काफी मात्रा का उपयोग राजस्थान में स्थित दूसरे संयंत्र में किया जायेगा। तारापुर संयंत्र के लिए भारी पानी की जरूरत नहीं है। इसमें केवल यूरेनियम की जरूरत होती है।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जाहिर है कि हमारी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति कार्टर के वक्तव्य का उल्लेख किया है, लेकिन राष्ट्रपति ने अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं की है। हमें इसकी प्रतीक्षा है कि वह अमरीका करार में निहित अपने उत्तरदायित्व को पूरा करता है या नहीं। यदि उन्होंने ऐसा किया तो हमारी कुछ वर्षों की समस्या हल हो जायेगी। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमें इस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। करार की एक प्रति सभापटल पर रखने का जहाँ तक संबंध है, यह करार सार्वजनिक दस्तावेज है और इसका विवरण आई०ए०ई०ए० के पास है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसे लेने के लिए मैं वियाना नहीं जा सकता।

श्रीमती इंदिरा गांधी : जैसा कि मैंने कहा यह सार्वजनिक दस्तावेज है। इस बारे में कोई समस्या नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसे आप सभापटल पर क्यों नही रखती ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यह चूंकि सार्वजनिक दस्तावेज है, इस लिए इसे सभापटल पर रखने में कोई कठिनाई नहीं हैं । अब मैं यह इस लिए कह रही हूं क्योंकि पहले मैंने कहा था कि हमें इस पर विचार करना होगा ।

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या यह सही है कि राष्ट्रपति कार्टर ने केवल अपना इरादा प्रगट किया और अपने वायदे को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : यही स्थिति है । लेकिन माननीय सदस्य जानते हैं कि उनकी कांग्रेस में इस पर प्रतिक्रिया हुई है । अभीतक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री जगदीश टाइटलर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि : (क) क्या अमरीका के अलावा किसी अन्य देश ने परमाणु बिजली संयंत्रों के लिए परमाणु ईंधन संबंधी हमारी मौजूदा कठिनाइयों में सहायता करने क लिए सहमति प्रकट की है, यदि हां, तो ऐसी प्रस्तावित सहायता का स्वरूप क्या है, और उसे स्वीकार करने में क्या बाधायें हैं, और (ख) परमाणु ईंधन है, संबंधी अपनी जरूरतों के लिए हम कब तक विदेशी एजेंसियों पर आश्रित रहेंगे ?

श्री विजय एन० पाटिल : परमाणु ईंधन का मामला अगले प्रश्न में है । भारी पानी का जहां तक संबंध है स्विटजरलैंड नार्वे आदि देश भी भारी पानी का उत्पादन कर रहे हैं । हमने उनसे भारी पानी देने के लिए नहीं कहा है, क्योंकि हमें भारी पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जायेगा ।

अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा गांधीनगर, पोर्ट ब्लेअर में भूमि का अधिग्रहण

†*42. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने कुछ वर्ष पूर्व सरकारी प्रयोग के लिए गांधीनगर, पोर्ट ब्लेयर में भूमि का अधिग्रहण किया था ; यदि हां, तो भूमि किन व्यक्तियोंसे ली गई थी और प्रत्येक व्यक्ति से ली गई भूमि का क्षेत्रफल कितना है ?

(ख) क्या उक्त व्यक्तियों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति दे दी गई है, यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्ति को दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने वह भूमि दूसरे व्यक्तियों को उनके अपने उपयोग के लिए आवंटित कर दी है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार को संतप्त व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1958 में अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने पोर्ट ब्लैयर, गांधी नगर में 11.7 हैक्टेयर कुल भूमि क्षेत्र सात व्यक्तियों से पुन: प्राप्त किया था जिन्होंने आवंटन की शर्तों का उल्लंघन किया था । उनके नाम तथा उनसे पुन: प्राप्त की गई भूमि का क्षेत्र इस प्रकार है :—

क्रम सं०	नाम	प्राप्त किया गया क्षेत्र हैक्टेयरों में
1.	स्व० वाई वेंकटरतनम	1.48
2.	स्व० भारत	1.41
3.	स्व० रासदेई	1.01
4.	श्री जयलाल	1.34
5.	श्री अहमद कुट्टी	1.68
6.	श्री सीताराम	1.85
7.	(i) श्री विश्राम राव (ii) श्री प्रम किशन दास (iii) श्री राधा किशन दास — संयुक्त कब्जा	2 93

2. संबंधित भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया था परन्तु राजस्व सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए गए आदेशों के अधीन मूलपूर्व आवंटितों से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा पुनः प्राप्त की गई थी। ऐसे मामलों में जहां प्रशासन द्वारा भूमि पुनः प्राप्त की जाती है, कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है।

3. पुनः प्राप्त की गई कुल 11.7 हैक्टेयर भूमि में से 11.06 हैक्टेयर भूमि अंडमान तथा निकोबार प्रशासन और पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा विकास कार्यों के लिये प्रयोग की जा रही है और 960 वर्ग मीटर का एक छोटा क्षेत्र निम्नलिखित व्यक्तियों को आवंटित किया गया है :—

क्रम सं०	नाम	आवंटित किया गया क्षेत्र (वर्ग मी०में)
1.	श्री आशिक अली	160
2.	श्री मशूक अली	320
3.	अंडमान तथा निकोबार सहकारी फैक्टेरिया]	480

4 "लोकल बोर्न एसोसिएशन" के अध्यक्ष से अंडमान तथा निकोबार प्रशासन को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें मांग की गई कि म्युनिसिपल क्षेत्र में किये गए वर्तमान भूमि आवंटनों को रद्द किया जाए क्योंकि ये बिना किसी सिद्धान्त के और नियमों का उल्लंघन करते हुए किए गए थे। अंडमान तथा निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि आवंटन मुख्य (आयुक्त इस मामल में पहला) जो म्युनसिपल क्षेत्र मकानस्थल आवंटित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी है, द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किए गये थ।

श्री मनोरंजन भक्त : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मंत्री महोदय जो कि मेरे अच्छे मित्रों में से हैं ....

अध्यक्ष महोदय : क्या इस मित्रता के लिए आपको खेद है।

श्री मनोरंजन भक्त : मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने अंदमान-निकोबार प्रशासन से प्राप्त उत्तर पर विश्वास कर लिया है यह एक बहुत ही गंभीर मामला है क्योंकि पोर्ट ब्लेयर में ऐसे पुराने निवासी हैं जिनकी वहां 50-60 वर्ष से जमीन थी जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने सनद दी थी—और प्रशासन ने मोहनपुरा क्षेत्र में एक टाऊनशिप बनाने के लिए उन जमीनों को ले लिया था। परन्तु बाद में ऐसा नहीं हुआ और उन जमीनों अन्य उद्देश्यों के लिए दूसरी पार्टियों को दे दिया गया

अब वक्तव्य में बताया गया है कि आवंटन की शर्तों कों पूरा न करने के कारण इस जमीन को वापस ले लिया गया। ये जमीनें पुराने निवासियों के पास 50-60 वर्षों से थी और उन्होंने ब्रिटिश राज्य के दौरान जिला न्यायालय से इन जमीनों की उस समय सनद ली थी जब अंदमान-निकोबार को 'कालेपानी' के नाम से जाना जाता था और इन जमीनों को इस मामूली से आधार पर, कि आवंटन शर्तों को पूरा नहीं किया गया, वापस ले लिया गया। मुझे पता लगा है कि एक अन्य आदेश द्वारा इन आवंटियों में से एक आवंटी को 500 वर्ग जमीन फिर दे दी गई।

इन सब बातों को देखते हुए, मेरा मूल प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि उक्त जमीन क्षतिपूर्ति के रूप में संबंधित व्यक्ति को फिर आवंटित की गई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : अधिकतर जमीन का विकास कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और कुछ जमीन तीन पार्टियों को दी गई है और विशेष कारणो से ऐसा किया गया है यदि माननीय सदस्य ये कारण जानना चाहते है तो मैं ये कारण बता सकता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। आप जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र स्थानीय व्यक्ति कुछ कारणों से उत्तेजित हैं। जब हमें यह पता लगता है कि बाहर से आने वाले लोगों को अंदमान में केवल 10 वर्ष रहन के बाद निर्माण कार्यों के लिए जमीन आवंटित कर दी जाती है परन्तु वहां के पुरान निवासियों से उनकी वैध तथा पैतृक संपत्ति द्वेष से वंचित रखा जाता है तो द्वेष भावना पैदा होती है। मैं मंत्री महोदय से पुनः यह जानना चाहूंगा कि क्या देश के व्यापक हित में वे इस सम्पूर्ण मामले को पुनः जांच करेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मामले की पुनः जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इस जमीन को इसलिए वापस लिया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए यह जमीन आवंटित की गई थी उसके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा था। जैसा कि मैंने कहा है कि अधिकतर जमीन बस टर्मिनस, स्कूल, विद्युत कार्यालय, ट्रांसपोर्ट वर्कशाप, पी० डब्ल्यू० डी० वर्कशाप, मार्केट आदि जैसे विकास कार्यों के प्रयोग की जाती है। बाकी जमीन तीन पार्टियों को दी गई है जिसमें से 160 वर्ग मीटर

जमीन श्री आशिक अली को दी गई है जिसके बदले में उसने अपने पोर्टब्लेयर स्थित मकान की जमीन के पास से गुजरने वाली एक सड़क को चौड़ा करने के लिए अपने मकान की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सरकार को दिया है। 320 वर्ग मीटर जमीन श्री माणूक अली को एक बेकरी खोलने के लिए दी है। उद्योग निदेशक के पास श्री माणूक अली की एक लघु उद्योग एकक पंजीकृत है और वह 1942 से भी पहले इस द्वीपसमूह में बसे एक पुराने निवासी का वंशज है। जमीन का तीसरा टुकड़ा अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह कोओपरेटिव कैफिटेरिया को दिया गया है जोकि अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह सहकारी समिति अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सहकारी निकाय है। यह जमीन इस सोसाइटी को सहकारिता के आधार पर चलाए जाने वाले एक अल्पोपहार गृह तथा आने जाने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए सस्ते तथा साफ-सुथरे विश्राम-स्थल बनाने के लिए दी गई है। ये आवंटन लोकहित में किए गए हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : मेरा प्रश्न था कि क्या आप मुआवजा देंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं प्रश्न के इस भाग का जवाब दूंगा। मुआवजा देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत आवंटन की शर्तें ऐसी ही हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाना

*44. **श्री भीखा भाई :**
कुमारी कमला कुमारी :

क्या योजना मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है;

(ख) वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जिन पर इस योजना में अधिक ध्यान दिए जाने की व्यवस्था है; और

(ग) योजना के अंत तक राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि की प्रतिशतता का लक्ष्य क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सरकार ने यह निर्णय किया है कि नई पंचवर्षीय योजना वर्तमान वर्ष के अंत तक तैयार कर दी जाएगी जो 1980–81 से 1984–85 तक की अवधि के लिए होगी और जिससे नई सरकार की प्राथमिकताएं अभिव्यक्त होंगी। अस्थायी रूप में, योजना आयोग ने राष्ट्रीय आय की वृद्धि की 5 प्रतिशत वार्षिक दर की नई योजना के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया है। इसके साथ ही, यह योजना तैयार करते समय और अधिक उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने की संभावना की भी जांच की जाएगी।

नई योजना के ब्यौरे तैयार करने के लिए अभ्यास किए जा रहे हैं। इस अवस्था में क्षेत्रवार ब्यौरे बताना संभव नहीं है।

श्री भीखा भाई : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के प्रथम भाग में पूछा है कि कितने समय में योजना का प्रारूप तैयार होगा, मन्त्री जी ने समय तो बताया परन्तु उत्तर में यह नहीं बताया गया है कि योजना को तैयार करने में इतनी देर क्यों हुई है।

"उक्त योजना में जिन क्षेत्रों में अधिक ध्यान देने का प्रस्ताव है," मैं इससे जानना चाहता हूं क्या सोशल सर्विसेज में खास तौर पर ट्राइबल वेलफेयर को प्राथमिकता दी जायेगी और इसके लिए क्या आउट ले होंगा?

"योजना के अंत तक राष्ट्रीय आय में निर्धारित प्रतिशत की वृद्धि" इसमें जो रेट बताया गया है वह 5 परसेंट बताया गया है।

"राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वृद्धि"

मैं जानना चाहता हूं कि 5 परसेंट रेट आफ ग्रोथ बताया गया है और उससे अधिक कहां तक हो सकता है, उसके लिए प्रयत्न किया जायेगा लेकिन इसका इफेक्ट पर-कैपिटा इनकम पर क्या होगा? मान लीजिए सन 1970 को बेस ईयर माना जाय तो क्या स्थिति आयेगी और प्लान का आकार क्या होगा? ये प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य ने प्रथम तो यह जानना चाहा है कि योजना तैयार करने में इतनी देरी क्यो हो रही है। श्रीमन् आप सहमत होंगे कि नई सरकार के पद ग्रहण के बाद जो कार्य शुरु किए गए, नई सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के अधीन योजना के प्रारूप को तैयार करने में, उसमें थोड़ा समय अवश्य लगेगा। यह हमारी विनम्र चेष्टा होगी कि हम अधिक से अधिक शीघ्रता कर अपने निष्कर्षों और परिणामों तक पहुंच सकें। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श करना आवश्यक होता है। साथ ही साथ राज्य सरकारों का सहयोग भी अपेक्षित होता है, उनसे परामर्श लेना होता है। हमारा प्रयास होगा कि इस वर्ष के अंत तक योजना के प्रारूप को अंतिम रूप दे दें ताकि अगले वर्ष के प्रारम्भ में राष्ट्रीय विकास परिषद उस प्रारूप पर विचार कर सके।

जहां तक ट्राइबल वेलफेयर का प्रश्न है, आदिवासियो के विकास के लिए जो परियोजनायें हैं उनको आवश्यक प्राथमिकता देना हमारे दलीय कार्यक्रमों का मुख्य अंग रहा है। मैं विद्वान सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ट्राइबल वेलफेयर, आदिवासियों के विकास के प्रश्न को अवश्य औचित्यपूर्ण प्राथमिकता दी जायेगी।

जहां तक माननीय सदस्य ने प्रति व्यक्ति आमदनी में वृद्धि का उल्लेख किया है, श्रीमन्, आप जानते हैं कि विश्व की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार से चिन्तनीय है और उसका प्रभाव हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ रहा है। मूल्य वृद्धि एक विषम चक्र है परन्तु हमारा प्रयास है कि जहां मूल्य वृद्धि रुके, उसमें संतुलन आये, वहां हमारा यह प्रयास भी होगा कि इस संतुलन प्राप्ति के साथ-साथ हमारी योजना का आकार-प्रकार इस प्रकार का हो कि हमारी राष्ट्रीय आय बढे और राष्ट्रीय आय बढ़ने के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति अपने आप ही वृद्धिमान होगी, माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे और प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ेगी, उसके बारे में विविध अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन उसका इस समय निश्चित अनुमान लगाना, विद्वान सदस्य इस बात से सहमत होंगे, जरा व्यावहारिकता से दूर होगा।

कुमारी कमला कुमारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इस योजना में सिर्फ आदिवासियों के विकास का ही प्रश्न है या हरिजनों के विकास का भी प्रश्न है? दूसरी बात मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि इस योजना की आधारशीला किन-किन बातों पर निर्भर करती है, जो कि इस योजना के अन्तर्गत आयेंगी?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मैं विद्वान सदस्या को आश्वस्त करना चाहूंगा कि मेरा अभिप्राय कभी भी, जो योजना में हरिजन वर्गों के लिए प्राथमिकतायें हैं, उनकी अवमानना करना नहीं है। मैं तो केवल राजस्थान के विद्वान सदस्य के प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने केवल ट्राइबल वेलफेयर का प्रश्न पूछा था, तो मेरे लिए यह औचित्यपूर्ण नहीं था कि मैं उसके साथ जो प्रश्न उन्होंने नहीं पूछा, उसका उत्तर भी जोड़ दूं।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया कि यह जो नई योजना बन रही है, वह 1980-81 से लेकर 1984-85 तक चलेगी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना को सम्पूर्ण करने के लिए इस वर्ष के अन्त तक का समय तो लगेगा ही। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब इस नई योजना को बनाने में एक वर्ष का समय लगेगा ही तो फिर इस योजना को 1981-82 से लेकर और 1985-86 तक क्यों नहीं चलाया जाए, क्योंकि एक वर्ष तो जब तक योजना तैयार होगी, उसमें समाप्त हो जाएगा। हर पांच वर्ष बाद चुनाव होते हैं और नई सरकार आती है, उसको कुछ समय मिलना चाहिए कि उसके जो विचार हैं, जो नीतियां है, उनका प्रतिबिम्ब उस योजना में हो, तो इस बार यदि यह 1981-82 से आरम्भ करके 1985-86 तक चले तो इससे दो लाभ होंगे—एक तो यह कि एक वर्ष खराब नहीं होगा और दूसरे इस योजना का लाभ भविष्य में देश को होगा। इस सुझाव के ऊपर मंत्री महोदय जवाब दें।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। आप इस पर विचार कर सकते हैं।

श्री आर० एल० भाटिया : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि योजना को अंतिम रूप देने में कुछ समय और लगेगा। परन्तु उन्होंने यह स्पष्ट रूप से बताया है कि राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। जब योजना तैयार ही नहीं है तो उन्होंने स्पष्ट रुप से कैसे कह दिया कि राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। माननीय मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने ये किस आधार पर यह अनुमान लगाया है कि राष्ट्रीय आय में प्रतिशत 5 की दर से वृद्धि होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती सुशीला गोपालन।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इस योजना को अंतिम रूप दिए जाने से पहले क्या मुख्य मंत्रियों को राष्ट्रीय विकास परिषद में इस योजना पर विचार करने का अवसर दिया जाएगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मुख्य मंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के माननीय सदस्य हैं और मुझे विश्वास है कि हम उनकी सलाह का पूरा-पूरा फायदा उठाएंगे।

श्री आर० एल० भाटिया : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने एक प्रश्न पूछा था...

अध्यक्ष महोदय : मैंने समझा कि आपने आपस में समझ लिया होगा।

श्री आर० एल० भाटिया : मंत्री महोदय कहते है कि योजना अभी तैयार नहीं है और इसमें कुछ समय लगेगा परन्तु दूसरी ओर उन्होंने स्पष्ट रुप से कहा है कि राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि होगी। मैं उनसे पूछ रहा हूं कि किस आधार पर उन्होंने इस 5 प्रतिशत की दर से वृद्धि का अनुमान लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

श्री मूलचन्द डागा : पिछली सरकार ने पंच वर्षीय योजना का जो प्रारूप बनाया था, चाहे वह रोलिंग प्लान हो या जो भी हो, उसमें और आज जो आप नया प्लान बना रहे हैं उसमें, क्या मतभेद होंगे, क्या सैद्धांतिक अन्तर होगा?

श्री नारायण दत्त तिवारी : विद्वान सदस्य को ज्ञात होगा कि पिछली सरकार ने योजना के दो प्रारूप बनाये थे— एक मार्च, 1978 में और दूसरा दिसम्बर, 1979 में और वे प्रारूप पिछली सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को घोषित करते थे। जो उन्होंने दिसम्बर, 1979 में अन्तरिम प्रारूप बनाया था उस में स्वयं इस बात का उल्लेख था कि जिस प्रकार से मूल्यों की अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और तेल-संकट का प्रभाव पड़ रहा है, इस कारण...

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में उत्तर दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं आप की अनुज्ञा चाहूंगा, श्रीमन्, क्योंकि प्रश्न महत्वपूर्ण है। उत्तर यह है कि हमारा नया प्रारूप नई सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को परिलक्षित करेगा, इसलिये उस में बुनियादी मतभेद स्वाभाविक रूप से रहेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सलाहकार समिति की एक बैठक बुलाएं यही इसका सबसे अच्छा उत्तर होगा।

प्रो० मधु दंडवते : छठी योजना का मसौदा तैयार करते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्राथमिकताएं निर्धारित करना होगा। शीघ्र ही बजट आनेवाला है और इस बजट में हमारी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में खर्च होने वाली धन राशि निर्धारित कर दी जाएगी और इस बात को ध्यान में रखत हुए प्राथमिकताएं निर्धारण के प्रश्न को यदि यथाशीघ्र हल नही किया गया तो समस्त अर्थ-व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाएगी और हम गलत दिशा की ओर बढ़ जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए एक या एक वर्ष से अधिक समय तक इंतजार करने की बजाय समय में कटौती करके छठी योजना को शीघ्र तैयार किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसमें केवल छः महीने लगेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी : हम योजना को जल्दी से जल्दी तैयार करने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रताप भानु शर्मा : माननीय अध्यक्ष जी, क्या माननीय मंत्री जी इस बात को बतलाने की कृपा करेंगे कि छठी पंच-वर्षीय योजना में देश की बढ़ती हुई बेरोजगार नौजवान सदस्यों की संख्या को दृष्टि में रख कर तथा उस समस्या को हल करने के लिये क्या कोई विशेष प्रारूप तैयार किया गया है? यदि तैयार किया गया है तो उस का विवरण देने की कृपा करें?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मैं विद्वान सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेरोजगारी के प्रश्न पर योजना में आवश्यक प्राथमिकता अवश्य दी जायगी। मैंने स्वयं प्लानिंग कमीशन में अपने साथी सदस्यों से कहा है कि इसलिये विशेष वर्किंग ग्रुप बनाया जाय। वर्किंग ग्रुप निर्मित किया जा रहा है जो विभिन्न बेरोजगारी को दूर करने की योजनाओं को समन्वित करेगा।

अखबारी कागज की कमी

*45. **श्री वी० एस० विजयराघवन् :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अखबारी कागज की बहुत कमी है;

(ख) उसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इस समय उसका कितने प्रतिशत उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) वह कमी दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरणजीत चानना) : (क) हालांकि कुछ समाचार पत्रों के द्वारा कुछ ऐसे पत्र मिले हैं, जिनमें अखबारी कागज मिलने में होने वाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है, किन्तु देश में अखबारी कागज की सामान्य रूप से कोई कमी नहीं है क्योंकि देश में उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया जा रहा है।

(ख) देश में अखबारी कागज का उत्पादन करने वाले एकमात्र एकक नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स की अधिष्ठापित क्षमता 67,500 मी० टन है। किन्तु, लुगदी बनाने तथा कागज का उत्पादन करने की क्षमता के बीच असंतुलन, संचालनात्मक कठिनाईयों तथा बिजली की कमी के कारण, गत कुछ वर्षों में क्षमता का उपयोग लगभग 70–75 प्रतिशत रहा है।

(ग) देश में होने वाले उत्पादन तथा मांग के बीच अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से अखबारी कागज का काफी मात्रा में आयात किया जा रहा है। देश में अखबारी कागज की विभिन्न परियोजनाएं स्थापित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित आशय-पत्र जारी किये हैं :—

	क्षमता
1. मैसर्स सेन्चुरी पल्प	20,000 मी०टन/वर्ष
2. श्री वी०डी० सोमानी	50,000 मी०टन/वर्ष
3. मैसर्स तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एंड पेपर्स लि०	83,000 मी०टन/वर्ष

उपर्युक्त के अलावा मैसर्स हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन केरल राज्य में 80,000 मी०टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली अखबारी कागज की एक परियोजना स्थापित कर रहा है। जिसमें वर्ष 1981–82 में उत्पादन होने लगने की संभावना है।

मैसर्स मैसूर पेपर मिल्स, भद्रावती 75,000 मी०टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए कर्नाटक में एक परियोजना स्थापित कर रहा है जिसमें वर्ष 1982–83 में उत्पादन शुरू हो जाने की संभावना है। दि नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स, नेपानगर जो, इस समय अखबारी कागज का उत्पादन करने वाला एकमात्र एकक है, 75,000 मी०टन प्रतिवर्ष की क्षमता प्राप्त करने के लिए संतुलनकारी एवं नवीनीकरण की एक योजना चला रहा है।

***श्री वी० एस० विजयराघवन्** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में अखबारी कागज की कमी के कारण समाचारपत्रों के सामने समय-समय पर आनेवाली कठिनाइयों का उल्लेख किया है। वस्तुतः इस कमी का प्रतिकूल प्रभाव छोटे समाचार पत्रों पर पड़ता है। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि देश में आज कुल कितने अखबारी कागज की आवश्यकता है तथा कितने का आयात किया जायगा।

डा० चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न यह पूछा है कि अखबारी कागज की मांग कितनी है तथा दूसरा प्रश्न यह है कि उसका उत्पादन तथा कमी कितनी है।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जहां तक इस कागज की मांग तथा उत्पादन के अन्तर का सम्बन्ध है क्योंकि इसी मुख्य मुद्दे के बारे में उन्होंने पूछा है कि आप इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं। हम देश में अखबारी कागज की मांग को आयात द्वारा पूरा कर रहे हैं। हम निरन्तर आयात कर रहे हैं तथा हम छोटे, मध्यम आकार के तथा बड़े समाचार पत्रों की आवश्यकता को देसी उत्पादन तथा आयातित कागज की सप्लाई कर के पूरी कर रहे हैं।

****श्री वी० एस० विजयराघवन्** : श्रीमन्, क्या सरकार केरल के पालघाट जैसे उन इलाकों में जहां आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध है, अखबारी कागज के छोटे कारखाने स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ताकि समय-समय पर अखबारी कागज के मामले में आनेवाली कमी को कारगर ढंग से पूरा किया जा सके तथा आयात की आवश्यकता जिस पर कि बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च होती है को समाप्त किया जा सके।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि अखबारी कागज की कमी को केरल में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित कर के पूरा किया जाना चाहिये। माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम वहां पहले ही एक संयंत्र स्थापित करने जा रहे हैं। हम कच्चे माल की उपलब्धता के अनुसार केरल में अखबारी कागज उत्पादन की परियोजना को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : श्री मालन्ना।

श्री के० मालन्ना : आदरणीय महोदय, भद्रावती स्थित मैसूर पेपर मिल्स के बारे में वक्तव्य में कहा गया है कि इस की क्षमता 75000 टन है। यह कारखाना 1982–83 में पूरा हो जायगा। क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मैसूर पेपर मिल्स परियोजना का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है, यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं तथा वह अब किस चरण में है?

*मूल प्रश्न मलयालम में।

**अनुपूरक प्रश्न मलयालम में।

श्री चरणजीत चानना : माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान मैसूर पेपर मिल्स के कार्य की धीमी गति की ओर दिलाया है। इस में किसी कारखाने की स्थापना के दौरान आने वाली समस्यायें आ रही हैं। जहाँ तक केरल न्यूजप्रिंट नामक कारखाने का सम्बन्ध है, उसके बारे में उन्होंने कारखाने निर्माण मजदूरों की हड़ताल के कारण कारखाने के निर्माण कार्य के बन्द हो जाने की ओर ध्यान दिलाया है। जहाँ तक मैसूर पेपर मिल्स का सम्बन्ध है, प्रोत्साहकों ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिलाया है। माननीय सदस्य ने कार्य बन्द हो जाने की ओर ध्यान दिलाया है। हम इस की जांच करेंगे।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : क्या सरकार की जानकारी में यह है कि अधिकांश समाचार पत्र अपने सही सरकुलेशन से ज्यादा सरकुलेशन दिखा कर कागज का ज्यादा कोटा ले लेते हैं और फिर उस कागज को प्राप्त कर के ब्लैक में बेचते हैं? यदि यह बात सरकार की जानकारी में है तो सरकार ने अब तक कितने अखबार वालों के खिलाफ कार्यवाही की है और अगर नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

श्री चरणजीत चानना : जहाँ तक न्यूजप्रिन्ट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, उसको मिनिस्ट्री आफ इनफोर्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग देखती है। इसलिए यह प्रश्न हमारी मिनिस्ट्री से सम्बन्धित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक नया प्रश्न किया है। बस। अब श्री जेठमलानी।

श्री राम जेठमलानी : अखबारी कागज की कमी को पूरा करने का एक तरीका यह है कि अविद्यमान अथवा बोगस समाचार पत्रों पर अपने कोटे को काले बाजार में बेचकर उसका दुरुपयोग करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाये। क्या मंत्री महोदय हमें इस बात का आश्वासन दिलायेंगे कि ऐसे किसी मुकदमे को वापस नहीं लिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : आप कोई नया प्रश्न पूछें। यह तो आपने उसी प्रश्न को दोहरा दिया है। अगला प्रश्न।

विदेशियों के मसले पर राज्यों में हिंसा

*47. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "विदेशियो वापस जाओ" मसले पर किन किन राज्यों में हिंसा भड़की है;

(ख) इस नाजुक मसले को हल करने में सरकार को कहाँ तक सफलता मिली है; और

(ग) क्या इस संबंध में कुछ राजनीतिक दलों ने भी अपना सहयोग दिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) "विदेशियों के मामले" पर असम, मणिपुर और मेघालय में आन्दोलनों म भिन्न भिन्न मात्रा में हिंसा हुई। त्रिपुरा में भी हाल ही में जनजातियों और गैर जनजातियों के मध्य झड़पे हुई थीं और इसका एक मुद्दा "विदेशी नागरिक" भी था। जबकि हिंसा की रोकथाम करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं। सभी संबंधितों के लिये मान्य हल निकालने के वास्ते प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। प्रधान मंत्री द्वारा विपक्षी दलों के नताओं के साथ दो बैठकें की गई हैं। उन सभी व्यक्तियों द्वारा जिन्होंने दोनों बैठकों में भाग लिया था आन्दोलनकारियों से आन्दोलन समाप्त करने के लिए सर्वसम्मत अपील की गई है।

श्री के० प्रधानी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के अन्तिम भाग में कहा है कि प्रधान मंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं के साथ दो बैठकें की हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रधान मंत्री द्वारा की गयी इन बैठकों में राष्ट्रीय सेवक संघ के नेताओं ने भाग लिया। यदि हाँ, तो इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं ने भाग नहीं लिया लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बैठक में भाग लिया।

श्री के० प्रधानी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि इन आंदोलनों में किसी विदेशी शक्ति का हाथ है।

अध्यक्ष महोदय : यह कल स्पष्ट कर दिया गया था।

श्री पगनगोम महेन्द्र : क्या मंत्री महोदय उन राज्यों का नाम बताने की कृपा करेंगे जहां "विदेशियों" को बाहर निकालने के प्रश्न को लेकर हिंसा हुई है; सरकार इस नाजुक मसले को हल करने में कहां तक सफल रही है तथा क्या कुछ राजनैतिक दलों ने भी इस सम्बन्ध में अपना सहयोग दिया है। विशिष्ट राज्यों द्वारा क्या विशेष कार्यवाही की गयी है?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर लिय गये हैं।

श्री अमर राय प्रधान : श्रीमन, मेरे विचार से यह समस्या विदेशी नागरिकों की नहीं बल्कि उन विदेशी शक्तियों की है जोकि अखिल आसाम छात्र संघ के नेतृत्व में चल रहे इस विदेशी हटाओं आंदोलन के पीछे हैं। कल ही, माननीय श्री जेठमलानी ने कहा था कि यू० एस० ए०शब्द का अर्थ है यूनाइटिड स्टेट्स आफ आसाम। इतिहास और भूगोल के विद्यार्थी इससे चक्कर मे पड़ सकते हैं । वे इससे भारत में ही यू० एस० ए० नाम के अलग राज्य होने के भ्रम में पड़ सकते हैं परन्तु श्रीमन्, आप मुझे से इस बात पर सहमत होंग कि यू० एस० ए० का अर्थ है संयुक्त राज्य अमरिका। अतः मैं मंत्री महोदय से बहुत स्पष्ट रूप से यह बताने का अनुरोध करूंगा कि इस यू० एस० ए० के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है जोकि इस 'आसु' आन्दोलन के पीछे है तथा उस खराब आदमी के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है जिसका नाम गुड मैन या गोड मैन है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : सरकार सभी आवश्यक उपाय कर रही है ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : श्रीमन्, आज के समाचार पत्र में भी त्रिपुरा मे भारी झड़पें होने का उल्लेख है जहां चार सौ से अधिक व्यक्ति मारे जा चुके हैं। आसाम के विद्यार्थियों की आठ मांगों मे से केन्द्र सरकार पांच मांगे मानने के लिए सहमत हो गयी है । तीन अन्य जिन मांगों को स्वीकार नहीं किया गया है, क्या उसमें कोई प्रगति हुई है जिस की वजह से गतिरोध पैदा हो गया है? श्रीमन्, आसाम अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्या कानून व व्यवस्था अथवा प्रशासन सम्बन्धी समस्या वही है । यह एक मनोवैज्ञानिक, मानवजातीय तथा भावात्मक समस्या है । इस बात को दृष्टि में रख कर इस समस्या का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए क्या दोनों पक्षों की ओर से नये सिरे से कोई प्रयास किये गये हैं ? यद्यपि सरकार प्रयास कर रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि आठ में पांच मांगों पर सहमती हो गयी है। जहां तक तीन मांगों का सम्बन्ध है, हम इन की जांच करेंगे और इन पर विचार किया जायगा। सरकार बात कर रही है तथा उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही कार्यवाहियों में लगे हुए हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार अथवा किसी अन्य राज्य से जाकर बसने वाले अपने ही देशवासियों को 'विदेशी' कहा जा रहा है। इन राज्यों मे बंगलादेश अथवा पाकिस्तान से आने वालों को ही विदेशी कहा जा सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि भविष्य में अपने ही देश-वासियों के लिए विदेशी शब्द का प्रयोग न किया जाय, इस के लिये मंत्रालय क्या कर रहा है।

श्री योगेन्द्र मकवाणा : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, नागरिकता अधिनियम तथा हमारे संविधान में इस की सुस्पष्ट परिभाषा दी गयी है । जब हम 'विदेशी' शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम इसे उसी सन्दर्भ मे प्रयोग करते हैं।

(प्रश्न संख्या 48 के सम्बन्ध में)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 48 ; डा० फारुक अब्दुल्ला ।

श्री गुलाम रसूल कोचक : डॉ० फारुक अब्दुल्ला ने यह प्रश्न पूछने के लिये मुझे प्राधिकृत किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अगला प्रश्न।

निरंकारी प्रमुख की हत्या

*49. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 अप्रैल, 1980 को दिल्ली में निरंकारियों के प्रमुख की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) क्या अपराधी को पकड़ने के सभी प्रयास विफल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार अपराधी को पकड़ने के लिए इस संबंध में आगे किस तरह की कार्यवाही करेगी;

(घ) क्या सरकार को नये निरंकारी प्रमुख को प्राप्त हुए धमकी भरे पत्रों की सूचना दे दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सुरक्षा-प्रबंध किये गये हैं और निरंकारियों में विश्वास की भावना पैदा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) चार गिरफ्तारियां पहले ही की जा चुकी हैं। अन्य संदेह जनक व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिये सतत प्रयास किये जा रहे हैं। फरार अभियुक्त रणजीत सिंह को गिरफ्तार करने के लिए 50,000 रु० के इनाम की घोषणा की गई है। सभी राज्य पुलिस वालो उसके फोटोग्राफ भेज दिये गये हैं। यह पता लगाने के लिये कि क्या वह देश से बच निकला है ।

हवाई अड्डों की जांच की जा रही है । इन्टरपोल से सभी देशों को पता लगाने के नोटिस जारी करने के लिये भी अनुरोध किया गया है। 30 कारवाईन बन्दूकों के मालिकों की पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और राजस्थान के राज्य अ० अ० वि० की सहायता से छानवीन की जा रही है।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) दिल्ली में नये निरंकारी प्रमुख के निवास स्थान और धार्मिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिये दिल्ली में उनके जाने के स्थानों पर सभी संभव तथा प्रभावी उपाय करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये गये हैं। सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भी यह सुनिश्चित करने के लिये निदेश जारी कर दिये गये हैं कि जब कभी नये निरंकारी प्रमुख किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र का दौरा करें तो उनक लिये सभी संभव तथा प्रभावी सुरक्षा प्रबंध किये जाएं।

श्री एम० राम० गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, जांच अधिकारियों ने हत्या-स्थान से हाथों के निशान और कुछ फोटो लिए थे। केन्द्रीय जांच ब्यूरों और केन्द्रीय आसूचना ब्यूरों के पास बहुत से व्यक्तियों के हाथों के निशान है। क्या इस सारी जांच के आधार पर हत्यारों के बारे में कुछ सुराग लगा है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे और अब तक 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं; जांच अभी जारी है ।

श्री एम० गोपाल रेड्डी : क्या सरकार निरंकारी धर्म के नए अध्यक्ष के लिए किए गए सुरक्षा उपायों से संतुष्ट है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : हम इस संबंध में किए गए सुरक्षा उपायों से संतुष्ट हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन उपायों के बारे में बता सकता हूँ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : हत्या से पहले निरंकारी बाबा ने सरकार को पत्र लिखा था कि उनकी जान को खतरा है और उनकी रक्षा का इंतजाम किया जाए। क्या यह सच है कि निरंकारी भवन पर पुलिस वाले तैनात थे लेकिन जब हत्यारे चोरी छिपे भवन मे प्रवेश कर गए और चौदह नम्बर के कमरे में ठहरे तो उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं की गई ? क्या इस पहलू की भी जांच की गई है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : उनका अपना सुरक्षा प्रबन्ध भी है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी आवश्यक सुरक्षा प्रदान की थी सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे ।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वे कैसे दाखिल हुए ? क्या इस बात की जांच की गई थी।

श्री योगेन्द्र मकवाना : वे गुसलखाने (बाथरूम) के रास्ते से दाखिल हुए थे.....

श्री अटल विहारी वाजपेयी : भवन में प्रवेश किए बिना वे बाथरूम से कैसे दाखिल हुए ?

श्री मूलचन्द डागा : ये निरंकारी बाबा को जो पत्र मिल रहे हैं, क्या पुलिस ने यह जांच की है कि किन-किन लोगों ने उनको पत्र लिखे हैं और उन लोगों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? जिन लोगों ने यह पत्र लिखे हैं, क्या उनको पकड़ा गया है. उनकी जमानत ली गई है या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है या नहीं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐसे पत्रों में कोई सच्चा नाम देता ही नहीं, फिक्टीशियस नाम हो हैं, लेकिन जहां से पत्र आया है, वहां पुलिस जरूर गई है ।

श्री मूल चन्द डागा : पत्र आया, लेकिन आपने आज तक क्या जांच की ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मुझे नोटिस चाहिये, यदि आप ब्यौरा चाहते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिन का सप्ताह

***50. श्री सतीश प्रसाद सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिन का सप्ताह करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है और इसे किस तारीख से लागू किया जाएगा;

(ग) ऐसी कौन-कौन सी बाते हैं, जिनके कारण सरकार ने पांच दिन का सप्ताह करना स्वीकार किया है; और

(घ) इससे कार्य कितनी अच्छी तरह होगा और कितनी बचत होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या): (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ) उक्त प्रस्ताव कुल साप्ताहिक कार्य के घंटों पर प्रभाव डाले बिना ही इंधन तथा उर्जा में बचत करने के उद्देश्य से आरम्भ किया गया है ।

प्रस्ताव के ब्यौरों का हिसाब लगाया जा रहा है ।

श्री सतीश प्रसाद सिंह : कार्यावधि घटाकर 5 दिन करने से सरकार को कितनी बचत होगी ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : 5 दिवसीय सप्ताह लागू करने में सरकार का मुख्य उद्देश्य पेट्रोल की बचत जितनी संभव हो, करना है । मोटा सा अनुमान लगाया गया है और अनुमान है कि पेट्रोल की खपत में कमी से लगभग 39 करोड़ रु० की बचत होगी; डीजल की खपत में कमी से कुछ करोड़ रु० बचेंगे और लगभग 15 लाख रु० बिजली की खपत कम होने से बचेंगे । इस प्रकार की व्यवस्था से सरकार को इतनी बचत होने का अनुमान है ।

श्री सतीश प्रसाद सिंह : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि सैंट्रल गवर्नमेंट के मातहत जो सैंट्रल स्कूल हैं, उनकी कार्य अवधि भी 5 दिन करने के बारे में सरकार सोच रही है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यह व्यवस्था केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए करने का विचार है और सैंट्रल स्कूल इस प्रस्ताव में शामिल नहीं है ।

श्री बी० आर० नहाटा : 5 दिन का सप्ताह लागू करने से उत्पादन में कितनी हानि होगी ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : यह केवल प्रशासनिक कार्यालयों में होगा । वर्तमान 6 दिन के सप्ताह में 39 कार्य-घंटे होते है। इन्हें पांच दिन के सप्ताह में समायोजित कर लिया जाएगा । कार्यालयों का समय इस प्रकार नियत किया जाएगा कि 5 दिन का सप्ताह करने से वास्तविक कार्य घंटो मे कमी न आएं । यह केवल प्रशानिय कार्यालयों के लिए है और उत्पादन करने वाले इसमें कभी नहीं आता ।

श्री दयाराम शाक्य : अभी 6 दिन का सप्ताह होने पर भी गवर्नमेंट को करोड़ों रुपया ओवर-टाइम को देना पड़ता है । क्या सरकार 5 दिन का सप्ताह करने पर सरकारी कर्मचारियों के लिए कोई ऐसा प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है कि जिससे ओवरटाइम पर अधिक रुपया न दिया जाए । अथवा न दिये जाने की व्यवस्था हो ।

श्री पी० वेंकटसुब्बया : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य पूरी बात समझे नहीं हैं । एक दिन बचाया जा रहा है। 6 दिन के सप्ताह के बदले 5 दिन का सप्ताह लागू करने से कार्य-घंटों में जो हानि होगी उसे 5 दिनों में समायोजित कर लिया जाएगा । उदाहरण तया जिन कार्यालयों का समय पहले 10.15 म० पू० से 5.15 म० प० था अब उनका समय 9.45 म० पू० से 5.45 म० प० होगा । इसी प्रकार उन कार्यालयों के समय में भी परिवर्तन होगा जिनकी कार्यवधि 9.15 म० पू० से 5.15 म० प० है । उनमें भी यथावश्यक संशोधन होगा अर्थात इस पांच दिन के सप्ताह में कार्य घंटों में एक घंटे का समय बढ़ेगा । इस व्यवस्था से ओवर टाइम या अन्य उपलब्ध सुविधाओं में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री रतन सिंह राजदा : कार्य-दिवस कम करने के प्रस्ताव से सरकारी कार्यालयों में काम और धीरे होगा । अभी भी लोगों को शिकायत है कि फाइलें दबी पडी रहती हैं । सरकार इस बारे में क्या कदम उठाएगी जिससे फाइलों पर तत्काल कार्रवाई हो ?

श्री पी० वेंकटसुब्बया : सरकारी कार्य, समय में परिवर्तन होने पर निर्भर नहीं करता । फाइलों पर कार्रवाई जितनी यथा शीघ्र और तेजी से की जाएगी । विभिन्न मंत्रालय और विभाग वह बात सुनिश्चित करेंगे ।

श्री ए० टी० पाटिल : क्या सरकार को मालूम है कि यदि यह फार्मूला संसदीय कार्य विभाग पर लागू किया गया तो उसने सरकार को हानि ही होगी, लाभ नहीं ।

प्रो० मधु दंडवते : यदि यह व्यवस्था लागू हो जाती है तो क्या शनिवार को सभा की बैठक हो सकेगी ?

अध्यक्ष महोदय : अब अगला प्रश्न ।

असम आन्दोलन के संबंध में प्रधान मंत्री की विपक्ष के नेताओं के साथ बातचीत

*51 **श्री चित्त बसु :**
श्री अमर राय प्रधान :
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम आन्दोलन के मामले में प्रधान मंत्री ने हाल ही में विपक्ष के नेताओं से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक के क्या परिणाम रहे; और

(ग) असम समस्या को शीघ्र सुलझाने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान । प्रधान मंत्री ने 31 मई, 1980 को संसद में विपक्षी दलों/ग्रुपों के नेताओं से बातचीत की थी ।

(ख) और (ग) जिन नेताओं ने बैठक में भाग लिया था उन सभी ने सर्व सम्मति से, तुरन्त आंदोलन समाप्त करने और बातचीत करने तथा किसी स्वीकार्य हल पर पहुंचने के लिए अपील की । बैठक के निष्कर्षों की एक प्रति सदन के पटल पर रखी जाती है । सरकार आशा करती है कि लोग समझदारी से काम लेंगे और आन्दोलनकारी इस अपील पर ध्यान देंगे ।

विवरण

प्रधान मंत्री ने आज (31-5-80) संसद में राजनैतिक दलों और वर्गों के नेताओं की एक बैठक बुलाई । इसमें निम्नलिखित ने भाग लिया :—

1. श्री चित्त बसु, फारवर्ड ब्लाक
2. श्री त्रिदिब चौधरी, आर० एस० पी०
3. श्री वाई० बी० चव्हाण, कांग्रेस (अर्स)
4. श्री भूपेश गुप्त, सी० पी० आई०
5. श्री समर मुखर्जी, सी० पी० आई० (एम०)
6. श्री पी० रामामूर्ति, सी० पी० आई० (एम०)
7. श्री इब्राहीम सुलेमान सैत, मुस्लिम लीग

बैठक में उपस्थित मंत्री इस प्रकार थे :—

1. श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री
2. श्री पी० वी० नरसिंहाराव, विदेश मंत्री
3. श्री ज्ञानी जैल सिंग, गृह मंत्री
4. श्री सी० एम० स्टीफन, संचार मंत्री
5. श्री आर० वेंकटारमन, वित्त मंत्री
6. श्री पी० के० मुकर्जी, वाणिज्य तथा इस्पात और खान एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री
7. श्री भीष्म नारायण सिंह, संसदीय कार्य मंत्री
8. श्री सीता राम केसरी, संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री

उन्होंने असम में स्थिति का पुनरीक्षण किया और विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित सर्वसम्मत निष्कर्षों पर पहुंचे।—

(i) देश की अखण्डता की रक्षा की जाय ।

(ii) अल्पसंख्यक की रक्षा तथा सुरक्षा के न्द्र सरकार का विशेष उत्तरदायित्व होना चाहिए ।

(iii) विदेशियों की समस्या केवल बातचीत से ही हल की जा सकती है । किसी व्यक्ति को तंग न किया जाय । विदेशियों का पता लगाने का कार्य एक ऐसे तंत्र पर छोड़ दिया जाए, जिस पर संबंधित लोगों को विश्वास हो सके । जो भारतीय नागरिक नहीं हैं, उनके बारे में तय करने और उनके बारे में कार्रवाई करने का तरीका एक सम्मत प्रक्रिया के अनुसार होगा ।

बातचीत करने के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा करने और सम्मत हाल पर पहुंचने के उद्देश्य से एकत्र हुए नेताओं ने अपील की कि आंदोलन तुरंत समाप्त किया जाय । नेताओं को पूरी आशा है कि इस अपील का अनुकूल असर होगा ।

श्री चित्त बसु :बैठक में सामान्य धारणा यह थी कि समस्या का बातचीत के माध्यम से ही समाधान निकाला जाए; और इस हेतु अखिल असम विद्यार्थी संघ और असम जन संग्राम परिषद् से आंदोलन समाप्त करने की अपील की गई थी । अब समाचार पत्रों में छपी खबरों से मालूम होता है कि अखिल असम विद्यार्थी संघ और जन संग्राम परिषद् ने न केवल आन्दोलन समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव या अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया वरन अखिल असम विद्यार्थी संघ ने तो आंदोलन को और तेज करने का आवाहन किया है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार बैठक द्वारा जारी की गई अपील को ठुकराए जाने या स्वीकार न किए जाने की स्थिति में कौन से विशेष कदम उठाने की सोच रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : हमने बहुत बार अपील की है ; और हमने अखिल असम विद्यार्थी संघ से अनुरोध भी किया है। परन्तु उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार नही किया। अतः अब तो मात्र वर्तमान स्थिति पर नियंत्रण रखने की ही बात है।

श्री चित्त बसु : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। बैठक की सामान्य धारणा थी कि समस्या को बातचीत द्वारा हल किया जाए ; और बातचीत की सुविधा के लिए, सभी एकत्र नेताओं ने अखिल असम विद्यार्थी संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि वे आंदोलन को वापस ले लें। परंतु अब समाचार पत्रों में छपी खबरों से लगता है—सरकार को भी यह बात मालूम है—कि अखिल असम विद्यार्थी संघ ने आंदोलन तो वापिस नहीं लिया अपितु इसे और तेज करने का आवाहन किया है। इन परिस्थितियों में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है, क्योंकि उन्होंने अपील स्वीकार की नहीं और न ही उन्होंने कोई हमारी अपील पर ध्यान नहीं दिया है? इन विशेष परिस्थितियों में सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यहां यह बातें बताना संभव नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि हम वार्ता के द्वार खोले हुए हैं, यदि कोई वार्ता करना चाहे। हमने इस बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। समय-समय पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधि असम के अधिकारियों—सलाहकार, राज्यपाल इत्यादि—से मिलते रहते हैं। परंतु इस के साथ अल्पसंख्यकों की जान और माल की सुरक्षा के लिए भी हमें उचित उपाय करने होंगे क्योंकि वे अल्पसंख्यक भी असम-वासी हैं। अन्य लोगों की भी रक्षा की जानी चाहिए। कल भी चर्चा के दौरान यह बात स्पष्ट की गई थी कि आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत से लोगों ने, व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया है कि वे भय के कारण, क्योंकि उन्हें धमकाया जा रहा है, आंदोलन में भाग ले रहे हैं।

श्री चित्त बसु : असम की समस्या को गलत ढंग से सुलझाने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यपाल श्री एल० पी० सिंह जिम्मेदार हैं। क्या सरकार उन्हें वापस बुलाने या कोई और उचित कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है जिससे वहां किसी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति को नियुक्त किया जाए विशेषकर ऐसे राज्यपाल को, जो वहां के मामले को सही तरीके से सुलझा सके? क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि श्री एल० पी० सिंह ने कार्यभार से मुक्त होने की इच्छा व्यक्त की है। यदि यह सच है तो इसपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमन्, श्री एल० पी० सिंह ने सेवानिवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की है। सम्भव है कि उनकी कार्यप्रणाली ठीक न रही हो परन्तु मेरे विचार से ऐसा कहना उचित नहीं होगा कि उन्होंने जानबूझ कर कोई गलत कार्य किया है। उनका प्रयास यह था कि जिन लोगों की वास्तविक शिकायतें हैं और जो अधिक उग्रवादी और यहां तक कि पृथकतावादी हैं उनकी समस्याओं को अलग-अलग ढंग में सुलझाया जाए। वह ऐसा करने का प्रयास कर रहे थे। यह सही है कि वे इतने सफल नहीं हो सके।

श्री अमर राय प्रधान : मैं समझता हूं कि विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं ने समस्या पर विस्तार से विचार किया है। परन्तु अखिल असम विद्यार्थी संघ द्वारा चलाए गए इस आन्दोलन से जो भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को असम छोड़ कर भारत के अन्य भागों जाने पर विवश कर दिया गया है समस्या पैदा हुई है। अभी उनकी संख्या 15,000 है और प्रतिदिन असम से अल्पसंख्यक आ रहे हैं क्योंकि असम में अव्यवस्था व्याप्त है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कुल 15,000 व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाये है जो पहले ही वहां से बाहर आ गए हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उन सभी प्रवासी लोगों के पुनर्वास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है जो अपने घरों को छोड़कर आ गए हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय प्रधान मंत्री ने अभी-अभी कहा है कि सरकार विभिन्न राजनैतिक दलों से बातचीत करने के लिए सदा तैयार है। मैं प्रधान मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विभिन्न राजनैतिक दलों, आंदोलन के नेताओं, असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अल्पसंख्यकों, की बैठक बुलाने के बारे में विचार कर रही है?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हम विपक्षी दलों की एक बैठक बुला चुके हैं। परन्तु, यदि आवश्यक समझा गया तो मुझे दुबारा बैठक बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिए कि समाचार पत्रों के अनुसार आंदोलनधारियों और विशेषकर छात्रों ने स्पष्ट कह दिया है कि राजनीतिक लोग और राजनतिक दल यहां असंगत है और वस्तुतः वे मुझसे नाराज है कि मैंने विपक्षी दलों से परामर्श किया है। मुझे संदेह है कि वें इस बैठक में भाग लेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी द्वारा ट्रकों के उत्पादन में कमी

*43. श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे बुनियादी बाधायें और कमियां क्या हैं जिनके कारण टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी को अपने ट्रकों के उत्पादन में 20 प्रतिशत की कमी करनी पड़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी की अधिष्ठापित क्षमता का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) कम्पनी ने बताया है कि 1979-80 में टेल्को में 29,115 वाणिज्यिक गाड़ियों का उत्पादन हुआ था। इसमें ट्रक तथा बस चेसिस दोनों ही शामिल हैं। कम्पनी ने जिन मुख्य समस्याओं के बारे में बताया था वे थी : बिजली की अपर्याप्त सप्लाई और कुछ हिस्से-पुर्जों को प्राप्त करने में कठिनाई।

(ख) जहां तक बिजली को पर्याप्त सप्लाई का संबंध है, सरकार ने डी० वी० सी० और संबंधित राज्य सरकारों के साथ यह मामला उठाया था। सरकार ने छः डीजल जनित्र सेटों के आयात के लिए कम्पनी के अनुरोध को भी मंजूर किया है। कुछ हिस्से-पुर्जों का रियायतों शुल्क दर पर आयात करने की अनुमति भी दी गई है।

आशा है कि उत्पादन में गिरावट न होने देने के लिए कम्पनी पर्याप्त तथा समय पर कदम उठाएगी।

जम्मू तथा काश्मीर सहित राज्यों को सीमेंट की सप्लाई

48. डा० फारूक अब्दुल्ला : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन किया था कि राज्यों में सीमेंट की सप्लाई अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्यों को सीमेंट की अपर्याप्त सप्लाई होने के कारण राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाओं पर भारी दुष्प्रभाव पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को सीमेंट की अधिक सप्लाई करने के बारे में राज्य सरकारों का अनुरोध स्वीकार कर लिया है ;

(घ) यदि हां, तो पहले गत एक वर्ष के दौरान और उनका अनुरोध प्राप्त होने के बाद सीमेंट की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई ; और]

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू और काश्मीर को सीमेंट की सप्लाई का कोटा बढ़ाया है ; यदि हां, तो कितना ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) देश में मांग की अपेक्षा कम सीमेंट उपलब्ध है अतएव यह संभव हो सकता है कि कुछ निर्माण कार्य प्रभावित हुए हों।

(ग) देश में सीमित परिमाण में सीमेंट उपलब्ध होने के कारण राज्यों को यथासंभव अतिरिक्त सीमेंट का आवंटन कर उनकी अत्यधिक जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के हर संभव प्रयास किये जाते हैं और फिर भी राज्य सरकारों को दिये जाने वाले सीमेंट के तिमाही आवंटन को बढ़ा देना अभी संभव नहीं हो सका है।

(घ) जुलाई, 1979 से जून, 1980 तिमाही आवंटन कर राज्यों को कुल मिलाकर 174.95 लाख मीट्रिक टन सीमेंट का आवंटन किया गया है। इसी अवधि में उनके अनुरोध पर 8.04 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त आवंटन किया गया था।

(ङ) वर्तमान तिमाही (अप्रैल से जून 1980) के लिये जम्मू तथा काश्मीर राज्य को 10,000 मीट्रिक टन सीमेंट का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

हैदराबाद में परमाणु ईंधन कमप्लैक्स का बंद होना

*52. श्री डी० पी० जदेजा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित परमाणु इंधन कमप्लैक्स यूरेनियम उपलब्ध न होने के कारण बंद कर दिया गया है;

(ख) क्या इसका तारपुर संयंत्र पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमप्लैक्स को पुनः आरम्भ करने हेतु यूरेनियम प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तारापुर स्थित रिएक्टरों में काम में लाए जाने वाले इंधन तत्व बनाने के लिए अमरीका से समृद्ध यूरेनियम समय पर न मिलने के कारण हैदराबाद स्थित नाभिकीय इंधन सम्मिश्र के समृद्ध यूरेनियम आक्साइड संयंत्र का प्रचालन 14 फरवरी, 1980 से आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी आधार पर करना पड़ रहा है। इस समय संयंत्र में बचे-खुचे समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग करके इसे इसकी कुल क्षमता के एक बटा पांच भाग पर चलाया जा रहा है।

(ख) समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई की अनिश्चितताओं और विलम्बों के कारण तारापुर बिजलीघर के बिजली उत्पादन-स्तर को हमें इसलिए घटाना पड़ा है जिससे कि इंधन चक्र अधिक समय तक चल सके।

(ग) भारत सरकार ने अमरीकी सरकार से इस उद्देश्य से लगातार सम्पर्क बनाए रखा है कि तारापुर बिजलीघर को दक्षतापूर्वक तथा लगातार चलाने के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई 1963 के सहकार करार के उपबन्धों के अनुसार नियमित रुप से तथा समय पर होती रहे।

कोका कोला पुनः लाया जाना

53. **श्री पी० के० कोडियन** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या उनका ध्यान "नेचर" नामक स्वदेशी पत्रिका के साथ प्रधान मंत्री की भेंटवार्ता की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह विचार व्यक्त किया है कि उन्हें एक बहुराष्ट्रीय कंपनी कोका कोला के भारत में पुनः काम आरम्भ करने में कोई आपत्ति नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में कोका कोला बनाने के किसी प्रस्ताव पर इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

पिछली सरकार द्वारा बनाई गई छठी पंच वर्षीय योजना का पुनः तैयार किया जाना

*54. **श्री नवीन खाणी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन बाध्यकारी कारणों से वर्तमान सरकार ने समूची छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारुप जो पिछली सरकार की अवधि में तैयार किया गया था पुनः तैयार करने का निर्णय किया है;

(ख) इस समय यह नया प्रारूप किस चरण पर है; और

(ग) पुराने और नये प्रारूप में सम्भवतः क्या क्या मुख्य भिन्नतायें होंगी और क्या समूचे योजना आवंटन में वृध्दि की जायेगी ताकि मूल्यों में हुई वृद्धि का प्रभाव समाप्त करके उच्चतर वृद्धि दर का नया लक्ष्य प्राप्त किया जा सके ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) संरकार यह सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध थी कि योजना से नई सरकार की नीतियां और प्राथमिकताएं अभिव्यक्त होनी चाहिए। इसके अलावा, वर्ष 1979-80 में राष्ट्रीय आय में बहुत अधिक गिरावट आई थी और कीमतो के स्तर में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी; 1979-80 में पैट्रोलियम की कीमतो में बहुत अधिक वृद्धि और भारत के निर्यात की संभावनाओं को प्रभावित करने वाली विदेशो में सामान्य रुप से मंदी की दशाओं के कारण भारत के भुगतान शेष की संभावना भी प्रतिकूल हो गई थी। इन घटनाओं की दृष्टि से पिछली सरकार की योजना के प्रारुप की वित्तीय गणनाएं प्रचालनात्मक रुप में संगत नहीं रह गई थीं।

योजना आयोग मंत्रालयो और राज्य सरकारों के परामर्श से नई योजना को तैयार करने में सक्रिय रुप से लगा हुआ है और यह आशा है कि योजना का दस्तावेज वर्तमान वर्ष के अन्त तक तैयार हो जाएगा।

अस्थाई रूप में, योजना आयोग ने राष्ट्रीय आय में 5 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि को योजना के लक्ष्य के रुप में निर्धारित किया है। इसके साथ ही योजना तैयार करते समय, और अधिक उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने की संभावनाओं की भी जांच की जाएगी। योजना के समग्र आकार या उसके क्षेत्रकीय आवंटनो के बारे में इस अवस्था में कुछ कहना संभव नहीं है।

भारत को समृद्ध यूरेनियम भेजना प्राधिकृत करना

*55. **श्री एम० वी० चंद्रशेखरमूर्ति :**

श्री के० मालन्ना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने तारापुर विद्युत संयंत्र के लिए समृद्ध यूरेनियम भेजा जाना को प्राधिकृत किया है और भारत सरकार को इसकी सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक भेजी जाने वाली इसकी दोनों खेप अब तक भारत को भेज दी गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इ से कब तक भेजा जायेगा;

(घ) क्या इसके लिए और आवेदन पत्र अमरीकी सरकार को भेजा गया है; और

(ङ) अब तक इसकी कुल कितनी मात्रा आनी थी और अब तक ऐसी कितनी मात्रा की सप्लाई की गई है?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) अमरीकी राष्ट्रपति ने हमें यह आश्वासन दिया है कि उनका इरादा एक कार्यकारी आदेश जारी करके तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम की बकाया खेपों को भिजवाने का अनुमोदन करने का है। राष्ट्रपति कार्टर ने अभी यह कार्रवाई करनी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस बारे में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है । अमरीका के वर्तमान आंतरिक कानून के अनुसार, इस प्रकार के निर्यात से संबंधित मामले में राष्ट्रपति के अनुमोदन पर वहां की कांग्रेस द्वारा पुनर्विचार किया जाता है। हम समझते हैं कि यह प्रक्रिया सितम्बर, 1980 तक पूरी हो जाएगी, बशर्ते कि राष्ट्रपति बिना किसी विलम्ब के इसे प्राधिकृत कर दें ।

(घ) अमरीकी प्राधिकारियों के पास लंबित पड़े उन दो आवेदन पत्रों के अतिरिक्त, जिनमें से प्रत्येक में 19.8 मीटरिक टन समृद्ध यूरेनियम की मांग की गई है, कोई और आवेदन पत्र नहीं दिया गया है। तारापुर परमाणु बिजलीघर में इंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले समृद्ध यूरेनियम के लिए अगला आवेदन, 1976 में अमरीकी सरकार के प्रतिनिधियों से तय किए डिलीवरी के कार्यक्रम के अनुसार, अगस्त/सितम्बर, 1980 में किया जाएगा।

(ङ) सन 1966 से आज तक अमरीका से 233.6 मीटरिक टन समृद्ध यूरेनियम प्राप्त हुआ है। इसमें तारापुर परमाणु बिजलीघर को चालू करने के लिए प्राप्त यूरेनियम की प्रारम्भिक मात्रा भी शामिल है । इस समय प्राप्त किए जाने वाले समृद्ध यूरेनियम की कुल मात्रा 39.6 मीटरिक टन है ।

अल्प संख्यकों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को वित्तीय नीतियों से लाभ के संबंध में पैनल

*56. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अल्प संख्यकों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लोगों के केन्द्र तथा राज्य सरकारों की अनेक वित्तीय नीतियों से मिल रहे लाभ के संबंध में जांच करने के लिए एक पैनल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा और क्या इस प्रस्ताव के संबंध में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया था; और

(ग) पैनल द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) उच्चाधिकार प्राप्त पैनल को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये थे :—

(1) यह पता करने के लिए कि क्या संघ और राज्य दोनों सरकारों की विभिन्न वित्तीय नीतियों के लाभ वास्तव में अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों तक पहुंचते हैं;

(2) उन मार्गविरोधों अथवा बाधाओं का पता लगाना जिनके कारण वे प्रेरणा स्रोतों, सुविधाओं और प्रोत्साहनों का पूर्णतः लाभ नहीं उठा रहे हैं;

(3) ऐसे तरीकों तथा साधनों का सुझाव देना जिनसे विभिन्न वित्तीय नीतियों, प्रेरणा स्रोतों, सुविधाओं और अन्य प्रोत्साहनों का उनको लाभ पहुंचे;

(4) अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में सिफारिशें करना। उच्चाधिकार प्राप्त पैनल नियुक्त करते समय राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया था ।

(ग) पैनल बनाने वाले सरकारी संकल्प के अनुसार पैनल को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है । पैनल ने अपनी पहली बैठक में यह अनुभव किया था कि यह समय सीमा कुछ अवास्तविक है और उसे आशा है कि वह अपनी रिपोर्ट सरकार को यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत कर देगा ।

जिला उद्योग केन्द्रों का कार्यकरण

*57. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला उद्योग केन्द्रों के कार्य की कोई जांच आरम्भ की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट क्या है; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम को, विशेष रूप से और पिछड़े क्षेत्रों में आरम्भ किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के कार्यकरण की सरकार द्वारा संवीक्षा की जा रही है ।

ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कम्पनी को हुआ घाटा

*58. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कम्पनी को करोड़ों रुपयों का घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि कम्पनी उत्पादन वास्तविक का उत्पादन से दुगुना दिखाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां । 1978-79 तक 325.70 लाख रु० की संचित हानि हुई है ।

(ख) (1) समय-समय पर मांग में मन्दी,
(2) समय पर अत्यावश्यक अन्तर्वस्तुओं की अनुपलब्धता,
(3) कार्य संचालन पूंजी की कमी, और
(4) खराब औद्योगिक संबंध ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विभिन्न उपाय विचाराधीन हैं जिनमें कम्पनी के वित्तीय तथा संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन करना भी शामिल है । कम्पनी के लिए दूसरे मुख्य कार्यकारी अधिकारी का चुनाव करने के लिए भी कार्रवाई शुरु कर दी गई है ।

काजू के छिलके के तरल पदार्थ की क्षमता

*59. **श्री के० ए० राजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को प्लास्टिक उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में काजू के छिलके के तरल पदार्थ (सी०एन० एस०एल०) की क्षमता की जानकारी है; और

(ख) भारत में सी०एन०एस०एल० के वार्षिक उत्पादन की तुलना में उसका वार्षिक उपयोग अनमानतः कितना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) काजू छिलके के तरल पदार्थ (सी०एन०एस०एल०) का अनुमानित वार्षिक उत्पादन 15,000 मी० टन है तथा देश में इसका 2000 से 3000 मी० टन तक उपयोग किया जाता है ।

त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषद् अधिनियम का कार्यान्वयन

*60. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने त्रिपुरा में स्वायत्तशासी जिला परिषद् अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये प्रधान मंत्री की सहायता मांगी है; और

(ख) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) त्रिपुरा के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को पत्र लिखा है जिसमें उस पृष्ठ भूमि का वर्णन किया है जिसमें राज्य विधान सभा ने यह कानून बनाया था और इसके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए उनका आशीर्वाद और सहयोग मांगा है । यह अधिनियम राज्य का कानून है और राज्य सरकार अपनी ओर से इसके कार्यान्वयन के लिए सक्षम है ।

सीमेंट उद्योग संबंधी उच्चस्तरीय कार्य-दल

332. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने सीमेंट उद्योग के लिये, मूल्यनिर्धारण, वितरण, भाड़ा-समीकरण तथा स्थापना-स्थल जैसे विषयों पर नीतिगत कार्य-ढांचे का सुझाव देने के लिये एक उच्च स्तरीय कार्यदल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निदेशपद क्या हैं और क्या उक्त कार्यदल का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है,

(ग) यदि हां, तो उसकी सिफारिशों की रूपरेखा क्या है और उनमें से कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गई है तथा कौनसी स्वीकार नहीं की गई हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तो इसके कब प्राप्त होने की आशा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) विचारार्थ विषय अनुबन्ध के रूप में संलग्न है । कार्यकारी दल की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) कार्यकारी दल से आशा की जाती है कि वह जून, 1980 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगा ।

विवरण

(1) देश में सीमेंट के लिये पांच वर्षों की अवधि 1984–85 तथा 1989–90 के अन्त तक की मांग (अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय) का अनुमान लगाना ।

(2) सीमेंट उद्योग के लिये मूल्य निर्धारण वितरण, भाड़े का समानीकरण, स्थापना-स्थल आदि जैसे विषयों के संबंध में नीति विषयक ढांचे का सुझाव देना ताकि निम्नलिखित के संदर्भ में उद्योग एक सुदृढ़ आर्थिक आधार पर विकसित हो सके ।

(क) अनुमानित आवश्यकताओं की पूर्ति तथा वांछनीय एवं सम्भावित स्तर तक निर्यात को देखते हुए 1984–85 तक प्रतिवर्ष क्षमता तथा उत्पादन लक्ष्यों की सिफारिश करना;

(ख) विस्तार, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा नये एकको की स्थापना के उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अत्यधिक लाभप्रद तरीकों का सुझाव देना;

(ग) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों के कार्य निष्पादन के बारे में सिफारिशें करना तथा सरकारी क्षेत्र में विशिष्ट परि-योजनाओं/कार्यक्रमों को बताना;

(घ) निम्नलिखित पांच वर्षों की अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आगामी पांच वर्षों में जो अग्रिम कार्यवाही करने की जरूरत है, उसे देखते हुए उपर्युक्त क्षमताओं की प्राप्ति तथा उसके लिय अपेक्षित विदेशी मुद्रा के लिये आवश्यक निवेश राशियों का अनुमान लगाना; (सरकारी क्षेत्र के लिये अपेक्षित परिव्यय को परियोजना वार बताना है)

(ङ) 1984–85 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये उत्पादन, निवेश तथा कार्यकारी पंजी की जरूरतों को वर्षवार प्रावस्थावद्ध करके बताना; तथा

(च) औद्योगिक अवशिष्ट पदार्थ जैसे स्लेग प्लाई एश तथा बोजलाना सामग्री के उपयोग की समीक्षा करना तथा इनका द्रुत उपयोग करने हेतु कार्य योजना का सुझाव देना;

(3) उपर्युक्त वितरण व्यवस्था विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सिफारिशें करना;

(4) प्रकल्पित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु श्रेणीवार मशीनों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना;

(5) सीमेंट के संरक्षण तथा वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री का संवर्धन करने हेतु अभ्युपाय सुझाना ;

(6) गवेषणा की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना, अनुसंधान तथा विकास का कार्यक्रम बनाना तथा कार्यान्वियन की विधि सुझाना;

(7) जैसी भी उचित हो अन्य सिफारिशें करना ।

भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा खाद्यान्न गिराया जाना

333. **श्री छीतू भाई गामित : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) देश के उन भागों के नाम क्या है जहां पर हाल ही में भारतीय वायु सेना के विमानों द्वारा खाद्यान्न गिरा कर जनता की सहायता की गई है; और

(ख) घोषित अकालग्रस्त क्षेत्रों को किस प्रकार का खाद्यान्न सप्लाई किया गया था और उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) पिछले छः महीनों में भारतीय वायु सेना ने हिमाचल प्रदेश और मिजोरम सरकारों के अनुरोध पर जहाजों से खाद्यान्न गिराने का काम किया था। यह जरूरी नहीं है कि इस तरह की सहायता अकालग्रस्त क्षेत्रों तक ही सीमित रखी जाये । हिमाचल प्रदेश में चंबा जिले के किलार में गेहूं और चीनी तथा मिजोरम के खावालियान, फाइवंग, यांवुक, फुल्लेंग, बिपुई, खावाल्वेन, छोंटे, नागोपा, सांगुआ और वांवुक में चावल विमान से गिराये गये थे ।

नई दिल्ली में हत्यायें, सेंधमारी तथा चोरियां

334. **श्री ई० बालनन्दन :**
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में इस वर्ष के दौरान अब तक चोरियों, हत्याओं तथा सेंधमारी की कितनी घटनायें हुई है और प्रत्येक मामले में कितने व्यक्ति पकड़े गये हैं; और

(ख) उन से बरामद की गई वस्तुओं का विवरण तथा मूल्य क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 1-1-80 से 31-5-80 तक की अवधि में नई दिल्ली पुलिस जिले को चोरी के 1278 मामले, हत्या के 3 मामले और सेंधमारी के 102 मामले सूचित किये गये। चोरी के मामलों में 103 व्यक्ति, हत्या के मामलों में 6 व्यक्ति और सेंधमारी के मामलों में 34 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(ख) 26,76,217 रु० मूल्य की घरेलू वस्तुयें, नकद, जेवर, मोटरवाहन, घड़ियां, साइकलें आदि बरामद की गई हैं।

सिक्किम पर केन्द्रीय कानूनों का लागू किया जाना

335. **श्री आनन्द पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से केन्द्रीय कानूनों को अभी तक सिक्किम पर लागू नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इन कानूनों को सिक्किम पर लागू करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) 85 केन्द्रीय कानूनों को सिक्किम में लागू किया जा चुका है। अन्य कानूनों को लागू करने की कार्रवाई आवश्यकता के आधार पर तथा इस संबंध में संबंधित मंत्रालयों/विभागों अथवा राज्य सरकार से प्रस्तावों के प्राप्त होने पर की जाती है।

हिमाचल प्रदेश में यूरेनियम की खोज

336. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के उन स्थानों क नाम क्या हैं जहां यूरेनियम की खोज का कार्य प्रगति पर है;

(ख) प्रत्येक मामले में इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या यूरेनियम का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण के लिए कुछ और स्थानों का चयन किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जिला हमीरपुर में अस्तोया, खया, लोहारियन, सिवल-गलोत, रोमेहरा, पनियाली दसलेरा और मन्नन गांवों में तथा सलोनी गांव के समीप बनाल्टा, कथला, दऊ, दलायु भूपही के किनारे, जिला कांगड़ा में दौलतपुर सद्दुन, बारी और चकमोह गांवों के निकट तथा जिला बिलासपुर के माजरे, चंग्रतलाई, कादविन, दयार और चाट नामक गांवों के पास के क्षेत्रों में यूरेनियम की खोज की जा रही है ।

(ख) इन स्थानों में से कुछ के आस-पास यूरेनियम की असंगतियों का पता लगाया गया है । इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से अन्वेषण कार्य किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अगले फील्ड-सीजन म इन 3 जिलों के और अधिक क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य करने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद

337. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनता सरकार में भूतपूर्व मंत्री श्री एच० एम० पटेल ने लम्बे समय से चले आ रहे कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद का हल निकालने के लिए कर्नाटक और महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्य मंत्रियों को आमंत्रित किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सीमा विवाद को हल करने के लिए पहले किए गए प्रयासों को जारी रखेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) ऐसी एक बैठक का प्रस्ताव किया गया था किन्तु यह हुई नहीं ।

(ख) जी हां, इस सीमा विवाद को हल करने के लिए सरकार द्वारा प्रयत्न किए जाएंगे ।

राजधानी में अवांछनीय तत्व

338. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में अवांछनीय तथा समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों को कम करने और उन पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) राजधानी में कानून और व्यवस्था की बिगडती हुई स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए जनवरी, 1980 से इस प्रकार के कितने व्यक्तियों को पकड़ा गया है और कितने को दंडित किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) निम्नलिखित उपाय किये गये है—

(1) सशस्त्र और मोटर साइकलों में लगे वाकी-टाकी सेंटों समेत गहन पैदल तथा चलती फिरती गश्त । जिलों को रात्रि गश्त के लिए दिल्ली सशस्त्र पुलिस/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से अतिरिक्त बल की 10 कम्पनियां दी गई है ।

(2) बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निरोधात्मक धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाती है ।

(3) जो वाहन अपराध करने में अन्तर्गस्त होते हैं उनका पता लगाने के लिए अचानक जांच करना ।

(4) डाकुओं, आदो चोरों, लूटेरों, जेब कतरों और अन्य बदमाशों की आसूचना एकत्र करके पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्तों द्वारा निरन्तर अभियान ।

(5) लडकियों के स्कूलों तथा कालेजों, बस स्टापों और सिनेमाघरों पर पुलिस कर्मचारियों की तैनातगी ।

(6) निष्कासन की कार्रवाईयां तेज करना, 1 जनवरी से 31 मई, 1980 तक 177 ज्ञात अपराधियों और बदमाशों को दिल्ली से बाहर निकाला जा चुका है ।

(ख) 1 जनवरी, 1980 से 31 मई, 1980 तक की अवधि के दौरान ऐसे 29,396 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं । अब तक इनमें से 10,211 को सिद्ध दोष किया गया है ।

टेहरी बांध के पर्यावरण तथा भू-गर्भ संबंधी पहलुओं पर विचार करने वाली समिति

339. **श्री झारखण्ड राय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विवादास्पद टेहरी बांध के पर्यावरण एवं भू-गर्भ संबंधी पहलूओं का अध्ययन करने के लिये संरक्षियों तथा विशेषज्ञों का एक कार्य-दल गठित किया था;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है तथा अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां । टेहरी बांध परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने एक अंतः विषयशास्त्रीय कार्यदल का संघटन किया है ।

(ख) और (ग) कार्य दल की अब तक पांच बैठकें हो चुकी हैं जिनमें बांध और उसके जलग्रहण क्षेत्रों का दौरा भी शामिल है । उपलब्ध आंकड़ों का परीक्षण करने के उपरान्त, कार्य दल ने एक अन्तरिम रिपोर्ट पेश की है, जिसमे अनेक अतिरिक्त अध्ययन तुरन्त शुरु करने की सिफारिश की गई है ताकि परियोजना के पर्यावरणीय प्रभावों का यथार्थ रुप से मूल्यांकन किया जा सके । दल सिफारिश किए अध्ययनों के रुप में निवेशों के बारे में विचार करने के उपरान्त अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश करेगा ।

दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर लाइसेंस शुदा स्टोर

340. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली नगर निगम क्षेत्र म भवन निर्माण सामग्री के अनेक गैर लाइसेंस शुदा स्टोर चल रहे हैं;

(ख) क्या उनके विरुद्ध शिकायतें मिलने के बावजूद निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती ;

(ग) क्या अशोक नगर/गोपाल नगर, नई दिल्ली-18 के निवासियों ने इस आशय के बहुत अभ्यावेदन दिये हैं कि उन इलाकों में रिहायशी प्लाटों में भवन निर्माण सामग्री के कई गैर लाइसेंस शुदा स्टोर चल रहे है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसक क्षेत्राधिकार के क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर लाइसेंस शुदा स्टोर हैं किन्तु दिल्ली नगर निगम अधिनियम के सम्बद्ध उपबंधों के अधीन ऐसे स्टोरों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। निगम ने यह भी सूचित किया है कि गोपाल नगर में कवल एक गैर लाइसस शुदा भवन निर्माण सामग्री का स्टोर है । इस स्टोर के विरूद्ध दो व्यक्तियों से जो गोपाल नगर के निवासी है शिकायतें प्राप्त हुई थी । इस स्टोर पर 6 बार मुकदमा चलाया गया और प्रत्येक बार माननीय न्यायालय ने इस स्टोर को जुर्माने का दंड दिया । अशोक नगर में ऐसा कोई स्टोर नहीं है ।

अधिकार प्राप्त व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमों का वापस लिया जाना

341. **श्री ज्योतिर्मय वसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10 जनवरी, 1980 से दिल्ली तथा अन्य राज्यों मे भी जहां 30 मई, 1980 तक राष्ट्रपति शासन था विधि न्यायालयों से/द्वारा कितने अधिकार प्राप्त व्यक्तियों और संसद सदस्यों के विरुद्ध मुकदमें वापस लिये गये, वर्खास्त कर दिये गये है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा और परिस्थितियां क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

औद्योगिक उत्पादन में वृ ध्दि

342. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 से 1980 तक औद्योगिक उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ख) यदि उत्पादन में कमी आई है तो उसके मुख्य कारण क्या है और औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि होना सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन (सी०एस०ओ०) द्वारा जारी किए गए औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक के अनुसार वर्ष 1970 से 1979 तक की अवधि का वार्षिक सूचकांक और विकास दर निम्नलिखित है :—

वर्ष	सूचकांक (1970=100)	विकास (प्रतिशत)
1970	100.0	—
1971	104.2	4.2
1972	110.2	5.8
1973	112.0	1.6
1974	114.3	2.0
1975	119.7	4.7
1976	131.4	9.8
1977	138.3	5.3
1978	147.8	6.9
1979	149.7	1.3

जनवरी, 1980 में सामान्य सूचकांक 153.9 था ।

(ख) वर्ष 1979 में औद्योगिक उत्पादन की तुलनात्मक दृष्टि से कम विकास दर बिजली की कमी, कुछ महत्वपूर्ण कच्चे माल के अभाव, श्रमिक असंतोष, परिवहन संबंधी अड़चनों के कारण रही है । अधिक औद्योगिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए किए गए अभ्युपायों में औद्योगिक अवस्थापना संबंधी मंत्रिमंडल समिति की स्थापना, ताप बिजली संयंत्रों को पर्याप्त कोयले की पूर्ति, अधिक रेलवे वैगन चलाना, विद्यमान क्षमता का अधिक उपयोग, अलौह-धातु, खाद्य तेल, मूलभूत रसायनों आदि जैसे कुछ आवश्यक निवेशों/कच्चे माल का आयात करना और श्रमिक संबंध सुधारना आदि शामिल हैं ।

रेल भवन केन्द्र में हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षायें

343. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : } क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी प्रशिक्षण योजना के रेल भवन केन्द्र में तेज गति वाली हिन्दी आशुलिपि प्रशिक्षण कक्षायें चलायी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या है;

(ग) उक्त योजना के लिए बाहर से अध्यापक नियुक्त करने और हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत कार्य कर रहे प्रशिक्षकों की उपेक्षा करने के क्या कारण है और उन्हें कितना मानदेय दिया जा रहा है; और

(घ) इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों में रूचि पैदा करने के हेतु उन्हें किस प्रकार का प्रोत्साहन दिये जाने का विचार है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी हां । हिन्दी आशुलिपि में उच्च गति का अभ्यास कराने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कक्षा प्रयोगात्मक रूप में हिन्दी प्रशिक्षण योजना, रेल भवन केन्द्र में 4-2-80 से संचालित की जा रही है ।

(ग) उपर्युक्त प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए एक संसदीय हिन्दी रिपोर्टर ने अपनी सेवायें निशुल्क प्रदान की है तथा इससे हिन्दी शिक्षण योजना के प्रशिक्षकों की उपेक्षा नहीं होती है ।

(घ) इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षणार्थियों को किसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन देने का प्रावधान नहीं है ।

राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

344. **श्री जयनारायण रोट :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य आरोप क्या हैं तथा केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राम किशोर व्यास ने प्रधान मंत्री को सम्बोधित दिनांक 28-1-1980 का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री भैरो सिंह शेखावत के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप दिए गए हैं । इसके अतिरिक्त, अलग-अलग व्यक्तियों से भी शिकायत प्राप्त हुई हैं ।

(ख) शिकायतों के ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा । नियत कार्य-विधि के अनुसार उक्त शिकायतें, तथ्यों का पता लगाये जाने के लिए राजस्थान के राज्यपाल को भेज दी गई थी, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है ।

हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन का पिछड़ जाना

345. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र की दो कागज परियोजनाएं निर्धारित कार्यक्रम से भी पहले चालू हो गई है और हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की क्रियान्वयनाधीन कई करोड़ रुपये की लागत वाली कागज परियोजना वर्ष 1979 में पिछड गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) वर्ष 1979 मे निजी क्षेत्र में दो बड़ी कागज परियोजनाए शुरू की गई थीं । ये संयंत्र उन विकसित क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां पहले से ही अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध थी । हिन्दुस्तान पेपर निगम की परियोजनाएं उन क्षेत्रों में स्थापित की जा रही है जहां अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास नही हुआ है । वर्ष 1979 में कोई विशेष धक्का नहीं लगा ।

(ख) और (ग) संभरणकर्ताओं द्वारा किए गए विलम्ब, बिजली की कमी, परिवहन संबंधी अड़चनों व ऐसी बड़ी परियोजनाओं में स्वाभाविक रूप से बार बार होने वाले श्रमिक संकटों व तकनीकी समस्याओं के कारण इन परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है। स्थानीय कानून व व्यवस्था की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण उत्तर-पूर्वी अंचल की परियोजनाओं को भी हानि हुई है। हिन्दुस्तान पेपर निगम संभरणकर्ताओं से उपकरणों का शीघ्र संभरण करने को कहा गया है तथा उपयुक्त संशोधनकारी अभ्युपाय करके परियोजना के प्रबंध को भी सुधारा जा रहा है।

हल्दिया में जहाज मरम्मत करने का कारखाना

346. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हल्दिया में जहाज मरम्मत करने का एक कारखाना स्थापित करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड कलकत्ता ने सरकार को जो रिपोर्ट दी है उसमें एक बड़ी शुष्क गोदी, एक छोटी शुष्क गोदी, एक जलीय वेसिन वर्कशाप और अन्य सहायक सुविधाओं की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

जिला उद्योग केन्द्रों का बन्द किया जाना

347. **श्री के० कुन्हम्बु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार जिला उद्योग केन्द्रों को बन्द करने का है;

(ख) क्या सरकार के विचार में जिला उद्योग केन्द्र अपने उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इसके स्थान पर कोई अन्य योजना चलाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) तथा (ख) सरकार जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम की उनक कार्य-निष्पादन के आधार पर समीक्षा कर रही है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अल्मोड़ा जिले में काफलता गांव में हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच झगड़ा

348. **श्री निहाल सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 मई, 1980 को अल्मोड़ा जिले के काफलता गांव में हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं क बीच झगडे में 15 हरिजन मारे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 9 मई, 1980 को जिला अलमोडा के गांव काफलता म हरिजनों और सवर्ण हिन्दुओं के बीच एक झगड़े में 14 हरिजन मारे गए थे।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार हरिजनों की एक बरात जिसमें लगभग 40 व्यक्ति थे जब गांव काफलता को जा रही थी, ऊंची जाति के हिन्दुओं ने दुल्हे को गांव से पैदल ले जाने के लिए कहा। इसमें उनमें झगड़ा हो गया जिसके परिणामस्वरूप 14 हरिजन और एक उच्च जाति के हिन्दू की मृत्यू हो गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित 33 अभियुक्तों में से 30 अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोपपत्र 26-5-80 को प्रस्तुत किया गया है। एक अभियुक्त घटना में मारा गया। शेष दो अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/83 के अधीन कार्रवाई की जा रही है।

रुग्ण एककों को अधिकार में लेने से सम्बन्धित खंड में संशोधन

349. **श्री आर० के० महालगी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रुग्ण एककों को अपने अधिकार में लेने से सम्बन्धित खंड में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या प्रस्ताव को संसद के चालू सत्र में लाये जाने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरन जीत चानना) : (क) और (ख) । उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में कुछ संशोधन करने की जांच की जा रही है जिनमें से कुछ प्रस्ताव रूग्ण एककों क बारे में हैं।

संशोधन संबंधी विधेयक को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

कोचीन में नौसैनिक अस्त्र-शस्त्र उत्पादन एकक

350. श्री ए० नीलालोहिथादसन : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में कोचीन में एक नौसैनिक अस्त्र-शस्त्र उत्पादन एकक को स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

शासकीय गोपनीयता अधिनियम का निरसन

351. श्री सैइफुद्दीन चौधरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा और पश्चिम जर्मनी जैसे देशों में शासकीय गुप्त वार्ता अधिनयम नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह विचार कर रही है कि वर्तमान शासकीय गुप्त वार्ता अधिनियम का निरसन किया जाये तथा "फ्रीडम आफ इन्फार्मेशन एक्ट" जैसा उपयुक्त विधान बनाया जाये जैसा कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका और पश्चिम जर्मनी में लागू है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) कनाडा का अपना शासकीय गुप्त वार्ता अधिनियम है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी संघीय गणराज्य में ऐसा कोई विशिष्ट शासकीय गुप्त वार्ता अधिनियम नहीं है, परन्तु वहां वर्गीकृत शासकीय सूचना के संरक्षण के लिए कानूनी उपबंध हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) भारत में कार्यकारिणी की नीतियां और निर्णय संसद द्वारा सतत तथा सतर्क समीक्षा के अधीन होते हैं और प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार सूचना विभिन्न रूप में संसद को भेजी जाती है। इसलिए कोई ऐसा विधान रखने के लिए सांविधिक अनिवार्यता न तो आवश्यक है और न वांछनीय, जो अन्य तथा प्रायः भिन्न संदर्भ में न्याय गत हो। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रणाली के प्रशासन की लागत बहुत अधिक होगी और संभावित लाभ के अनुरूप नहीं होगी । दूसरी ओर किसी सरकार में शासकीय सूचना को गुप्त रखने की जरूरत स्वयं प्रत्यक्ष है । शासकीय गुप्त वार्ता अधिनियम ऐसी सूचना को सिर्फ अनधिकृत प्रकटीकरण से रक्षण करता है और शासकीय सूचना के अनधिकृत संचार को दंडनीय ठहराता है। इसलिए किसी ऐसे कानून को बनाये रखना आवश्यक समझा जाता है।

सीमेन्ट उद्योग को भारतीय निगम को सौंपने का प्रस्ताव

352. कुमारी कमला कुमारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में सीमेंट की उपलब्धता की स्थिति में सुधार लाने के लिए सीमेन्ट उद्योग को पहले अपने अधिकार में लेने और फिर उसे भारतीय सीमेंट निगम को सौंप देने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में सीमेंट की उपलब्धता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चरनजीत चानना) : (क) जी ।

(ख) सीमेंट की उपलब्धि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे अभ्युपायों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

देश में सीमेंट की उपलब्धि बढ़ाने के लिये निम्नलिखित अभ्युपाय किये जा रहे हैं:—

(1) भूटान तथा नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेंट निर्यात करने पर रोक लगा दी गयी है।

(2) देश में सीमेंट का आयात किया जा रहा है।

(3) सीमेंट के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित की जा रही है।

(4) सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति संबंधी विद्यमान नियमों को और उदार बना दिया गया है।

(5) सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान सीमेंट का उत्पादन करने हेतु कैप्टिव पावर का उपयोग करने के लिये सीमेंट उद्योग को सहायता भी प्रदान की है।

(6) कोयले की पर्याप्त पूर्ति न होने की वजह से सीमेंट का उत्पादन करने के लिए भट्टी का तेल उपयोग करने हेतु सरकार ने सीमेंट उद्योग को सहायता देने की घोषणा की है।

(7) विद्यमान एककों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि बेहतर क्षमता उपयोगिता को सुनिश्चित किया जा सके।

(8) उत्पादन में वृद्धि करने के लिये प्रिकोसानेटर प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(9) चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है।

(10) सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिये इस्पात संयंत्रों पर अथवा उनके समीप ही सीमेंट संयंत्र स्थापित करने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है।

(11) सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

सोवियत संघ से सैनिक सहायता

353. **श्री नीरेन घोष** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने हाल में सोवियत संघ से सैनिक सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि मांगी गई है तथा किसलिए ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ०सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) भारत पूर्व, और पश्चिम के मित्र देशों से जिनमें सोवियत संघ भी शामिल है, ऐसे रक्षा उपकरण और सामान खरीदता है जिनका निर्माण अभी देश में नहीं हो रहा है ऐसे सामान की जब भी जरुरत होती है उसे समय-समय पर खरीदा जाता है।

हाल ही में रक्षा विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल मास्को गया था और उसने इस संबंध में कुछ करार किए हैं। इन करारों के अन्तर्गत जो रक्षा सामान खरीदा जाना है उसके बारे में करीब डेढ वर्ष से बातचीत चल रही थी। आप इस बात से सहमत होंगे कि इस खरीददारी की सही मात्रा बताना लोकहित में नहीं होगा।

छुट्टी यात्रा रियायत का समाप्त किया जाना

354. **श्री एन० ई० होरो** : : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध छुट्टी यात्रा-रियायत की सुविधा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

साम्प्रदायिक दंगे रोकने के लिए राज्यों को निर्देश

355. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्प्रदायिक दंगों को तत्परता से रोकने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को कोई निर्देश जारी किये गये है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० योगेन्द्र मकवाणा) : (क) तथा (ख) राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों गृह सचिवों और पुलिस महानिरीक्षकों, का एक सम्मेलन 3 अप्रैल, 1980 को हुआ। इसके पश्चात् 8 अप्रैल, 1980 को राज्यपालों तथा मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ।

पहले सम्मेलन में लिये गये और सामान्यतः दूसरे सम्मेलन द्वारा अनुमोदित किये गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय/निष्कर्ष संलग्न विवरण में दिये गये हैं। ये आगे आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेज दिये गये हैं।

विवरण

(1) विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976 के उपबन्ध विशेष न्यायालय स्थापित करने के लिये प्रयोग किये जाएं।

(2) धार्मिक जुलूसों के मार्गों पर विवाद का पूर्वानुमान लगाया जाए और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा समय पर निर्णय लिया जाए।

(3) धार्मिक संस्थानों से [संबंधित भूमि/सम्पत्ति के स्वामित्व संबंधी विवादों में न्यायालयों के निर्णय तुरन्त प्राप्त किए जाएं।

(4) दंडात्मक जुर्मानों से संबंधित कानूनों के प्रयोग की बार-बार आवृत्ति की आवश्यकता है जहां पर ऐसे जुर्माने करने के लिये व्यवस्था विद्यमान है, यदि नहीं तो राज्य इस विषय पर कानून बनाए, पुलिस अधिनियम की धारा 15 के अधीन अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए।

(5) अल्पसंख्यकों को सतर्कता स्थापनाओं समेत पुलिस बलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(6) गंभीर सामुदायिक और जाति स्थितियों से निपटने के लिये अल्पसंख्यक समुदायों, अनु० जा० तथा अनुसूचित जन जाति के बहुत अधिक संयोजन से राज्य में सशस्त्र पुलिस की कुछ यूनिटें गठित की जाएं।

(7) साम्प्रदायिक स्थिति के सभी पहलुओं की देखभाल करने और प्रबोधन करने के लिये प्रत्येक राज्य के मुख्यालयों की विशेष शाखा में एक विशेष कक्ष स्थापित किया जाए।

(8) शान्ति को बढ़ावा देने वाली समितियां सक्रिय होनी चाहिए और उन्हें बार-बार बैठक करनी चाहिए न कि केवल किसी दंगे के पश्चात।

(9) साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों का तीव्र पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

(10) साम्प्रदायिक प्रेसों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उत्तेजक लेखों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 153-क के अधीन तुरंत और प्रभावी कार्यवाही की जाए।

(11) साम्प्रदायिक दंगों से संबंधित मामलों को वापस नहीं लिया जाए।

(12) औद्योगिक क्षेत्र जिनमें अन्तर-सम्प्रदाय दंगों की प्रवृत्ति है अथवा इनकी संभावना है, के लिये जिला स्तर पर त्रिदलीय समिति गठित की जाए। इन समितियों में सरकार, नियोक्ताओं और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये और स्थानीय अल्पसंख्यक समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

(13) पूजा के स्थान बैठकें करने के लिये प्रयोग नहीं किये जाने चाहिए जिनसे साम्प्रदायिक कटुता और द्वेष उत्पन्न करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है।

(14) विभिन्न समुदायों विशेष तौर से हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच सामाजिक मेलजोल और उनमें आपस में एक दूसरे के लिये धार्मिक सहनशीलता को बढ़ावा देकर आरंभ से अर्थात् गांव तथा मोहल्ला स्तरों पर धार्मिक और साम्प्रदायिक मैत्री को बढ़ाने के लिये प्रयास किए जाएं।

(15) राजनैतिक दलों के लिये एक आचार संहिता तैयार की जाए और दलों के नेताओं द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनके अनुयायी जातियों और समुदायों के बीच वर्तमान भेदभावों को बिगाड़ने अथवा आपसी घृणा उत्पन्न करने के लिये कुछ न करें।

सेन-रेले उद्योग समूह की खराब स्थिति

356. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सेन एंड पंडित लिमिटेड द्वारा निराशाजनक बिक्री कार्य के परिणामस्वरूप सेन-रेले उद्योग समूह में विद्यमान खराब स्थिति की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार समेकित प्रशासन के अंतर्गत इन उद्योगों को लाने के लिये इस उद्योग समूह के राष्ट्रीयकरण पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो कब और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) सरकार का ध्यान सेन-रेले उद्योग समूह में विद्यमान स्थितियों की ओर दिलाया गया है ।

(ख) और (ग) इस समय मैसर्स सेन-रेले तथा उसकी सहायक कंपनियों का प्रबंध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की धारा 18 कक के उपबंधों के अधीन किया जा रहा है। इन एककों की भावी स्थिति के बारे में निर्णय करने संबंधी प्रस्तावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

गारो हिल्स में मजबूत ईंट और सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करना

357. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय राज्य के गारो हिल्स जिले में मजबूत ईंटो (क्लिंकर) का एक संयंत्र तथा एक सीमेंट कारखाने के लगाये जाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) और (ख) मेघालय राज्य के गारो हिल्स में 4 लाख मी० टन सीमेंट क्लिंकरों का उत्पादन करने के लिए प्रबंध निदेशक, मेघालय औद्योगिक बकास निगम, शिलांग को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया है ।

नेशनल इन्स्ट्रुमंट्स लिमिटेड का विभागीकरण

358. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के एक उद्यम नेशनल इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड का विभागीकरण करने जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब, इसके कारण क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के बारे में निर्णय

359. **श्री सुभाषचन्द्र बोस अल्मूरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को नागरिक जीवन में पुनर्वास के बारे में कोई बड़ा निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए सिविल क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करने के बारे में समय-समय पर कई योजनाएं शुरू की हैं । इन योजनाओं में से हाल ही में मंजूर की गई एक योजना के अन्तर्गत सैनिक कार्मिकों को उनकी सेवा के अंतिम वर्ष में "काम करते हुए प्रशिक्षण" दिया जाता है ताकि वे सिविल नौकरियां प्राप्त कर सकें । आरंभ में, हर साल 2000 सैनिक कार्मिकों को विभिन्न सरकारी क्षेत्र और विभागीय प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम है । इससे जो अनुभव प्राप्त होगा उसके आधार पर इस योजना का विस्तार कर हर साल 10,000 कार्मिकों को प्रशिक्षण देने पर विचार किया जाएगा ।

आसाम की नाकाबन्दी

360. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम की नाकेबन्दी का पूर्वोत्तर भारत के राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों की जनजातीय आबादी पर आंसामीन लोगों, जिनके विरुद्ध कि मूल रूप से यह किया गया था से कहीं अधिक दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों, जो कि अपनी चावल, नमक, चीनी और अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को पश्चिमी बंगाल तथा देश के अन्य भागों से प्राप्त करते हैं, को अधिक कष्ट उठाने पड़े हैं क्योंकि उनको जाने वाली वस्तुओं को अनिवार्य रूप से आसाम से होकर गुजरना पड़ता है;

(ग) क्या इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने भी इस संबंध में अपनी कठिनाइयों के बारे में केन्द्र को लिखा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (घ) यह सच है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्य/संघ शासित क्षेत्र सामान्यतः असम मार्ग से अपनी पूर्ति प्राप्त करते हैं। असम की नाकेबंदी ने अस्थाई रूप से आवश्यक वस्तुओं के संचालन को प्रभावित किया है। फिर भी असम में लम्बे समय से चल रहे आन्दोलन ने इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। इन राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों ने आवश्यक पूर्तियों को उपलब्ध कराने के बारे में अपनी कठिनाईयां व्यक्त की हैं। इस क्षेत्र में कमी को पूरा करने के लिये सरकार ने सभी संभव उपाय किये हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा न्यायालयों में लम्बित मामलों को वापस लिया जाना

361. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने न्यायालयों में लम्बित उन विभिन्न मामलों को वापिस ले लिया है जिन्हें शाह आयोग जांच के परिणामस्वरूप दायर किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन मामलों को वापस लेने के लिये मंत्रालय ने अनुमति दे दी है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) से (ग) जहां तक शाह जांच आयोग के परिणामस्वरूप दायर किये गये न्यायालयों में लम्बित मामलों का सम्बन्ध है निम्नलिखित दो मामलों में उपयुक्त न्यायालयों ने उन व्यक्तियों को उन्मोचित कर दिया है जिनके विरुद्ध आरोप पत्र दायर किए गए थे :

(1) कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां चलाने और बिना औचित्य के उन्हें बदनाम करने से संबंधित आर०सी० 1/78–एस०आई०यू० (एस०आई०बी० 1); और

(2) कापसहेड़ा गांव में मकानों आदि के गिराए जाने से संबंधित आर० सी० 2/78–एस०आई०यू० (एस०आई० बी० 11) श्री भीम सेन सच्चर तथा अन्य व्यक्तियों की नजरबन्दी के संबंध में एक अन्य मामला आर०सी० 2/78-एस०आई०यू० (एस०आई०बी० 1) विशेष न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया था और मामले की आगे जांच करने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने उक्त मामला बंद किए जाने के लिए एक रिपोर्ट दायर की थी जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

डी०ए०वी०पी० द्वारा कांग्रेस पार्टी के पोस्टरों के लिए कथित नमूने तैयार करने से संबंधित एक अन्य मामले आर०सी० 8/78-एस०आई०यू० (एस०आई०बी० 11) में सरकार मामले की आगे जांच तथा उचित कानूनी परामर्श के बाद हाल ही में इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि मामले को वापस लिए जाने के लिए कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।

पूर्वी क्षेत्र में आन्दोलन

362. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पूर्वी क्षेत्र में कितने बड़े पैमाने पर असंतोष और हड़ताल फैली है ;

(ख) इस हड़ताल के पीछे कौन सी विभिन्न शक्तियां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रही है; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र विद्रोही वर्गों की पृथक्वादी गतिविधियों के कारण अस्त-व्यस्त रहे। हाल में असम में और कुछ हद तक मणिपुर तथा मेघालय में "विदेशियों" के विवाद पर व्यापक आन्दोलन हुआ है। त्रिपुरा में आदिवासियों और गैर-आदिवासियों के बीच भी झगड़े हुए हैं।

सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कुछ विदेशी तत्व विद्रोहियों और पृथकवादी तत्वों को प्रोत्साहित करते रहे हैं और सहायता देते रहे हैं । सरकार को यह भी जानकारी है कि कुछ साम्प्रदायिक संगठन न केवल उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बल्कि अन्य स्थानों पर भी आंदोलन को उत्तेजित कर रहे हैं । सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है और इससे निपटने के लिए उपयुक्त उपाय किये हैं ।

ताप बिजली घरों को कोयले की सप्लाई

363. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ताप बिजली घरों को कोयला भेजने के कार्य को उच्च प्राथमिकता देने के लिए रेलवे को आदेश जारी किये थे;

(ख) क्या इसका सीमेंट, कोयला, रसायन, रेयन, रूई आदि अन्य उद्योगों पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) रेलवे सभी उद्योगों के कोयले के लदान के आंकड़े नहीं रखता है । कोयले के कुल लदान की मात्रा तथा बिजली घरों, सीमेंट संयंत्रों और रूई उद्योग के लिए कोयले के लदान की मात्रा नीचे दी गई है :—

1980	कोयले के लदान की कुल मात्रा	बिजली घर के लिए कोयले के लदान की मात्रा	सीमेंट संयंत्र	रूई उद्योग
	(चार पहियों वाले वैगनों का प्रतिदिन का औसत)			
जनवरी . .	8968	2913	363	130
फरवरी . . .	9291	3323	341	97
मार्च . . .	9251	3287	367	94
अप्रैल . . .	8876	3299	339	110

स्वतंत्रता सेनानियों को अतिरिक्त सुविधाएं

364. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में कब तक अंतिम निर्णय करने का है; और

(ग) क्या किसी संसद सदस्य ने इस बारे में प्रधान मंत्री को तथा उन्हें कोई पत्र लिखा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) श्री राम अवतार शास्त्री ने प्रधान मंत्री को लिखे गये अपने पत्र में अनेक सुझाव दिये हैं और इन पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ।

लघु उद्योगों के लिए मदों का आरक्षण

365. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के लिये कौन कौन सी मदें आरक्षित हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का लघु उद्योगों के संबंध में अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ग) लघु क्षेत्र में उत्पादन करने के लिए 834 वस्तुओं को आरक्षित किया गया है । वस्तुओं की संवीक्षा करने के लिए स्थापित स्थायी समिति द्वारा इन वस्तुओं की निरंतर संवीक्षा की जाती है । यह समिति, आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त वस्तुओं के आरक्षण तथा वस्तुओं को आरक्षण से मुक्त करने की सिफारिश भी करती है । हाल ही में लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में सम्मिलित 807 वस्तुओं को बढ़ाकर 834 वस्तुएं कर दिया गया है । पहले से आरक्षित वस्तुओं को और अधिक स्पष्ट करने के उद्देश्य से कुछ आरक्षित वस्तुओं के नामों में परिवर्तन किया गया है ।

राज्य विधेयकों की स्वीकृति

366. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य विधान मंडल द्वारा पारित किये गये ऐसे कितने विधेयक हैं, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) राज्यवार, ये कौन कौन से विधेयक हैं और यह कब तक से विचाराधीन पड़े हैं ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) तथा (ख) निम्नलिखित राज्यों का कोई विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. मेघालय
6. नागालैण्ड
7. पंजाब
8. राजस्थान
9. सिक्किम
10. तमिलनाडु
11. उत्तर प्रदेश

विभिन्न राज्यो के निम्नलिखित विधेयक उनके सामने उल्लेखित अवधि से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए लम्बित है:—

9–6–1980 को स्थिति

क्रम सं०	राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये लम्बित विधेयक का नाम	महीना जिसमें प्राप्त हुआ	करीब-करीब लम्बित अवधि
1	2	3	4
	हरियाणा		
1.	हिन्दू उत्तराधिकार (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1979	नवम्बर, 1979	6 महीने
	हिमाचल प्रदेश		
1.	हिमाचल प्रदेश नगर निगम विधेयक, 1979	नवम्बर, 1979	6 महीने
	जम्मू तथा कश्मीर		
1.	नोटरी (संशोधन) विधेयक, 1977,	दिसम्बर, 1977	2 वर्ष तथा 4 महीने
	केरल		
1.	केरल अनियमित अस्थाई तथा बदली श्रमिक (मजदूरी) विधेयक, 1977.	अक्तूबर, 1977	2 वर्ष तथा 7 महीने
2.	सार्वजनिक सम्पत्ति (नष्ट होने तथा हानि से बचाव) विधेयक, 1978	अक्तूबर, 1978	1 वर्ष 7 महीने
3.	केरल सर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक विधेयक, 1977	नवम्बर, 1978	1 वर्ष तथा 6 महीने
4.	केरल काजू श्रमिक राहत तथा कल्याण निधि विधेयक, 1979	जनवरी, 1980	4 महीने
5.	केरल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1980	अप्रैल, 1980	1 महीना
	कर्नाटक		
1.	आवश्यक वस्तुएं (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1976	जून, 1976	4 वर्ष
2.	कर्नाटक विवाह पंजीकरण तथा विविध व्यवस्थाएं विधेयक, 1976	जनवरी, 1976	4 वर्ष तथा 5 महीने

1	2	3	4
कर्नाटक—जारी			
3.	बिजली पूर्ति (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 1980	मार्च, 1980	2 महीने
4.	कर्नाटक सिविल सेवाएं, विधेयक, 1978	जून, 1979	1 वर्ष
महाराष्ट्र			
1.	महाराष्ट्र जल प्रदूषण का बचाव (संशोधन) विधेयक, 1976	अगस्त, 1976	3 वर्ष तथा 9 महीने
2.	भूमि अधिग्रहण (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 1977	नवम्बर, 1977	2 वर्ष तथा 6 महीने
3.	बम्बई शहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1979	मई, 1979	1 वर्ष
मध्य प्रदेश			
1.	मध्य प्रदेश पशु पक्षी बलि (प्रतिषेध) विधेयक, 1979	अप्रैल, 1979	1 वर्ष तथा 1 महीना
मणिपुर			
1.	भारतीय स्टाम्प (मणिपुर संशोधन) विधेयक, 1980	जनवरी, 1980	4 महीने
उड़ीसा			
1.	उड़ीसा भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1979	अक्तूबर, 1979	7 महीने
त्रिपुरा			
1.	त्रिपुरा कृषि ऋण राहत विधेयक, 1979	नवम्बर, 1979	6 महीने
2.	त्रिपुरा सुरक्षा विधेयक, 1980	मार्च, 1980	2 महीने
पश्चिम बंगाल			
1.	व्यापार संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1969	नवम्बर, 1969	10 वर्ष तथा 6 महिने
2.	भारतीय स्टाम्प (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1980	अप्रैल, 1980	2 महीने
3.	ग्रेट ईस्टर्न होटल (उपक्रम का अधिग्रहण) विधेयक, 1980	मई, 1980	1 महीना
4.	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1980	मई, 1980	1 महीना
5.	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति विकास तथा वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1980	मई, 1980	1 महीना
6.	पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, 1980	मई, 1980	1 महीना
7.	भारतीय विद्युत (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1980	मई, 1980	1 महीना
8.	औद्योगिक विवाद (पश्चिम बंगाल) संशोधन विधेयक, 1980	23-5-80	1/2 महीना
9.	तकनीशियन, स्टूडियो, प्राइवेट, लि० विधेयक, 1980	5-6-1980	6 दिन
10.	बंगाल नटबंध (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1980	7-6-80	2 दिन

दिल्ली में बलात्कार के मामलों में वृद्धि

367. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बलात्कार के मामलों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गत छः महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले घटित हुए हैं; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्रवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् । गत महीनों में अर्थात् नवम्बर, 1979 से अप्रैल, 1980 के दौरान बलात्कार में 13 मामले सूचित किए गए थे जबकि 1978-79 की इसी अवधि में 28 ऐसे मामले सूचित किये गये थे ।

(ग) गत छः महीनों के दौरान सूचित किए गए मामलों के संबंध में 25 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं । उनमें से 14 का चालान किया गया है और उन पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । शेष व्यक्तियों के विरुद्ध जांच पड़ताल की जा रही है ।

दिल्ली में अपराधों में वृद्धि

368. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनो से दिल्ली में अपराध की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) जनवरी से मई तक की अवधि के दौरान दिल्ली में बलात्कारें हत्या, अपहरण, चाकू मारने, आदि के कितने मामले घटित हुए और उनमें कितने कितने लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा; और

(ग) अपराधों की रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कठोर कार्यवाही की है और उसमें सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) चालू वर्ष के प्रथम पांच महीनों में हत्या और छुरेबाजी के अलावा सभी अपराध शीर्षों के अन्तर्गत पर्याप्त कमी आयी है।

(ख) गत वर्ष के प्रथम 5 महीनों और चालू वर्ष के प्रथम 5 मत्रीनों के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिए गए है:—

अपराध शीर्ष	1-1-80 से 31-5-80 तक	1-1-79 से 31-5-79 तक
बलात्कार	10	33
हत्या	82	67
हत्या का प्रयास	121	134
अपहरण	260	265
छुरे बाजी	156	150
डकैती	19	44
लूटमार	141	262
दंगे	76	131
जंजीर छीनना	68	1240
सेंधमारी	1116	1240
विविध चोरियां	9592	10333
विविध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता	4548	5066
कुल भा० दं० सं०	16189	17851

1 जनवरी, 1980 से 31 मई, 1980 के दौरान हुए सभी अपराध घटनाओं में 93 व्यक्तियों की जाने गई ।

(ग) दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(1) बाकी-टाकी सैटों सहित सशस्त्र और वायरलैस युक्त मोटर साइकिल के गश्त सहित गहन पैदल और चलती फिरती गश्त शुरु की गई है । रात्रि गश्त के लिए जिलों को डी० ए० पी०/सी० आर० पी० एफ० की 10 अतिरिक्त कम्पनियां उपलब्ध करायी गयी है । गश्त की निगरानी स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है ।

(2) निवारक उपायों के रूप में आरक्षित स्थानों पर सशस्त्र टुकडियों की तैनाती ।

(3) रात्रि और प्रातः तड़के की गश्त के लिए लगभग 2000 होम-गार्डों को पुलिस के साथ लगाया गया है । पार्कों और आरक्षित रिहायशी कालोनियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

(4) दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अन्तर्गत बदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई ।

(5) अपराध करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए अकस्मात जांच करना ।

(6) टिकरी पहरा और स्थानीय लोगों और निजी चौकीदारों द्वारा पुलिस और टुकडियों के समन्वय से गश्त ।

4—223 लोक सभा नई दिल्ली/80

(7) कुछ आरक्षित बस्तियों में नियमित आधार पर पुलिस चौकियों की स्थापना की स्वीकृति होने तक अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना ।

(8) डकैतों, मोटर वाहन उठाईगिरी, लूटमार करने वालों/जंजीर खीचने वालों, जेब कतरों, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों और अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्ते द्वारा आसूचना एकत्र करके सतत अभियान चलाना ।

(9) बस्तियों के निवासियों के साथ पुलिस उप आयुक्तों/सहायक आयुक्तों की उठाए गए कदमों को उन्हें बताने और उनके सुझाव लेने के लिए बैठकें ।

(10) महिलाओं के साथ छेड़खानी के अपराधों को रोकने के लिए महिला कालेजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें करना ।

इन उपायों के परिणामस्वरूप अपराधों की दरों में पर्याप्त कमी आयी ।

औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना

369. **श्री बी० किसोरचन्द्र एस० देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक क्षेत्र में व्याप्त वर्तमान स्थिरता को दृष्टि में रखते हुए औद्योगिक उत्पादन को, विशेष रूप से सीमेंट और कागज के उत्पादन का, बढावा देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) औद्योगिक उत्पादन में गतिहीनता को हटाने व अधिक औद्योगिक उत्पादन का सुनिश्चय करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में औद्योगिक अवस्थापना संबंधी मंत्रिमण्डल समिति की स्थापना करना, ताप बिजली संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में कोयले का संभरण करना, अधिक रेलवे वैगन चलाना, अलौह धातुओं, खाद्य तेलों, मूलभूत रसायनों आदि जैसे कुछ महत्वपूर्ण निवेशों/कच्चे माल का आयात करना और श्रमिक संबंध सुधारने जैसे कदम उठाना सम्मिलित हैं ।

(ख) जहां तक सीमेंट का संबंध है, 1-4-1980 को 242.9 लाख मी० टन की अधिष्ठापित क्षमता के अलावा आशय पत्रों व औद्योगिक लाइसेंसों के जरिये 275 लाख मी० टन की और अधिक क्षमता स्वीकृत कर दी गई है । इसके साथ ही तकनीकी विकास के महानिदेशालय में 23.5 लाख मी० टन की कुल क्षमता वाली 63 लघु सीमेंट संयंत्र योजनाएं भी पंजीकृत हैं । निम्नलिखित तालिका में अधिष्ठापित क्षमता आगामी कुछ वर्षों में अधिष्ठापित की जाने वाली संभावित क्षमता की जानकारी दी गई है:—

वर्ष	अधिष्ठापित/अधिष्ठापित की जाने वाली क्षमता (दस लाख मी० टनों में)	बढ़ाई गई
1980-81	27.85	3.56 अनुमानित
1981-82	30.98	3.13 ,,
1982-83	36.29	5.31 ,,
1983-84	40.84	4.55 ,,
1984-85	46.78	5.94 ,,

सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों में उद्यमियों को लघु सीमेंट संयंत्रों सहित नए उपक्रम तथा उनकी विद्यमान क्षमता का विस्तार करने के लिए भी 296 रुपए प्रति मी० टन का विशेष संभारण मूल्य देना शामिल है । कोल इंडिया लिमिटेड से कहा गया है कि वह सीमेंट उद्योग को कोयले का संभरण करे और विभिन्न राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे सीमेंट उद्योग को बिजली की कटौती से छूट दे दें । रेलवे से भी कहा गया है कि वह सीमेंट उद्योग को वैगनों के पूरे कोटे का संभरण करे ।

जहां तक कागज व गत्ते का संबंध है, कागज और गत्ते का उत्पादन करने के लिए पिछले तीन वर्षों में क्रमशः 6 लाख मी० टन और 3.45 लाख मी० टन क्षमता उत्पन्न करने के लिये 47 आशय-पत्र और 18

औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं। आशा है कि यह क्षमता वर्ष 1978-79 की 12.65 लाख मी० टन तक पहुंच जाएगी। कागज व गत्ते का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए गए हैं:—

(1) गौण कच्चे माल, जिनके लिए मशीनों का आयात नहीं करना पड़ता उन पर आधारित कागज मिलों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है।

(2) 30 मी० टन प्रतिदिन तक की क्षमता वाले पुराने कागज संयंत्र के आयात की सुविधा दे दी गई है।

(3) लुगदी के आयात को उदार बना दिया गया है।

(4) गैर-परम्परागत कच्चे माल का इस्तेमाल करने वाली कागज मिलों को उत्पादन शुल्क में छूट दे दी गई है।

(5) कागज बनाने में इस्तेमाल में लाई जाने वाली लुगदी का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित बेकार कागज पर लगने वाले आयात शुल्क को समाप्त कर दिया गया है।

(6) कागज बनाने में खोई का इस्तेमाल करने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए गए हैं।

दिल्ली में गौतम जयसिंघानी की हत्या

370. श्री जनार्दन पुजारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के छात्र गौतम जयसिंघानी की हत्या के अपराधी को पकड़ने में असफल रही है; और

(ख) यदि हां, तो हत्यारे को गिरफ्तार करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाणा) : (क) अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(ख) मामला अपराध शाखा को सौंप दिया गया है और अपराधियोंको को खोजने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहें हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा 15,000 रु० का पुरस्कार उस व्यक्ति को देने की घोषणा की गई है जो ऐसा सुराग द सक जिससे अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके।

विधान सभा चुनावों में प्रत्याशियों की हत्या

371. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधान सभा का चुनाव लड़ने वाले ऐसे कितने प्रत्याशी थे जिनकी मतदान से पूर्व हत्या कर दी गई थी और जो मर गये थे;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मामलों की कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) 6 प्रत्याशियों की हत्या कर दी गई, 2 की मृत्यु दुर्घटनाओं में हो गई तथा एक की हृदय गति रुक जाने के कारण मृत्यु हो गई।

संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ग) और (घ) हत्या के मामले दर्ज किये गये हैं और जांच पड़ताल की जा रही है।

विवरण

राज्य	प्रत्याशी का नाम	चुनाव क्षेत्र	मृत्यु का कारण	मृत्यु की तारीख
1	2	3	4	5
बिहार	1 श्री रणधीर प्रसाद	गिरडीह	दुर्घटना	16-5-80
	2. श्री जय प्रकाश सिंह	हिसुआ	जहर दिया गया	17-5-80
	3. श्री श्याम बिहारी सिंह	सन्देश	हत्या कर दी गई	21-5-80

विवरण—जारी

1	2	3	4	5
गुजरात	श्री वसानी खराजी वकरार	पोरवन्दर	हत्या कर दी गई	18-5-80
उड़ीसा	श्री नीलमणि सेठ	नीमापारा	हृदयगति रुक गई	8-5-80
उत्तर प्रदेश	1. श्री रामजी लाल	सिकन्दराराव	हत्या कर दी गई	24-5-80
	2. श्री शिव राज	पतिम्राली	तदैव	26-5-80
	3. श्री उदित नारायण शर्मा	जेहानाबाद	तदैव	28-5-80
	4. श्री गोहुराहू	लक्ष्मीपुर	दुर्घटना	29-5-80

त्रिपुरा में कागज तैयार करने वाली मिल स्थापित किया जाना

372. **श्री बाजू बन रियाज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में कागज तैयार करने वाली एक मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में वित्तीय तथा अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ के साथ कोई करार किया है; और

(ग) औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भारत सरकार को कागज मिल कब तक स्थापित करने की आशा है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने राज्य के बांस संसाधनों पर आधारित एक कागज/लुगदी मिल स्थापित करने प्रस्ताव किया है । इस प्रस्ताव पर कोई निर्णय लेने से पूर्व योजना की तकनीकी आर्थिक संभाव्यता का अध्ययन करना पड़ेगा । परियोजना के वितीयन के तरीके के बारे में उपयुक्त समय पर निर्णय ले लिया जाएगा ।

हरिजनों पर अत्याचारों के कारण मुआवजा दिया जाना

373. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान हरिजनों और कमजोर वर्गों पर किये गये अत्याचारों के कारण हुई जान, मकान, भूमि तथा अन्य सम्पत्ति की हानि का मुआवजा देने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हरिजनों और कमजोर वर्गों पर अत्याचारों के कारण जान, मकान, भूमि और अन्य सम्पत्ति को कितनी हानि हुई है और हानि के लिए, राज्यवार, कितना मुआवजा दिया गया ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नौकरियों के लिए नागरिकता की पात्रता के बारे में राज्यों को निदेश

374. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों और केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों को निदेश दिये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि नौकरियों के लिये सभी आवेदक नागरिकता की पात्रता पूरी करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं । सरकार के अधीन सिविल पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की पात्रता से संबंधित आदेश पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भी समान रूप से लागू हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए गैजेट का विकास

375. श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी ऐसी गजेट का वाणिज्य स्तर पर विकास सम्भव हो सका है जिसका एक औसत घराने द्वारा सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिये एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सके;

(ख) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिये सूर्य की रोशनी को इंधन के रूप में इस्तेमाल करना अथवा सौर उष्ण प्रणाली तैयार करना सम्भव हो सका है;

(ग) क्या कोई अनुसंधान परियोजनाएं स्वयं अथवा किसी राष्ट्रीय अथवा विदेशी संस्थाओं के सहयोग से यह कार्य कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में और चालू वित्तीय वर्ष में सौर ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में किये गये धन के आवंटन का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत, वाणिज्यिक पैमाने पर निर्माण किए जाने के लिए उपयुक्त, घरलु गर्म जल तापन यूनिटों का देश में विकास किया गया है। बिचौले और बड़े साईज की जल तापन और शुष्कन प्रणालियों का भी विकास किया गया है। कुछ प्रदर्शन प्रणालियों का संचालन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर सौर तापन और शुष्कन प्रणालियों के उपयोग को बढ़ाने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, शिक्षण संस्थाओं और औद्योगिक संगठनों में कई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का प्रायोजन किया है। इन परियोजनाओं में तापन, प्रशीतन, बिजली उत्पादन, जैव गैस समेत जैव भार से इंधन विषयों को शामिल किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी करारों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत दूसरे देशों के साथ कुछ परियोजनाओं में वैज्ञानिक सहयोग भी किया जा रहा है।

(घ) नव ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए किया गया कुल विनिधान इस प्रकार है—

1977-78	92.5 लाख रुपये
1978-79	111.9 लाख रुपये
1979-80	146.0 लाख रुपये
1980-81 (परिव्यय)	225.0 लाख रुपये

चर्खी दादरी स्थित सीमेंट कारखाने को नियंत्रण में लेना

376. श्री चिरंजी लाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में चर्खी दादरी स्थित सीमेंट कारखाने को नियंत्रण में लिये जाने के संबंध म सरकार की नवीनतम नीति क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) इस सीमेंट कारखाने को पुनः चालू किए जाने की स्थिति में इसकी जीव्यता के सम्बन्ध में भारतीय सीमेंट निगम से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार से भी यह बताने का अनुरोध किया गया है कि क्या वह कारखाने के प्रबन्ध तथा संपूर्ण उत्तरदायित्व को अपने अधीन लेना चाहेंगी। भारतीय सीमेंट निगम की रिपोर्ट तथा राज्य सरकार की राय मिलने पर आगे कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र का कार्यकरण

377. श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री पी० एम० सईद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र, कोटा गत कई महीनों से ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) जनवरी से मई, 1980 (महीनेवार) के दौरान यह कितनी बार पूर्णतः और अंशतः बंद हुआ;

(ग) इस अवधि में औसत अनुपयोग कितना हुआ; और

(घ) इस केन्द्र में कार्यकरण में सुधार लाने के लिये कौन से दीर्घकालीन उपाय किये जा रहे हैं?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) हाल के महीनों में राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट कुछ बार बंद हुआ । फरवरी और मार्च, 1980 के महीनों में मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर की कुछ ट्यूबों में सूक्ष्म रिसाव हो जाने के कारण और मई, 1980 में ग्रिड की वोल्टता में अस्थिरता होने तथा संयंत्र और उपस्करों से संबंधित कुछेक छूट-फूट घटनाओं के कारण यूनिट बंद किया गया ।

(ख) जनवरी से मई, 1980 तक के महीनों में राजस्थान परमाणु बिजली घर का पहला यूनिट जितने दिन बंद रहा, उनका ब्यौरा निम्नलिखित है :—

महीना	जितने दिन यूनिट बंद रहा
जनवरी, 1980	4½
फरवरी, 1980	22
मार्च, 1980	20
अप्रैल, 1980	शून्य
मई, 1980	7

(ग) इस अवधि में यूनिट प्रति मास औसतन 1-2 बार बंद हुआ ।

(घ) मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर की ट्यूबों की पूरी तरह से जांच की गई । ऐसी ट्यूबें, जो लीक कर रही थीं या भविष्य में लीक कर सकती थीं, का पता लगाया गया और लीकों को बंद कर दिया गया । कभी-कभी ग्रीड की वोल्टता और आवृत्ति के उतार-चढ़ाव का दुष्प्रभाव यूनिट की कार्य निष्पादनता पर पड़ता है और यूनिट बंद भी हो जाता है । इन समस्याओं का कोई टिकाऊ समाधान निकालने की दृष्टि से इस मामले पर संबंधित विद्युत बोर्डों और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से निरंतर विचार-विमर्श किया जा रहा है । बिजली घर के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए प्रचालन संबंधी समस्याओं की निरंतर और उत्तरोत्तर समीक्षा की जा रही है ।

टायरों तथा ट्यूबों पर उत्पादन शुल्क समाप्त करना

378. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उद्योग ने नव-स्थापित एककों के लिये उनके द्वारा संयंत्र तथा मशीनों की स्थापना पर होने वाली भारी लागत को ध्यान में रखते हुए टायरों और ट्यूबों पर उत्पादन शुल्क जो कि 31-3-80 तक लागू था, निरंतर बंद रखने हेतु उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) काफी पूंजीगत लागत से स्थापित टायर बनाने वाले नए एककों के लिए 31-3-80 के बाद उत्पादन शुल्क राहत योजना को आगे बढ़ाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । किन्तु अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

सौर ऊर्जा का उपयोग

379. **श्री नवीन रवाणी :**
श्री सूर्य नारायण सिंह :
श्री मनफूल सिंह चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सौर ऊर्जा का अग्रेतर उपयोग किये जाने के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) सौर शक्ति से संचालित पंपों का देशी उत्पादन कितना होता है और निर्माता एजेन्सी का नाम क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि एक भारतीय गैर-सरकारी कम्पनी को उड़ीसा में ऐसे पम्प बनाने के लिये एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ सहयोग करने और उनको दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को लाभप्रद मूल्यों पर बेचने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो देशी उत्पादन बढ़ाने और बहु राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा शोषण रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सौर पम्प अभी प्रौद्योगिकी विकास की अवस्था में हैं। उनकी निष्पादन क्षमता बढ़ाने और लागत में कमी लाने के लिये अनुसंधान और विकास प्रयास किए जा रहे हैं । सौर सैलों द्वारा उत्पन्न शक्ति से चालित कुछ और पम्पों का सफलता पूर्वक प्रदर्शन किया गया है। इनका विकास डी० एस० टी० के प्रायोजन में सेंट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, साहिबाबाद (उ० प्र०) में किया गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) पहले से ही चल रहे अनुसंधान और विकास प्रयासों को तीव्र किया जा रहा है तथा सौर पम्पों समेत प्रमुख प्रदर्शन कार्यक्रम के लिये सौर सैल माड्यूलों और प्रणालियों की संविरचना को भी हाथ में लिया जा रहा है। बाद में होने वाल स्वदशी उत्पादन को किस पमान पर किया जाएगा यह प्रदर्शन कार्यक्रम के दौरान प्राप्त की गई आर्थिक प्रतियोगी क्षमता पर निर्भर करेगा ।

विवरण

सौर ऊर्जा का उपयोगीकरण

मानव जाति के लिये ऊर्जा का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य—विशेषकर भारत के लिए जहां धूप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अतः भारत सरकार का, विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में विकेन्द्रीकृत आधार पर इसके उपयोग पर विशेष बल देते हुए इसके कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए सौर उर्जा के उपयोगीकरण के लिए प्रौद्योगिकीयों क विकास को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी० एस० टी०) ने देश की विभिन्न संस्थाओं, यथा, प्रौद्योगकी संस्थाओं, सी० एस० आई० आर० की प्रयोगशालाओं, बी० एच० ई० एल० का अनुसंधान और विकास प्रभाग, सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लि० और अन्य संस्थाओं में विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं और विशेष ज्ञान का उपयोग करते हुए और ऊर्जा के व्यवस्थाबद्ध अनुसंधान और विकास के समन्वित कार्यक्रम को हाथ में लिया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे अनुसंधान और विकास की व्यवस्था करना है जिससे इसे तीव्रता से व्यावहारिक रूप प्रदान किया जा सके।

विभाग की वर्तमान गतिविधियों का उद्देश्य सौर प्रोद्योगिकी के निम्नलिखित तीन मुख्य क्षेत्रों पर विशेष बल देते हुए इस कार्यक्रम का विस्तार करना है :—

(क) सौर विकीकरणन के तापीय प्रभावों के आधार पर सौर तापीय युक्तियों और प्रणालियों का विकास,

(ख) सौर ऊर्जा के सीधे बिजली में रुपान्तरित करने के लिए प्रकाश वोल्टीय युक्तियों और प्रणालियों का विकास; और

(ग) जीव भार और जीव रुपान्तरण प्रौद्योगिकी।

सौर तापीय युक्तियां

सौर तापीय युक्तियों के क्षेत्र में संग्राहक प्रौद्योगिकी के विकास को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है । इसके विभिन्न विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इसकी कुशलता और लागत प्रभाविता को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की गई है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अवशोपक प्लेटों के लिए संक्षारण प्रतिरोधी सामग्रियों का विकास, सिलेक्टिव कोटिंगो और रोगनों का उपयोग ताकि संग्राहकों की कुशलता में सुधार लाया जा सके, और परवलयिक पृष्ठ और परवलयिक तश्तिरयों और ट्रेकिंग प्रणालियों का विकास करना है । व्यापारिक पैमाने पर इनके उपयोग को दृष्टि में रखते हुए फ्लैट प्लेट कलैक्टरों के लिए बुनियादी प्रोद्योगिकी का विकास किया गया है ।

विभिन्न क्षमताओं के अनाज शुष्ककों के आदि प्ररुपों का पहले से ही विकास किया जा चुका है और इस समय उनके क्षेत्रीय परीक्षण किए जा रहे हैं। प्रतिदिन 10 टन की क्षमता का अनाज शुष्कक एन० आई० डी० सी० द्वारा लुधियाना के पास सैन्ट्रल स्टेट फार्म में डी० एस० टी० के तत्वावधान में प्रतिष्ठापित किया गया है। 500 किलोग्राम प्रतिदिन का कम क्षमता वाला एक सौर शुष्कक गोहाटी में लगाया गया है जिसे

अदरक, सुपारी, हल्दी आदि जैसी रोकड़ फसलों को सुखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। तम्बाकू सुखाने के लिए भी सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए एक परियोजना का आंध्र प्रदेश में श्रीगणेश किया गया है। सौर शुष्कको के व्यापक उपयोग के साथ साथ कृषि और खाद्य उत्पादों के लिए इनके विकास की और अधिक अपेक्षा की जा सकती है।

कई प्रकार की सौर जल तापन प्रणालियों का विकास किया जा रहा है। दिल्ली में कुतुब होटल और हरिद्वार में एक अतिथि गृह में बी० एच० ई० एल० द्वारा लगाई गई प्रयोगात्मक सौर जल तापन प्रणालियों का निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है। इस बीच अब तक प्राप्त किए गए अनुभव के आधार पर पुणे में कुष्ट रोग चिकित्सालय में एक सौर जल तापन संयंत्र लगाया जा रहा है और वारंगल में आंध्र, प्रदेश डेरी डिवेलेपमेंट कार्पोरेशन के लिए एक और यूनिट की योजना तैयार की जा रही है। अब घरेलू वाणिज्यिक और औद्योगिक स्थापनाओं में व्यापक उपयोग के लिए सौर जल तापन प्रणालियों के संवर्धन करने का प्रस्ताव है।

अवशोषण प्रशीतन प्रणालियों सहित एक सौर शक्तिचालित कोल्ड स्टोरेज संयंत्र, आई० आई० टी० बम्बई में पूरा कर लिया गया है और उसका कार्य निष्पादन मूल्यांकन किया जा रहा है। इंजीनियरी प्राचलों के इष्टतमीकरण के लिए डी० एस० टी० के कार्यक्रम के अधीन कुछ और सौर शक्तिचालित प्रशीतन संयंत्रों के डिजाइन, विकास और संविरचना करने की योजना तैयार की जा रही है।

बी० एच० ई० एल० के साथ संयुक्त रूप से आई० आई० ई० टी०, मद्रास में पहले से लगाए गए 10 किलोवाट के सौर तापीय विद्युत संयंत्र का अल्पकालीन और दीर्घकलिन परीक्षण कार्यक्रम हाथ में लिया गया है। विभिन्न प्रणाली विन्यासों और संग्राहकों के आधार पर सौर तापीय शक्ति संयंत्रों की योजना तयार की जा रही है। विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए प्रदर्शन शक्ति संयंत्रों के अगले तीन वर्षों में प्रतिष्ठापित किए जाने का प्रस्ताव है।

सौर तापीय प्रोद्पोगिकी को बड़े पैमाने और व्यापारिक अनुप्रयोगों की दिशा में गतिशील प्रभाव प्रदान करने के लिये विभाग ने सौर तापीय युक्तियों/ प्रणालियों के ग्रामीण क्षेत्र में क्षेत्रीय परीक्षण और प्रदर्शन सहित आदि प्ररुप और उत्पाद विकास केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक मुख्य और विशद परियोजना का प्रणयन किया है। इस परियोजना पर पांच वर्षों में लगभग 6 करोड़ रुपये खर्च आने का अनुमान है।

प्रकाश वोल्टीय युक्तियां और प्रणालियां

प्रकाश वोल्टीय सैलों से सौर ऊर्जा के बिजली में सीधे रुपान्तरण के लिए बुनियादी प्रोद्योगिकी का पहले ही विकास किया जा चुका है। अब मुख्य समस्या है इस तरीके से बिजली के प्रति परम वाट की लागत को न्यायोचित स्तर पर लाकर कम करना, और इस क्षेत्र में वर्तमान डी० एस० टी० के कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य यही है। इसे निम्नलिखित से प्राप्त किया जा सकता है: (क) कम लागत की सौर ग्रेड सिलिकान सामग्री और संविरचना की कम लागत की तकनीकों का विकास करके, और (ख) सौर सैलों और पैनलों की कुशलता में सुधार करके। इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम के परिणामस्वरूप सी० ई० एल० द्वारा प्रयोगशाला स्तर पर सिंगल क्रिस्टल सिलिकान सैलों की संविरचना की गई है। सी० ई० एल० डी० एस० टी० के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। इस कार्य में आई० आई० टी०, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और विश्वविद्यालयों के अनुसंधान वर्गों का भी सहयोग है। सी० इ० एल० में तैयार किए गए सौर प्रकाश वोल्टीय माड्युलों को इस समय जहाज चालन के लिए द्वारिका पत्तन पर प्रकाश स्तम्भ वीकन में इस्तेमाल में लाया जा रहा है। इसे गुजरात के आवानिया गांव में सौर आसवन संयंत्र में जल पम्पन कार्य के लिये इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे राजस्थान में तजोरा गांव में पेय जल की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है और साथ ही कुछ प्रदर्शन पम्पन प्रणालियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। भावी कार्यक्रम में सिलिकान सौर सैलों और पैनलों के लिए संविचरना तकनीकों को ऊपर उठाना, पेय जल के पम्पन, लघु सिंचाई, सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था, शिक्षा संबंधी रेडियो कार्यक्रमों और दूर दर्शन सैटों के लिए तेल की पाइप लाइनों के घनाग्र बचाव के लिए और दूर दराज के क्षेत्रों में संचार उपकरणों में इस्तेमाल के लिए माड्यूलों का विकास करना शामिल है। 5 वर्षों में 9.5 करोड़ रुपये की लागत की एक मुख्य परियोजना, जिसमें कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों के बड़े पैमाने

पर उपयोग के लिए (इसमें पीने और लघु सिंचाई के लिए जल पम्पन पर अधिक बल दिया गया है) तैयार की गई है । इस बीच, कुल 25 किलोवाट क्षमता के सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प सैटों की संविरचना और क्षेत्रीय परीक्षण के लिए 1981 तक पूरे किए जाने वाले एक अल्पकालीन कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया गया है । ग्रामीण क्षत्रों में इन पम्प सैटों के प्रदर्शन के लिए स्थान का अभिनिर्धारण भी कर लिया गया है । इसके साथ साथ पोली क्रिस्टालीन सिलिकान सैलों, एम० ओ० एस० सैलों कैडमियम सल्फाइड सैलों, आदि जैसे विभिन्न प्रकार के सौर सैलों क विकास के लिए अनुसंधान और विकास कार्य को हाथ में लिया गया है और साथ ही सौर पैनलों के लिए संक्रेन्द्रक प्रणाली का विकास भी किया गया है ताकि इसकी लागत प्रभावित और कुशलता में सुधार किया जा सके । प्रस्ताव है कि इस वर्ष से आरम्भ करके पेय चल, सिंचाई आदि के लिए प्रकाश वोल्टीय प्रणालियों के अनुप्रयोग का विस्तार किया जाए ।

जीव भार का ऊर्जा में परिवर्तन

जीव गैस प्रणालियों के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के महत्व को स्वीकार करते हुए, कुछ वर्ष पूर्व विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक अखिल भारतीय समन्वित कार्यक्रम आरम्भ किया गया था जिसमें लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश शासन के योजना अनुसंधान और कार्य प्रभाग, खादी ग्रामोद्योग आयोग, रुड़की स्थित स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर और सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट और अन्य संगठनो जैसे कई अंतः विषय शास्त्रीय अनुसंधान केन्द्रों को शामिल किया गया था । इस कार्यक्रम के पहले चरण में प्राथमिक रूप से पशुओं की विष्टा सहित जैव अपशिष्टों के उपयोग में पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई है और परिवार स्तर के जैव गैस संयंत्रो, जनता, 'ड्रमरहित' संयंत्रों और लोह-सीमेंट के गैस होल्डरो का विकास किया गया है और सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक पक्षों में अनुसंधान के आशावान परिणाम देखने को मिले हैं ।

अब डी० एस० टी० का मुख्य और गतिशील बल इस बात पर है कि ग्रामीण ऊर्जा आधावली में महत्वपूर्ण तत्व के रूप में एक पारिवारिक और सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रों का विकास किया जाए । इस कार्यक्रम के भावी चरण में जिसका श्रीगणेश इस वर्ष हुआ है, अधिक बल इस बात पर दिया जा रहा है कि सामुदायिक आकार और परिवार टाइप के जैव गैस सयंत्र की प्रतिष्ठापना का विस्तार किया जाए और शाक भाजी अपशिष्टो और कृषि अपशिष्टों जैसे अपशिष्टिों/सामग्रीयों के अन्य प्रयोगों का विस्तार किया जाए। कुछ चुने हुए गावों मे पी०आर० ए० डी० लखनऊ और खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 6 सामुदायिक जैव गैस संयंत्र तैयार किए जाएंगे। सामुदायिक आकार के जैव गैस संयंत्रो के प्रदर्शन के लिए एक अल्पकालीन कार्यक्रम तैयार किया गया है और स्थल के चयन का कार्य चल रहा है। इस समन्वित परियोजना के समर्थन में सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक पक्षो, किण्वन प्रोद्योगिकी, कम लागत के मकान बनाने के तरीकों और सामग्रियो और जैव गैस उपयोगीकरण के लिए कम लागत की युक्तियों और इंजिनों से संबंधित अन्य तकनीकी समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्य चल रहा है ।

भविष्य के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की व्यवस्था करने के लिए कृषि अवशिष्टो या जीव भार के उपयोगीकरण के अन्वेषण के लिए कई कार्यक्रमों पर कार्य किया जा रहा है। यहां सौर उर्जा का उपयोग प्रकाश संलेषण और जीव वैज्ञानिक श्रृन्खला के माध्यम से किया जाता है। डी०एस०टी० ने सौर ऊर्जा के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने के कारण जीव भार के उत्पादन और जीव भार के इंधन फीड स्टाक (पशु आहार) के रूप में रुपांतरण से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों का परीक्षण, अभिनिर्धारण और निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का संघटन किया है। आई० आई० टी०, दिल्ली में दो परियोजनाओं को हाथ में लिया गया है । इनमें से एक मीथेन के मोथानोल में जैव परिवर्तन से संबंधित है और दूसरी का सम्बन्ध सैल्यूलोसी सामग्री के इथानोल में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए है । साथ ही डी० एस० टी० द्वारा इन्स्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम, देहरादून के सहयोग से नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इन्टीट्यूट में सम्भावी पैट्रो फसलों के समावेश, संवीक्षा और कृषि और उनके पैट्रोलियम हा ड्रोकार्बनो में रुपान्तरण के लिए एक परियोजना का समारम्भ किया गया है । क्योंकि इस क्षेत्र में समस्त अनुसंधान और विकास का गर्भाधान समय बहुत लम्बा होगा, फिर भी इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि प्रोद्योगिकी को तर्कसंगत कालफ्रेम में तुरन्त उपलब्ध कराया जाए । जीव वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा सौर ऊर्जा को उपयोग में लाना पर्यावरणीय प्रदूषण, संसाधन अपव्यय और विकेन्द्रीकरण ऊर्जा आपूर्ति का सम्वर्द्धन करने के लिए अत्यधिक प्रभावी और उपयोगी माध्यम होगा ।

सामान्य रूप से अब यह प्रस्ताव किया जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जाओं को विकसित करने और उनके व्यापक पैमाने पर उपयोग करने के लिए इन कार्यक्रमों को नया प्रोत्साहन और नई प्राथमिकता प्रदान की जाएं।

लघु उद्योगों के लिए आरक्षित मदों का पुनरीक्षण

380. **श्री नवीन रवाणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण का पुनरीक्षण पूरा कर लिया है जिसके अंतर्गत पिछली सरकार द्वारा 807 मदें लघु उद्योगों के लिए निर्दिष्ट की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो उस पुनरीक्षण का ब्यौरा क्या है;

(ग) उसके बाद क्या निर्णय किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उस मामले पर कब ध्यान दिया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (घ) लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं की समीक्षा एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रयोजन के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना की गयी है और विभिन्न आरक्षित वस्तुओं की मानीटरिंग [करने के लिए उसकी अक्सर बैठकें होती हैं। आवश्यकता होने पर यह समिति के लिए और भी वस्तुओं का आरक्षण किये जाने तथा आरक्षण समाप्त करने के लिए भी सिफारिशें करती है। इस समिति की सिफारिशों पर सरकार ने हाल ही में लघु क्षेत्र में उत्पादन के लिए 27 और वस्तुएं आरक्षित की हैं और कुछ वस्तुएं जिनका पहले आरक्षण किया जा चुका था उनके नाम भी बदल दिये हैं।

[जी० आर० ई० एफ के श्रमिकों की मजदूरी

381. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सिक्कीम, कलीमपोंग, दार्जिलिंग के सीमावर्ती क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों में जी० आर० ई० एफ० में काम कर रहे असैनिक श्रमिकों को इतनी कम दर पर मजदूरी मिल रही है जो वर्तमान निर्वाह लागत से भी बहुत कम है और उन श्रमिकों को चिकित्सा, आवास, राशन, बच्चों की शिक्षा आदि की कोई सुविधा नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी दैनिक मजदूरी बढ़ाने और उन्हें चिकित्सा, आवास, शिक्षा, उचित दर दुकानों आदि की सुविधाएं तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने का है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) जी० आर० ई० एफ० में काम करने वाले अनियत (कैजुअल) मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी की दरें स्थानीय अधिकारियों के साथ सलाह करके समय-समय पर संशोधित की जाती हैं परन्तु इसके लिए मजदूरी की स्थानीय दरों को भी ध्यान में रखा जाता है। प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्रों में मजदूरी की दरें पिछली बार 1-8-1979 से बढ़ाई गई हैं। इसके अलावा जी० आर० ई० एफ० में अनियत मजदूरों को कुछ अन्य सुविधाएं भी दी जाती हैं। उन्हें मिलने वाली सुविधाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

सिक्कीम, कालीमपोंग, दार्जिलिंग के सीमा प्रतिक्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में 1977 की तथा वर्तमान मजदूरी की दरें इस प्रकार हैं:—

क्षेत्र	1977 में लागू मजदूरी की दरें	1-8-1979 से लागू मजदूरी की दरें
बहुत ऊंचाई वाले तथा दुर्गम क्षेत्र	160 रुपये	200 रु० से 210 रु० प्रतिमाह
कम ऊंचाई वाले क्षेत्र (इसमें पश्चिम बंगाल के उत्तर में पर्वतीय तलहटी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं)	130 रुपए से 140 रुपए	180 रुपए से 190 रु० प्रतिमाह

उपर्युक्त मजदूरी के अलावा अनियत मजदूरों को कुछ सुविधाएं/रियायतें भी दी जाती हैं जो इस प्रकार हैं:—

(क) बाह्य रोगी के रूप में निशुल्क चिकित्सा सहायता ।

(ख) बांस/बासाओं से बने आवास या घास फूस अथवा अन्य स्थानीय सामग्री से बनी झोपड़ियां मुफ्त दी जाती हैं ।

(ग) उन स्थानों पर स्थित अस्पतालों/विपणन केन्द्रों में जाने के लिए विभागीय वाहनों (नियमित ड्यूटी पर जाने वाले) का प्रयोग, जो स्थान इन वाहनों के ड्यूटी पर जाने वाले मार्ग में पड़ते हों ।

(घ) जख्मी होने या मृत्यु होने पर कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अनुसार मुआवजा ।

(ङ) सेना की थोक सप्लाई दरों पर राशन लेना तथा 5 प्रतिशत हैंडलिंग प्रभार ।

हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानियों/भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के जवानों को पेंशन]

382. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के जिलावार कितने स्वतंत्रता सेनानियों/भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के जवानों के आवेदन उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की मंजूरी के लिए सरकार के पास अनिर्णित पड़े है; और

(ख) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और प्रत्येक मामले को किस तारीख तक निपटाए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है। मामलों को आवेदकों से स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्य और/अथवा राज्य सरकार/सैनिक रिकार्ड कार्यालयों से अपेक्षित सूचना/विशिष्ट सिफारिशों के अभाव में अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। जैसे ही अपेक्षित सूचना/दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त हो जायगा इन मामलों को अंतिम रूप दे दिया जायगा।

विवरण

हिमाचल प्रदेश (जिला वार) में उन मामलों की संख्या जिन्हें अब तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है—

जिला	स्वतंत्रता सेनानी	आ०हिं०फौज के जवान	जोड़
मंडी	20	18	38
कांगड़ा	10	62	72
शिमला	10	5	15
सोलन	11	4	15
बिलासपुर	11	26	37
सिरमौर	6	3	9
हमीरपुर	2	39	41
ऊना	2	16	18
कुल्लू	2	3	5
महासू	2	..	2
चम्बा	..	7	7
जोड़	76	183	259

हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन

383. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमालच प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानियों/भूतपूर्व आजाद हिंद फौज के सदस्यों की विधवाओं से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है जिसमें उनके पतियों की मृत्यू के कारण जो पेंशन बंद कर दी गई है, उसे उन्हें देने की मंजूरी दी जाये;

(ख) यदि हां, तो जिलावार ऐसी विधवाओं की संख्या कितनी है तथा उनका अनुरोध किन तारीखों को प्राप्त हुआ;

(ग) क्या इनमें से किसी मामले को इस बीच निपटा दिया गया है और विधवाओं को पेंशन की मंजूरी दी गई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी विधवाओं की संख्या कितनी है जिन्हें पेंशन दी गई है;

(ङ) शेष मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है। अनिर्णित मामलों को आगे सूचना/अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य जिनकी अभी प्रतीक्षा है आवेदक से या राज्य सरकार से/सेना रिकार्ड कार्यालय से प्राप्त होने पर अन्तिम रूप दिया जाएगा।

विवरण

जिला	विधवाओं से प्राप्त आवेदनों की संख्या			पेंशन स्वीकृत की गई विधवाओं की संख्या		
	स्व० से०	आ०हिं०फौ०	कुल	स्व० से०	आ०हिं०फौ०	कुल
			हिमाचल प्रदेश			
शिमला	2	3	5	1	3	4
सिरमौर	4	1	5	3	..	3
कांगडा	3	104	107	1	83	84
हमीरपुर	4	64	68	..	52	52
ऊना	2	15	17	1	11	12
मंडी	6	51	57	4	46	50
कुल्लू	3	..	3	2	..	2
सोलन	2	5	7	1	3	4
चम्बा	1	12	13	1	10	11
बिलासपुर	..	15	15	..	10	10
जोड़	27	270	297	14	218	232

20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति

384. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में प्राप्त उपलब्धियों के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उसकी क्रियान्विति के कार्य को तेज करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1977 के आरम्भ तक 20-सूत्री कार्यक्रम के कुछ मदों को कार्यान्वित किया गया था और कई अन्य मदों के कार्यान्वयन में पर्याप्त प्रगति हुई थी, जब, सरकार म परिवर्तन के साथ, यह कार्यक्रम कार्यशील नहीं रहा। तथापि इस कार्यक्रम के कुछ तत्व योजना में बने रहे। जैसा कि जनवरी, 1980 में संसद के समक्ष राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में उल्लेख किया गया था, इस 20-सूत्री कार्यक्रम को पुनः गतिशील करने और उसे गत्यात्मक रूप में कार्यान्वित करने की सरकार की नीति है। 20-सूत्री कार्यक्रम में शामिल विभिन्न मदों के लिए 1980-81 की वार्षिक योजना में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है और 1980-85 की नई पंच वर्षीय योजना को अंतिम रूप देत समय इसे ध्यान में रखा जाएगा। इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप में कार्यान्वीत करने के लिए उपयुक्त नीति सम्बन्धी उपाय और प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है।

जिला उद्योग केन्द्रों की समीक्षा

385. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जनसंख्या के उत्थान के लिए जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में कोई समीक्षा की गई है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में से प्रायोगिक केन्द्र स्थापित किय गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जी, नहीं, किन्तु सरकार जिला उद्योग केन्द्रों के कार्य की उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर संवीक्षा कर रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बलात्कार के संबंध में कानून को बदलने का प्रस्ताव

386. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बलात्कार के संबंध में कानून बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 160 (1) को, जिसमें यह व्यवस्था है कि किसी भी महिला को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता है कठोरता के साथ लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वैंकटसुब्बया) : (क) और (ख) सरकार के अनुरोध पर विधि आयोग ने अपनी 84वीं रिपोर्ट अप्रैल, 1980 में प्रस्तुत कर दी है जिसमें इसने बलात्कार और सम्बद्ध अपराधों से संबंधित कानून में संशोधन के लिए सिफारिशें की हैं । विधि आयोग की रिपोर्ट शीघ्र ही सदनों के पटल पर रखी जाएगी ।

(ग) सरकार ने पहले ही राज्यों को लिखा है और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 160(1) के उपबन्धों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है ।

पिछली सरकार द्वारा मंत्रियों के विरुद्ध चलाये गये मामले

387. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) जनता सरकार द्वारा भूतपूर्व मंत्रियों प्रधान तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कितने मामले चलाये गये;

(ख) प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों को न्यायालयों ने वैध ठहराया था; और

(घ) कौन-कौन से मामलों में समझौता किया गया या जिन पर न्यायालयों द्वारा कार्यवाही समाप्त कर दी गई ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) जनता शासन के दौरान केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने प्रधान मंत्री, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्रियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों (पुलिस उप-महानिरीक्षक तथा उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी) के विरुद्ध 24 मामले चलाए थे । इन मामलों में से, संलग्न विवरण में दिए गए ब्यौरों के अनुसार 8 मामलों में न्यायालयों में आरोप पत्र/याचिकाएं दायर की गई थीं ।

(ग) संलग्न विवरण की क्रम संख्या 8 पर दिए गए मामलें में आरोपित व्यक्तियों को विचारण न्यायालय (ट्रायल कोर्ट) द्वारा दोष सिद्ध पाया गया, परन्तु अपील किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा उन्हें दोष-मुक्त कर दिया गया है ।

(घ) संलग्न विवरण की क्रम संख्या 4 तथा 5 पर दिए गए दो मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को न्यायालयों द्वारा मुक्त कर दिया गया । क्रम संख्या 6 पर दिए गए मामले को विशेष न्यायालय ने छोड़ दिया तथा आगे जांच के बाद केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामला समाप्त करने की एक रिपोर्ट दायर की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया ।

विवरण

क्र० सं०	जिनके विरुद्ध मामला है	आरोप
1.	श्री वी० सी० शुक्ला तथा अन्य	"किस्सा कुर्सी का" फिल्म के निर्माता श्री अमृत नहाटा द्वारा दायर-रिट याचिका के संबंध में उच्चतम न्यायालय को कथित झूठी सूचना देने के लिए न्यायालय की मानहानि की कार्यवाही ।
2.	श्री वी० सी० शुक्ला तथा अन्य	उपर्युक्त मामले में भारतीय दण्ड संहिता धारा 199 तथा 193 के साथ पठित धारा 120-ख के अधीन अपराधों का संज्ञान लेने के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 340 के साथ पठित धारा 195 के अधीन शिकायत दर्ज कराने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा याचिका ।
3.	श्री वी० सी० शुक्ला तथा अन्य	1977 के आम चुनावों के पूर्व चुनाव पोस्टरों के डिजाइन तैयार करने के मामले में सरकारी तंत्र का कथित दुरुपयोग ।
4.	श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री पी० सी० सेठी तथा अन्य	मार्च, 1977 के लोक सभा चुनावों के दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कम्पनियों को अपने फण्ड में से जीपें खरीदकर देने की और प्रवृत्त करने में कथित षडयंत्र तथा सरकारी पद स्थिति का दुरुपयोग ।
5.	श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री डी० सेन तथा अन्य	श्री कृष्णास्वामी तथा अन्यों के विरुद्ध कथित आपराधिक कार्यवाहियों का चलाया जाना तथा बिना औचित्य के उन्हें तंग किया जाना ।
6.	श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री पी० एस० भिंडर तथा अन्य,	श्री भीमसेन सच्चर तथा अन्यों को आंतरिक सूरक्षा अधिनियम (मीसा) के अधीन कथित अवैध नजरबंदी ।
7.	श्री० पी० एस० भिंडार तथा अन्य	सुन्दर सिंह उर्फ सुन्दर की हत्या करने का कथित आपराधि षड्यंत्र ।
8.	श्री वी० सी० शुक्ला तथा अन्य	"किस्सा कुर्सी का" की फिल्म सामग्री का कथित हटाया जाना तथा नष्ट किया जाना ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु

388. **श्री के० पी० सिंह देव :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेवानिवृत्त आयु के प्रश्न के बारे में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में काफी तनाव व्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकर का विचार स्थिति को दृढ़तापूर्वक स्पष्ट करने का है ताकि स्थिति हमेशा क लिए स्पष्ट हो जाये ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गाजियाबाद में उद्योगों का बन्द किया जाना

389. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में 10,000 छोट और बड़े उद्योग बन्द पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इन उद्योगों को पुनः खुलवाने के लिए क्या कदम उठाए जाने पर विचार है ताकि लाखों बेरोजगार लोगों को काम मिल सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) वित्तीय कठिनाइयों, श्रमिक समस्याओं तथा बिजली की कमी के कारण 40 औद्योगिक एककों (बड़े, मंझोले तथा लघु) के बंद होने की सूचना मिली है।

(ग) राज्य सरकार बैंकों, वित्तीय संस्थानों तथा राज्य बिजली बोर्ड से परामर्श करके बंद एककों को फिर से चलाने के लिए प्रयत्न कर रही है।

सी० एस० आइ० आर० के अंतर्गत औद्योगिक अनुसंधान संस्थानों को फिर से चालू करना

90. श्री के राममूर्ति : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में कांग्रेस सरकार की वैज्ञानिक तथा तकनीकी नीतियों और विशेष रूप से औद्योगिक अनुसंधान संस्थानों को प्रगति को निष्प्रभावी करने के संबंध में जनता सरकार ने जो क्षति पहुंचाई है उसे दूर करने के लिए अब केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) क्या सी० एस० आइ० आर० को अपने वास्तविक स्वरूप में लाने तथा समस्त औद्योगिक अनुसंधान संस्थानों को इसके मार्गदर्शन के अंतर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) सिविल अनुसंधान संस्थानों तथा रक्षा अनुसंधान संस्थानों में परस्पर उपयुक्त तालमेल लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) औद्योगिक अनुसंधान संस्थाओं में लिए गए अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना सरकार की नीति है। 1980--85 के लिए नई पंचवर्षीय योजना, जो अभी तैयार की जा रही है, के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी वार्ताओं में इस पर समुचित ध्यान दिया जा रहा है ताकि देश में वैज्ञानिक कार्य के लिए वातावरण में सुधार किया जा सके ; तथा अनुसंधान और विकास प्रयासों को इस प्रकार अधिक प्रभावी बनाया जा सके कि औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि भी की जा सके। इनसे और संबद्ध पहलुओं से संबंधित विस्तृत कदमों की तैयारी की जा रही है।

(ख) यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार सिविल अनुसंधान संस्थानों और रक्षा अनुसंधान संस्थानों में परस्पर उपयुक्त तालमेल की आवश्यकता से अवगत है। बाद वाले के लिए रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं में किए जा रहे कार्य तथा सशस्त्र सेना के प्रसंग के कार्य से वै औ अ प की प्रयोगशालाओं, आइ आइ टीओं, विश्वविद्यालयों और अन्य सिविल अनुसंधान संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिकों को संबद्ध किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान से संबंधित अनेक मान्य वैज्ञानिक सिविल एजेन्सियों की अनुसंधान समितियों से सम्बद्ध किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक परामर्शदाता को वै औ अ प की सोसायटी का सदस्य मनोनीत किया जा रहा है ; जबकि महानिदेशक, वै औ अ प और सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद् के तथा रडार और संचार बोर्ड के सदस्य हैं।

सीमेन्ट का अभाव

391. श्री बी० ए० एस० विजय राघवन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की भारी कमी है ;

(ख) उत्पादन और मांग के बीच कितना अंतर है ; और

(ग) कमी को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) देश में सीमेंट की उपलब्धता मांग से कम है। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1978--83 के लिए गठित सीमेंट उद्योग के कार्यकारी दल ने वर्ष 1979-80 के लिए 259.2 लाख मी० टन का सीमेंट की मांग का अनुमान लगाया था लेकिन इस वर्ष 176.2 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ है।

(ग) सरकार विद्यमान क्षमता से अधिक उपयोग द्वारा नई क्षमता स्वीकृत करके देश में सीमेंट की उपलब्धता को बढ़ाने के सभी प्रयास कर रही है।

राज्य और जिला स्तरीय एकीकरण समितियों का गठन

392. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को राज्य और जिला स्तरीय एकीकरण समितियों का गठन करने, राजनैतिक दलों और छात्रों के लिए आचार संहिता बनाने और साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों यदि कोई हों को समाप्त करने के लिए इतिहास की पुस्तकों में संशोधन करने के सुझाव दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो लोगों में स्थायी एकीकरण पैदा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सुझाव दिया गया है कि इंटैगरेशन कमेटियां अथवा एकता समितियां जिला तथा थाना स्तरों पर सभी जिलों में और सब डिवीजनल तहसील तथा मोहल्ला स्तरों पर साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों में स्थाई आधार पर गठित की जाए जिनमें अल्पसंख्यक समुदायों का संतुलित प्रतिनिधित्व हो ।

विधि व व्यवस्था और सम्बद्ध मामलों के संबंध में 8 अप्रैल, 1980 को हुए राज्यपालों और मुख्य मंत्रियों के हाल के सम्मेलन में यह तय किया गया था कि राजनैतिक दलों के लिए एक आचरण संहिता तैयार की जाए ।

इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों में साम्प्रदायिक पक्षपात के बारे में सभी शिकायतों के लिए तथा इस पक्षपात को दूर करने हेतु उनके संशोधन के लिए शिक्षा मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नामजद किया गया है । उस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों की संवीक्षा के लिए वास्तव में एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया था । चूंकि यह एक सतत कार्य है, इसलिए वह मंत्रालय पाठ्यपुस्तकों की संवीक्षा करता रहता है और इस मामले में उपयुक्त कारंवाई करता रहता है ।

(ख) राष्ट्रीय एकता परिषद को फिर से सक्रिय बनाने के लिए निर्णय किया गया है और यह इन मामलों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर आगे विचार करेगी ।

जगुआर विमानों के सम्बन्ध में मैसर्स ब्रिटिश एरोस्पेस के चेयरमैन के साथ हुई बातचीत

393. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जगुआर विमानों के उत्पादन कार्यक्रम की प्रगति के बारे में ब्रिटिश एरोस्पेस के चेयरमैन के साथ मई, 1980 में कोई बातचीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अभी तक कोई विमान भारत को सप्लाई किये जा चुके हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने विमान प्राप्त हो चुके हैं और कितने विमान अभी प्राप्त होने बाकी हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) चर्चा के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई । इस संबंध में कोई विवरण देना लोकहित में नहीं है ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास की देखभाल के लिए नियुक्त समिति

394. **श्री चित्त बासू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास की देखभाल के लिए हाल ही में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने इस क्षेत्र के आर्थिक विकास के प्रयोजन से अब तक कोई विशेष प्रस्ताव किया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उसके कार्यान्वयन की अवस्था क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मंत्रियों की समिति की पहली बैठक 21 अप्रैल, 1980 को हुई थी । बैठक में मुख्यतः उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संसाधनों और आवश्यकताओं के अनुरूप आर्थिक विकास हेतु नीति की रूपरेखा तैयार करने, विकास के मूल ढांचे के विभिन्न पहलुओं, और विकास योजनाओं मुख्यतया कृषि, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, वन, तथा उद्योग क्षेत्रों पर विचार विमर्श किया गया था ।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग-अलग राज्यपालों की नियुक्ति

395. **श्री चित्त बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग-अलग राज्यपाल नियुक्त करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया है ।

तारापुर के लिए यूरेनियम की सप्लाई

396. **श्री चित्त बसु :**

श्री के० मालन्ना :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए समृद्ध यूरेनियम की सप्लाई के बारे में भारत और अमरीका के बीच लम्बी बातचीत में अवरोध अभी जारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए समृद्ध यूरेनियम और उपस्करों की बकाया खेपों को भेजने के लिए अनुमोदन करने से संबंधित निर्णय इस समय अमरीकी राष्ट्रपति के हाथ में है । अमरीकी राष्ट्रपति ने इन खेपों को भेजने का इरादा व्यक्त किया है । संयुक्त राज्य अमरीका के वर्तमान आंतरिक कानून के अंतर्गत, इस प्रकार के निर्यात के अनुमोदन के संबंध में वहां राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर वहां कांग्रेस द्वारा पुनर्विचार किया जाता है । हम इससे संबंधित आगे के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) भारत सरकार अमरीकी सरकार से इस उद्देश्य से लगातार संपर्क बनाए हुए है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए इंधन और उपस्करों की सप्लाई 1963 के सहकार करार की पूरी अवधि तक तथा उस करार के उपबन्धों के अनुसार समय पर होती रहे । इंधन की सप्लाई में होने वाले लगातार और अनावश्यक विलम्बों पर, जिनके कारण तारापुर बिजलीघर के प्रचालन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा है तथा जिसके परिणामस्वरूप सहकार करार का उद्देश्य और प्रयोजन भी विफल रहा है, हमने संयुक्त राज्य अमरीका से गहरी चिन्ता व्यक्त की है ।

योजना आयोग की बैठक में किये गये निर्णय

397. **श्री चित्त बसु :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की हाल में बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो छठी योजना के बारे में उसने क्या निर्णय लिये ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) योजना आयोग ने प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 21 अप्रैल, 1980 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि नई पंच वर्षीय योजना 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिए होगी । यह भी निर्णय किया गया कि इस नई योजना को योजना की अवधि में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा ; इसके साथ ही इस वृद्धि दर को अधिक उच्च प्रतिशत तक बढ़ाने की संभावनाओं की भी जांच की जाएगी ।

योजना के प्रारूप के दस्तावेज के वर्तमान वर्ष के अंत तक तैयार हो जाने की आशा है और इसके तत्काल बाद इसे राष्ट्रीय विकास परिषद के संमुख विचार के लिए प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है । 1980-81 की परिपोधित वार्षिक योजना को अंतिम रूप देने के लिए प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में योजना आयोग की 6 मई, 1980 को फिर से बैठक हुई थी ।

मंत्रियों तथा भूतपूर्व मंत्रियों की ओर वायु सेना के विमानों का बकाया किराया

398. **श्री पी० के० कोडियन :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चुनाव कार्यों के लिये किराये पर लिये गये वायु सेना के विमानों/हैली काप्टरों के किराये आदि की भारी राशि मंत्रियों और भूतपूर्व मंत्रियों की ओर बकाया है ; और

(ख) यदि हां तो उन मंत्रियों/भूतपूर्व मंत्रियों के नाम क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक की कितनी-कितनी राशि बकाया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) उड़ान नियमों के अनुसार प्रधान मंत्री को छोड़ कर अन्य कोई मंत्री गैर-सरकारी कार्यों के लिए भारतीय वायु सेना के विमान/हैलिकाप्टर का प्रयोग करने का हकदार नहीं है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई से नवंबर, 1978 में भारतीय वायु सेना के विमानों के उपयोग के संबंध में 24,261.60 रुपये की वसूली की जानी है। भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह से भी लगभग 14 लाख रुपये की रकम वसूल की जानी है। इस रकम में से 4,71,752.49 रूपये के सात बिल वसूली के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में भेज दिए गए हैं और शेष बिल भी शीघ्र ही भेज दिये जायेंगे। जहां तक वर्तमान प्रधान मंत्री की गैर-सरकारी उड़ानों का संबंध है, उन्होंने अपना दौरा हाल ही में पूरा किया जिसका ब्यौरा अभी प्राप्त होना है। ब्यौरा प्राप्त होते ही बिल पेश कर दिए जाएंगे।

दिल्ली के एक पोलिस अधिकारी द्वारा एक अमरीकी लड़की के विरुद्ध आरोप दाखिल किया जाना

399. **श्री नवीन रवाणी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मिस ग्लू ओडक्सर नामक एक अमरीकी लड़की ने गत अप्रैल में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के विरुद्ध यह आरोप लगाया है कि वह उनके मामले में केवल तभी आरोप दर्ज करेगा जब वह उसके साथ सोयेगी ;

(ख) उस लड़की के विरुद्ध क्या आरोप थे तथा आरोप पत्र वास्तव में कब दर्ज किया गया ; और

(ग) यदि उसमें कोई विलम्ब किया गया था, तो उसके क्या कारण थे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उसे भा० द० सं० की धारा 420/511/411/34 के अंतर्गत 31-10-79 को गिरफ्तार किया गया था, न्यायिक हिरासत में उसी दिन इलाका मजिस्ट्रेट द्वारा भेज दिया गया था। उसके पास कोलाबा, बम्बई से चुराये गये 300 डालर के मूल्य के ट्रेवलर्स चैक होने का दोषारोपण था। 31-3-80 को मामले का चालान किया गया और 11-4-80 को न्यायालय में भेज दिया गया।

(ग) आरोपों की जांच की जा रही है जिससे मालूम होगा कि क्या न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने में देरी हुई थी और यदि हुई थी तो क्यों।

क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने वाली योजना

400. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान क्षेत्रीय असंतलन को दूर करने तथा प्रतिनिधि क्षेत्रों में समान गति प्रधान करने के दोहरे उद्देश्यों के लिए उद्योग मंत्रालय ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया है ;

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस योजना को लागू करने के लिए इस मंत्रालय ने कुछ जिलों को चुना है ;

(घ) क्या सरकार का विचार है कि अतिरिक्त उपकरणों के प्राक्कलन सहित विशेष औद्योगीकरण कार्यक्रम का सुझाव देने हेतु निम्नतन स्तर पर योजना बनाने के लिये नये दृष्टिकोण के हिस्से के रुप में सर्वेक्षण आरंभ किया जाय ; और

(ङ) क्या इन सर्वेक्षणों में बिजली, इस्पात ढांचा, श्रम शक्ति, संगठनात्मक और विपणन क्षमता को भी ध्यान में रखा जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (ङ) विद्यमान वित्तीय प्रोत्साहनों तथा राज-सहायता के अलावा सरकार पिछड़े क्षेत्रों में वहां उपलब्ध अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के आधार पर केन्द्रस्थ उद्योग का संवर्द्धन करने की संभाव्यता की जांच कर रही है। सहायक एककों का विकास करने की दृष्टि से ये केन्द्रस्थ उद्योग सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों ही में स्थापित किये जा सकते हैं ताकि स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जा सके, रोजगार के लिए अधिक अवसर प्रदान किया जा सके तथा औद्योगिक विकास में आवश्यकतानुसार तेजी लाई जा सके।

पिछड़े क्षेत्रों का तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण करते समय बिजली की उपलब्धता, इस्पात ढांचे, श्रमिक बल संगठन-परक तथा विपणन क्षमता को ध्यान में रखा जायेगा।

असम आन्दोलन के कारण हानि

401. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बे समय से चल रहे असम आन्दोलन के कारण देश को प्रति माह 300 करोड़ रुपयों की हानि हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या 100 करोड़ रुपये की हानि पट्रोलियम उत्पादों के कारण और 200 करोड़ रुपये की हानि परोक्ष रूप से उर्वरक, सीमेंट तथा इस्पात जैसी आवश्यक वस्तुओं की हानि के कारण है ;

(ग) अब तक इससे कुल कितनी हानि हुई है ; और

(घ) इस हानि को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (घ) असम में लगातार चल रहे आन्दोलन ने सामान्य आर्थिक कार्य को विशेष रूप से उस राज्य में और सामान्य रूप से बाकी देश में ग्रस्त व्यस्त कर दिया है। विकास कार्यों को न केवल असम में बल्कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गहरा धक्का लगा है। दिसम्बर, 1979 के अन्त में असम में तीन तेल शोधक कारखाने बन्द कर दिय गए और इसके पश्चात् 2 जनवरी, 1980 को बरौनी तेल शोधक कारखाना बन्द कर दिया गया। अन्य पैट्रोलियम उत्पादनों के अतिरिक्त इन चार तेल शोधक कारखानों में डीजल और मिट्टी के तेल के उत्पादन की दैनिक हानि क्रमश: लगभग 5000 टन तथा 1000 टन से कुछ अधिक हुई है। इन चार तेल शोधक कारखानों में लगभग 4,25,000 टन प्रतिमाह की औसत से कच्चा तेल साफ किया जाता है। यद्यपि डिगबोई और गोहाटी के तेल शोधक कारखानों ने हाल में कार्य करना आरंभ कर दिया है तथापि बरौनी के 3.30 लाख टन के तेल शोधक कारखाने और बोंगे गांव का तेल शोधक कारखाना अभी बन्द है। जब चारों तेल शोधक कारखाने बन्द हैं तो प्रतिदिन की लगभग 3 करोड़ रुपये की हानि होती है। उर्वरक इस्पात, विद्युत और कोयले जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र भी प्रभावित हुए हैं। इस संबंध में निश्चित हानि की मात्रा का पता लगाना कठिन है, किन्तु वह पर्याप्त मात्रा में है। आन्दोलन होने के कारण नये रोजगार अवसर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो गये हैं। सरकार राज्य में सामान्य स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है।

नेत्रहीन विद्यार्थियों पर लाठी प्रहार के बारें में रिपोर्ट

402. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री गुलाम रसूल कोचक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 16 मार्च, 1980 को दिल्ली में नेत्रहीन विद्यार्थियों के जलूस पर लाठी प्रहार किये जाने के बारे में सरकार को रिपोर्ट मिल गई है ;

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इसकी सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और प्रशासन इसकी जांच कर रहा है।

राज्य उद्यमों का कार्यकरण

403. **श्री पी० एम० सईद** : क्या योजना राज्यमंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों से उद्यमों विशेषकर राज्य विद्युत् बोर्डों, सिंचाई विकास तथा परिवहन निगमों के कायकरण की ओर विशेष ध्यान देने क लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों को यह भी कहा गया है कि वे गैर-योजना व्यय पर निगरानी रखें, प्राप्तियों में सुधार करें तथा और अधिक आन्तरिक संसाधन जुटाने के प्रयास करें ;

(ग) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने यह संकेत दिया है कि छठी योजनावधि अर्थात् 1980--85 में कोई अधिक केन्द्रीय सहायता नहीं मिलेगी ; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं और राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकारों को यह सूचित किया गया है कि राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता देने की गति को बनाए रखने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

(घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

छठी योजना के प्रस्ताव तैयार करना

404. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री चित्त महाटा :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्यों को छठी योजना के प्रस्तावों का प्रारुप तैयार करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना तैयार करने के लिए राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या राज्यों को प्रस्तावों का प्रारुप इस प्रकार तैयार करने को कहा गया है कि अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उन्हे स्वयं प्रयत्न करने पड़ेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों ने प्रारुप प्रस्ताव तैयार किए हैं और कितनों ने उनको केन्द्रीय सरकार के पास भेज दिया है ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को अपनी योजनाएं तैयार करने के लिए सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत दिए गए हैं।

(ग) राज्य सरकारों को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुझाव दिया गया है कि योजनेतर व्यय की वृद्धि को नियंत्रित किया जाए, प्राप्तियां बढ़ाई जाएं और अधिक आंतरिक संसाधन बढ़ाने के लिए उपाय किए जाएं।

(घ) योजना आयोग न राज्यों से योजना के प्रारूप के प्रस्तावों को विचार-विमर्श के लिए सितम्बर, 1980 के अत तक प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

योजना तैयार करते समय वैज्ञानिकों का साहचर्य

405. **श्री पी० एम० सईद :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके माध्यम से योजना आयोग योजना की तैयारी करते समय वैज्ञानिकों तथा स्नातकों का साहचर्य प्राप्त कर सके ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई स्कीम तैयार की जा रही है कि योजना में युवा-वर्ग की सम्बद्धता का तरीका क्या हो;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की आशा है ; और

(घ) योजना में युवा-वर्ग की सम्बद्धता देश के लिए किस हद तक लाभदायक होगी ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) युवा वैज्ञानिकों के एक ऐसे संगठन या एसोसिएशन को स्थापित करने के सुझाव पर विचार करने के लिए आरंभिक विचार-विमर्श किया गया है जो विद्यार्थियों और विद्वानों की युवा पीढ़ी को विकास के लिए विज्ञान की संस्कृति को संवर्धित करने में सहभागी बनाने में सहायता कर सके। पंचवर्षीय योजना (1980—85) को तैयार करते समय इस प्रस्ताव पर और अधिक विचार-विमर्श किया जाएगा।

नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हरिजन लड़की के साथ बलात्कार

406. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में एक 17 वर्षीय विवाहित हरिजन लड़की के साथ बलात्कार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नरसिंहपुर जेल में महिलाओं को क्या सुरक्षा प्रदान की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्राथमिकता वाली वैज्ञानिक परियोजनाओं के संबंध में रिपोर्ट

407. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सालिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी के प्रिंसिपल साइन्टिफिक आफिसर ने अत्यधिक प्राथमिकता वाली वैज्ञानिक परियोजनाओं के संबंध में एक रिपोर्ट भेजी थी ;

(ख) क्या इस रिपोर्ट को समाचार-पत्रों के लिए उपलब्ध कराया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :(क) सालिड स्टैट भौतिकी प्रयोगशाला के एक प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी ने इस प्रयोगशाला की परियोजनाओं पर "एस० पी० एल० पर प्रबन्ध सूचना रिपोर्ट 1976" के नाम से स्वयम् एक रिपोर्ट तैयार करके निदेशक, एस० पी० एल० को भेजी है ।

(ख) सरकार ने यह रिपोर्ट प्रेस को नहीं दी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल सरकार की सेवा में तैनात केन्द्रीय संवर्ग के अधिकारी

408. श्री के० ए० राजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के गठन के बाद पहले वर्ष से लेकर अब तक केरल सरकार की सेवा में तैनात केन्द्रीय संवर्ग के अधिकारियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या यह वृद्धि राज्य सरकार की केन्द्रीय संवर्ग के और अधिक अधिकारियों के लिये की गई मांग पर आधारित है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमों के नियम 4(2) में यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सरकार, प्रत्येक तीन वर्ष के बाद, संबंधित राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों के परामर्श से प्रत्येक संवर्ग की पद संख्या तथा गठन की पुनः जांच करेगी और संवर्ग में ऐसे परिवर्तन करेगी जो वह उचित समझती हो । इस नियम के अनुपालन में, केरल सरकार द्वारा अपने भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा संवर्ग में पद संख्या तथा गठन के पुनरीक्षण के लिए तीन वर्ष में एक बार जो प्रस्ताव भेजा जाता है, उसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच की जाती है तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय वन सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाते हैं ।

2. केरल संवर्ग में 1-1-1957 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की संख्या क्रमशः 29 तथा 15 थी और 1-1-1980 की स्थिति के अनुसार यह संख्या क्रमशः 127 तथा 75 है । 1-10-1966 को भारतीय वन सेवा के गठन के समय केरल संवर्ग में भारतीय वन सेवा के 32 अधिकारी थे और 1-1-80 को उक्त सेवा के 40 अधिकारी हैं ।

राज्य सेवाओं के लिये आवंटित केन्द्रीय संवर्ग अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग

409. श्री के० ए० राजन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य संवर्गों को आवंटित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की सेवाओं के उपयोग के बारे में नियम बनाये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केन्द्र को प्रतिनियुक्ति पर लिये गये भारतीय प्रशासनिक सेवा/आई० पी० एस० अधिकारियों की कार्यविधि के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धांतों/आदेशों से संबंधित नियमों की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ; और

(ग) क्या सरकार इस बात पर बल देती है कि आई० पी० एस० कैडर के अधिकारियों का उपयोग पुलिस विभागों में कार्य करने के लिये केवल राज्यों में किया जाये ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा/आई० एफ० एस० जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रधानतः ऐसे पदों पर लगाया जाता है जिन्हें भा० प्र० से०/भा० पु० से०/आई० एफ० एस० (संवर्ग पद-संख्या का नियतन) विनियमावली में तत्सम्बन्धित अनुसूचियों में गिना जाता है । भा० प्र० से०/भा० पु० से०/आई० एफ० एस० में राज्य सरकारों के अधीन 40 प्रतिशत वरिष्ठ ड्यूटी पद केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अलग से निर्धारित किए गए हैं ।

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कार्यविधि नियम के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक-एक प्रति संलग्न है (अनुबन्ध I तथा II) । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 841/80]

(ग) केन्द्रीय सरकार ने इस आशय के कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों व राज्यों में केवल पुलिस विभाग में ही तैनात किया जा सकता है। भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती प्रधानतः ऐसे पदों पर नियुक्त करने के लिए की जाती है, जो प्रत्यक राज्य में भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम की अनुसूची में गिनी जाती है। ये पद राज्यों के पुलिस विभाग में होते हैं। फिर भी, इन अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग कभी कार्य की अपेक्षाओं और अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग के बाहर भी किया जाता है।

भारतीय उपग्रह का छोड़ा जाना

410. **श्री कमला मिश्र मधुकर**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका अंतरिक्ष की कक्षा में भारतीय उपग्रह (इन्सैट) छोड़ने के लिये राकेट सप्लाई करने पर सहमत हो गया था परन्तु अब वह अपने वादे से मुकर गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उस स्थिति में भारतीय वैज्ञानिकों की दुर्लभ/महान उपलब्धि का सफलतापूर्वक उपयोग करने के लिए कोई विकल्प उपलब्ध है जबकि अमरीका उपग्रह छोड़ने वाले राकेट सप्लाई नहीं करता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका का राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अन्तरिक्ष प्रशासन अपने वायदे से नहीं मुकरा है।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले के उद्योगों के नाम और नियुक्त कर्मचारी

411. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) बिहार के पूर्वी चम्पारन जिले में चीनी मिलों को छोड़कर अन्य कौन-कौन से उद्योग हैं और उनमें कितने व्यक्ति नियुक्त हैं ;

(ख) क्या उपरोक्त जिले में औद्योगिक क्षमता का पता लगाने के लिये सरकार ने कभी कोई सर्वेक्षण करवाया है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उनके कार्यान्वयन के लिये क्या प्रयास किये गये ;

(घ) इस जिले के पिछड़ेपन को कम करने के लिये क्या सरकार का इस जिले के औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उपाय करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 31-3-1980 को निम्नलिखित उद्योगों में 2,111 व्यक्तियों को रोजगार मिल चुका था :—

मिलें, तेल मिलें, कन्फैक्शनरी एकक, वैक्स रिफाइनरी, मोमबत्ती, कपड़े धोने का साबुन, आयुर्वेदिक दवाइयां, औषधियां, उत्पादन, कपूर की टिकियां, ईंटों का भट्टा, सीमेंट उत्पाद, एनेमल बर्तन, छपाई खाना, शीत-भण्डार, मैकेनिकल, फाउन्ड्री, शीटमैटल तथा चमड़े की वस्तुएं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार का विचार जिले की औद्योगिक क्षमता सहित संसाधन विश्लेषण, अवस्थापना सुविधाओं तथा वृद्धि की संभाव्यता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कराने का है।

(घ) और (ङ) जिला उद्योग केन्द्र ने 1980-81 के लिए एक कार्यवाही योजना तैयार की है जिसमें नए एककों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने 1000 कारीगर प्रधान एककों एवं 200 लघु एककों की स्थापना करने का लक्ष्य निश्चित किया है। इसमें 187 लाख रुपये का कुल निवेश होगा तथा इससे 4,200 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की आशा है। राज्य सरकार विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की संभावना की भी जांच कर रही है चूंकि पूर्वी चम्पारन औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है, अतः उद्यमी पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए उपलब्ध सभी प्रोत्साहनों को पाने के पात्र है। 31-3-1980 तक 156 एककों को 17,28,217 रुपये की पूंजीगत राजसहायता मिली है।

मणीपुरी भाषा को आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करना

412. **श्री नगनगोन मोहेन्द्रा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मणीपुर भाषा को विधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने का निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) : विभिन्न अल्पसंख्यक भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने में जटिल प्रश्न निहित है जिन पर विचार किया जा रहा है ।

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टंकण के प्रशिक्षणार्थियों के लिए चार्ट

413. **श्री नन्द किशोर शर्मा :**

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टंकण प्रशिक्षणार्थियों के लिए प्रशिक्षण चार्ट दोषयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने इनमें सुधार करने के लिए इस विषय पर विशेषज्ञों की राय मांगी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का है ताकि प्रशिक्षणार्थियों को सही ढंग से प्रशिक्षण दिया जा सके ; और

(घ) क्या सरकार का विचार चार्टों में इन दोषों के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही भी करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस कार्य के लिए किसी विशेषज्ञ समिति के गठन की आवश्यकता नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जयपुर में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स का नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

414. **श्री जयनारायण रोट :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर (राजस्थान) में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स का नया क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि, हां, तो कब खोला जायेगा ताकि राज्य बिजली बोर्ड के साथ बेहतर तथा कुशल व्यापारी सम्बन्ध बन सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) कार्यालय के शीघ्रही खोले जाने की आशा है ।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के संयंत्रों की क्षमता बढ़ाना

415. **श्री जयनारायण रोट :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या छठी योजना में विभिन्न विद्युत प्रतिष्ठानों की मांग को पूरा करने के लिये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के विभिन्न संयंत्रों की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रस्तावों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) टर्बो जनरेटर सेटों की निर्माण क्षमता का विस्तार और बड़े साइज के टर्बो जनरेटर सेटों का निर्माण ;

(2) बायलरों की निर्माण क्षमता का विस्तार और 500 मे० वा० के सेटों के लिए बायलरों का निर्माण ; और

(3) हाइड्रो सेटों की निर्माण क्षमता में वृद्धि करना ।

राजस्थान में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स का एक नया कारखाना खोलना

416. **श्री जयनारायण रोट** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में पिछड़े राज्य, राजस्थान में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स का एक नया कारखाना खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कागज की मांग तथा उसका आयात

417 **श्री सी० बी० अठारे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छपाई के सफेद कागज की कुल मांग कितनी है और देशीय संसाधनों से इसकी उपलब्धता कुल कितनी है ;

(ख) क्या सरकार छपाई के सफेद कागज की कमी को दूर करने के लिए इसका आयात करने का विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1980 के दौरान प्रत्येक देश से कितनी-कितनी मात्रा में इसका आयात किया जायेगा और भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) देश में लिखाई तथा छपाई के कागज की कुल मांग तथा उसका देशी उत्पादन क्रमशः लगभग 6,00,000 तथा 5,50,000 मी० टन प्रति वर्ष है।

(ख) तथा (ग) सरकार मांग और देशी उत्पादन के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए लिखाई तथा छपाई के कागज का आयात करती रही है। चूंकि आवश्यकता का अनुमान समय-समय पर लगाया जाएगा और प्राप्त होने वाले काफी प्रतिस्पर्धात्मक प्रस्तावों के आधार पर ठेका किया जायेगा, अतः वर्ष 1980 में विभिन्न देशों से आयात की जाने वाली वास्तविक मात्रा इस समय उपलब्ध नहीं है। देश की कागज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी, दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता स्थापित की जा रही है। बिजली तथा कोयले की उपलब्धता में आशा के अनुसार वृद्धि जाने से क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जाना संभव हो जाएगा जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होगी।

सीमेंट उद्योग की क्षमता का कम उपयोग किया जाना

418. **श्री के०टी०कोसलराम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट उद्योग की क्षमता का उपयोग वर्ष 1978 में 90.2 प्रतिशत से घट कर वर्ष 1979 में 81.79 प्रतिशत हो जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार द्वारा मंजूर की गई 270.6 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता बना दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) वर्ष 1978 और 1979 के दौरान वास्तविक क्षमता का उपयोग क्रमशः 88.9 प्रतिशत तथा 75.83 प्रतिशत हुआ था। सीमेंट के उत्पादन में गिरावट आने के मुख्य कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई बिजली की कटौतियों तथा सीमेंट कारखानों को कोयले का कम संभरण करना रहे हैं।

(ख) और (ग) औद्योगिक लाइसेंसों, आशयपत्रों तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के द्वारा 286.30 लाख मी० टन की अतिरिक्त क्षमता के लिये स्वीकृति दी गई है। इसमें अगले तीन वर्षों में निम्न प्रकार की वास्तविक क्षमता उत्पन्न हो जाने की संभावना है :--

वर्ष	क्षमता (दस लाख मी० टन में)
1980-81	3.56
1981-82	3.14
1982-83	4.91
योग	11.61

लालकिले के सफाई कर्मचारियों को सेवा से हटाया जाना

419. **श्री निहाल सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय के अधीन लाल-किले में कार्य कर रहे 44 स्थायी सफाई कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया गया है और उनके स्थान पर ठेकेदार के आदमियों को दैनिक मंजूरी पर नियुक्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन कर्मचारियों को बहाल करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) लाल-किले में सफाई संबंधी कार्यों के लिए सैनिक अधिकारी दिल्ली नगर निगम के साथ एक-एक साल का अनुबंध करते थे। इस अनुबंध के आधार पर लाल-किले में सफाई के लिए दिल्ली नगर निगम के 44 सफाई कर्मचारी काम कर रहे थे। सैनिक अधिकारियों ने यह अनुबंध 31-3-1980 को समाप्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अब ये सफाई कर्मचारी लाल किले में काम नहीं कर रहे हैं। चूंकि ये कर्मचारी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत काम कर रहे थे अतः इन्हें सरकार द्वारा सेवा में फिर से बहाल करने का प्रश्न नहीं उठता।

पहाड़गंज, नई दिल्ली की टिम्बर मार्किट में आग लगना

420. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 13 मई, 1980 की रात को पहाड़गंज की टिम्बर मार्किट में आग लगने के कारण क्या थे ;

(ख) उसके परिणामस्वरूप जान व माल की कितनी हानि हुई थी ; और

(ग) सरकार ने उनको मुआवजा देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार आग का कारण अभी तक निश्चित नहीं किया जा सका है। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। लगभग 35 लाख रुपये की सम्पत्ति की हानि होने का अनुमान है। वैकल्पिक स्थान देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

तिहाड़ जेल में कदाचार

422. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब तिहाड़ जेल में घटीं कदाचार और दुष्कर्म की सभी घटनायें प्रकाश में आ गई थीं तब उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) देश की जेलों में रह रहे विभिन्न वर्गों के अपराधियों के जीवन स्तर के बारे में संहिता बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली के उप-राज्यपाल ने केन्द्रीय जेल तिहाड़ में कदाचारों के बारे में शिकायतें प्राप्त होने पर एक अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जांच करने के आदेश दिये थे। परंतु इस जांच के पूरा हो सकने से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल के एक कैदी राकेश कौशिक की शिकायत की जांच के लिये एक एडवोकेट श्री सुबोध मारकन्डेय को न्याय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया और इस प्रकार प्रशासनिक जांच रोक दी गई। न्याय परामर्श दाता की रिपोर्ट प्राप्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया और जिला तथा सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा खुली जांच किये जाने के आदेश दे दिये। अतः प्रशासनिक जांच निलंम्बित कर दी गई है।

2. तिहाड़ जेल में कदाचारों को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा हाल ही में किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) जेल के अन्दर निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोकने की दृष्टि से गहन तलाशियां शुरू की गई हैं। इसके परिणामस्वरूप 1977 में 4 मामलों और 1978 में शून्य मामले की तुलना जनवरी, 1979 से मई 1980 तक की अवधि में 74 मामले (कैदियों के विरुद्ध 72 तथा जेल कर्मचारियों के विरुद्ध 2) दर्ज किये गये।

(ii) अधिक प्रभावशाली निगरानी रखने के लिये वार्डर गार्डों की संख्या बढ़ा दी गई है।

(iii) अधिक भीड़-भाड़ को कम करने के लिये जो कदाचारों के लिये उत्तरदाई कारणों में से एक मुख्य कारण हो सकता है, कैम्प जेल का पहला चरण जिसकी क्षमता 500 है पूरा किया जा चुका है, के अतिरिक्त दिल्ली में दो और जेलों के निर्माण का प्रस्ताव है।

(ख) जेल राज्य का विषय होने के कारण, जेलों का प्रशासन तथा प्रबन्ध संबंधित सरकारों की जेल नियमावलियो/संहिताओं के उपबन्धों के अनुसार नियमित होता है। जेल नियमावलियों/संहिताओं में विभिन्न श्रेणियों के कैदियों के रख-रखाव और अनुरक्षण के लिये प्रावधान है। जहां तक तिहाड़ जेल नियमावली का संबंध है, इस पर पंजाब जेल नियमावली के उपबन्ध लागू होते हैं।

पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही पर रोक लगाना

423. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने पर रोक लगा दी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह किन राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रो में लागू किया गया है और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी नहीं, श्रीमान । भारत सरकार ने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। परन्तु कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो में दंड प्रक्रिया संहिता की धाराओं 45(2) और 197(3) के उपबंधो में संशोधन किया है।

(ख) (i) (क) राष्ट्रपति ने (क) आपराधिक प्रक्रिया संहिता (असम) संशोधन अध्यादेश, 1980 उद्घोषित किया ताकि असम राज्य में धारा 45(2) और 197(3) को लागू करने की दृष्टि से उनमें संशोधन किया जा सके ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने का कार्य बल के जिन सदस्यों को सौंपा गया है, उनको दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45(2) के अधीन उपलब्ध संरक्षण उन सभी सरकारी कर्मचारियो को प्रदान किया जा सके जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने का कार्य सौंपा गया है, और (ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 197(3) के अधीन "बल" के जिन सदस्यों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने का कार्य सौंपा गया है, उनको उपलब्ध संरक्षण उन सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रदान करना जिनको सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने का कार्य सौंपा गया है।

(ख) भारतीय दंड संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम 11) की धारा 197 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल और दिल्ली के उपराज्यपाल ने एक अधिसूचना द्वारा यह घोषणा की है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंध अपने-अपने पुलिस बल के उन सेवारत अधिकारियों और कर्मचारियो पर लागू होगी जिन्हें सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने का कार्य सौंपा गया है।

(ii) हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों और अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चण्डीगढ़, दादरा व नागर हवेली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों ने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है।

(iii) आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारो और गोवा, दमन व दीव तथा मिजोरम संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना अभी प्रत्याशित हैं।

लवण भूमि के वितरण के संबंध में आलोचना

424. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वर्ष 1977-78 की रिपोर्ट में बम्बई में लवण भूमि के वितरण की कटु आलोचना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बद्ध पार्टियों के नाम तथा पदनाम क्या हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों तथा व्यापारियो के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जिन पर राजकोश को लगभग पांच करोड़ रुपये का नुकसान करने का आरोप है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी 1977-78 की रिपोर्ट में ग्राम चेंबर बम्बई स्थित सरकारी नमक नीति भूमि पर अनधिकृत कब्जों के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख किया है :—

(1) जब सन (1959) में भूतपूर्व बंबई सरकार के राजस्व प्राधिकारियों ने गलती से राजस्व अभिलेखों में नमक निर्माण कार्य के स्वामियों के बदले इस भूमिसमूह के न्यासियों के नाम दर्ज कर दिये थे तो नमक विभाग ने उस समय उन्हें सही स्थिति बताने हेतु कोई भी कदम नहीं उठाया था।

(2) जब दिसंबर 1963 में राज्य सरकार ने न्यासियों को अधिग्रहित भूमि के लिये मुआवजा दिया तो नमक विभाग द्वारा कोई भी प्रतिरोध नहीं किया गया।

(3) जब नवंबर 1966 में लाइसेंस का हस्तान्तरण करने संबंधी अनुमति देते समय लगाई गई शर्त (जिसका तात्पर्य यह था कि हस्तान्तरण से भूमि पर न्यासियों के अधिकार को मान्यता नहीं मिल सकेगी। उठा ली गई थी नमक विभाग ने न्यासियों को अथवा हस्तांतरी को यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बतायी थी कि भूमि नमक बनाने से भिन्न किसी अन्य उद्देश्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जानी चाहिए, तथा

(4) जब दिसंबर 1968 में नमक निर्माण का कार्य बंद कर दिया गया था तब नमक विभाग ने 5.10 करोड़ रुपये मूल्य की भूमि को पुनर्ग्रहण करने हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की थी ।

(ख) मुख्यत: इस काम में सम्मिलित पार्टियां मैसर्स फामजीत पेंटन्जी वकील ट्रस्ट (लाइसेंस धारी), सर्व श्री शामजी खिमजी छेदा तथा रावजी, खीमजी छेदा जिन्हें नमक वर्क्स हस्तांतरित किए गए थे, हैं। उपनमक आयुक्त बंबई, संबंधित अधिकारी थे।

(ग) सरकार ने सरकारी परिसर (अनधिकृत कब्जे की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन कार्रवाई करने के लिये पार्टियों को नोटिस जारी किये हैं। पार्टियों ने उच्च न्यायालय बंबई में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को चुनौती दी है और यह विषय न्यायाधीन है।

अवश्यभावी रूप से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु भूमि के स्वामित्व संबंधी प्रश्न पर न्यायलय के फैसले की प्रतीक्षा करनी होगी ।

असम से निकाले विहारियों का विहार में आना

425. **श्री एन०ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि असम के विभिन्न भागों, अधिकांशत: चाय-बागान क्षेत्रों, गोहाटी, डिगबोई, और तेजपुर से भारी तादाद में निष्कासित विहारी, विहारी में आ गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि असम के तेल क्षेत्रों में काम करने वाले विहारी असुरक्षित हैं और बड़ी संख्या में वे लोग अपने घरों को लौट रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) : सरकार को मालूम है कि असम में वृक्षारोपण मजदूर और विहारी श्रमिकों सहित अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन श्रमिकों के असम छोड़ने की रिपोर्ट हैं परन्तु ऐसे व्यक्तियों की निश्चित संख्या इस समय उपलब्ध नहीं है। सरकार पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

आसाम में क्रांति के विषय पर गुप्त चर्चा

426. **श्री अर्जुन सेठी** :
श्री के० मालन्ना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 मई, 1980 को शिलांग में खुले आम एक गुप्त पर्चा बांटा गया था जिसमें एक भूमिगत सोसाईटी बना कर आसाम में संपूर्ण क्रांति करने के लिये 35 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गुप्त पर्चे में, "प्राचीन निवासियों" को छोड़कर, सभी बंगालियों और बंगाली आबादी वाले क्षेत्रों, चाहे व किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, जहर उगला गया है और नागाओं, मिजो, मणिपुरियों, मेघालय वासियों, अरूणाचल वासियो, त्रिपुरा वासियों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी स्थानीय लोगों के साथ मधुर सम्बन्ध विकसित करने का आह्वान किया गया है ; और

(ग) यदि हां, उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) : जी हां, श्रीमान । शिलांग शहर, सिल्चर और उत्तरी कछार के पहाड़ी जिले में बांटे गये हाल ही में प्राप्त पर्चे की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग) सरकार को इस पर्चे के बांटन पर भारी चिन्ता है और समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से दृढ़ता के साथ निपटेगी।

प्रतिलिपि

अखिल असम छात्र संघ

असम में संपूर्ण क्रान्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त

1. सख्त अनुशासन, संहिता और आचरण के साथ एकल नेतृत्व के अधीन भूमिगत मुख्यालय बनाकर विभिन्न स्तरों पर गुप्त समिति का गठन।

2. निधि एकत्रित करना।

3. उन असमी राजनैतिज्ञों, दलालों, सरकारी कर्मचारियों शोषण, को चुनना जिन्होंने समाज के हितों के विरुद्ध कार्य किया ।

4. उन गैर-असमी राजनैतिज्ञों, दलालों, सरकारी कर्मचारियों, शोषण को चुनना जिन्होंने समाज के हितों के विरुद्ध कार्य किया है ।

5. स्थानीय विचारण के लिए तारीख निश्चित करना ।

6. नागाओं, मिजो, मणिपुरियों, मेघालय के निवासियों, अरूणाचलियों, त्रिपुरियों और इस क्षेत्र के अन्य सभी स्थानीय लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बढ़ाना और साथ साथ चलना ।

7. नागालैंड, मेघालय, अरूणाचल आदि के साथ सीमा विवादों को आपसी सद्भाव और सहयोग से सुलझाना ।

8. बदरपुर से लुमडिंग तक रेल संचार को भग करना और उत्तरी कछार के पहाड़ी जिलों को सड़क संचार से जोड़ना ।

9. असम के मानचित्रों से कछार जिले को हटाना और जनसंख्या का आदान प्रदान करके असम में बंगाली जनसंख्या को वहां बसाना ।

10. लुमडिंग को सभी दिशाओं से अलग-थलग करना ।

11. असम मुस्लिमो का धर्म के नाम पर बंगला देशी मुस्लिमों के साथ संबंध विच्छेद करना ।

12. बंगला देश के मुस्लिमों को असम को मुस्लिम राज्य बनाने का विचार त्याग देना चाहिए । उन्हें हाल ही में अलीगढ़, जमशेदपुर, नादिया आदि में हुए दंगों और उनके विरुद्ध आर० एस० एस० की गतिविधियों को नहीं भूलना चाहिए ।

13. बंगाली हिन्दुओं को असम को वृहत्तर बंगला बनाने का विचार त्याग देना चाहिए ।

14. बंगाली, राजनितिज्ञों (हिन्दुओं और मुस्लिमों) को कोई चुनाव लड़ने नहीं दिया जाय ।

15. राज्य सरकार में बंगालियों की भर्ती रोकी जाय ।

16. रेलवे, बैंकों, जीवन बीमा, डाक और तार, चाय उद्योग, ओ० एन० जी०, सी० ए० जी० निजी उद्यमों आदि से बंगाली कमचारियों को हटाया जाना चाहिए ।

17. विश्वविद्यालयों, कालेजों सभी शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ रहे बंगाली छात्रों को हटाया जाना चाहिए ।

18. बंगालियों की दुकानों से सामान खरीदना और बंगालियों को आवश्यक वस्तुओं को बेचना बंद करना ।

19. धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन को अस्तव्यस्त करना ।

20. पुराने आबदकारों को अस्तव्यस्त न किया जाए ।

21. उन्हें बिक्री केन्द्रों, सिनेमा-घरों, बस स्टैन्डों, रेलवे प्लेटफार्मों में खेलों में अस्त व्यस्त किया जाय ।

22. कलकत्ता के समाचार पत्रों को असम में परिचालित न होने दिया जाय ।

23. असम सिनेमा घरों में बंगाली फिल्मों को प्रदर्शित न करने दिया जाय ।

24. असम पुलिस कार्मिकों को सरकार, रेलवे, पुलिस बलों और रेलवे सुरक्षा बलों के पदों पर तैनात किया जाय ।

25. बंगाली रिहायशी क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों, शहरों, बंगलादेश, नागालैंड, मेघालय और अरूणाचल प्रदेश सीमाओं पर असम पुलिस कार्मिकों को तैनात किया जाय ।

26. ब्रह्मपुत्र घाटी में सेवारत बंगाली कर्मचारियों को बदले में कछार जिले में सेवारत सभी असम के कर्मचारियों को तैनात किया जाय ।

27. असम पुलिस बल और अन्य सरकारी सेवाओं में बंगालियों की भर्ती तुरन्त रोक दी जाय ।

28. सभी अनधिकृत कार्मिकों और निर्माणों को हटाया जाय और गिराया जाय ।

29. चाय, कोयला, प्लाईवुड, तेल, कच्चे तेल, जूट और अन्य स्रोतों के प्रबन्ध को राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना चाहिए और बाजार यहां से नियंत्रित होना चाहिए ।

30. विदेशी हिन्दुओं को ढाकी पुलिस चौकी (मेघालय) से और मुस्लिमों को गोलकगंज पुलिस चौकी से पीछे धकेला जाय ।

31. स्थानीय लोगों को व्यापार, ठेका और फैक्टिरियों, मिलों और उद्योगों आदि में मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए।

32. सभी कुटीर उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए।

33. महिलाओं और पुरुषों को अपने पारम्परिक वस्त्र पहनने चाहिए।

34. हमें, थाई-बुद्ध अनुयायी सांस्कृतिक समिति के साथ मैत्री बढ़ानी चाहिए।

35. हमें कलकत्ता और नई दिल्ली को बता देना चाहिए कि हमें अपने जीवन की अत्यन्त आवश्यकता के लिए तुमसे केवल नमक की जरूरत है और तुम्हें हमसे चाय, कोयला, कच्चा तेल, प्लाईवुड, जूट आदि चाहिए। हमें उन्हें यह बता देना चाहिए कि "असम के लोग संसार में अकेले नहीं हैं"।

इम्फाल में हिंसा

427. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :
श्री के० मालन्ना :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इम्फाल में विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच हिंसात्मक घटनायें हुई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कर्फ्यू लगे तथा सेना द्वारा नियंत्रित राजधानी नगर को छोड़कर हजारों स्त्री-पुरुष तथा बच्चे या तो चले गए अथवा चले जा रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिये तथा राज्य में स्थिति को और अधिक बिगड़ने से रोकने हेतु, मनीपुर के मुख्य मंत्री से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) से (ग) 27 अप्रैल, 1980 को इम्फाल में खवई बाजार में एक मणिपुरी महिला मारी गई थी और दो अन्य घायल हो गई थी, जब केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के एक जवान की राइफल संयोगवश चल गई थी। घटना के बाद जो तनाव हो गया था, उसे समाज विरोधी तत्वों ने बढ़ा दिया, जिन्होंने गैर-मणिपुरियों की दुकानों पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। ग्रेटर इम्फाल क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया था। बदमाशों ने गैर-मणिपुरियों के 250 मकानों/झोपड़ियों को आग लगा दी। अनिवार्य वस्तुओं से लदे 15 ट्रकों का बदमाशों द्वारा हाई जैक कर लिया गया था। दो हाई जैक कर्ता पुलिस गश्त को देखकर बचकर भागते हुए संयोगवश डूब गये थे। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित आंकड़ों के अनुसार 18 वाहनों को आग लगा ई गई और 7 गैर-मणिपुरियों को मामूली चोंटे आई।

आन्तरिक गांवों में रहने वाले गैर-मणिपुरी अपने मकान छोड़ गये और इम्फाल में राहत शिविरों में शरण ली। कुछ ने राज्य भी छोड़ दिया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए मणिपुर पुलिस, मणिपुर राइफल्स, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और असम राइफल्स तैनात की गई थी। सेना को भी सतर्क किया गया था। मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में शान्ति समिति बनाई गई थी और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मंत्री की हत्या का प्रयास

428. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 14 अप्रैल, 1980 को संसद भवन के लान में बड़ोदा के एक व्यक्ति ने प्रधान मंत्री की हत्या का असफल प्रयास किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उस घटना संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 14 अप्रैल, 1980 को भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसद भवन सम्पदा में डा० अम्बेदकर की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित एक समारोह में भाग लिया था । प्रातः लगभग 9-45 बजे जब प्रधान-मंत्री समारोह के बाद अपनी कार की ओर जा रही थी, तो एक व्यक्ति ने, जिसकी बाद में श्री राम बुलचन्द लालवानी पुत्र श्री बुलचन्द निवासी प्रताप बंगला, वार्ड रोड, बडौदा के रूप में शिनाख्त की गई, प्रधान मंत्री की ओर एक वस्तु फैंकी, जो उनको नहीं लगी बल्कि जमीन पर उनके पास गिर पड़ी । श्री राम बुलचन्द लालवानी को तुरन्त काबू में कर लिया गया । यह मालूम हुआ कि वह वस्तु स्प्रिंग से चलने वाला 10 सें० मी० धार का चाकू है । श्री गोपी राम गुप्त, वाच एंड वार्ड आफिसर, संसद भवन की रिपोर्ट पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/80 के अधीन एफ० आई० आर० सं० 215 दिनांक 14 अप्रैल, 1980 के तहत थाना संसद मार्ग में एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल स्थानीय पुलिस द्वारा शुरू की गई ।

नारीयल जटा और उससे बनने वाले उत्पादन के राष्ट्रीय-करण के संबंध में अभ्यावेदन

429. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को नारीयल जटा और उससे बनने वाले पदार्थों के निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में इस उद्योग के कर्मचारियों से कोई अभ्यावदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना): (क) जी हां ।

(ख) केयर बोर्ड तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके मामले की जांच की जा रही है ।

नई दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

430. **श्री ई० बालानन्दन :**

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों से नई दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) :.(क) जी नहीं, श्रीमान । गत (3) महीनों अर्थात् 1-2-80 में 30-4-80 तक और 1979 के समकालीन अवधि के तुलनात्मक आंकड़े जो नीचे दिए गए हैं, राजधानी में अपराधों में निश्चित कमी दिखाते हैं :—

अपराध शीर्ष	1-2-79 से 30-4-79-तक	1-2-80 से 30-4-80 तक
डकैती	24	12
हत्या और हत्या का प्रयास	122	117
लूटमार	162	89
दंगे	80	43
जंजीर छीनना	57	40
चोट पहुंचाना	501	472
सेंधमारी	695	604
चोरी	5,956	5,535
विविध भा० दं० प्र० सं०	2,744	2,500
कुल भा० दं० प्र० सं०	10,341	9,412

तथाकथित अवधि के लिए जिला वार ब्यौरे का विवरण संलग्न है ।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(i) वाकी-टाकी सैटों सहित सशस्त्र और वायरलैस युक्त मोटर साईकिल की गश्त सहित गहन पैदल और चलती-फिरती गश्त शुरू की गई है। रात्रि गश्त के लिए जिलों को डी० ए० पी०/सी० आर० पी० एफ० की 10 अतिरिक्त वटालियनें उपलब्ध करायी गयी है और एक अतिरिक्त सी० आर० पी० एफ० की वटालियन भी इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराई गई है। गश्त की निगरानी स्वयं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(ii) निवारक उपायों के रूप में सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियों की तैनाती।

(iii) रात्रि और प्रातः तड़के की गश्त के लिए लगभग 2000 होम-गार्डों को पुलिस के साथ लगाया गया है। पार्कों और आरक्षित रिहायशी कालोनियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

(iv) दंड प्रक्रिया संहिता की सामान्य निवारक धाराओं के अन्तर्गत वदमाशों और अपराधियों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई।

(v) अपराध करने के लिए प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों का पता लगाने के लिए अकस्मात जांच की जा रही है।

(vi) टिकरी पहरा और स्थानीय लोगों और निजी चौकीदारों द्वारा पुलिस और टुकड़ियों के समन्वय से गश्त।

(vii) कुछ आश्रित वस्तियों में नियमित आधार पर पुलिस चौकियों की स्थापना की स्वीकृति होने तक अस्थाई पुलिस चौकियों की स्थापना।

(viii) डकैतों, मोटर वाहन उठाईगिरों, लूटमार करने वालों, जंजीर खींचने वालों, जेव कतरों, महिलाओं के साथ छेड़खानी करने वालों और अन्य वदमाशों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दस्ते द्वारा आसूचना एकत्र करके सतत अभियान चलाना।

(ix) वस्तियों के निवासियों के साथ पुलिस उप-आयुक्तों/सहायक आयुक्तों की उठाए गए कदमों को उन्हें वताने और उनके सुझाव लेने के लिए वैठकें।

(x) महिलाओं के साथ छेड़खानी के अपराधों को रोकने के लिए महिला कालेजों के प्रतिनिधियों के साथ वैठकें करना।

विवरण

माह फरवरी 1980 से अप्रैल, 1980 तक और 1979 के उसी समकालीन अवधि के अपराध आंकड़ों का जिलावार व्योरा

अपराध शीर्ष	जिला	1-2-79 से 30-4-79 तक	1-2-80 से 30-4-80 तक	कमी/वृद्धि
डकैती	उत्तरी	11	1	कमी
	पूर्वी	2	3	वृद्धि
	केन्द्रीय	3	1	कमी
	पश्चिमी	..	1	वृद्धि
	नई दिल्ली	2	2	..
	दक्षिणी	6	4	कमी
	पालम	..	..	..
	अपराध और रेलवे	..	..	..
	कुल	24	12	कमी
हत्या और हत्या का प्रयास	उत्तरी	32	33	वृद्धि
	पूर्वी	20	27	वृद्धि
	केन्द्रीय	21	11	कमी
	पश्चिमी	19	20	वृद्धि
	नई दिल्ली	3	8	वृद्धि
	दक्षिणी	22	17	कमी
	पालम	..	..	..
	अपराध और रेलवे	5	1	कमी
	कुल	122	117	कमी

विवरण—जारी

अपराध शीर्ष	जिला	1-2-79 से 30-4-79 तक	1-2-80 से 30-4-80 तक	कमी/वृद्धि
लूटमार	उत्तरी	55	25	कमी
	पूर्वी	14	10	कमी
	केन्द्रीय	19	14	कमी
	पश्चिमी	19	11	कमी
	नई दिल्ली	15	3	कमी
	दक्षिणी	37	20	कमी
	पालम	..	..	..
	अपराध और रेलवे	3	6	वृद्धि
	कुल	162	89	कमी
दंगे	उत्तरी	26	15	कमी
	पूर्वी	12	7	कमी
	केन्द्रीय	13	6	कमी
	पश्चिमी	8	3	कमी
	नई दिल्ली	5	1	कमी
	दक्षिणी	16	10	कमी
	पालम	..	..	..
	अपराध और रेलवे	..	1	वृद्धि
	कुल	80	43	कमी
जंजीर छीनना	उत्तरी	18	6	कमी
	पूर्वी	1	2	वृद्धि
	केन्द्रीय	10	9	कमी
	पश्चिमी	10	4	कमी
	नई दिल्ली	7	7	..
	दक्षिणी	7	10	वृद्धि
	पालम	..	..	..
	अपराध और रेलवे	4	2	कमी
	कुल	57	40	कमी
चोट पहुंचाना	उत्तरी	140	133	कमी
	पूर्वी	82	75	कमी
	केन्द्रीय	100	104	वृद्धि
	पश्चिमी	84	66	कमी
	नई दिल्ली	12	9	कमी
	दक्षिणी	82	79	कमी
	पालम	..	..	..
	अपराध और रेलवे	1	6	वृद्धि
	कुल	501	472	कमी
सेंधमारी	उत्तरी	184	124	कमी
	पूर्वी	154	136	कमी
	केन्द्रीय	55	57	वृद्धि
	पश्चिमी	118	106	कमी

विवरण—जारी

अपराध शीर्ष	जिला	1-2-79 से 30-4-79 तक	1-2-80 से 30-4-80 तक	कमी/वृद्धि
	नई दिल्ली	37	52	वृद्धि
	दक्षिणी	147	129	कमी
	पालम	..	..	..
	अपराध और रेलवे	..	..	..
	कुल	695	604	कमी
चोरी	उत्तरी	1,599	1,369	कमी
	पूर्वी	518	405	कमी
	केन्द्रीय	964	792	कमी
	पश्चिमी	669	598	कमी
	नई दिल्ली	117	725	वृद्धि
	दक्षिणी	1,398	1,404	वृद्धि
	पालम	24	16	कमी
	अपराध और रेलवे	167	126	वृद्धि
	कुल	5,956	5,535	कमी
विविध भा० दं० प्र० सं०	उत्तरी	793	675	कमी
	पूर्वी	330	271	कमी
	केन्द्रीय	403	399	कमी
	पश्चिमी	331	281	कमी
	नई दिल्ली	295	251	कमी
	दक्षिणी	564	575	वृद्धि
	पालम	6	9	वृद्धि
	अपराध और रेलवे	22	39	वृद्धि
	कुल	2,744	2,500	कमी
कुल भा० दं० प्र० सं०	उत्तरी	2,858	2,381	कमी
	पूर्वी	1,133	926	कमी
	केन्द्रीय	1,588	1,393	कमी
	पश्चिमी	1,258	1,090	कमी
	नई दिल्ली	993	1,058	वृद्धि
	दक्षिणी	2,279	2,248	कमी
	पालम	30	25	कमी
	अपराध और रेलवे	202	281	वृद्धि
	कुल	10,341	9,412	कमी

देश में एक अन्य परमाणु संयंत्र की स्थापना

431 **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में एक अन्य परमाणु संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) तथा (ख) जी, हां । पश्चिमी क्षेत्र में एक और परमाणु बिजलीघर लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

मेघालय में सशस्त्र पुलिस और सीमा सुरक्षा बल अथवा होम गार्ड की अतिरिक्त बटालियन का बनाया जाना

432. **श्री पी० ए० संगमा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेघालय सरकार ने राज्य में सशस्त्र पुलिस की एक अतिरिक्त बटालियन और सीमा सुरक्षा बल अथवा होम गार्ड की दो बटालियन बनाए जाने के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) राज्य सरकार ने एक अतिरिक्त राज्य सशस्त्र पुलिस बटालियन और होम गार्ड की सीमा स्कंध की दो बटालियन बनाने के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता के लिये प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री द्वारा आसाम का दौरा

433. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने हाल ही में विदेशी राष्ट्रिकों के मामले पर आसाम का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त दौरे से क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। प्रधान मंत्री ने 12 अप्रैल, 1980 को आसाम का दौरा किया। अनेक संगठनों/ग्रुपों और व्यक्तियों से प्रधानमंत्री से भेंट की और उन्होंने अपने दृष्टिकोण स्पष्ट किए। प्रधान मंत्री ने आन्दोलनकारियों को आन्दोलन समाप्त करने की सलाह दी ताकि सभी संबंधितों को मान संतोषजनक हल निकाला जा सके और कार्यान्वियत किया जा सके। फिर भी आन्दोलन जारी है।

आसाम से विदेशी नागरिकों का निकाला जाना

434. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम राज्य से विदेशी नागरिकों को निकाल कर अन्य राज्यों में भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो आसाम राज्य में विदेशी नागरिकों की संख्या और ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) तथा (ख) विदेशी नागरिकों का पता लगाना एक निरंतर कार्य है। 1952 से अगस्त, 1979 तक असम में कुल 3,71,861 घुसपैठियों का पता लगाया गया जिनमें से 3,10,870 को निकाला जा चुका है।

सीमेंट की कमी

435. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1980 से देश में सीमेंट की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) जनवरी, 1980 से सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों को सीमेंट का कितना त्रैमासिक कोटा दिया गया है ; और

(घ) इसी अवधि में, अर्थात जनवरी, 1980 में देश में सीमेंट का कितना उत्पादन हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) देश में पिछले कुछ वर्षों से सीमेंट की कमी चल रही है। क्षमता का अधिकाधिक उपयोग कर तथा सीमेंट को आयात करके सीमेंट की उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों के बावजूद भी मांग को पूर्णतया पूरा करना अभी संभव नहीं हुआ है।

(ग) वर्ष की पहली दो तिमाहियों (जनवरी–जून, 1980) में राज्यों को निर्धारित तथा नियत किया गया बुनियादी तिमाही आवंटन 70.50 लाख मी० टन था।

(घ) चालू वर्ष के पहले पांच महीनों में, अर्थात मई, 1980 के अन्त तक 69.81 लाख मी० टन सीमेंट का उत्पादन हुआ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध केंद्रिय जांच ब्यूरो के मामले

426. श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय जांच ब्यूरो ने वर्ष 1979 तथा 1980 के दौरान प्रत्येक तिमाही सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के लिये कितने मामले भेजे जिनमें राजपत्रित अधिकारी भी अन्तर्ग्रस्त हैं ; उनमें से कितने व्यक्तियों को दण्डित कराया और अदालती कार्यवाही के लिये भेजे गये कितने मामले में आरोपित व्यक्ति छूट गये ; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये क्या कड़े उपाय किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार केन्द्रीय सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को समाप्त किए जाने की आवश्यकता के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है । भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकना एक निरन्तर प्रक्रिया है । इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर उचित समझे जाने वाले प्रशासनिक, संगठनात्मक, विधायी, प्रक्रियात्मक जैसे तथा अन्य उपाय किए जाते रहते हैं । भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को 1947 में कानून की पुस्तक में शामिल किया गया । भ्रष्टाचार निवारण के संबद्ध संथानम समिति का गठन 1962 में किया गया जिसके विचारणीय विषय व्यापक थे, जिनके अन्तर्गत इस समस्या के लगभग सभी पहलू आ जाते हैं । इस समिति द्वारा की गई अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं तथा आवश्यक कानूनी और प्रशासनिक उपाय किए गए हैं । केन्द्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था कि प्रशासन में भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई करने में कार्यकारी निर्णय पर कोई बाहरी प्रभाव न पड़ सके । भ्रष्टाचार के मामलों की शीघ्र तथा पूर्ण जांच को सुनिश्चित करने के लिए एक विशिष्ट अन्वेषण अभिकरण (एजेंसी) अर्थात केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी उपलब्ध है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो वार्षिक रूप से सतर्कता तथा भ्रष्टाचार निरोधक एक कार्यक्रम बनाती है, जिसमें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के सहयोग से चुने गए विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सम्मिलित कार्रवाई पर विचार किया जाता है । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने वर्षों से बड़ी संख्या में मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं तथा जहां अभियोजन आवश्यक हुआ न्यायालय में उन पर अभियोग चलाया गया अथवा उन मामलों को नियमित विभागीय कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया । न्यायालय में अभियोजित मामलों में दोष सिद्धियों तथा नियमित विभागीय कार्रवाईयों की प्रतिशतताएं काफी रही हैं ।

विवरण

वर्ष	अदालती कार्यवाही के लिए भेजे गए मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राजपत्रित अधिकारियों की संख्या	उन मामलों की कुल संख्या जिनमें तिमाही के दौरान दोषी व्यक्तियों को दण्डित कराया गया	उन मामलों की कुल संख्या जिनमें सरकारी कर्मचारियों को दोष मुक्त कर दिया गया
1	2	3	4	5
1979—				
पहली तिमाही	79	29	70	9
दूसरी तिमाही	76	31	58	13
तीसरी तिमाही	90	30	73	
चौथी तिमाही	90	30	61	22
1980—				
पहली तिमाही	70	25	62	9

टिप्पणी : यह आवश्यक नहीं है कि कालम संख्या 4 तथा 5 में दिए गए मामले आवश्यक कालम संख्या 2 तथा 3 में उल्लिखित मामले हों—क्योंकि आरोप लगाए गए मामलों में अदालती कार्रवाई शुरू करने में काफी समय लग जाता है।

गन फैक्ट्री का पता चलना

437. श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि एक "गन" फैक्टरी का पता चला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाणा) : (क) और (ख) बिहार सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटलपर रखा दिया जाएगा।

सहकारिता तथा प्रौद्योगिकी के लिये भारत-इटली करार

438. श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लूरी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1980 में भारत और इटली के बीच सहकारिता तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम सम्बन्धी किसी करार पर हस्ताक्षर किये गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री० सी० पी० एन० सिंह) : (क) भारत और इटली के बीच 1980 से 1982 तक के वर्षों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग के एक कार्यक्रम पर 29 अप्रैल, 1980 को नई दिल्ली म हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम 1978 में सम्पन्न किए गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर दोनों देशों की सरकारों के बीच करार के अनुसरण में हैं ।

(ख) इस कार्यक्रम में ऐसे क्षेत्रों का अभिनिर्धारण किया गया है जिनमें भारत और इटली सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाएंगे । ये क्षेत्र हैं : पालिमर अनुसंधान, भूकम्प विज्ञान और भूकम्प इंजीनियरी, आटोमोटिव (यांत्रिक) इंजन जलविज्ञान और जल स्रोत प्रबन्ध, सौर ऊर्जा, धातु चूर्ण विज्ञान, जैव विज्ञान और जव रसायन, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, दूर संचार अनुसंधान, जैव इंजीनियरी, दूर सम्वेदन और कम्प्यूटर विज्ञान । भारत और इटली में जो संस्थाएं इस सहयोग में भाग लेंगी इनमें से कई क्षेत्रों में उनका अभिनिर्धारण भी कर लिया गया है ।

वेस्ट बंगाल स्कूटर्स में उत्पादन तथा निवेश

439. श्री नारायण चौबे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निमपुरा, खड़गपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में स्थित वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लि० में उत्पादन कब आरम्भ हुआ ;

(ख) उसका वर्षवार उत्पादन लक्ष्य क्या था और वर्षवार वास्तव में उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) कम्पनी में सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा कितना निवेश किया गया ;

(घ) क्या इसके उत्पादन में गतिरोध उत्पन्न हो गया है अथवा इसमें भारी कमी हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) से (ङ) वेस्ट बंगाल स्कूटर्स लिमिटेड पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त क्षेत्र की परियोजना है । केन्द्रीय सरकार ने इस यूनिट में कोई निवेश नहीं किया है । कम्पनी की लाइसेंस प्राप्त क्षमता प्रति वर्ष 30,000 स्कूटरों की है । यह बताया गया है कि कंपनी ने 1976 में 7 स्कूटरों तथा 1977-78 में 610 स्कूटरों का उत्पादन किया/असेंबल किया। उसके पश्चात् उत्पादन की सूचना नहीं दी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

440. श्री हरिनाथ मिश्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का स्वतंत्रता सेनानियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है तथा कब से ;

(ग) स्वतंत्रता से नानियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार का पूरे देश में एक समान नीति लागू करने का विचार है,

(ङ) क्या किसी अन्य स्रोत से इससे 5,000 रु० अथवा अधिक की प्रतिवर्ष आय वाले स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन नहीं दी गई है ; और

(च) यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाणा): (क) और (ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

(ग) स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा के राज्यवार ब्यौरे के विषय में संक्षिप्त ब्यौरों का एक विवरण संलग्न है ।

(घ) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) और (च) केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन योजना, 1972 में ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने का प्रावधान है जो दीन हीन स्थिति में हैं और जो अपना निर्वाह कठिनाई से करते हैं। इसलिए वार्षिक आय की सीमा लगाई गई है ताकि सरकार के पास उपलब्ध सीमित स्रोतों से अधिसंख्य गरीब और जरूरतमंद स्वतंत्रता सेनानियों की मदद की जा सके ।

विवरण

क्र० संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	संक्षिप्त ब्यौरा
1	आंध्र प्रदेश	सरकारी अस्पतालों में उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों जो पेंशन प्राप्त कर रहे हों और उनकी पत्नियों को विधान सभा सदस्यों के समान निःशुल्क चिकित्सा उपचार और आवास दिया जाता है ।
2	असम	पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाती है लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को नहीं ।
3	बिहार	पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सैनानियों और उनकी पत्नीयों को निशुल्क चिकित्सा सहायता ।
4	गुजरात	राज्य, पंचायतों, म्युनिसिपालिटियों और निगमों द्वारा संचालित डिस्पैंसरियों और अस्पतालों में स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाता है और उनके परिवार के सदस्यो को वहिरंग रोगियों के रुपसे निःशुल्क चिकित्सा दी जाती है । स्वतंत्रता सेनानी जिनकी मासिक आय 500 रु०से कम है राज्य सरकार के अस्पतालों में राज्य और पंचायत कर्मचारियों के समान 50% भुगतान करके विशेष कक्ष सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं ।
5	हरियाणा	केंद्र/राज्य पेंशन प्राप्त करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती हैं ।
6	हिमाचल प्रदेश	पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार के अस्पतालों में (पंजाब पद्धति के अनुसार) निःशुल्क चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाता है । यह सुविधा ताम्रपत्र प्राप्त करने वालों पर भी लागू है ।
7	जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ।
8	केरल	300 रु० तक मासिक आय वाले सभी व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है । स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को अलग से विस्तृत चिकित्सा सहायता देने की कोई योजना नहीं है ।
9	कर्नाटक	स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी पत्नियों और उनके अल्प-वयस्क आश्रित बच्चों को इस शर्त पर निःशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाता है कि स्वतंत्रता सेनानी की मासिक आय 300 रु० प्रति माह से अधिक न हो ।
10	मध्य प्रदेश	स्वतंत्रता सेनानियों, उनकी पत्नियों, आश्रित माता, पिता और 18 साल से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाता है ।
11	महाराष्ट्र	स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी अस्पतालों में उनकी आय सीमा को महत्व न देते हुए निःशुल्क चिकित्सा उपचार दिया जाता है ।
12	मणिपुर	राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों और राजनैतिक पीड़ितों को सामान्य वार्डों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है ।

विवरण–जारी

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन का नाम	संक्षिप्त ब्यौरा
13	मेघालय	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।
14	नागालैंड	नागालैंड सरकार, राज्य में सभी लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराती है।
15	उड़ीसा	निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं केवल उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों और राजनैतिक पीड़ितों को दी जाती हैं जो केंद्र सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य इन सुविधाओं को प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं ।
16	पंजाब	उन स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रित को जिनकी मासिक आय सभी स्त्रोतों से 500 रु० प्रतिमाह से अधिक नहीं है, राज्य अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपचार उपलब्ध कराया जाता है ।
17	राजस्थान	स्वतंत्रता सेनानियों को अपने और अपनी पत्नि के उपचार के लिए कुल 1000 रु०की राशि का नगद अनुदान किया जाता है । पात्र मामलों में उनके उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में सभी संभव सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा अलग और विशिष्ट आदेश जारी किए जाते हैं । अस्पताल में उपलब्ध दवाइयां आम जनता को भी निःशुल्क दी जाती हैं और स्वतंत्रता-सेनानी भी इस सुविधा का लाभ उठाते हैं ।
18	सिक्किम	सिक्किम राज्य में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है ।
19	तमिलनाडु	केन्द्र/राज्य पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता-सेनानियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
20	त्रिपुरा	मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।
21	उत्तर प्रदेश	राज्य सरकार के श्रेणी 1 के अधिकारियों के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा-उपचार दिया जाता है ।
22	पश्चिम बंगाल	राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्र/राज्य पेंशन स्वीकृत की गई है उन्हें राज्य अस्पतालों में उच्च प्राथमिकता आधार पर निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराने के प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।
संघ शासित क्षेत्र प्रशासन		
1	अंडमान और निकोबार	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों सहित सभी को निःशुल्क चिकित्सा सहायता/उपचार उपलब्ध कराया जाता है ।
2	अरुणाचल प्रदेश	संघ शासित क्षेत्र में सभी को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाती है ।
3	चंदीगढ़	उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्हें या तो पेंशन स्वीकृत की गई है या ताम्र पत्र दिए गए हैं, उन्हें और उनके आश्रितों को आय अन्य मामले के विषय में किसी शर्त के बिना ही निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाती है ।
4	दादरा और नगर हवेली	स्वतंत्रता सैनानी और उनके परिवार निःशुल्क चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे हैं ।
5	दिल्ली	मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।
6	गोवा, दमण और दीव	आय और अन्य मामलों के विषय में किसी शर्त के बिना ही स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
7	लक्षद्वीप	संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप में कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं है ।
8	मिजोरम	पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता दी जाती है और सामान्य रूप से उनके परिवारों को सहायता नहीं दी जाती है ।
9	पांडिचेरी	केन्द्र सरकार और पांडिचेरी सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को भी संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी में निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।

अल्प संख्यक आयोग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आयोग को सांविधिक दर्जा

441. श्री रामावतार शास्त्री :
श्री मधु दंडवते:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अल्प संख्यक आयोग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को सांविधिक दर्जा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय कब तक ले लेगी;

(ग) क्या यह सच है कि इन आयोगों के सदस्यों ने अपने त्यागपत्र दे दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन आयोगों को कब तक पुनर्गठित कर दिया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाणा) : (क) और (ख) मामला अभी सरकार के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

(ग) अध्यक्ष के अतिरिक्त अल्पसंख्यक आयोग के 4 अन्य सदस्य हैं। 4 सदस्यों में से प्रो०वी०वी० जोन और डा० (कु०) ए० जे० दस्तूर ने आयोग से अपने त्यागपत्र दिए थे जिनको 21 अप्रैल, 1980 (अपराह्न) से स्वीकृत कर लिया गया था।

केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र भेजा था किन्तु उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इसके लिए जोर न दें।

(घ) सरकार को इस मामले पर अभी विचार करना है।

चटगांव शस्त्रागार कांड की स्वर्ण जयंती मनाया जाना

442. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष समूचे देश में चटगांव शस्त्रागार कांड की स्वर्ण जयन्ती अत्यधिक उत्साहपूर्वक मनाई गई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त कांड के जीवित वीरों ने उपरोक्त कांड के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु बंगलादेश स्थित चटगांव जाने की इच्छा व्यक्त की थी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) जीवित वीरों द्वारा बंगलादेश स्थित चटगांव की यात्रा के लिए प्रस्ताव विदेश मंत्रालय के विचाराधीन है जिनसे चटगांव विद्रोह राष्ट्रीय स्वर्ण जयन्ती समिति द्वारा इस संबंध में अनुरोध किया गया है।

सरकारी क्षेत्रों के वास्तविक आवंटन में कटौती

443. श्री छीतूभाई गामित : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने कुछ सरकारी क्षेत्रों को इकाइयों को 1980-81 की वार्षिक योजना के वास्तविक आवंटन में कटौती की है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार से प्रभावित क्षेत्र और इकाइयां कौन-कौन सी हैं और इस कटौती के कारण क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

प्रधान मंत्री पर हमला करने वाले व्यक्ति को मारने का प्रयास

444. श्री छीतूभाई गामित : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की हत्या का प्रयास करने के लिए पकड़े गए व्यक्ति पर भी किसी व्यक्ति द्वारा बड़ौदा अस्पताल में हमला किया गया था;

(ख) क्या अपराधी स पूछताछ करने पर किसी विशेष पार्टी के सम्बध होने अथवा इस मामले में किसी षड़यंत्र की कोई जानकारी मिली है; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री के पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सरकार ऐसे अपराधियों को कठोर दंड देने की व्यवस्था कर रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाणा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अभी जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) ऐसे अपराधिकायों के खिलाफ देश के कानून के अधीन कार्रवाई की जाती है ।

नए योजना आयोग के सदस्य]

445. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए योजना आयोग के सदस्यों का चयन अथवा नियुक्ति अन्तिम रूप से कब तक की जाएगी;

(ख) अगली योजना का प्रारूप कब तैयार किया जाएगा; और

(ग) यह योजना विहीन स्थिति कब तक जारी रहेगी ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) योजना आयोग को निम्नलिखित रूप में पुनर्गठित किया गया है :—

(क) श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
श्री नारायण दत्त तिवारी	उपाध्यक्ष
डा० एम० एस० स्वामीनाथन	सदस्य
श्री आर० वेंकटरामन	सदस्य
श्री मोहम्मद फजल	सदस्य
डा० मनमोहन सिंह	सदस्य-सचिव

(ख) और (ग) योजना आयोग ने प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में 21 अप्रैल, 1980 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया कि नई पंचवर्षीय योजना 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि के लिए होगी । यह योजना प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के उद्देश्य से तैयार की जा रही है । वृद्धि की और अधिक उच्च दर प्राप्त करने की संभावनाओं की जांच की जाएगी । कोई योजना विहीन स्थिति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

आसाम तथा अन्य स्थानों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा व्यक्त चिंता

446. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आसाम तथा अन्य स्थानों पर कानूत और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) हाल ही में तिनसुखिया उपद्रवों में कितने बंगाली तथा बिहारी मारे गये; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेंद्र मकवाणा) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेशियों के मामले पर चालू आन्दोलन के परिणामस्वरूप असम में अल्पसंख्यकों के "उत्पीड़न" पर चिन्ता व्यक्त की है ।

(ख) 16-20 मई, 1980 को तिनसुखिया (जिला डिब्रूगढ़) में असमियों और बंगालियों के बीच झड़पों में चार बंगाली और एक बिहारी मारा गया था ।

(ग) सुरक्षा प्रदान करने के सभी आवश्यक उपाय किए गए थे जिनमें अतिरिक्त पुलिस/अर्ध सैनिक बल की तैनाती और कर्फ्यू आदि लगाना शामिल थे । एस० डी० ओ० और अतिरिक्त एस० पी० को भी ड्यूटी पर की लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था ।

गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये नौकरियों में कोटा

447. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के लिए नौकरियों में कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) और (ख) जहां तक उद्योग में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के आरक्षण का प्रश्न है निजी उद्योग क्षेत्र में अनिवार्यतः आरक्षण करने के लिये काननी व्यवस्था करना संभव नहीं पाया गया है। सरकारी क्षेत्र में तो आरक्षण विद्यमान है ही।

फिर भी निजी क्षेत्र से आग्रहपूर्वक कहा गया है कि निजी उद्योग क्षेत्र में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के सदस्यों के लिये विधिवत् रोजगार के भाग का दिया जाना वांछनीय ही होगा । सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है ताकि औद्योगिक निजी क्षेत्र द्वारा भी एक स्वैच्छिक आधार पर व्यापार स्वयं उद्योग में आरक्षण किया जाये ।

राष्ट्रीय कैडेट कोर और उस पर हुआ व्यय

448. **श्री मूल चंद डागा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश मे इस समय राष्ट्रीय कैडेट कोर की कुल कितनी शाखायें हैं और इसमें कुल कितने कैडेट हैं और वर्ष 1978-79 के दौरान इस पर कितना व्यय हुआ है;

(ख) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर की उपयोगिता को उचित ठहराने के लिए सरकार द्वारा कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) इस समय विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कैडेट कोर के 16 निदेशालय हैं जिनके अधीन 90 ग्रुप मुख्यालय हैं और इन मुख्यालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में 755 यूनिटें हैं। ये यूनिटें 9467 शैक्षिक संस्थानों में काम कर रही हैं। 30-11-1979 को राष्ट्रीय कैडेट कोर में कुल 10,01,531 कैडेट थे जबकि इसकी स्वीकृत संख्या 11 लाख थी। वर्ष 1978-79 के दौरान केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के बजट में 310.55 लाख रुपये की राशि खर्च की । इस राशि में राष्ट्रीय कैडेट कोर में नियुक्त सैनिक अफसरों और प्रशिक्षण कर्मचारियों के वेतन और भत्तों, राष्ट्रीय कैडेट कोर महानिदेशालय, एन० सी० सी० निदेशालयों और एन० सी० सी० प्रशिक्षिण स्थापनाओं से संबंधित स्थापना प्रभार, परिवहन व्यवस्था, उपस्कर, हथियारों, अभ्यास के गोला बारूद और वस्त्रों आदि जैसी मदों पर होने वाला व्यय शामिल नहीं है । इन पर होने वाले व्यय को लेखों के संबंधित सेवा शीर्षों में डाला जाता है। इस व्यय में राज्य सरकारों द्वारा एन० सी० सी० पर किया गया खर्च भी शामिल नहीं है।

(ख) और (ग) एन० सी० सी० के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है और उस कार्यान्वित किया जा रहा है । राज्य सरकारों से सलाह करके इस पाठ्यक्रम की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है उस में संशोधन भी किया जाता है ताकि युवकों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके ।

जम्मू और काश्मीर में सीमेंट की कमी

449. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में सीमेंट की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य को चालू वर्ष के दौरान केवल 1.21 लाख टन सीमेंट आवंटित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों की तुलना में इस राज्य के लिए सीमेंट का बहुत कम कोटा निर्धारित किया गया था;

(घ) राज्य सरकार की सीमेंट की कुल कितनी मांग थी,

(ङ) गत वर्ष के दौरान राज्य सरकार को सीमेंट का कुल कितना कोटा आवंटित किया गया था और राज्य को कितना कोटा वास्तव में सप्लाई किया गया;

(च) क्या सरकार इस राज्य की मांग पूरी करने और चालू वर्ष के दौरान इसकी अधिक सप्लाई की व्यवस्था करने पर सहमत हो गई है; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान राज्य को सीमेंट का कितना अतिरिक्त कोटा सप्लाई किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य सहित दश में सीमेंट की उपलब्धता मांग की अपेक्षा कम है।

(ख) 1980 के पहले 6 महीनों में राज्य को 89,200 मी० टन सीमेंट का आवंटन किया गया है।

(ग) राज्यों को सीमेंट का तिमाही आंवटन पिछली खपत के कुछ मापदण्डों को ध्यान में रखकर निश्चित किया गया है। अतः ये आवंटन प्रत्येक राज्य के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं।

(घ) जम्मू तथा काश्मीर की राज्य सरकार ने 75,000 मी० टन सीमेंट के आवंटन के लिए अनुरोध किया है।

(ङ) वर्ष, 1979 में जम्मू तथा काश्मीर को सीमेंट के 1,96,025 मी० टन आवंटन में से 1,44,620 मी० टन सीमेंट भेजा गया था।

(च) और (छ) यद्यपि राज्यों की आवश्यकता यथासंभव अतिरिक्त आवंटन करके पूरी करने के लिए सभी प्रयास किये जाते हैं, किन्तु देश में सीमेंट के सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण, राज्यों का तिमाही आवंटन बढ़ाना अभी तक संभव नहीं हो सका है। फिर भी, राज्य की तत्कालिक आवश्यकता पूरी करने के लिए अप्रैल-जून, 1980 की चालू तिमाही में 10,000 मी० टन अतिरिक्त सीमेंट का आवंटन किया गया है।

कागज के लिये वन संसाधनों का उपयोग करने के लिये काश्मीर सरकार की अनुमति

450. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर सरकार ने कागज के निर्माण के लिए वन संसाधनों के उपयोग की अनुमति देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार की सिफारिशों पर केन्द्र ने तीन परियोजनाओं के लिये स्वीकृति दे दी है, दो जम्मू क्षेत्र के लिये और एक काश्मीर घाटी के लिए;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा; और

(घ) इन परियोजनाओं के आरम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या सहायता देगी और इन परियोजनाओं से कागज का कुल कितना उत्पादन होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) से (घ) मुलायम लकड़ी पर आधारित 10,000 मी० टन विशेष गत्ते, क्राफ्ट कागज, पैकिंग कागज, लिखाई कागज व विशेष प्रकार के कागजों का उत्पादन करने हेतु जूनकूट, श्रीनगर (जम्मू व काश्मीर) में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए आशयपत्र स्वीकृत किए जाने हेतु एक निजी उद्यमी से आवेदन प्राप्त हुआ है। पार्टी द्वारा इस उपक्रम में 2.7 करोड़ रुपए का कुल विनियोग करने की प्राक्कल्पना है, इस बारे में कोई निर्णय लिए जाने के लिए इस प्रस्ताव पर अभी राज्य सरकार के विचार प्राप्त नहीं हुए है।

दिल्ली में श्रीमती पूर्णिमा सिंह की मृत्यु

451 **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिनांक 28 मार्च, 1980 को श्रीमती पूर्णिमा सिंह की मृत्यु से संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मौके पर ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया था, अथवा बाद में, यदि हां, तो उनके नाम क्या है;

(ग) क्या उसकी मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो किसने यह जांच की और इस संबंध में किन किन व्यक्तियों से पूछताछ की गई; और

(ङ) क्या कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) 28 मार्च, 1980 को प्रातः 1.35 बजे तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के पुलिस नियंत्रण कक्ष में सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति ने सूचित किया है कि कर्जन रोड अपार्टमेंट में कोई घटना हो गई है। घटनास्थल पर पहुंचने पर ई-ब्लाक, कर्जन रोड अपार्टमेंट के एक किनारे पर एक महिला का शव पड़ा हुआ पाया गया। महिला की बाद में श्रीमती पूर्णिमा सिंह के रूप में पहचान कर दी गई जो भटिंडा के एस एस पी श्री सरबजीत सिंह की पत्नी थी। यह मालूम हुआ कि श्री दविन्दर सिंह गरछा, सांसद और श्री बलबीर सिंह, पंजाब के भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती पूर्णिमा सिंह को छोड़ने आए थे जो 812/E, कर्जन रोड अपार्टमेंट में अपनी बहन के साथ ठहरी हुई थी। जांच पड़ताल से पता चला कि श्री गरछा श्रीमती पूर्णिमा सिंह को छोड़ने 8वीं मंजिल पर गए थे जबकि श्री बलबीर सिंह कार में ही बैठे रहे। जब वे उस जगह से जा रहे थे तो उन्हें चौकीदार और पुलिस कांस्टेबल ने इस आधार पर रोका कि ई ब्लाक के नजदीक उसी समय एक महिला गिर गई और मर गई।

(ख) कोई मामला दर्ज नहीं किया गया अतः कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। सर्व श्री गरछा और बलबीर सिंह से पूछताछ के दौरान विस्तृत रूप से जांच पड़ताल की गई।

(ग) श्रौर (घ) तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा मृत्यु के कारण का पता लगाने लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अन्तर्गत कार्रवाई की गई है । कार्रवाई के दौरान निम्नलिखित व्यक्ति से पूछताछ की गई थी :—

(1) श्री सरबजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भटिंडा, मृतक के पति ।

(2) श्री (कैप्टन) गोपाल कृष्णन, मृतक के पिता ।

(3) दीपक धारनी (मृतक का भाई)

(4) दलीप धारनी (मृतक का भाई)

(5) श्रीमती चन्द्रलेखा (बहन)

(6) श्रीमती किरन (बहन)

(7) श्री शाम सिंह (बहनोई)

(8) श्री जी० एस० चावला, पारिवारिक दोस्त

(9) श्री पी० बी० बख्शी, मनोरोग सलाहकार

(10) श्री बलवीर सिंह

(11) श्री दविन्द्र सिंह गारछा (सांसद)

(12) कान्सटेबल मोहम्मद हनीफ (जो ड्यूटी पर थे)

(13) चौकीदार लाखन सिंह, छोटे लाल, उत्तम सिंह श्रौर कर्जन रोड अपार्टमेंट का भोलाराम ।

(14) इसके अतिरिक्त कर्जन रोड अपार्टमेंट पंडारा मार्किट, एन एस सी आई के 70 निवासियों से भी पूछताछ की गई ।

(ङ) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन जांच कार्रवाई के दौरान मानवघाती मृत्यु/मामलें में किसी प्रकार का गलत कार्य ध्यान में नहीं आया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट, केन्द्रीय न्यायालयिक प्रयोगशाला, चिकित्सा विशेषज्ञ के विचार श्रौर उसके निकटतम संबंधियों के बयानों को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि श्रीमती पूर्णिमा सिंह ने आत्महत्या की है, अंतिम रिपोर्ट ३१ मंडल मजिस्ट्रेट नई दिल्ली को भेज दी गई है।

वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के लिये शोध

452. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि समाप्त होते जा रहे फासिल उर्जा संसाधनों अर्थात् तेल तथा कोयले का भविष्य अंधकारमय देखते हुए, विगत विज्ञान कांग्रेस ने वैकल्पिक उर्जा उपयोगों—सौर-पानी, समुद्री लहरें तथा बायो मास कन्वर्जन की दिशा में खोज पर तुरन्त ध्यान देने की सिफारिशें की थी; श्रौर

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(ख) विज्ञान कांग्रेस की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरु करने के लिए विज्ञान श्रौर प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यबल का गठन किया गया है। सरकार ने उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है । विज्ञान श्रौर प्रौद्योगिकी विभाग पहले से ही इस क्षेत्र में एक समन्वित अनुसंधान श्रौर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है श्रौर इस कार्यक्रम को श्रौर अधिक विस्तृत किया जा रहा है।

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित प्रारूप और जनता सरकार द्वारा तैयार प्रारूप में अन्तर

453. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान छठी योजना के प्रारूप श्रौर जनता सरकार द्वारा बनाई गई योजना के प्रारूप में क्या आधारभूत अंतर है जब कि विकास की दर प्रस्तावित बहुत ही कम अंतर है जो कि पहले योजना प्रारूप में 4.7 प्रतिशत था; श्रौर वर्तमान रूप में 5 प्रतिशत रखा गया है; श्रौर

(ख) श्रौद्योगिक उत्पादन में विकास की अधिक दर का लक्ष्य रखने में क्या बाधा थी; जब कि प्रधान मंत्री ने "इन्हें श्रौर उंचा करन" को कहा है?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) योजना आयोग ने 1980-81 से 1984-85 तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के लिए 5 प्रतिशत प्रति वर्ष का लक्ष्य अस्थायी रुप में निर्धारित किया है। योजना तैयार करते समय इस वृद्धि दर को और अधिक प्रतिशत तक बढ़ाने की संभावनाओं की भी जांच की जाएगी। संसाधन बाध्यकारिता की गहनता और भुगतान शेष की संभावना में गिरावट का ध्यान में रखते हुए, 5 प्रतिशत वृद्धि दर की प्राप्ति भी कोई मामूली उपलब्धि नहीं होगी। नई योजना में ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत कार्यक्रम की व्यवस्था के भीतर कृषि उत्पादन की वृद्धि की दर को बढ़ाने पर और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने पर अत्यधिक बल दिया जाएगा। इसके साथ ही, आत्मनिर्भरता और बढ़ी हुई वृद्धि के अनुरुप, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात की तेजी से वृद्धि प्राप्त करने की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। अनवरत योजना की संकल्पना छोड़ दी गई है और नई योजना में निश्चित पांच वर्ष की अवधि रहेगी।

(ख) नई पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, औद्योगिक वृद्धि दर की अर्थ-व्यवस्था की समग्र वृद्धि दर के लक्ष्य और संसाधनों की उपलब्धता के साथ अनुरुपता के अधीन औद्योगिक वृद्धि दर के लक्ष्य को यथासंभव अधिकाधिक निर्धारित करने के लिए हर प्रयत्न किया जाएगा।

परिवहन नीति और समन्वय समिति का प्रतिवेदन

439. **श्री नारायण चन्द पराशर :**

श्री आर० के० महालगी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा गठित परिवहन नीति और समन्वय समिति ने, इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रतिवेदन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) सरकार को समिति का प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ है; और

(घ) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और आरम्भ से लेकर इसके गठन में यदि कोई परिवर्तन किये गये हैं तो वह क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) रिपोर्ट की प्रतियां संदर्भ के लिए संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं। सरकार समिति की सिफारिशों की जांच कर रही है।

(ग) मुख्य रिपोर्ट, जिस पर एक सदस्य ने बाद में दी जाने वाली एक असहमति टिप्पणी के अधीन हस्ताक्षर किए थे, सरकार को 29-3-1980 को प्राप्त हुई थी, असहमति टिप्पणी 28-4-1980 को प्राप्त हुई थी, तथा इस असहमति टिप्पणी पर अध्यक्ष और बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा विचारों की टिप्पणी 8-5-1980 को प्राप्त हुई थी।

(घ) मूल अधिसूचना में इस समिति का गठन निम्नलिखित रूप में बताया गया था :—

श्री वी० डी० पांडे	अध्यक्ष
एयर चीफ मार्शल श्री पी० सी० लाल	सदस्य
श्री जी० पी० वारीयर	सदस्य
डा० एफ० सी० अंतिया	सदस्य
डा० एम० क्यू० दलवी	सदस्य
सलाहकार (परिवहन), योजना आयोग	सदस्य-सचिव

इस अधिसूचना में अधिकतम 3 सदस्यों को सहयोजित करने के लिए भी व्यवस्था थी। जब समिति अपना काम शुरू करने वाली थी उस समय सलाहकार (परिवहन) के पद पर कोई नहीं था और सलाहकार (परिवहन) का काम योजना आयोग में संयुक्त सचिव श्री एस० पी० बागला देख रहे थे। इसलिए यह निर्णय किया गया कि श्री एस० पी० बागला को समिति का सदस्य-सचिव नामित किया जाए और सलाहकार (परिवहन) के नियुक्त होने पर उन्हें समिति द्वारा सदस्य सहयोजित किया जा सकता है। इसके अनुसार डा० वी० जी० भाटिया की योजना आयोग में सलाहकार (परिवहन) के रुप में नियुक्ति के बाद उन्हें नवम्बर, 1978 में समिति का सदस्य सहयोजित किया गया। वे अक्तूबर, 1979 में इस पद का कार्यभार छोड़ देने पर समिति के सदस्य नहीं रहे।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान क शरणार्थियों को जन्मना नागरिकता प्रदान करने के लिये विधान

455. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों को जन्मना नागरिकता प्रदान करने के लिए कोई विधान बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) नागरिकता की स्वीकृति नागरिकता अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियमित की जाती है। अतः इस विषय पर कोई नया कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

"विदेशियों" के मामले को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति

456. **श्री चित्त महाटा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में और विशेष रुप से आसाम तथा मनीपुर में "विदेशियों" के मामले को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन के संबंध में अबतक गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या कितनी है और उनकी रिहाई के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रखा दी जाएगी ।

अनुसूचित जातियों को विशेष सहायता की योजना

457. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जातियों को विशेष सहायता देने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष उपाय किये गये हैं कि इस योजना के पूरे लाभ लाभार्थियों को तुरन्त ही पहुंचें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का अनुमोदन कर दिया है । 1980-81 के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटित योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से पहले ही कह दिया गया है। इस प्रयोजन के लिए कि लाभ प्राप्तकर्ता श्रों को लाभ पहुंचे, राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता की मात्रा, उनके द्वारा तैयार की गई विशेष संघटित योजनाओं से संबंधित होगी, विशेष रुप से राज्य सरकार के प्रयासों और निष्पादन पर उनको विशेष सहायता देते समय विचार किया जाएगा । राज्यों से ऐसे कार्यक्रम बनाने तथा कार्यान्वित करने के लिए भी विशेष रुप से कहा गया है, जिनमें अनुसूचित जातियों के परिवारों उनकी पहचान, उनकी विकासात्मक जरुरतों, ज्ञात लाभग्राहियों की प्राथमिकताओं, प्रत्येक योजना/कार्यक्रम की स्थानीय विशेषता और समन्वित तथा संयुक्त नीति पर सभी आवश्यक संबंधों को सुनिश्चित करते हुये ध्यान केन्द्रित किया गया हो।

सीमेंट के उत्पादन में कमी

458. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष के पिछले दस महीनों के दौरान सीमेंट का उत्पादन 29 प्रतिशत तक हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस में हो रही कमी को रोकने के लिए कोई उपाय किये हैं; और

(घ) उक्त कमी दूर करने की दृष्टि से सरकार ने किन-किन देशों से सीमेंट का आयात करने का निर्णय किया है और इस बारे में कितनी प्रगती हुई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना) : (क) पिछले 10 महीनों जून, 1979 से मार्च, 1980 ी अवधि में पिछले वर्ष की उसी अवधि अथवा जून, 1978 से मार्च, 1979 के दौरान उत्पादन में 4.42 प्रतिशत की की गिरावट आई है ।

(ख) सीमेंट के उत्पादन में गिरावट आने के मुख्य कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लगाई गई बिजली की कटौतियां तथा सीमेंट कारखानों को कोयले का कम संभरण करना रह है।

(ग) सीमेंट उद्योग को कोयला एवं विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने के लिये प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) विगत वर्षों में, जिन प्रमुख स्त्रोतों से सीमेंट का आयात किया गया वे यह हैं :—दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, रुमानिया, पोलैंड, जापान, इन्डोनेशिया, फिलीपाइन्स, तथा वियतनाम। पिछले तीन वर्षों के दौरान किया गया आयात निम्नप्रकार है :—

1977-78	3.12	लाख मी० टन
1978-79	16.55	लाख मी० टन
1979-80	15.47	लाख मी० टन

आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन को मान्यता देना

459. **श्री अजय विश्वास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन ने केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संस्था को मान्यता दिये जाने के लियें आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे मान्यता देने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सरकार का विचार आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन को कब मान्यता देने का है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लाइज फेडरेशन से मान्यता दिए जाने के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है । राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा गठित किसी एसोसिएशन अथवा फेडरेशन आदि की मान्यता से केन्द्रीय सरकार का कोई संबंध नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० बी० की सेवा स्थितियों की जांच

460. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि आई बी के कर्मचारियों की एसोसियशन ने जिसमें 75 प्रतिशत कर्मचारी हैं, यह मांग की है कि आई बी में कर्मचारियों की सेवा स्थितियों की जांच की जाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : बताया गया है कि आसूचना ब्यूरो के कुछ कर्मचारीयों ने एक संस्था बनाई है जो एक मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है । अतः यह सत्यापन करना संभव नहीं है कि संस्था का यह दावा कि वह 75% कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है सही है । इसके गैर मान्यता प्राप्त संस्था होने के कारण इससे प्राप्त पत्रों की सरकारी स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

सेन रैले लि० के बारे में अभ्यावेदन

461. **श्री निरेन घोष** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेन रैले लि० आसनसोल के मामलों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरण जीत चानना) : (क) से (ग) मैसर्स सेन-रैले लिमिटेड तथा इनकी सहायक कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने के अभ्यावेदन मिले हैं। इस समय ये एकक उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 क के उपबन्धों के अंतर्गत केन्द्र सरकार की प्रबन्ध व्यवस्था के अधीन हैं। इन एककों की भावी स्थिति निश्चित करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

भारत को यूरेनियम सप्लाई करने के लिए अनुमति देने से न्यूक्लियर रेग्यूलेटरी कमीशन द्वारा इन्कार किया जाना

462. **श्री नन्द किशोर शर्मा** :

श्री के० मालप्पा :

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी न्यूक्लियर रेग्युलेटरी कमीशन ने भारत को यूरेनियम की सप्लाई करने की अनुमति नही दी; और यदि हां, तो भारत सरकार ने इस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(ख) क्या भविष्य में भारत को अमरीका से यूरेनियम मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) 16 मई, 1980 को संयुक्त राज्य अमरीका के न्यूक्लियर रेग्युलैटरी कमीशन ने तारापुर परमाणु बिजलीघर को भेजे जाने वाले समृद्ध यूरेनियम और उपस्करों की खेपों को भेजने के लिए अनुमोदन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और इन सभी अनिर्णीत आवेदनों को अमरीकी राष्ट्रपति के पास उनके निर्णय के लिए भेज दिया। अमरीकी राष्ट्रपति ने इन खेपों को भेजने के लिए अनुमोदन करने का इरादा व्यक्त किया है। अमरीका के वर्तमान आंतरिक कानून के अंतर्गत, इस प्रकार के निर्यात के अनुमोदन के संबंध में राष्ट्रपति के निर्णय पर वहां की कांग्रेस द्वारा पुनर्विचार किया जाना है । हम इससे संबंधित आगे के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार अमरीकी सरकार से इस उद्देश्य से लगातार संपर्क बनाए हुए है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए ईंधन और उपस्करों की सप्लाई 1963 के सहकार करार की पूरी अवधि तक तथा उस करार के उपबन्धों के अनुसार समय पर होती रहे ।

जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति

463. **श्री चिरंजी लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से अब तक जासूसी गतिविधियों के आरोपों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति विदेशी थे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

गैर मान्यताप्राप्त सर्विस एसोसिएशनों/फेडरेशनों से अभ्यावेदन

464. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह अनुदेश जारी किए हैं कि केन्द्रीय सरकार के विभागों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के कल्याण और कठिनाइयों के बारे में ऐसे विभिन्न सर्विस एसोसिएसनों/फेडरेशनों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों/अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जो गैर-मान्यता प्राप्त है; यदि हां, तो उक्त अनुदेशों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि नहीं, तो गैर मान्यता प्राप्त सर्विस एसोसिएशनों/फेडरेशनों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों/अभ्यावेदनों को प्रशासनिक मंत्रालय बिना उन पर कोई कार्यवाही किन किए परिस्थितियों में फाइल कर देते हैं; और

(ग) गैर मान्यता प्राप्त विभिन्न सर्विस एसोसिएशनों/फेडरेशनों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों/अभ्यावेदनों पर कार्यवाही करना सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) गैर मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों अथवा फेडरेशनों द्वारा प्रस्तुत किए गए ज्ञापनों/अभ्यावेदनों की जैसे मामलों में जहां आवश्यक समझा जाए, जांच की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

फिजो द्वारा प्रधान मंत्री से मिलने की इच्छा व्यक्त किया जाना

465. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :
श्री जनार्दन पुजारी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्रोही नागा नेता, श्री जेड० ए० फिजो, ने बिना किसी शर्त के प्रधान मंत्री से मिलने की अपनी इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

तथापि भूतपूर्व-भूमिगत नागाओं के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल अप्रैल 1980 में प्रधान मंत्री और गृह मंत्री से मिला और प्रधान मंत्री से श्री फिजो से मिलने के लिए सहमत होने का अनुरोध किया। प्रधान मंत्री ने कहा कि श्री फिजो को स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए, जिसके बिना ऐसी बैठक का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलेगा।

आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप

466. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० चेन्ना रेडडी के खिलाफ भ्रष्टाचार और पक्षपात की एक लम्बी सूची राज्य के कुछ विधायकों से प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके खिलाफ लगाये गये आरोप क्या हैं और उन पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) आन्ध्र प्रदेश के कुछ विधायकों ने प्रधान मंत्री को संबोधित दिनांक 29-4-80 तथा 4-6-80 के दो ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री डा० चेन्ना रेड्डी के विरुद्ध भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग के आरोप दिए गए हैं।

(ख) इन ज्ञापनों में लगाए गए आरोपों के ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा । प्रथम ज्ञापन को नियत क्रियाविधि के अनुसार तथ्यों का पता लगाने तथा टिप्पणियों के लिए मुख्य मंत्री को भेज दिया गया था। दूसर ज्ञापन को भी जो हाल ही में प्राप्त हुआ था, मुख्य मंत्री को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

त्रिपुरा में कानून और व्यवस्था की स्थिति

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। मैं आपको अनुमति दूंगा। कल आप सब सहमत हो गए थे ; मैं आप सब की बात सुनूंगा; मैं ऐसा ही करूंगा श्री दण्डवते जी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने पहले ही आपको नियम 223 के अन्तर्गत विशेषाधिकार के मामले का नोटिस दिया है : नियम 377 के अधीन जब श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा.....

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी इस पर विचार कर रहा हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : हम उनकी बात सुनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा को आदेश नहीं दे सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : विचाराधीन क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : आपका विशेषाधिकार का प्रस्ताव ।

प्रो० मधु दण्डवते : कल माननीय विधि मंत्री ने इस बात से इन्कार किया था कि डा० चेन्ना रेड्डी ...*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाए। मैं इसको अनमति नहीं दे रहा हूं। आप को मेरे पास आना चाहिए और हम इस पर विचार करेंगे । मुझे स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। मैं नियमानुसार चलुगा। श्री शैलानी जी ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपका उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है। मैंने स्पष्टीकरण मांगा है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैं यह मान लूं कि मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव विचाराधीन है ?

अध्यक्ष महोदय : हां मैंने भी तो यही कहा है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी सेवा में लिखकर भेजा है कि त्रिपुरा के दंगों में तीन सौ लोग मारे जा चुके हैं और पचास हजार लोग बेघर हो चुके है । त्रिपुरा आज पूरी तरह से जल रहा है। वह प्रदेश हमारे देश का एक अंग है । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज की कार्यवाही को स्थगित करके, चूंकि वह एक बनिंग प्राब्लम है । इसलिए इस समस्या पर विचार किया जाए । मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि यह आग आसाम से शुरु हुई है और दूसरे प्रदेशों में फैलती जा रही है। एक दिन आएगा जब पूरा देश जलेगा और आप तमाशा देखते रहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको एक स्थगन प्रस्ताव किया था कि त्रिपुरा सरकार सोशलिस्ट एन्टरनेशनल और सी०आर०ए० से सम्बद्ध स्त्रोतों से चोरी छिपे आ रहे हथियारों को देश में आने से रोकने में असफल रही है और स्वीडन के एन पत्तन से त्रिपुरा के एक निकटवर्ती पत्तन के रास्ते वहां के आदिवासी नवयुवक संगठन को छोटे हथियारों की सप्लाई हो रही है । अनुसंधान विश्लेषण एकक क्या कर रहा है? छोटे हथियार चोरी छिपे लाये जा रहे है।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप स्वयं ही निष्कर्ष न निकालें। मुझे वास्तविकता का पता लगा लेने दें, मैं इस पर विचार करूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बंबई उत्तर पूर्व) : आपके कक्ष में मैंने कहा था कि असम में बहुत से जनता विधायकों को गिरफ्तार किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अभी उस विषय पर बात नहीं हो रही, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने जो बात कही है वही बात मैं भी कहना चाहता था कि एक्स चीफ मिनिस्टर, आसाम और वहां के तमाम दूसरे सदस्य आज दिल्ली में गिरफ्तार किए गए हैं। मैं उस वक्त मौके पर था.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए।

श्री मनीराम बागड़ी : बैठ जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सर्वश्री आर० एन० राकेश, चन्द्रपाल शैलानी, हरिकेश बहादुर, अश्फाक हुसैन और टी० एस० नेगी से अन्य स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वे इन विषयों पर है :—

"सामान्य रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में और विशेष रूप में त्रिपुरा में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति जहां बहुत से लोग दंगों में मरे जा चुके हैं, को नियंत्रण में लाने में सरकार की विफलता।"

इस संबंध में मैं नेताओं को 12 अप्रैल 1978 को हुई बैठक के लिए निर्धारित प्रक्रिया का उल्लेख करना चाहूंगा, जिसमें राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित प्रस्तावों के बारे में निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष के विशेषाधिकार की बात कही गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1978 में हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए थे :

(एक) यदि उसी समय राज्य विधान सभाओं के सत्र भी चल रहे हों, तो लोक सभा को बैठकों में मामलों को न उठाया जाए।

(दो) घटना घटने के दिन या उसके तत्काल बाद भी ऐसे प्रस्तावों पर चर्चा की अनुमति न दी जाए ताकि कहीं ऐसा न हो कि पूरे तथ्यों की जानकारी प्राप्त हुए बिना संसद में दिए किसी गलत व्यान से स्थिति और बिगड़ जाए या कठिनाई और बढ़ जाए।

(तीन) यदि घटनाएं बड़ी और गम्भीर हों और उनका देश के किसी भाग या पूरे देश में प्रभाव पड़ने की संभावना हो, तो अध्यक्ष अपने विवेक का प्रयोग करते हुए उस से संबंधित समुचित सूचना को गृहीत करके उस मामले को लोक सभा में उठाने की अनुमति दे सकता है। मैं समझता हूं कि उपरोक्त मानदन्ड अभी भी उपयोगी है और अपनाये जा सकते है। परन्तु यदि आप आज ही चाहते है तो मैं इस संबंध में कुछ सदस्यों के विचार सुनने के बाद ही निर्णय लेना चाहूंगा और सभी संबंधित दलों के परस्पर सहमत विचारों के अनुसार ही निर्णय लिया जायेगा।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हमने आपको ध्यानाकर्षण की सूचनाएं दी है। यदि आप स्थगन प्रस्तावों पर तत्कील विचार नहीं कर रहें है, आप उन पर विचार कर सकते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम भी यही चाहते।

श्री अटल विहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, कल भी कालिंग-एटेंशन नोटिसेस दिए गए थे, तब से लेकर परिस्थिति और बिगड़ी है, शायद गृह मंत्री महोदय वहां पर गए हुए हैं। इस संबंध में आप उपयुक्त समय तय करें जिसमें हम बहस करना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को विचार के लिये लूंगा

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं आपकी अनुमति से एक विशेष राष्ट्रीय महत्व का एक प्रश्न उठाना चाहूंगा।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : आप देख रहें है कि पिछले एक घंटे से, जब श्री ज्योतिर्मय बसु सभा में नहीं आए थे, सभा में शान्ति थी। अब इनके आते ही यह सब आरम्भ हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : हमारा आपस में लगाव है।

ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन यह है कि सारा पूर्वोत्तर क्षेत्र आग में जल रहा है। उन्हें इस देश से चले जाना चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, हम मामले की जांच करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं विदेशी जासूसों के बारे में चिंतित हूं। एक नई स्थिति पैदा हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर चर्चा करेंगे।

———

'हिंदुस्तान टाइम्स' और 'पैट्रियट' के विरुध्द विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो, ने 27 मई, 1980 को संसद सदस्य सर्वश्री जार्ज फर्नांडीस, राम विलास पासवान, सनर मुखर्जी, ज्योतिर्मय वसु, मधु दण्डवते, इन्द्रजीत गुप्त और चित्त बसु के विरुद्ध अध्यक्ष के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने, जिसके बारे में 27 मार्च, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'पैट्रीयट' ने समाचार छपा था, के लिए विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना दी थी।

जब श्री एडुआर्डो फैलीरो ने सभा में यह मसला उठाना चाहा था तो मैंने टिप्पणी की थी कि स्थापित परम्परा के अनुसार सर्वप्रथम संबंधित सदस्यों से इस बारे में कहा गया कि उन्हें इस बारे में क्या कहना है ताकि मैं इस सम्बन्ध में विचार कर सकूं।

संबंधित सदस्यों, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' और 'पैट्रीयट' के सम्पादकों और यू० एन आदि तथा पी० टी० आई० से भी इस संबंध में कहा गया था कि उन्हें इस संबंध में क्या कहना है।

यू० एन० आई० के सम्पादक और महाप्रबन्धक ने अपने उत्तर में बताया कि विवादास्पद समाचार, श्री राम विलास पासवान द्वारा हस्ताक्षरित ब्यान के आधार पर यू० एन० आई० ने प्रस्तारित की थी। पी०टी०आई० के महाप्रबन्धक ने भी बताया कि विवादा-स्पद समाचार श्री राम विलास पासवान द्वारा संबंधित प्रेस-कांफ्रेंस पर आधारित था।

अब श्री राम विलास पासवान ने समाचार पत्रों में छपी एक खबर के लिए बिनाशर्त क्षमा-याचना की है। श्री पासवान द्वारा बिना शर्त की गई क्षमा-याचना को स्वीकार कर लिया जाए और मामले को समाप्त समझा जाए।

श्री ज्योतिर्मय वसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने श्री एडुआर्डो फैलीरो के विरुद्ध, इस विशेषाधिकार के मामले को प्रेस में ले जाने की बाबत, विशेषाधिकार के प्रस्ताव की सूचना दी थी। उसका क्या हुआ ?

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे नोटिस का क्या हुआ? यह आपके विचाराधीन था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही आपको निर्णय से अवगत करा दिया है।

श्री ज्योतिर्मय वसु : श्री एडुआर्डो फैलीरो के विरुद्ध मेरे विशेषाधिकार की सूचना का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : आपको सूचित कर दिया जाएगा। कृपया, बैठ जाइये।

श्री ज्योतिर्मय वसु : धन्यवाद।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद, सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर, कलकत्ता, इन्स्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेंट्स, बंबई, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा, आदि

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1978-79 के (1) सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ टूल डिजाइन, हैदराबाद, (2) सेन्ट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग, कलकत्ता, (3) इंस्टीट्यूट फार डिजाइन आफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इन्स्ट्रूमेन्टस, बम्बई और (4) लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद के कार्यकरण की "समीक्षा" के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की "समीक्षा" के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद् के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की "समीक्षा" के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 818/80]

इलेक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लि०, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) इलेक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) इलेक्ट्रानिक्स व्यापार तथा प्रोद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 819/80]

दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के अधीन अधिसूचनाएं और अधिसूचनाओं को जारी करने के कारण बताने वाला एक विवरण, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के अधीन अधिसूचनाएं, न्यायमूर्ति श्री सी० ए० वैद्यलिंगम, विशेष न्यायाधीश के प्रतिवेदन की हिन्दी संस्करण की एक प्रति

गृह मंत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री०पी वेंकटसुब्बय्या): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 490 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या यू० 13021/14/80-दिल्ली (एक), जो दिनांक 11 अप्रैल, 1980 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिल्ली नगर निगम के 11 अप्रैल, 1980 से एक वर्ष की अवधि के लिये अधिक्रमण का आदेश दिया हुआ है। **(ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 820/80)**

(दो) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 द्वारा या उसके अन्तर्गत दिल्ली नगर निगम को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसे सौंपे गये कृत्यों का निर्वहन करने के लिये दिल्ली नगर निगम के आयुक्त की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना संख्या यू -13021/14/80-दिल्ली (दो), जो दिनांक 11 अप्रैल, 1980 के दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) अधिसूचनाएं जारी करने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 821/80]**

(3) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1980, जो दिनांक 18 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 104(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 29 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 346 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्त) संशोधन विनियम, 1980, जो दिनांक 29 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 347 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1980, जो दिनांक 29 मार्च, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 348 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) (दूसरा संशोधन) नियम, 1980, जो दिनांक 5 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 383 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) आठवां संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 21 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 221(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 21 अप्रैल, 1980, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 222(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद संख्या निर्धारण) सातवां संशोधन विनियम, 1980, जो दिनांक 21 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 219(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 21 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 220(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) अखिल भारतीय सेवायें (छुट्टी) संशोधन नियम 1980, जो दिनांक 3 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 475 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह सेवा-निवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 10 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 512 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) अखिल भारतीय सेवाओं (मृत्यु-सह सेवा-निवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियमें, 1980, जो दिनांक 17 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 545 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-सह सेवानिवृत्ति लाभ) तीसरा संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 17 मई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सं०नि० 546 में प्रकाशित हुए थे। (ग्रंथालय में रखे गये। देखिय संख्या एल० टी० 822/80)

(4) भूतपूर्व प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) के परिवार के सदस्यों और भूतपूर्व गृह मंत्री (श्रीचरण सिंह) के परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आरोपों की जांच से सम्बन्धित विशेष न्यायाधीश श्री सी०ए०वैद्यलिंगम के दिनांक 25 जनवरी, 1980 के प्रतिवेदन के हिन्दी संस्करण की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 823/80)

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने इस सदन में बार-बार कहा है और आपके पूर्वाधिकारी ने यह निदेश ही दिया था कि पत्रों को सभा पटल पर रखने से पूर्व राजपत्र सदस्यों को अवश्य मिल जाने चाहिये। हमें राजपत्र समय पर नहीं मिलते।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : कृपया उन्हें चेतावनी दें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह कार्य पद्धति की बात है, आपको उन्हें कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कहूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं वैद्यलिंगम समिति के प्रतिवेदन के बारे में सभा पटल पर रखे गये पत्रों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। नियम 172 के अधीन मंत्री महोदय वैद्यलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये एक संकल्प आसानी से पेश कर सकते हैं। सदन को इस प्रतिवेदन पर चर्चा का अवसर नहीं दिया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय वैद्यलिंगम समिति के प्रतिवेदन पर संकल्प कब पेश कर रहे हैं ताकि सदन इस पर चर्चा कर सके।

अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर रेल के दिल्ली डिवीजन के लोको रनिंग कर्मचारियों की हड़ताल

श्री आर०के० महालगी (थाने) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर रेल मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के लोको रनिंग स्टाफ की कथित हड़ताल, जिसके परिणामस्वरूप 110 यात्री तथा माल गाड़ियां रद्द कर दी गई है।"

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैंने उत्तर रेलवे के दिल्ली के मंडल में लोको रनिंग कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा आन्दोलन किये जाने के बारे में 9-6-1980 को एक विवरण सभा-पटल पर रखा था, जिसके फलस्वरूप दिल्ली क्षेत्र में गाड़ी सेवाओं में कुछ व्यवधान पड़ा है। माननीय सदस्य हरियाणा के मुख्यमंत्री से मेरे उस अनुरोध का स्मरण करेंगे जिसमें मैंने सांपला स्टेशन में 6 जून की शाम को हुई कथित घटना की जांच कराने के लिए उनसे कहा था। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिये हैं। मैंने सदन को आश्वासन दिया था कि जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी। मैंने कर्मचारियों से शीघ्र ही काम पर लौटने की अपील भी की थी। मुझ खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि कुछ बहकाये हुए कर्मचारियों ने अभी भी काम बंद किया हुआ है। वास्तव में वे हिंसा में उतारू हो गए हैं और वे सम्पत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं। ड्यूटी पर आये हुए कामगारों पर हमले की रिपोर्टें भी मिली हैं। उनमें से कुछ की गम्भीर चोटें भी आयी हैं। मैं इन कार्रवाइयों की कड़ी निन्दा करता हूं। मेरी पूरी सहानुभूति उन कामगारों के साथ है जिन्होंने अत्यधिक उत्तेजना और अपने जीवन को जोखिम में डालने के बावजूद अपनी ड्यूटी निभायी है। मैं उनकी सराहना करता हूं। मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि कामगारों की संरक्षा और अनिवार्य गाड़ी सेवाएं बनाये रखना सुनिश्चित करने के लिए सभी समुचित उपाय किये जायेंगे।

अचानक काम बंद कर देने से उत्तर रेलवे पर यात्रियों और माल गाड़ियों के संचलन पर प्रभाव पड़ा है। कर्मीदल की अनुपस्थिति के कारण 110 सवारी गाड़ियों को 9-6-1980 को रद्द करना पड़ा, जिनमें से अधिकांश कम दूरी की गाड़ियां थीं। कर्मीदल की उपलब्धता में सुधार हो जाने पर इनमें से कुछ गाड़ियां पुनः चला दी जायेंगी ।

श्री आर० के० महालगी: माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य से कुछ प्रश्न उठते हैं। पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हरियाणा के मुख्य मंत्री ने सांपला स्टेशन पर 6 जून, 1980 को घटी घटना की जांच कराने का आदेश कब दिया था? इस जांच हेतु किस प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है और इस जांच को पूरा करने के लिए कितना समय दिया गया है?

दूसरे लोको रनिंग कर्मचारियों में से कितने कर्मचारी हड़ताल पर हैं? क्या रेल प्राधिकारी आमने सामने बैठकर उनकी मांगों के विषय में विचार विमर्श करने को तैयार हैं?

तीसरे इस हड़ताल की वजह से दिल्ली आने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी कठिनाई हो रही है। उनकी स्थिति देखने काबिल है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने हेतु रेल प्राधिकारियों ने कौनसे उपयुक्त कदम उठाये हैं और यह सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की है कि कम से कम लंबी दूरी वाली गडियां तो समय पर चलें और अपने गन्तव्य स्थान पर समय पर पहुंचे?

श्री सी० के० जाफर शरीफ: महोदय जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, उसके बारे में मुझे यह कहना है कि हरियाणा के मुख्य मंत्री द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिये जा चुके हैं। जहां तक इस जांच के पूरे होने का ताल्लुक है, इसका विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है और उसको हम हरियाणा सरकार से प्राप्त करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री आर० के० महालगी: मेरे प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में हरियाणा सरकार कहां से आ गई?

श्री सी० के० जाफर शरीफ: हम उसका विवरण मंगा कर आपके पास भेज देंगे। (व्यवधान) महोदय, कल ही तो उन्होंने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की घोषणा की है। इसमें समय लगता है। सदस्यों को सब्र से काम लेना चाहिए ।

महोदय, हरियाणा सरकार ने जांच करने हेतु एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर): कौनसी जांच ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ: कुछ समय तो दीजिये !

एक माननीय सदस्य: मजिस्ट्रेट द्वारा जांच ।

श्री नारायण चौबे: क्या यह न्यायिक जांच है? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली): महोदय, अभी कुछ समय पूर्व उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। अब वह कहते हैं कि सबडिवीजनल मजिस्ट्रट को जांच करने के लिए कहा गया है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: 'न्यायिक जांच' तो मैंने नहीं कहा मैंने तो सिर्फ मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कहा था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अभी कुछ पहले तो उन्होंने कहा था।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: मुझे अफसोस है आपने मुझे गलत सुना (व्यवधान)। महोदय, मेरे मित्र मेरी भाषा को तोड़-मरोड़ नहीं सकते। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच ही कहा था। मैंने न्यायिक जांच नहीं कहा ।

जहां तक गाडियों के साथ रक्षक भेजने का संबंध है, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, लम्बी दूरी वाली गाड़ियों के साथ रेलवे सुरक्षा बल के आदमी पहले से ही जा रहे हैं। हमने रेलवे सुरक्षा बल तथा राजकीय रेलवे पुलिस को लम्बी दूरियों वाली गाड़ियों पर यात्रियों की सुरक्षा हेतु तैनात किया है।

[श्री सी० के० जाफर शरीफ]

जहां तक कर्मचारियों के साथ वार्ता का संबंध है, मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि जब 6 जून, 1980 को यह घटना घटित हुई, तो हमारे डिवीजनल रेलवे मैनेजर ने 7 जून को सारे दिन उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी रखा। उसके बाद, लोको ड्राइवरों के यह कहने पर कि वे सुरक्षा चाहते हैं, हमने उनकी रक्षा के लिये रेलवे सुरक्षा बल आदि के आदमी उनके साथ गाड़ी पर भेजने की व्यवस्था की। उसके बाद भी वे काम पर नहीं आये और तब से अब तक यही स्थिति बनी हुई है। अतः सभा की जानकारी में मैं यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे रेलवे मैनेजर ने उन लोगों से काम पर लौट आने की अपील की है और कहा है कि व कोई समझौता करना चाहते हैं, तो वे आकर उसके विषय में वार्ता करें।

श्री आर० के० महालगी: महोदय मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया गया है। मेरा प्रश्न तो मात्र यह है कि हरियाणा सरकार द्वारा यह जांच कब तक पूरी कर ली जायेगी? सारी बात का सार यही है।

अध्यक्ष महोदय : वह जल्दी करायेंगे।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: मैं पहले ही कह चुका हूं कि कल ही इसकी घोषणा की गई है और इसमें कुछ समय लगेगा। मेरे मित्र इस संबंध में स्थिति को समझें।

अध्यक्ष महोदय: आप उनको आश्वासन दीजिए इस कार्य में जल्दी की जायेगी।

श्री सी० के० जाफर शरीफ: हम भी यही चाहते हैं कि यह यथासंभव शीघ्र पूरी हो। किन्तु मेरे मित्रों को मेरे साथ सहयोग करना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कर्मचारी बिना शर्त काम पर लौट आयें।

श्री नारायण चौबे: लोको कर्मचारी हड़ताल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई बार उनपर हमला किया गया है और यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि आजकल गाड़ियां कभी भी समय पर नहीं चलती, इंजन हर स्टेशन पर रुक जाते हैं और डिब्बे पटरी से उतर जाते हैं, यात्रियों को कठिनाई होती है और वे सोचते हैं कि इसके लिए मुख्यतया रेलवे वाले और लोको ड्राइवर ही जिम्मेदार हैं। इसलिए व उनके साथ मारपीट करते हैं। यह सुनिश्चित करने क लिए क्या व्यवस्था है कि वाष्प इंजनों की समय पर मरम्मत की जाये। क्या यह सच है कि देश में सारे वाष्प इंजनों की हालत खराब है क्योंकि उनके फालतू पुर्जे नहीं मिल रहे हैं। समस्त फालतु पुर्जों (इन इंजनों के) का निर्माण बंद कर दिया गया है और इसके बारे में रेल मंत्री को मुझसे अधिक जानकारी है। लगभग सभी इंजन खराब है और उनकी समय पर मरम्मत नहीं की जा सकती। स्वाभाविक है कि ड्राइवरों आदि को खराब इंजन ले जाने पर मजबूर किया जाता है और इस वजह से गाड़ियां लेट होती हैं, समय पर नहीं पहुंचती और लोगों के साथ मार-पीट होती है। मेरे पास सेकड़ों उदाहरण हैं। किन्तु अधिकारी वर्ग इसका दोष लोको कर्मचारियों के सिर मढ देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है कि इंजनों की उचित देखभाल रख-रखाव हो और उनकी समय पर मरम्मत की जा सके।

दूसरे मैंने अखबारों में यह वक्तव्य देखा है कि स्थिति सुधार रही है किन्तु वास्तविकता यह है कि गाड़ियां मुरादाबाद, भिण्ड, भटिंडा, दिल्ली और चण्डीगढ़ में रूक गई हैं और लाखों यात्री बीच में ही लटक गये हैं। इस बारे में तत्काल ही कोई समझौता होना चाहिए। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना मेरे विचार से देश और रेल कर्मचारियों के साथ अन्याय करना होगा। स्वर्गीय श्री एल० एन० मिश्र ने कभी इस चीज को आड़े नहीं आन दिया। समस्या का हल निकालने के लिए केवल मान्यता प्राप्त मजदूर संघों पर निर्भर करना गलत होगा। मैं लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करता हूं। उनको बुलाया जाये ताकि तत्काल ही कोई समझौता किया जा सके। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को बुलाया गया है अथवा नहीं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : यदि माननीय सदस्य साफ-साफ प्रश्न करें तो उनका जवाब दिया जा सकता है। यदि वे भाषण करने लगेंग तो बड़ा मुश्किल होगा।

पहले तो उन्होंने यह आरोप लगाया कि लोको कर्मचारियों पर हमला किया गया किन्तु प्रशासन की जानकारी में अब तक ऐसी एक भी घटना नहीं आई है। इसके विपरित एसी नई घटनाएं प्रशासन की जान-

कारी में आई हैं जहां लोको कर्मचारियोंने के खुद वफादार कर्मचारियों पर जोकि यात्रियों और प्रशासन की मदद करना चाहते थे, हमला किया।

श्री नारायण चौबे : मैं उदाहरण दे सकता हूं। आज भी यात्रियों द्वारा उन पर हमला किया गया।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जब माननीय सदस्यने अपनी बात कह ली तो उन्हें मेरी भी बात सुननी चाहिए। मैं पहले ही यह कह चुका हूं कि प्रशासन की जानकारी में ऐसी एक भी घटना नहीं आई। वह तो हवा में बाते करते हैं। यदि वह कोई उदाहरण पेश कर सकते हैं तो वह हमें बतायें हम उसकी जांच करेंगे।

श्री नारायण चौबे : ऐसी घटनाएं घटी हैं। हरियाणा सरकार ने इसीलिए जांच का आदेश दिया है क्योंकि लोको कर्मचारियों पर हमला हुआ है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उत्तेजित न हों। उत्तेजना से समस्या हल नहीं होती।

हरियाणा सरकार ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का आदेश दिया है और उससे यह बात सामने आ जायेगी कि हमला लोको कर्मचारियों पर हुआ अथवा दैनिक यात्रियों पर या कि पुलिस ने ज्यादती की। जैसे ही रिपोर्ट तैयार हो जायगी वह सदनको उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री नारायण चौबे : मेरा प्रश्न भाप के इंजनों के बारे में था।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मेरे मित्र यह बता रहे थे कि भाप के इंजन ठीक प्रकार से काम कर सकने की स्थिति में नहीं हैं, परन्तु गाड़ियों के विलम्ब से चलने का कारण लोको कर्मचारी बताये गये हैं। ऐसा कहना गलत है। लोकोमोटिव कर्मचारी जब शेड से इंजन बाहर निकालता है, तो उससे पहले वह अपने आपको आश्वस्त करता है कि इंजन सही हालत में हैं और उसके बाद ही वह इंजन को बाहर निकालता है। अगर इंजन काम करने की सही हालत में नहीं है, तो उसे यह अधिकार है कि वह इंजन को बाहर ले जाने से मना कर सकता है और इंजनों को बाहर ले जाने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी बीना मेरी अनुमति के कहा गया है, उसे रिकार्ड नहीं किया जायगा। (व्यवधान) *

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं समझता हूं कि जब मैं यह कहता हूं, तो आप मेरे साथ सहमत होंगे कि नये रेल मंत्री ने स्थिति को पूरी तरह नहीं समझा है, वर्तमान स्थिति की गम्भीरता को महसूस नहीं किया इसलिए अनेक रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने यह वक्तव्य दिया है कि घटना की जांच करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आदेश दे दिया गया है। मेरा मुद्दा यह है कि जब यह घटना घटी, तो डी० आर० एम० को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए थी कि स्थिति नियन्त्रण से बाहर न होने पाये और एस० एच० ओ० को उन्हें तत्काल निलम्बित कर देना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पुछिये।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है। अनेक इंजन ड्राइवरों पर यात्रियों द्वारा हमला किया जाता है और गाड़ियों को विलम्ब से चलाये जाने के लिए उन्हें अनावश्यक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है। वे कुछ संरक्षण चाहते थे। ऐसा संरक्षण उन्हें उपलब्ध नहीं किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय के इन लोको ड्राइवरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बातचीत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं कि मामले का समाधान हो जाए। उनकी मुख्य मांग यह है कि उन उत्तेजित यात्रियों के हमले से उन्हें बचाया जाय, जो गाड़ियों के विलम्ब से चलने के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराते हैं। मेरे मित्र श्री चौबे ने ठीक ही कहा है कि इंजन खस्ता हालत में हैं और वे ब्रिटिश जमाने से ही उपयोग में आ रहे हैं। चल स्टाक और भण्डार भी ठीक समय पर उपलब्ध नहीं किये जा रहे हैं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि आप अपना प्रश्न पूछें। मैं कारण नहीं जानना चाहता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : अगर मैं इन बातों को नहीं कहता, तो मन्त्री महोदय कैसे उत्तर देंगे ? उन्हें मुझे नहीं बल्कि लोगों को जवाब देना है। अनेक यात्रियों की यात्रा में रुकावट आ गई है।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि वहां जो अधिकारी लोको ड्राइवरों पर हमला करने के लिए उत्तरदायी था, उसे निलम्बित किया जाएगा। मन्त्री महोदय को मामले का तत्काल समाधान करने के लिए पहल करनी चाहिए, जिससे सैंकड़ों यात्रियों के सामने आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : हालांकि मैं नया मन्त्री हूं, परन्तु हम पुराने साथी हैं। मैं उन्हें अधिक अच्छी तरह जानता हूं। मैं अपने मित्र को पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि अगर चल स्टाक और इंजन काम करने की हालत में नहीं है, तो इंजन को बाहर ले जाने से मना करने का उन्हें अधिकार है। ऐसी बात नहीं है। वे किसी और चीज पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं... (व्यवधान)

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या आपने उनकी जांच की है ? वह सवाल को गलत जानकारी दे रहे ह। मैं उन्हें आमन्त्रित करता हूं कि वे जाकर देखें कि इंजन ड्राइवर खस्ता हालत वाले और पुराने इंजनों को चलाने में किस प्रकार कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कृपया आप उन्हें बता दीजिए कि वे ठीक ठाक जवाब दें।

श्री कमलापति त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, इस मामले पर थोड़ा प्रकाश पड़ने की जरूरत है। सांपला में गाड़ी रुक गई, एक वर्शन यह है कि लोको स्टाफ ने जानबूझकर गाड़ी रोक दी, क्योंकि सांपला स्टेशन के बाहर एक शराब की दुकान है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह गलत कहानी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपसे में बातचीत मत कीजिए। यह तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमती नहीं दूंगा।

श्री कमलापती त्रिपाठी : मैं कह रहा था कि एक दर्शन यह है कि सांपला स्टेशन पर लोको रनिंग स्टाफ ने गाड़ी रोक दी। उनकी नियत यह रही कि सांपला स्टेशन के बाहर एक शराब की दुकान है वह उतरकर वहां जाते थे, शराब खरीदते थे, पीते थे, और कुछ शराब वहां से ले भी आते थे जो सस्त दामों में दिल्ली में बेचते थे। यह एक वर्शन है।

दूसरा वर्शन यह है, जो कि लोको स्टाफ की ओर से कहा जाता है कि गाड़ी रुक गई, खाली इस लिये कि इंजन में माइनर डिफेक्ट था, हमने गाड़ी नहीं रोकी, इंजन में माइनर डिफेक्ट था। वहां पैसेन्जर नाराज हुए कि तुम चलाओ इसे, लेकिन वह नहीं चली 4 घंटे रुकी रही। पुलिस बुलाई गई जी० आर० पी० भी, क्योंकि हमारे आर० पी० एफ० के पास चालान करने का अधिकार नहीं है। जी० आर० पी० वहां बुलाई गई, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी बुलाई गई। जब वह आय तो ट्रेन 4 घंटे के बाद चली।

एक माननीय सदस्य : डिफेक्ट दूर हो गया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : अब आप इसे लोको स्टाफ से पूछिए कि क्या डिफेक्ट था। हमारी राय में कोई डिफेक्ट नहीं था। मजिस्टीरियल इन्कवायरी इसीलिए बैठाई गई। हमने हरयाणा के चीफ मिनिस्टर से कहा कि दो वर्शन हैं, यह कहते हैं कि गाड़ी नहीं रुकी, खाली शराब लेने के लिए रोकी गई, यह कहते हैं कि माइनर डिफेक्ट था इंजन में इसलिए गाड़ी रुकी। ये कहते हैं कि कम्यूटर्स ने अटैक किया, पुलिस ने भी हमको गाली दी, यह इनकी शिकायत है। इसकी भी इन्कवायरी हो जानी चाहिए। मैंने चीफ मिनिस्टर हरयाणा से मांग की और उन्होंने तुरन्त इन्कावायरी शुरु करवा दी है।

मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा भी है कि अगर इस इन्क्वायरी में कोई भी दोषी समझा जायेगा, उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायगी। उनकी मांग है कि एस० एच० ओ०, जी० आर०पी०को सस्पेंड करो।जी०आर०पी० के एस० एच० ओ० को हम किस प्रकार निलम्बित कर सकते हैं ? उसे निलम्बित करना तो हरियाना सरकार का काम है। यह हमारा काम नहीं है। जांच चल रही है। अगर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सबके लिए एस०एच० ओ० उत्तरदायी है और उसे दण्ड दिया जाना चाहिए तो हम उसे दण्डित करने के लिए हरियाना सरकार से कह सकते हैं। फिर यह इनकी एक मांग मान ली गई तो दूसरी मांगें आई Arrest the commuters अब कम्यूटर्स की बात रही, गिरफ्तार करने का काम स्टेट-गवर्नमेंट का है। इन्कक्वायरी के बाद अगर निकलता है कि इन कम्यूटर्स ने

अटैक किया है तो उसके लिए स्टेट गवनमेंट को हम लिख सकते हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार कीजिए क्योंकि यह बात इन्क्वायरी में साफ हो गई है कि उन्होंने ऐसा किया। आज हम किस अधिकार से जाकर इन कम्यूटर्स को गिरफ्तार कर सकते हैं । ये दो मांगे हैं, जिन्हे पूरा करना हमारे लिए सम्भव नहीं है । बार बार उनसे अपील कर रहे हैं । हम इसके बारे में हरियाणा सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं, जो समुचित कार्यवाही करेंगे। जो दोषी पाये जायेंगे उन्हें दण्ड दिया जायगा । जांच दूरी हो जाने पर सारे मामले के बारे में हम हरियाणा सरकार के साथ बात करेंगे। यह स्थिति है।

श्री अटल विहारी वाजपेयी : रेलवे इंजन में जो खरावी थी, उसकी जांच हरियाणा सरकार कैसे करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी : रेलवे इंजिन में खरावी थी, यह उनका दर्शन है। मेरा दर्शन है कि वह ठीक था। मेरा दर्शन यह है कि लोको स्टाफ कोई इंजिन ले कर नहीं चलता है, जबतक कि वह लोको शेड से बाहर आते ही पूरी जांच न कर लें। सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए मैजेस्टेरियल एनक्वायरी होगी, जिसमें रेलवे स्टाफ भी बुलाया जायेगा। उस एनक्वायरी का नतीजा निकलने पर उचित कार्यवाही की जायेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे लिए इसमें कोई प्रेस्टीज का सवाल नहीं है। स्टाफ से मेरी अपील है कि हम इस मामले को हरियाणा सरकार से टेक अप कर रहे हैं, क्योंकि सांपला स्टेशन उनके यहां है। हमारी एनक्वायरी जल्दी से जल्दी खत्म होगी । कल उन्होंने उसकी घोषणा की है। हमने कहा है कि दो तीन दिन में एनक्वायरी का रिजल्ट दे दें। हम चाहते हैं कि वे लोग काम पर लौट आयें। आज गुड्ज ट्रेन्ज रुक रही हैं । हम आउट-ऐफेक्टिड एरियाज में जो फूडग्रेन्ज पहुंचा रहे हैं, वे रुक रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन्ज अलग रुक रही हैं। खबर यह आ रही है कि जो लायल वर्कर्ज काम करने जाते हैं, उन पर एटेक किया जाता है और सीरियस इंजरीज होने की वजह से वे हास्पिटल में भेजे जाते हैं। आप सब से मेरी प्रार्थना है कि आप इस में सहयोग दीजिए कि स्ट्राइक खत्म हो और हम दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर सकें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं पण्डितजी से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि 'कृपया देश को गम्भीर आर्थिक संकट' में मत डालिए। (व्यवधान) इस समय सौ से अधिक गाडियां रद्द की जा चुकी हैं—110 या 111—और उस जोत में 80% से अधिक रेल परिवहन पर प्रभाव पड़ा है। हड़ताल सम्पूर्ण उत्तरी जोन—बीकानेर डिवीजन, जोधपुर डिवीजन, इलाहाबाद डिवीजन और मुरादाबाद डिवीजन तथा लखनऊ डिवीजन में फैलने वाली है। कृपया इस बात को मत भूलिए ।

यह 6 जून की बात है। त्रिपाठीजी, अगर आपके डी०आर०एम० हिम्मत सिंह ने एक शाही मुगल की तरह व्यवहार न किया होता और यह न कहा होता 'रेलवे हमारे बाप की सम्पत्ति नहीं है। तुम स्ट्राइक करो, तब मैं देखूंगा'।

मुझे यह जानकारी अत्यधिक विश्वसनीय स्त्रोत से प्राप्त हुई है; मैं समाचार पत्रों के आधार पर यह बात नहीं कह रहा हूं। कृपया इस बात की जांच करें। बीसवीं सदी के अन्तिम दशकों के औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए। हम 19वीं सदी के अन्तिम दशकों में नहीं हैं। श्रीमन लोको कर्मचारी कितने तापमान में काम करते हैं ? यह तापमान 100° से 115° होता है और कभी कभी तो उन्हें सोलह घण्टे से अठारह घण्टे लगातार काम करना पड़ता है। आप स्वयं को उस स्थिति में रखकर देखिए .....

श्री कमलापति त्रिपाठी : श्रीमान जी, क्या आप इस ध्यानाकर्षण सूचना पर माननीय सदस्य को भाषण देने की अनुमति दे रहे हैं ? मैं समझता हू कि ध्यानाकर्षण सूचना के अन्तर्गत केवल प्रश्न पूछे जाने चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं तो आपसे केवल अपील कर रहा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : श्री ज्योतिर्मय बसु, मुझसे भेंट कर सकते हैं या मेरे पास आ सकते हैं और मैं उनकी बात सुनूंगा। मगर, मेरा उनसे यह अनुरोध है कि कृपया हड़ताल को भड़काओ मत ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं भड़का नहीं रहा हूं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं। कृपया भारतीय रेलवे के साथ पिता जैसा व्यवहार कीजिए, उन्हें बुलाइए और मामले का समाधान कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं उस पर आ रहा हूं। मैं भड़का नहीं रहा हूं। मैं मूलभूत समस्याओं को उठा रहा हूं । कर्मचारियों के साथ यह पिटाई बार बार की जाती है .....

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तो, मैं बैठ जाता हूं । परम्परा यह रही है कि ध्यानाकर्षण के लिए 45 मिनट का समय दिया जाता है और पहले सदस्य को मिलते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं । मैं इन मुद्दों को इसलिए उठाया था, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें कही थीं ।

गाजियाबाद-रोहतक पैसेंजर में, असौंदा स्टेशन पर यही बात हुई । असौन्दा में 6 जून को हरा सिग्नल देखकर ड्राइवर ने गाड़ी चला दी । इसके बाद गाड़ी में कुछ समाज विरोधी तत्व, कुछ शरारती तत्व आ गये, उन्होंने खतरे की जंजीर खींच दी और गाड़ी रुक गई । इसके बाद सिग्नल लाल हो गया और ड्राइवर ने गाड़ी को आगे ले जाने से इन्कार कर दिया क्योंकि सिग्नल लाल था .....

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या मतलब है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसके बाद उन्होंने ड्राइवर और फायरमैन को पीटना शुरू कर दिया । यह सारी समस्या है । पुलिस को भी बुलाया गया । ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारियों को—आपका ड्राइवर और फायरमैन ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी थे—संरक्षण प्रदान करने के बजाय उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया और उन पर नशे में होने का आरोप लगा दिया—यह कि वे अलकोहल के प्रभाव में थे । उन्हें रोहतक ले जाया गया और रेलवे के ए०डी०एम० तथा अन्य डाक्टरों के समक्ष पेश किया गया । उन्होंने यह स्पष्ट कहा कि वे अलकोहल के प्रभाव में नहीं थे ।

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो जांच के अन्तर्गत आयेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : उन्होंने प्रमाणपत्र दे दिया है । क्या आप प्रमाणपत्र चाहते हैं ? क्या आप रिपोर्ट चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो जांच के अन्तर्गत आयेगी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम उसे पेश करेंगे । पुलिस का आरोप पूर्णतः गलत था । उन्होंने गलत आरोप लगाया । यही वजह है कि वे चाहते हैं कि आप हरियाना सरकार से अनुरोध करें । आप जांच के लिए कृपया हरियाणा सरकार से अनुरोध करें, एस०एच०ओ० को वहां से, घटना स्थल से हटा दीजिए । उसे निलम्बित कीजिए । इसका कोई मतलब नहीं है ।

समस्या यह है कि ये रेल मार्ग बहुत अधिक व्यस्त मार्ग हैं .....

श्री कमलापति त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय आपके प्रति बहुत उदार हैं । वह आपको भाषण करने देने की अनुमति दे रहे हैं । आप भाषण नहीं दे सकते । आप केवल प्रश्न पूछ सकते हैं । यह चर्चा ध्यानाकर्षण सूचना पर है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज पंडितजी को क्या हो गया, हमारे ऊपर इतना नाराज हो गये ।

मैं अपने युवा मित्र, श्री मल्लिकार्जुन से उत्तर देने के लिए कहूँगा । अत्यधिक व्यस्तता वाले रेलमार्ग ....

अध्यक्ष महोदय : आप अपने प्रश्न पूछिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं अपने प्रश्न पूछ रहा हूँ । वे पुराने इंजनों का उपयोग कर रहे हैं । इंजन की किस्म सी० डब्ल्यू० डी० है । क्या यह सच है या सच नहीं है कि सी०डब्ल्यू०डी० किस्म के इस इंजन की यांत्रिक कार्यकरण अवधि वर्ष 1960 में समाप्त हो गई थी ? क्या यह सच नहीं है कि इस किस्म के इंजन का आर्थिक दृष्टि से संचालन अवधि वर्ष 1970 में समाप्त हो गई ? वह इस प्रश्न का उत्तर दें । इससे असलियत सामने आ जायगी । रेलवे की आयोजना का दिवाला पिटने की वजह से ड्राइवरों के साथ रोजाना पिटाई की जाती है और उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है ।

मैं श्री त्रिपाठी से अनुरोध करूँगा कि वह इस सदन को बतायें कि क्या वह लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन को बातचीत के लिए बुलायेंगे और उनकी शिकायतों और मांगों को सुनेंगे .....

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : श्रीमान् जी, वे उनके बच्चे हैं । आज वह भारतीय रेलवे के पिता के समान हैं । वह उन्हें बुलायें, उनकी मांगों को सुनें और उनसे परामर्श करके अपने कमरे में ही उनका समाधान कर दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी : श्रीमान् जी, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अगर वह मेरे पास आते हैं, तो उनसे मिलने में मुझे कोई एतराज नहीं है। परन्तु मैं उनसे अपील करता हूँ कि वे पहले अपनी ड्यूटी पर आ जायें और फिर मेरे पास मिलने के लिए आयें। मुझे कोई एतराज नहीं है और सदन में मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनकी माँगों के बारे में मैं बहुत सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाऊँगा, क्योंकि वे मेरे विभाग के कर्मचारी हैं और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैं उनकी शिकायतों को दूर करना चाहता हूँ, इस बारे में कोई भी सन्देह नहीं है। परन्तु मैं आपको असली बात बताना चाहता हूँ। यह लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन न तो एन०एफ०आई० आर० से सम्बद्ध है और न ही ए०आई०आर०एफ० से ही ; यह श्री ज्योतिर्मय बसु के ग्रुप के नेतृत्व के अधीन है और वे ही सभी प्रकार की समस्यायें उत्पन्न करते रहते हैं **(व्यवधान)** इस एसोसिएशन का जनरल सेक्रटरी उनकी पार्टी से सम्बद्ध है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे हमारी और देश की मदद करें जिससे हम उनसे काम पर आने के लिए और इस हड़ताल को खत्म करने के लिए कह सकें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आज ही आप बुलाइए।

अध्यक्ष महोदय : श्री चिन्तामणी पाणिग्रही।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : श्रीमान् जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनैतिक दल का सदस्य हो सकता है? वह कहते हैं कि वह एक राजनैतिक पार्टी से सम्बद्ध हैं। सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनैतिक पार्टी का सदस्य बनने की अनुमति नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : सबको इस बात का पता है कि उन्हें अनुमति नहीं है। लेकिन वे इस प्रकार शामिल हो रहे हैं। अगर मैं इन व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही करता हूँ, तो आप मेरे पास आयेंगे और कहेंगे कि अमुक कार्यवाही क्यों की गई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यह क्यों कहते हैं कि वह एक राजनैतिक पार्टी का सदस्य है।

श्री कमलापति त्रिपाठी : आपके सुझाव को देखते हुए मैं कार्यवाही करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इंजिन सम्बन्धी विवरण में उन्होंने कोई बात नहीं बताई। वे सभी पचास वर्ष पुराने हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : जब इंजिन को बाहर लाया तब वह बिल्कुल सही था।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : महोदय, यह ठीक है कि इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को माननीय मंत्री महोदय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि माननीय रेल मंत्री पंडितजी के तत्काल अनुरोध पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सारे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। महोदय, उसमें उस बात का खतरा है कि हड़ताल रेलवे के अन्य अनुभागों में भी फैल सकती है। लोको रनिंग स्टाफ, यद्यपि इनकी संख्या बहुत कम है, भारतीय रेल मजदूरों का एक शक्तिशाली अंग है इसलिए, मैं मंत्री महोदय से यही अनुरोध करूंगा कि यद्यपि वे एन०एफ०आई०आर० अथवा आल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन जो कि भारतीय रेलवे का मान्यता प्राप्त संघ है, से ताल्लुक नहीं रखते परन्तु स्थिति गंभीर होने की वजह से, मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या तत्काल कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उनसे अपील की है। प्रायः सम्पूर्ण रेल सेवा ठप्प हो गई है। आज मैं बदरपुर क्षेत्र की ओर गया था और मैंने पाया कि कोई भी रेलगाड़ी नहीं चल रही है। यात्री रेल गाड़ियां नहीं चल रही हैं। माल गाड़ियां नहीं चल रही हैं और हड़ताल फैलती जा रही है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारतीय रेल प्रशासन—स्टेशन अधीक्षकों अथवा अन्य व्यक्तियों की परवाह किए बिना तत्काल कार्यवाही की जाएगी। जैसा की माननीय मंत्री, पंडितजी ने आश्वासन दिया है, क्या वह सीधे इन लोगों को बुलाएंगे और उनसे कहेंगे—आपकी इस कार्यवाही से आपको दण्डित नहीं किया जाएगा। कृपया तत्काल अपने काम पर आजाएं और तब मंत्री महोदय ने जो वायदा किया है उसी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। मुझे आशा है कि इस तरह का आश्वासन और इन लोगों को थोड़ा सा संरक्षण इस प्रश्न के समाधान में सहाय्यक होगा। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि एक वह कम से कम स्थिति कि संभाल लें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : माननीय मंत्री महोदय ने अभी अपील की है और उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि उन्होंने इस मामले को प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाया है। वह उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ जैसा की मेरे सम्माननीय मित्र श्री पाणिग्रही कह रहे थे, सरकार का इरादा किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही करने का नहीं है। तोड़फोड़ के मामलों और काम पर आने वाले वफादार कर्मचारियों पर किए गए अपराधों के मामलों के अलावा

[श्री सी० के० जाफर शरिफ]

सरकारने किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है । मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम दण्डात्मक रुख अख्तियार नहीं करेंगे । हम उस बात की प्रशंसा करते हैं जो माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने कही कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । उसी भावना से मैं इस सदन के प्रत्येक वर्ग से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में वे हमें सहयोग दें क्योंकि स्थिति पुनः सामान्य हो जाए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप दोनों मुझे समय दीजिए । मैं उन्हें आज छः बजे से पूर्व ले आऊंगा । मुझे आपकी कार की आवश्यकता नहीं है । हम टैक्सी किराए पर ले लेंगे ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आपका अत्यधिक धन्यवाद ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पहला प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : श्री जी० लक्ष्मणन यहां नहीं हैं ।

श्री पी० पार्थसारथी, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री पी० पार्थसारथी (राजमपेट) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

असाम में विदेशी राष्ट्रिकों की समस्या का संविधान के उपबंधों के अन्तर्गत समाधान करने के बारे में याचिका

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते याचिका प्रस्तुत करेंगे ....

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप जो कुछ कहने जा रहे हैं उससे पहले इस पर विचार करें । मैं आप का ध्यान निर्देश 2 की ओर आकर्षित करता हूँ । उसकी मद संख्या 11 में कार्यवाही के विभिन्न वर्गों की पारस्परिक वरीयता क्रम की चर्चा की गई है । असाम विधान सभा स्थगित है और उस सदन की जिम्मेदारियां इस सदन द्वारा लेली गई हैं तथा असाम विधान सभा के जनता पार्टी के विधायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है परन्तु इस सदन को इसकी जानकारी अभी दी जाती है । मुझे कहने दीजिए । यद्यपि उस सदन का कार्यवाही वृत्तांत को इस सदन में नहीं लाया जाना चाहिए तथापि इसकी पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंत्री महोदय दूसरे सदन में एक वक्तव्य देने के लिए सहमत हो गए हैं । इसलिए मंत्री महोदय को इस सदन में भी एक वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि बड़े पैमाने पर विधायकों को गिरफ्तार किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले पर विचार करूंगा । प्रो० मधु दण्डवते, संविधान के प्रावधानों के अनुसार असाम में विदेशी नागरिकों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री गोलप बोरबोरा तथा अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : आपने इसे पहले ही पढ़ कर सुना दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : यही है जो आप करने का प्रयास कर रहे हैं । मैं आप लोगों की सहायता करने का प्रयास कर रहा हूँ । आप दुबारा पढ़ सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : हालांकि आपने मेरे अधिकार का अधिक्रमण किया है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा ।

महोदय, मैं संविधान के प्रावधानों के अनुसार असाम में विदेशी नागरिकों की समस्या के समाधान के सम्बन्ध में श्री गोलप बोरबोरा एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

हिंदुस्थान ट्रैक्टर्स लिमिटेड उपक्रमों का अर्जन और अंतरण संशोधन विधेयक

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि हिन्दुस्तान ट्रैक्टर्स लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1978 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चरणजीत चानना : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधिन मामले

(एक) पैराफिन मोम का समान वितरण

श्री सोमनाथ चटर्जी (जाधवपुर) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की मौजूदा नीति है कि व्यापक पैमाने पर लोगों के लाभ के लिए दुर्लभ कच्चे माल सहित आवश्यक सामान का समान वितरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाया जाए। पैराफिन मोम ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जिसके वितरण में कदाचार और दुरूपयोग को रोकने के लिए समुचित नियंत्रण की आवश्यकता है। परन्तु इस समय पैराफिन मोम की सप्लाई, वितरण तथा मूल्य आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए पैराफिन मोम (आपूर्ति वितरण और मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 के अधीन नियंत्रित किया जाता है। इस आदेश के खण्ड 8 के अनुसार, किसी व्यापारी को एक बार दिया गया लाइसेंस तीन साल की अवधि तक वैध रहेगा और आवेदन पत्र देने पर इसका इतनी ही अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकता है। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा इस स्थिति को बरकरार कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार के एक उपक्रम पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम लिमिटेड के माध्यम से, तीन महीनों की अस्थायी अवधि के लिए जारी निजी व्यापारियों के लाइसेंसों को अवधि समाप्त हो जाने पर, राज्य सरकार द्वारा पैराफिन मोम के समूचे वितरण को अपने नियंत्रण में लिए जाने के प्रयास विफल हो गए हैं।

यदि कोई राज्य सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अथवा किसी अन्य उपयुक्त एजेंसी, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाए, के माध्यम से पैराफिन वैक्स का वितरण अपने हाथ में लेने का निर्णय करती है तो आदेश के खण्ड 8 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी किए गए अथवा नवीनीकरण किए गए किसी लाइसेंस को रद्द करने, निलंबित करने अथवा समाप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी को खण्ड 9 के अन्तर्गत शक्तियाँ दिए जाने की आवश्यकता है। मोमबत्ती के निर्माण के लिए दुर्लभ कच्चे माल की आवंटित मात्रा के प्रयोग में न लाये जाने की सम्भावना को दूर करने तथा इसकी धोखाधड़ी रोकने की दृष्टि से यह विचार किया गया है कि पैराफिन वैक्स की आवंटित मात्रा से बनी मोमबत्तीयों की सारी मात्रा के प्रबन्ध की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम को दी जाए तथा इसका वितरण भी सीधे निगम द्वारा अथवा इसकी नियुक्त एजेंसियों के माध्यम से किया जाए।

आदेश के खण्ड 5 में एक संशोधन किया जाना चाहिए जिससे कि सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार प्राप्त हो सके कि वह आवंटन आदेश जारी करते समय आवंटनधारियों को यह निर्देश दे सके कि वे आवंटित कच्चे माल से निर्मित उत्पादों की बिक्री ऐसी एजेंसियों को करे, जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया हो।

(दो) मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन

डा० वसन्त कुमार पण्डित (राजगढ़) : महोदय, मध्य प्रदेश में सीमेन्ट का नितान्त अभाव है जिसके फलस्वरूप भारी पैमाने पर कालाधाजारी के कारण सरकारी निर्माण कार्यों, निर्माणों, मरम्मत तथा मौसमी कृषि सम्बन्धी निर्माण कार्यों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश में कच्चे माल की उपलब्धता के कारण सीमेन्ट के उत्पादन की काफी सम्भावना है।

[डा० वसन्त कुमार पण्डित]

मध्य प्रदेश में भारतीय सीमेन्ट निगम का कार्य बहुत ही असंतोषजनक है । 1965 में भारतीय सीमेन्ट निगम की स्थापना पर यह महसूस किया गया था कि सरकार एक बडे पैमाने पर उपभोक्ता उद्योगों, विशेषतः सीमेन्ट उत्पादन को शुरू करेगी ।

रायपुर के निकट मंढेर में सीमेन्ट फैक्टरी की परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के सम्बंध में असाधारण विलम्ब हुआ है, जिसके कारण 5 करोड़ रु० से अधिक राशि का पूंजी निवेश रूक गया है और जिसके कारण 1980 में भी सम्भावित उत्पादन क्षमता को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

इसी प्रकार, नया गांव स्थित 29 करोड़ रु० के पूंजी-निवेश तथा 4 लाख टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले सीमेन्ट कारखाने के बारे में भी, जिसकी आधार शिला 1976 में रखी गई थी, यही बात है । इस कारखाने में अभी तक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है । इसी प्रकार से यह बात बिलासपुर जिले में अकलतरा स्थित कारखाने के बारे में है जहां अभी तक काम शुरू नहीं किया जा सका है ।

मध्य प्रदेश में सीमेन्ट उद्योग के विस्तार में भारतीय सीमेन्ट निगम का योगदान और ज्यादा प्रभावी तथा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए ।

विदिशा में सिरोंज, होशंगाबाद, रीवा तथा सिधी जिलों में सीमेन्ट उत्पादन की काफी सम्भावनायें हैं । इससे उत्पादन तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी तथा मध्य प्रदेश के अनेक पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार भी मिलेगा तथा सीमेन्ट के मूल्यो में भी कमी आयेगी ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह भारतीय सीमेन्ट निगम की गतिविधियों पर और ज्यादा ध्यान दे तथा मध्य प्रदेश में सीमेन्ट के उत्पादन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू करे ।

(तीन), कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कोको उत्पादकों की समस्यायें

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं एक अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूँ ।

कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कृषक सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसीयों के सहयोग से बडे पैमाने पर कोको का उत्पादन करने में सफल हुए हैं । अब ये उत्पादक इस स्थिति में हैं कि वे विश्व बाजार में कोको का निर्यात कर सके क्योंकि उनका उत्पादन देश की आवश्यकता से अधिक हुआ है ।

दुर्भाग्यवश कोको उत्पादक अब एक गम्भीर संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि मैसर्स कैडबरी इण्डिया ने, जो भारी माला में भारतीय उत्पाद खरीदा करता था, 18-5-1980 से अपने डिपो को अनिश्चित काल के लिए बन्द कर दिया है जिसके कारण नरियल की कोई मांग नहीं है और जिसके फलस्वरूप नारियल उत्पादन करने वाले तीन राज्यों के नारियल उत्पादकों पर बुरा प्रभाव पड़ा है ।

यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने इस तथ्य के बावजूद कि देश के कोको उत्पादक कोको का निर्यात करने की स्थिति में हैं, सरकार ने कोको पर आयात-शुल्क भी हटाकर उनके मुश्किलें और बढ़ा दी हैं ।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार को कोको उत्पादकों की सहायतार्थ आगे आना चाहिए तथा कोको के आयात पर रोक लगानी चाहिए और कोको के लिए बाजार की तलाश करने तथा कोको उत्पादकों की सहायता करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार को काफी बोर्ड जैसे एक स्वायत्यशासी सांविधिक बोर्ड की स्थापना करनी चाहिए, जिससे कि नरियल उत्पादकों के हित में बिचौलियों को समाप्त किया जा सके यदि ऐसा न किया गया तो उनका रोजगार समाप्त हो जाएगा, उनका उत्पाद नष्ट हो जाएगा जिससे उन्हें महान क्षति होगी ।

(चार) कच्छ के रन से नमक की ढुलाई के लिए रेल वैगनों के उपलब्ध न होने का समाचार

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक अविलम्बनीय लोक महत्व के मामने को उठाना चाहता हूं ।

सारे देश में समुद्री नमक का लगभग 22% उत्पादन कच्छ के छोटे रन में होता है । इन पानों में लगभग 24,000 श्रमिक काम करते हैं, जो सभी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आते हैं । वैगनों की कमी के कारण खरघोडे, कुडा, हल्वद तथा मालिया रेलवे स्टेशनों पर बड़ी माला में नमक ढुलाई के लिए पड़ा हुआ है । यदि रेलवे स्टेशनों से नमक को तत्काल नहीं हटाया गया तो मानसून की वर्षा के शुरू होने के कारण काफी क्षति होगी । मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे इस मामले को तत्काल देखें तथा सुनिश्चित करें कि मानसून के आने से पूर्व वैगनें उपलब्ध करा दिए जायें ।

(पांच) धान के मूल्य का पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता

श्री पी० राजगोपाल नायडू (चित्तुर) : महोदय, नियम 377 के अन्तर्गत मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूँ ।

इस वर्ष कृषि मूल्य आयोग द्वारा धान मूल्य की घोषणा में घटिया धान के लिए 95 रु० प्रति क्विंटल मूल्य घोषित करने से समूचे देश के धान उत्पादकों को गहरी चिन्ता हो गई है ।

सरकार इस बात से अच्छी तरह परिचित है कि श्रम-लागत में वृद्धि हुई है तथा रसायन उर्वरक में 25 रु० प्रति बैग वृद्धि होने जा रही है जिससे उत्पादन लागत में भी काफी वृद्धि आयेगी ।

सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि कृषि उत्पादों के मूल्य की गणना करते समय, निवेश तथा पर्यवेक्षी व्यय, उत्पादकों के जीवन-निर्वाह व्यय में वृद्धि को भी शामिल किया जाएगा ।

किंतु धान के लिए समर्थन मूल्य निश्चित करते समय इन बातों पर विचार नहीं किया गया ।

आन्ध्र प्रदेश सरकार धान के लिए पहले ही 125 रु० प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की सिफारिश कर चुकी है । मेरा अनुमान है कि तमिलनाडु और कर्नाटक तथा अन्य सरकारों ने भी कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य से अधिक की सिफारिश की है ।

अतः मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वह स्थिति पर पुनर्विचार करे तथा समर्थन मूल्य में संशोधन करे जो आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चाहा है । (समाप्त)

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई ।

लोकसभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बज कर 6 मिनट पर पुनःसमवेत हुई । (उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए ।)

लेखानुदानों की मांगे (आसाम), 1980-81—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान जी, यह दूसरी बार है कि यह सभा असम के लेखानुदान पर विचार कर रही है । मैं मानता हूं कि यह इस सन्मान्य सभा को उन गम्भीर समस्याओं पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है जिसका इस समय असम सामना कर रहा है । असम तथा हमारे देश के उस भाग में पड़ोसी राज्य सम्पूर्ण राष्ट्र का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ हुये हैं । लोगों को भारी चिन्ता है । आज राजनैतिक स्थिति बहुत पेचीदा तथा बहुत जटिल हो चुकी है । लोगों के असंतुष्ट तथा अधीर होने के कारणों में से एक यह है कि यह राज्य देश का अत्याधिक पिछड़े राज्यों में से एक है । यदि आप असम का प्रति व्यक्ति आय देखें तो उड़ीसा को छोड़कर यह निम्नतम है । इसके अतिरिक्त, प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस राज्य पर किया गया खर्च बहुत कम है । उदाहरण के लिए, प्रथम चार पंचवर्षीय योजनाओं में असम का प्रति व्यक्ति खर्च 34 रु० है जबकि मध्यप्रदेश में 121.60 रु०, बिहार में 91.90 रु०, तमिलनाडु में 69.60 रु०, प० बंगाल में 105.60 तथा केरल में 43.70 रु० है । बड़े दुर्भाग्य की बात है असम में लोगों की यह भावना है कि दिल्ली में केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा उनकी उपेक्षा की जा रही है तथा विकास के मामले में उन्हें उचित हिस्सा नहीं दिया जा रहा है । उन्हें इस से वंचित रखा जा रहा है, इसलिये उन्हें केन्द्रीय सरकार के रवैये से भारी शिकायत थी ।

इस बात को सिद्ध करने के लिए कुछ मुद्दे हैं : उदाहरणार्थ इस देश में उत्पादित कुल कच्चे तेल में असम का भाग एक तिहाई है । प्रति टन 42 रु० की दर से असम को रायल्टी दी जा रही है, उसे लगभग 22 करोड़ रुपये मिलते हैं । उनका कहना है कि असम जो तेल का उत्पादन कर रहा है, राजस्व के रूप में केवल 22 करोड़ रुपये प्राप्त करता है जबकि उसकी विरुद्ध असम कच्चा तेल पर बरौनी को दी जाने वाली रायल्टी 60 करोड़ रुपये है । उन्हें इसके बारे में बहुत भारी शिकायत है । असम देश में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाले राज्यों में से एक है तथा यह समस्त देश की उत्पादित चाय का लगभग 2/3 उत्पादन करता है । परन्तु उन अधिकांश कम्पनियों के मुख्यालय कलकत्ता में है जो असम में चाय का उत्पादन करती है । 756 कम्पनियों में से लगभग 700 कम्पनियों का मुख्यालय कलकत्ता में है जिसके परिणामस्वरूप असम को राजस्व की हानि हो रही है । असम की चाय से प० बंगाल लगभग 42 करोड़ का राजस्व प्राप्त करता है, जबकि

[श्री चन्द्रजीत यादव]

असम केवल 20 करोड़ रुपये प्राप्त करता है। प्लाईवुड का भी ऐसा ही मामला है। वन-सम्पदा असम की आय के प्रमुख श्रोतों में से एक है। प्लाईवुड से सारे देश को लगभग 80 करोड़ रु० की वार्षिक आय है असम को प्लाईवुड से लगभग 6 करोड़ रुपये राजस्व मिलता है, केन्द्रीय अनुदान के लिए असम को केवल 35 लाख रुपये मिलत हैं।

असम राज्य की एक और बड़ी सही शिकायत है। शायद गोहाटी ही एक ऐसी राजधानी है जो स्वतंत्रता के 33 वर्ष बाद भी दिल्ली से केवल छोटी लाइन से जुड़ी हुई है। सम्पूर्ण देश में इसी राज्य की राजधानी ऐसी है जो बडी रेलवे लाइन से अभी तक नही जुड़ी है। असम की जनता की शिकायतो में यह सबसे अधिक महत्व रखने वाली शिकायतो में से एक है। श्री मधु दंडवते कह रहे है कि उन्होंने इसको बड़ी लाइन में बदलना शुरू कर दिया था परन्तु वे दुर्भाग्य से इसे पूरा नही कर सके।

प्रो० मधु दंडवते : हमन रेलवे लाइन तो बड़ी कर दी परन्तु हम छोटी लाइन पर आ गए।

श्री चन्द्रजीत यादव : असम के लोगो की ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिकायतें है। इसलिए यही समय है कि यह सदन असम के बजट पर मात्र औपचारिक रूप से अपना कर्त्तव्य निर्वाह करके ही न रहा जाए, क्योंकि विधान सभा भंग कर दी गई है और हमें बजट पास करना है और एक राष्ट्रीय जिम्मेवारी पूरी करनी है इसलिए इसे पास कर दिया जाए परन्तु इस सभा को यह भी देखना चाहिए कि देश के इस भाग में जो समस्यायें है वे बहुत बड़ी-बड़ी समस्यायें हैं उनका समाधान किया जाना चाहिए। समस्त क्षेत्र की ऐसी भावना है कि केन्द्र का वास्तविकता से कोई संबंध नही है, केन्द्र उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्वक कोई विचार नहीं करता। कुछ विकास-कार्यों के लिए केवल कुछ धन खर्च कर देने से लोगों की आम भावना ठीक नही होती है।

मुझे याद है कि जब ये राज्य बनाए जा रहे थे तब यह कहा गया था कि हम चाहते हैं कि ये छोटे-छोटे राज्य तथा उन में रहने वाले लोग अपने विशिष्ट गुणों तथा स्वरूप का पूरा-पूरा विकास करें। आज यह स्वरूप के संकट का काल है। वहां रहने वाले व्यक्तियों की ऐसी भावना है कि उनकी अभिन्नता उनके जीवन का तरीका तथा उनका स्वरूप खतरे में है। जब तक वहां अविश्वास की भावना है तो लोग पूर्ण सन्तोष के साथ जीवन यापन नही कर सकते है। इस पर विचार करना इस सदन का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसको केवल सरकार पर ही नहीं छोड़ना चाहिए। यह केवल केन्द्रीय सरकार का काम नहीं है, क्योंकि अपने गलत रवैये के कारण, वास्तविकता से दूर रहने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा एक निश्चित मुद्दा प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेने के कारण, इस सदन को इस पर विचार करना चाहिए। इसलिये यही उपयुक्त समय है कि यह सदन इस काम को अपने हाथ में ले ले तथा इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करे।

मैं सुझाव दूंगा कि इस सदन को सदन की एक समिति गठित करनी चाहिए तथा समिति देश के उस भाग का दौरा करे तथा घटनास्थल पर लोगों से मुलाकात करे। उन्हें उनकी उन समस्याओं का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगो के दिमाग में विद्रोह पैदा कर रही है। अन्यथा, यह भावना वहां बन सकती है कि संसद ने इस तथ्य के बावजूद इस की कोई परवाह नहीं की है कि लोग संसद सदस्यों से अनुरोध कर रहे है, राजनैतिक दलों तथा सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। मैं इस बात पर पुनः बल देता हूं कि असम तथा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगो का आर्थिक पिछड़ापन प्रमुख कारणों में से एक है उसे दूर करने के लिये प्राथमिकता दी जानी है। दूसरे लोगो को सही स्थिति बतलाई जानी चाहिए उनमें देश की प्रगति में शामिल होने, हिस्सा बटाने की भावना अवश्य पैदा होनी चाहिए और यह कि उनको न्यायपूर्ण हिस्सा दिया जा रहा है, यह बहुत ही स्वाभाविक है। यह एक राज्य के लोगों का दूसरे राज्य की जनता के विरुद्ध आंदोलन करने का प्रश्न नहीं है। बहुत समय से राज्य इस प्रश्न को उठा रहे थे। केन्द्र तथा राज्यो के बीच वित्तीय नियतन किस आधार पर होने चाहिए। उन राज्यों को अब उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए जिनको उपेक्षित रखा गया था जिनको समस्याओं को कुछ स्थितियों में प्राथमिकता प्रदान नहीं की गयी थी। असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्यों को न केवल समान व्यवहार देना चाहिए बल्कि कुछ अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए निधियों के नियतन तथा कुछ उद्योगों की स्थापना में प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। देश में पंजीकृत लघु उद्योगो में असम का बहुत थोड़ा अथवा कम हिस्सा है, देश में 1200 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश लघु उद्योग में है, असम तथा सपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र—जिन्हें हम सात बहिनें कहते हैं— उनमें उद्योग के मूल्य का केवल 12 करोड़ रुपये का निवेश है। ये सच्ची भावनायें हैं, और यदि लोग उन प्रश्नों को उठाते हैं जो वास्तविक है तो हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह राजनीति है और यह मुठ्ठीभर लोगों द्वारा उठाए गए है। यह मुठ्ठी भर लोगो का प्रश्न है। आपने आज के समाचार पत्र म प होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक क्षेत्र में 200 विद्रोही थे और उन 200 विद्रोहियों पर नियंत्रण करने के लिए 15 00 1 भेजे जा रह है। क्या उन 200 विद्रोहियों पर नियंत्रण करने के लिए 15,000 सैनिकों

की आवश्यकता है ? यह 200 या 300 विद्रोहियों अथवा मुठ्ठीभर लोगों का प्रश्न नहीं है। यह ऐसा प्रश्न है जो देश में उस भाग के सभी लोगों के दिमागों को आन्दोलित कर रहा है। इसमें लोगों की गहरी भावनायें निहित हैं। इसलिए सरकार को अवश्य पहल करनी चाहिए और न केवल तत्काल समस्याओं का समाधान करना चाहिए बल्कि उन आधारभूत समस्याओं का भी समाधान करना चाहिए जो उनके आर्थिक जीवन, रहन-सहन के ढंग, उनके सांस्कृतिक जीवन तथा उनके भविष्य से संबंधित है। इसलिये मैं माननीय वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि इस प्रश्न को अविलम्बीय राष्ट्रीय मुद्दों में से एक मानकर कार्यवाही की जाए।

अन्त में, मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री महोदया इस सुझाव पर गंभीरता से विचार करें। लोगों की भावनाओं, मनोभावों को सन्तुष्ट करने के लिए क्या प्रधान मंत्री महोदया कुछ समय के लिए इन राज्यों की जिम्मेदारी अपने उपर लेंगी, मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा हूं अर्थात् एक वर्ष के लिए क्या वह इन राज्यों का प्रत्यक्ष दायित्व अपने पास रखेंगी। एक स्थिति पैदा करने का प्रश्न है ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। हमने देखा है कि एक स्थिति में एक केन्द्रीय मंत्री एक राज्य का प्रभारी बनाया गया था और मुझे विश्वास है कि उस समय उस राज्य की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। हमने यहां देखा है कि लोगों को विशेष राज्यों की विशेष जिम्मेवारी दी जा रही है, क्योंकि उन राज्यों में ऐसी समस्यायें थीं। इस समय कोई मंत्री लोगों की भावनाओं को सन्तुष्ट करने में समर्थ नहीं होगा। परन्तु यदि स्वयं प्रधान मंत्री महोदया इस जिम्मवारी को अपने ऊपर लेती है और वह इन समस्याओं की जांच करती हैं तो वह इसकी प्रत्यक्ष रूप से प्रभारी होंगी; वह मुख्य मंत्रियों तथा उन राज्यों में अन्य लोगों से विचार-विमर्श कर सकती हैं जहां अविश्वास है। उसी समय मुझ ये विचार व्यक्त करने चाहिए कि यह एक समुदाय का दूसरे समुदाय के विरुद्ध प्रश्न नहीं है; यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का प्रश्न नहीं हैं, अथवा असम में रहने वाले लोगों के विरुद्ध देश के बाकी लोगों का प्रश्न नहीं है अथवा बंगालियों या गुजरातियों या बिहारियों के विरुद्ध असमियों का प्रश्न नहीं है। यह वह प्रश्न नही है। इस बात पर हर कोई सिद्धांत रूप से सहमत है कि उन्हें यह सोचना होगा कि वे सम्पूर्ण राष्ट्र के एक अंग हैं। अन्य बातों के अलावा हमें देशभक्ति, राष्ट्रीयता तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता देनी होगी। मुझे विश्वास है कि देश के उस भाग में रहने वाले लोग उतने ही देशभक्त हैं जितने कि हम हैं। वे भी भारतीय संस्कृति, भारत के शक्तिशाली बनने तथा भारत की विश्व अथवा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में शान बढ़ने में स्वाभिमान महसूस करते हैं। यह भावना वहां है। हमें इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए कि यह प्रान्तीयता से प्रेरित बात है। यदि कोई प्रान्तीय तत्व हैं तो उन्हें अवश्य ही अलग कर देना चाहिए। लेकिन उस क्षेत्र के सारे के सारे लोगों को प्रान्तीयता का दोष नहीं दिया जा सकता, उन्हें राष्ट्र-विरोधी नहीं कहा जा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उनका संकीर्ण दृष्टिकोण है। यह गलत बात होगी।

इन शब्दों के साथ मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह उस क्षेत्र के आर्थिक विकास पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें तथा इसे परम अग्रता दे।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत आसाम विनियोग विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज आसाम एक प्रकार से जल रहा है, और जब तक आसाम में सामान्य स्थिति पैदा नहीं होती, जब तक वहां के विभिन्न कम्युनिटीज के लोगों के बीच सौहार्द और प्रेम का वातावरण पैदा नहीं होता, तब तक सरकार इस विनियोग विधेयक के द्वारा वहां पर जो कुछ करना चाहती है, उसको उसमें सफलता नहीं मिल सकती है, सरकार की मंशा फलीभूत नहीं हो सकती है।

कल सदन में मैंने प्रतिपक्ष के अपने कुछ बड़े भाईयों के विचारों को सुना, और सदन से बाहर भी प्रतिपक्ष के कई नेताओं के विचारों को पढ़ा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश का प्रतिपक्ष आसाम की समस्या को उलझा कर उसका कुछ राजनैतिक फायदा उठाना चाहता है। आज आसाम की समस्या एक प्रशासनिक समस्या नहीं है। इसके साथ देश की अखंडता का सवाल जुड़ा हुआ है। वक्त ने सारे देश और विरोधी दल के लोगों के सामने एक चुनौती रखी है कि आसाम के संदर्भ में राष्ट्रीय सहमति बनाने के जो प्रयास श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनकी सरकार द्वारा किये जा रहे हैं, वे उनको अपना समर्थन दें और केन्द्रीय सरकार को ताकत दें कि वह आसाम की समस्या को सुलझा सके, ताकि आसाम के लोगों की बेहतरी के लिए काम हो सके।

संसद् के मंच पर या बाहर सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाने से वहां की समस्या का हल नहीं हो सकता है। मैं विशेषकर माननीय मधु जी से, जिनकी सारी मधुरता अपनी पार्टी के झगड़ों के कारण

[श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत]

कटुता में परिणत हो चुकी है, जिसको वह बराबर हम पर निकालते रहते हैं, अटलजी और माननीय जार्ज साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि वे हम पर आरोप लगाते हैं कि हम वहां पर शक्ति बरत रहे हैं, हम वहां पर दमनात्मक रवैया अपना रहे हैं। लेकिन वे इस बात को क्यों नहीं भूलते हैं कि आसाम का जो फोड़ा उनके शासन-काल में पैदा हुआ था, उसमें आज इतना मवाद और पीप भर गये हैं कि सरकार उस पर नश्तर चलाने के लिए बाध्य है? उसके बिना आसाम की समस्या नहीं सुलझ सकती है। अगर हमने इस फोड़े का आपरेशन नहीं किया, तो हो सकता है कि वह देश के सारे शरीर को अपनी आगोश में जकड़ ले—सारा देश उससे प्रभावित हो सकता है।

जिस तरह जनता पार्टी ने कई समस्यायें विरासत में हमारी सरकार को दी हैं, उसी तरह आसाम की समस्या भी उसकी देन है। वास्तव में आसाम की समस्या वह नहीं है, जो बाहर से दिखाई देती है। यह तो एक षड़यंत्र है हिन्दुस्तान को टुकड़ों में बांटने का, जो जनता पार्टी के शासन-काल में शुरू हुआ। मैं कल माननीय जेठमलानी जी की बातों को सुन रहा था। उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से, बहुत जोर के साथ यहां पर भाषण किया और उस में विदेशी हाथ आन्दोलन में न होने की वकालत की। उस को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। माननीय जेठमलानी जी तो यहां पर नहीं हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी के कोई मैम्बर यहां मौजूद हों तो उन के माध्यम से मैं अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि आज हमें और सारे राष्ट्र को इस बात की शंका है कि जिस तरीके से पहले आसाम में और हमारे पूर्वांचल में मिशनरी वहां की बैकवर्डनेस और गरीबी का फायदा उठा कर नाना प्रकार के षड़यंत्र रचते थे उसीके नक्शे कदम पर आर० एस० एस० के लोग भी कुछ विदेशी शक्तियों, जिन अदृश्य शक्तियों की तरफ कल गृह मंत्री जी ने इशारा किया था, उन के इशारे पर, उन्हीं के नक्शे कदम पर आसाम में आन्दोलन को चला रहे हैं और इसे वहां पनपा रहे हैं। यह तथ्य इस बात से भी साफ होता है कि 1979 में 19 फरवरी को जब देवरस जी, जो आर० एस० एस० के सरसंघचालक हैं, वहां गए, उस के बाद ही आसाम के आन्दोलन में तीव्रता पैदा हुई। आसाम का आन्दोलन जिस के माध्यम से वहां के कुछ लोग अपनी तकलीफों का इजहार करना चाहते थे उस को उन्होंने एक टर्न दिया, उस को एक ऐसा झुकाव प्रदान किया जो आज देश के लिए घातक बन गया है। 1979 से पहले आर० एस० एस० का कोई सरसंघचालक तो छोड़िए, उन का कोई कार्यवाहक तक दो बार से अधिक आसाम में नहीं आया, पूर्वांचल में नहीं गया लेकिन माननीय देवरस जी 1979 में ही तीन बार बड़े लम्बे लम्बे समय तक के लिए आसाम गए और प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह जो उन के बाद शायद नम्बर म आते हैं, अटल जी ज्यादा जानते होंगे, वह भी दो बार लम्बे लम्बे समय तक वहां रहे। मिस्टर सुभाष चन्द्र जो वहां के इंचार्ज हैं उन्होंने तो आसाम में एक प्रकार से अड्डा ही जमा लिया। जिस असम और पूर्वांचल में आर० एस० एस० के शायद दो या तीन कैम्प तीन साल में लगे थे वहां नौ कैम्प आसाम में 1979 और 80 में लगे। जो वहां नलबारी जिले में एक कैम्प लगा था आर० एस० एस० का उस कैम्प के बाद उस क्षेत्र में और आन्दोलन बढ़े। वहां पर हिन्दू और मुस्लिम के बीच में आपस में तनाव पैदा करने की कोशिश की गई और एक नया तत्व आसाम के आन्दोलन में उन्होंने पैदा किया। जो आर० एस० एस० का दो राष्ट्र का सिद्धांत है उसी को वहां पर भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। वहां बंगाल से आए हुए शरणार्थियों को जिन्होंने भारत में शरण ली थी, जिन को हमारे देश की सरकार ने, हमारे राष्ट्र ने अपनी प्राचीन मान्यताओं और परम्पराओं के अनुसार वहां पर जगह दी थी, उन को हिन्दू और मुस्लिम के आधार पर विभक्त करने की कोशिश की गई। आर० एस० एस० का जो अखिल भारतीय कैम्प हुआ उस में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिस में कहा गया कि बंगाल से आसाम में आए हुए जो हिन्दू हैं उन को तो वहां रहने दिया जाय और जो मुस्लिम आए हैं वहां से उन को हटा दिया जाय, उन को फारेनर कह कर बाहर निकाला जाय। उसी के परिणाम में कल जो सुलेमान सेट ने कहा कि वहां पर अल्पसंख्यकों का जीवन असुरक्षित हो गया है, वह एक वास्तविकता है। उसके बाद अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर० एस० एस० के लोगों में, विशेषकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन के दिलों में इस राष्ट्र के प्रति यदि कुछ भी प्रेम बाकी है, कोई भी राष्ट्र-प्रेम की धड़कन उन के दिल में है तो उन को आर० एस० एस० के वहां इन्वाल्वमेंट की निन्दा करनी चाहिए और जो आम सहमति बनाने का प्रयास केन्द्र की सरकार की तरफ से किया जा रहा है उस में सहयोग करना चाहिए।

राष्ट्रीय छात्र परिषद का नाम लिया गया है । मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों की तरफ या अपने लोकदल के भाइयों की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ। उन के भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट जो हमारा समर्थन कर रहे हैं वह केवल इस धारणा के साथ कर रहे हैं कि इस आन्दोलन को रोकने का जो प्रयास केन्द्रीय सरकार कर रही है, उस में जो भी तेजी दिखा रही है यदि उस का साथ वे नहीं देते हैं तो वे जानते हैं कि बंगाल की जनता उन को माफ नहीं करेगी । उन को उखाड़ कर फेंक देगी । यह उन की मजबूरी है। हमारे लोग दल के भाई एक नया मोड़ इस आन्दोलन को दे रहे हैं । यह कह कर उन की भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं कि 1962 में चीन के आक्रमण के समय आसाम के जो आदिवासी लोग हैं, जो वहां के मूल लोग है उन को छोड़ कर जो लोग वहां आए हुए हैं वे भाग कर चले जायं। वह भी आन्दोलन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं । वे भी इस मामले में बराबर के दोषी हैं।

जहां पर विरोध पक्ष का इस प्रकार का असहयोग का रुख है वहां मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ और माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस आन्दोलन को हमें समझना पड़ेगा। इस आन्दोलन के मूल को हमें समझना पड़ेगा । आज हिमालयन रीजन में चाहे वह हमारा पूर्वांचल हो या और दूसरा क्षेत्र हों, वहां पर अपनी बैकवर्डनेस के खिलाफ आक्रोश है । लोग यह समझने लगे हैं कि हमारा पिछड़ापन दूर होना चाहिए और यदि हम ने उस को दूर करने की कोशिश नहीं की, उस के लिए एक समग्र प्रयास नहीं किया तो निश्चित तौर पर विदेशी ताकतें हैं और जो ऐसी ताकते हैं जिन को राष्ट्र से सरोकार नहीं, जो अपने स्वार्थों को सिद्ध करना चाहती हैं, उन को खुल कर खेलने का मौका मिलेगा ।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि एक अवसर सरकार को मिला है कि हम आसाम के लोगों के उत्थान के लिए, पूर्वांचल के लोगों के उत्थान के लिए, जितने भी पिछड़े इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं वहां के लोगों के उत्थान के लिए कुछ सोचे और कुछ करें । इसके लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जानी चाहिए और कुछ ठोस काम किए जाने चाहिए ।

इन शब्दों के साथ एक बार मैं फिर माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि जो रीजनल इम्बैलेंसेज जगह जगह खड़े हो गए हैं उनको दूर करने के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम लागू किए जायें । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि असम विनियोजन (द्वितीय लेखा-अनुदान) विधेयक के निबटान के पश्चात् आज श्री पी० वेंकटसुब्बया गिरफ्तार किये गये कुछ व्यक्तियों के बारे में वक्तव्य देंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह यह वक्तव्य अभी दे सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं ।

एक माननीय सदस्य : क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : हमें नियमों का आदर करना चाहिए ।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : वह कौन सा नियम है? मंत्रीजी को बहस में व्यवधान डालने तथा वक्तव्य देने में कौन सा नियम रोकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहस के बीच में कोई नयी बात नहीं उठाई जा सकती है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हम ऐसे समय में इस सभा में असम के बजट पर चर्चा कर रहे हैं जबकि बाहर सारे देश में एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति है, विशेष तौर से उत्तर-पूर्वी भाग में जहां अब देश की एकता तथा अखंडता खतरे में है ।

श्रीमान, मैं अपने मित्र श्री चन्द्रजीत यादव के कथनों से पूरी तरह सहमत हूँ कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और कम से कम वित्तीय शक्तियों के वितरण के बारे में केन्द्र तथा राज्य के सम्बंधों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए । वस्तुतः हम मांग करते आये हैं कि इस प्रकार का वाद-विवाद एक उचित वातावरण में ही शुरू किया जाये, हमारे संविधान के जो वर्तमान संघीय व्यवस्था में कमियां हैं उन्हें यथाशीघ्र दूर किया जाये तथा अधिक समन्वय ढंग से कार्य करने के लिये

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

राज्य सरकारों को धन के स्रोत उपलब्ध कराये जाये जिससे वे अधिक प्रभावी ढंग से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें । लेकिन आज हम यहां असम बजट पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? मैं उस क्षेत्र की जनता के आर्थिक विकास के आकांक्षाओं तथा भावनाओं के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट किए बिना नहीं रह सकता । इस सम्बन्ध में हम यह चाहते हैं कि सारा देश उन आकांक्षाओं तथा भावनाओं के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करे और हम देश के उन क्षेत्रों के परिपूर्ण विकास के लिये समन्वित प्रयास करें जो आजादी के 33 वर्षों बाद भी पिछड़े रहे हैं। हम यह भी महसूस करते हैं कि धन के वितरण के कुछ पक्षपात के मामले भी रहे हैं। जिन क्षेत्रों में खनिज स्रोत पैदा होते हैं उसी क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है । यह आरोप है । लेकिन आज हम इस सभा में असम के बजट पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां एक ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिसके परिणामस्वरूप वहां राज्य सरकार के माध्यम से विधान सभा द्वारा प्रशासन चलाना सम्भव नहीं रहा हैं और हम महसूस करते है कि वहां देश को बरबाद करने के लिए अहितकारी आन्दोलन चलाये गये हैं । जिसके फलस्वरूप आज असम की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गयी है । एक वर्ष से विकास की कोई गतिविधियां नहीं हो रही है । शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिये गये है और सामान के आवागमन पर रोक लगी हुई है । पेट्रोल की सप्लाई भी बंद कर दी गयी है । केवल सारे देश को ही नहीं बल्कि विशेषतौर से उस क्षेत्र को भी करोड़ों रुपयों की हानि हुयी है । और अब वहां चल रहे वर्तमान आन्दोलन के फलस्वरूप उत्पन्न असम की अर्थव्यवस्था के कारण देश के हितों को दाव पर लगा दिया गया है । आज इस सभा को असम के बजट पर विचार करना है । हम देख रहे हैं कि असम का नागरिक प्रशासन अराजकता और हिंसा की कार्यवाहियों को प्रोत्साहन देने में ज्यादा व्यस्त है । आजकल असम का पुलिस दल आन्दोलन कर्ताओं का हमलावर दल बन गया है । आकाशवाणी का गोहाटी केन्द्र अखिल असम छात्र तथा गण संग्राम परिषद की कठपुतली की तरह कार्य कर रहा है । हम प्रो० हीरेन गुहा के एक पत्र की प्रति मिली हैं उनको निर्दयता से पीटा गया, पीटने का कारण केवल यही था कि वे वहां चल रहे आंदोलन के विरुद्ध हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि आकाशवाणी के गोहाटी केन्द्र से उनकी पत्नि तथा परिवार और आन्दोलन का विरोध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भद्दे आरोप लगाकर एक ड्रामा का प्रसारण किया जा रहा है । इस प्रकार स्थिति अत्यन्त गम्भीर है।

असम के उत्पाद देश के अन्य भागों में नहीं आ सकते हैं । आन्दोलनकारी उन्हे रोक रहे हैं लेकिन हमें सूचना मिली है कि चाय नहीं रोकी गयी है । असम से चाय देश के अन्य भागों को भेजने न दी जा रही है । इसका कारण यह है कि चाय के बागान ऐसे विशेष सम्प्रदायों के हैं जो इस आन्दोलन तथा गतिविधियों के लिये दिल खोल कर आर्थिक सहायता दे रहे हैं। यदि मेरी जानकारी गलत है तो वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह मुझे सही जानकारी दें ।

यह कहा जाता है कि जो आन्दोलन असम में चल रहा है वह केवल उस क्षेत्र के लोगों के आर्थिक उद्धार के लिये हैं लेकिन यह गलत है । आर्थिक उद्धार और आर्थिक सुधार के संघर्ष के आवरण के पीछे वे स्वयं यह निश्चय करने की शक्ति अपने हाथ में ले रहे हैं कि कौन विदेशी है और कौन असमी है । हमारी राय के अनुसार यह विदेशियों वाली बात कुछ नहीं हैं बल्कि असमी भाषा बोलने वाले लोगों को भड़काने का एक धोखा है जो इस आन्दोलन को समर्थन दे रहे हैं जबकि इसका वास्तविक उद्देश्य एक पृथकतावादी आन्दोलन शुरू करना है ।

आज के हिन्दुस्तान टाइम्स समाचार पत्र के मुख पृष्ठ पर अत्यन्त महत्वपूर्ण समाचार है, तथा मैं सदन के सभी वर्गों से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले पर विचार करें। क्या इस देश में हम आग से खेल रहें हैं? अब समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र में आग भड़काने की चेष्टा की जा रही है। समाचार में भी यही कहा गया है।

> "बांगलादेश के विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि स्वीदन के दो समुद्री-जहाजों से चिट्टागांव बंदरगाह पर 'बहुत अधिक मात्रा में आधुनिक छोटे हथियार' उतारे गये हैं। ये हथियार गेहूं के ढ़ेर के नीचे गुप्त रूप से रखे हुए थे। बन्दरगाह के सूत्रों ने बताया कि ये हथियार स्पष्टतया बांग्लादेश की फौज अथवा उनकी किसी सेना के लिए नहीं थे क्योंकि हथियारों के किसी सरकारी आयात को गेहूं के नीचे गुप्त रूप से रखने की आवश्यकता नहीं है। इन सूत्रों ने कहा कि ये छोटे हथियार भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के उग्रवादी तथा पृथकतावादी तत्वों के उपभोग के लिये थे। तेलियामुरा तथा अमरपुर को चिट्टागांव से जोड़ता हुआ एक रास्ता जंगल से होकर जाता है और मिजोरम, दक्षिण पूर्व त्रिपुरा तथा दक्षिणी त्रिपुरा, बरास्ता कंचलोंग जंगल को जोड़ने वाला एक अन्य प्रसिद्ध पहाड़ी रास्ता भी है।"

इसके उपरान्त उन्होंने उस रास्ते का भी उल्लेख किया है जिसके द्वारा इन गैरकानूनी हथियारों को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में ले जाया जा रहा है। श्री चन्द्रजीत यादव ने अनेक घटनाओं का वर्णन किया है। हम देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों से देश के उस भाग में अव्यवस्था उत्पन्न करने के सुनियोजित तथा संगठित प्रयास किये जा रहें हैं।

श्री महमूद हसन खान (बुलन्दशहर) : क्या वे हथियार बांग्लादेश पहुंच चुके हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी हां, समाचार में यही कहा गया है।

माननीय सदस्यों के सम्मुख मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि वहां पर किये जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप न केवल अर्थव्यवस्था डांवाडोल स्थिति में है अपितु गम्भीर मानवीय परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई हैं। अनेक लोगों पर हमला किया जा रहा है, मुझे उस समय बहुत दुःख हुआ जब कि पिछली बार चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों ने वहां पर हुई हत्याओं के विरुद्ध निन्दा का एक भी शब्द नहीं कहा। उन लोगों को, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, परेशान किया जा रहा है। उनका केवल एक ही अपराध है कि वे एक विशेष, भाषा बोलते हैं तथा एक विशेष धर्म का पालन करते हैं। कुछ लोगों ने यह निर्धारित करने का अधिकार कि कौन स्वदेशी है तथा कौन विदेशी है, अपने हाथों में ले लिया है, यद्यपि ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। वे यह निर्धारित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहें हैं कि किसे इस देश में रहना चाहिए तथा किसे इस देश में नहीं रहना चाहिए, जबकि संविधान के अन्तर्गत ये जिम्मेदारी उनको नहीं सौंपी गई है। इन व्यक्तियों द्वारा तथाकथित विदेशियों तथा असमिया भाषा बोलने वाले उन व्यक्तियों को भी, जो कि इस आन्दोलन के विरुद्ध हैं, परेशान किया जा रहा है तथा मारा पीटा जा रहा है और कुछ मामलों में इनकी हत्या तक कर दी गई है। लोग अपनी जान बचाने के लिए आसाम छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। केवल भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ ही नहीं अपितु अन्य अल्पसंख्यकों के साथ भी यही व्यवहार किया जा रहा है। इस समस्या का समाधान क्या है ? इसे किस प्रकार हल किया जाय ?

परसों मेरे नेता कामरेड़ समर मुखर्जी ने उस पत्र को सदन में रखा था और कल श्री राम जेठमलानी ने यह कहते हुए इसकी आलोचना की थी कि यह कुछ मनगढ़न्त है और उन्होंने यह भी कहा कि इस पर्चे में उल्लिखित यू० एस० ए० शब्दका अर्थ युनाइटिड स्टेट्स आफ अमरीका नहीं है, उन्होंने सहजता से कहा कि इसका तात्पर्य युनाइटिड स्टेट्स आफ आसाम है। क्या यहां हमारे कुछ मित्र अथवा इस देश का कोई व्यक्ति स्वतन्त्र युनाइटिड स्टेट्स आफ आसाम के पक्ष में है ? अतः इसका कुछ महत्व नहीं है कि यह युनाइटिड स्टेट्स आफ अमरीका है अथवा युनाइटिड स्टेट्स आफ आसाम। चलिए, तर्क करने हेतु मैं यह स्वीकार कर लेता हूं कि श्री जेठमलानी ने ठीक कहा है कि यह युनाइटिड स्टेटस आफ अमरीका नहीं है। लेकिन क्या वह युनाइटिड स्टट्स आफ आसाम के पक्ष में है ? उनको इस प्रकार के किये जा रह प्रचार पर कोई आपत्ति नहीं हैं। ऐसे कुछ लोग इसकी वकालत कर रहे हैं। सदन से मेरा निवेदन यह है कि इस आन्दोलन के पीछे निहित सम्पूण उद्देश्य अलगावकी प्रवृत्ति है। आज स्थिति यह है कि यह आग फैलती ही जा रही है और त्रिपुरा तक जा पहुंची है। यह कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा रचा गया षड़यन्त्र है तथा ये तत्व नहीं चाहते कि देश के उस भाग में स्थिरता रहे। कुछ राजनैनिक तत्व भी वहां की वामपन्थी मोर्चा सरकार के विरोधी है, वे तत्व स्पष्टतया इस आन्दोलन का पक्ष ले रहें हैं तथा मुझे यह कहते हुए दुःख है कि माननीय वित्त मंत्री की पार्टी से सम्बद्ध एक पक्ष भी इसमें सम्मिलित है। वे वहां की समस्याओं को हल करने की चेष्टा किए बगैर राष्ट्रपति शासन मांग कर रहें हैं। जब सर्व दलीय संयुक्त शांति समितियां गठित की गई थीं, इन्होंने केवल एक दिन इन समितियों में भाग लिया तथा अब ये इन शांति समितियों की बैठकों में शामिल नहीं हो रहें हैं। मैं सदन के सभी वर्गों से अपील करूंगा कि हम आग से न खेलें, देश का भविष्य खतर में है, देश की एकता खतरे में है, हमें इस पर विचार करना चाहिए। यह एक बहुत गम्भीर मामला है। हमें इस स्थिति को मामूली नहीं समझना चाहिए। श्री बीजू पटनायक ने अेक सिद्धान्त प्रस्तुत किया था कि सभी बंग्लाभाषी विस्थापितों को पश्चिम बंगाल में बसाया जाना चाहिए। हमें पूछा : आपने उस समय क्या किया था जब दण्डकारण्य से बंग्ला भाषी विस्थापित पश्चिम बंगाल आये थे ? वो यह भूल गये हैं कि जब वह जनता सरकार में मंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने वहां बसे उन विस्थापितों को, जिन्हें वहां बसाया गया था, गुमराह करने वाले प्रयासों का सख्ती से विरोध किया था, दण्डकारण्य में उनको बसाने के लिए कार्यवाही की गई थी परन्तु उन्हें पश्चिम बंगाल में बसाने का प्रयास किया गया था, जो जंगलों को जो कि देश का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत है, अन्धाधन्ध तरीके से काट रहे थे और सरकारी जमीन पर कब्जा करने की चेष्टा कर रहे थे। हम जानना चाहते हैं कि क्या इस सदन का कोई माननीय सदस्य यह समझता है कि यदि एक विशेष विस्थापित एक विशेष भाषा बोलता है, उसे देश के केवल उसी राज्य में बसाया जा सकता है, जहां पर वह भाषा बहुसंख्यकों के द्वारा बोली जाती हो ? क्या इस सदन का कोई माननीय सदस्य इस सिद्धान्त का प्रतिवादन करेगा ? इसके अतिरिक्त, अभी तक 80 लाख से भी अधिक लोग, बंग्ला भाषी अथवा

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अन्य, पश्चिम बंगाल में बस चुके हैं, जिन्हें इस समय पूर्वी बंगाल कहे जाने वाले प्रदेश से आना पड़ा था। बांग्लादेश की आजादी के पश्चात् भी, आप शायद जानते हों, वहां के बहुत से लोगो को मजबूरी में आना पड़ा। अब, क्या यह तर्क . .

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : अब आसाम से आ रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उसी बात पर आ रहा हूं। क्या यह तर्क कि चूंकि वे बंग्ला भाषा बोलते है, उनके वहां से आने का कारण कोई भी हो—पूरे देश को इसका भार उठाना है—उन्हें केवल पश्चिम बंगाल में ही बसाया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक लोग बंग्ला भाषी हैं ? क्या इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया जा रहा है ?

आज, आसाम के लोगों को अपनी जान बचाने की मजबूरी के कारण वहां से आना पड़ रहा है। वे खुशी से नहीं आ रहें हैं। मेरे बहुत नजदीकी रिश्तेदार वहां सैकड़ों वर्षों से रह रहे हैं। मेरे पितामह प्रथम भारतीय थे, जो कि आसाम में भू-अभिलेख के निदेशक थे। मेरा जन्म आसाम में हुआ था। आज मुझे भी विदेशी माना जा सकता है। मेरे संबंधियों को वहां से बाहर भागने के लिए मजबूर किया जा सकता है क्योंकि वे शायद वर्ष 1920 के जन्म प्रमाण पत्र पेश न कर सकें। यदि उन्हें वहां से भागने के लिए मजबूर किया गया तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी होगी। मैं उन्हें यह बताने की प्रार्थना कर रहा हूं। 10,000 से भी अधिक लोग पश्चिम बंगाल में आ गये हैं। उनकी देखभाल की जानी है, उन्हें शरण देनी पड़ेगी, उनके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इन सबके लिए रुपया कहां से आयेगा ? क्या यह अतिरिक्त जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की होगी ? मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि जिन्हें आसाम से भागने के लिए मजबूर किया गया है, उनके लिए वह पर्याप्त वित्तीय सहायता की व्यवस्था करेंगे। इस मामले में सरकार को और अधिक विलम्ब नहीं करना चाहिए।

जिस दिन नई प्रधान मंत्री ने अपना कार्यभार संभाला था, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक पत्र उन्हें भेजा था, जिसमें वहां पर व्याप्त स्थिति का विवरण देते हुए उनसे समुचित कदम उठाने का आग्रह किया गया था। पिछले कई महीनों से, जब से आन्दोलन शुरु किया गया है, हमारे मुख्य मंत्री केन्द्रीय सरकार को इस बारे में लिखते रहें हैं। उन्होंने लोक दल सरकार के प्रधान मंत्री को भी लिखा था, जो कि उस समय कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे। आसाम की घटनाओं के संबंध में कुछ करने के लिए पुनः एक अपील की गई है। श्री ज्योति बसु के पुतलों को प्रतिदिन जलाया जा रहा है; उनके श्राद्ध समारोह का प्रतिदिन आयोजन किया जा रहा है। दीवारों पर मोटे अक्षरों में लिखा है : विदेशियों (भारतीय कुत्तो) आसाम से बाहर जाओं। यहां पर हमने इसके विरुद्ध विरोध तथा निन्दा का एक भी शब्द नहीं सुना है। क्या भारतीय एकता तथा भारतीय अखंडता को कायम रखने का यहीं तरीका है ? ये बहुत गंभीर मामले हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले में और अधिक विलम्ब न करें।

निश्चित कार्यवाही करने का समय आ गया है। अन्यथा, हम आसाम बजट, आसाम की स्थिति पर चर्चा करते रहेंगे तथा वहां पर परिस्थितियां दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जाएंगी। वहां के लोगो का एकमात्र अपराध वहां पर भारतीय नागरिकों की हैसियत से रहना है। उनके साथ जानवरों की तरह से व्यवहार किया जायेगा; उनकी निर्ममता से हत्या की जायेगी परन्तु उनको सरकार से कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। इसलिए, हम इस देश की उच्चतम सभा में यह मांग करते हैं कि सरकार अविलम्ब उचित कदम उठायें ताकि स्थिति को बिगड़ने से बचाया जा सके और इस समस्या को हल किया जा सके। हम इस समस्या को बातचीत द्वारा सुलझाये जाने के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इस बारे में तुरन्त कार्यवाही करें।

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री द्वारा सदन में जो असम का बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

पिछले तीन दिनों से उत्तर-पूर्व क्षेत्र, विशेषकर असम की स्थिति के बारे में देश की और संसद की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। जो स्थिति बताई गई है वह काफी गंभीर है किंतु असम में जो वास्तविक स्थिति है वह उससे भी अधिक गंभीर है। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्थिति को समझा है। अतः सभा के नेता का पद सम्भालने के तुरंत बाद उन्होंने सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। जहां तक मुझे याद है नेताओं के साथ जो वार्तालाप हुआ था और जिसे समाचार पत्रों में भी छापा गया था, इस सभा के विभिन्न दलों के निमंत्रित नेताओं ने कोई ठोस सुझाव नहीं दिया था। उन्हें स्थिति के प्रति चिंता थी और उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त भी की थी।

बाद में श्रीमती गांधी ने छात्र नेताओं से मुलाकात की थी और उस बैठक में, जैसा कि आप जानते हैं, उन्होंने आठ मांगें रखी थीं किन्तु किसी भी मांग में असम की वास्तविक समस्या को प्रस्तुत नहीं किया गया। असम की वास्तविक समस्या उसकी आर्थिक स्थिति, राज्य के आर्थिक विकास और साथ ही उसके क्षेत्री असंतुलन से सम्बद्ध है।

जहां तक विकास का संबंध है, उन्होंने क्या मांग प्रस्तुत की। उन्होंने मांग की कि जो लोग बंगला देश से, जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, आये हैं उन्हें बाहर निकाला जाए और उन्हें राज्य में नहीं रहने दिया जाए। उस समय उन्होंने किसी तारीख या समय का उल्लेख नहीं किया था। मैंने उस समय के समाचारपत्रों में छपी खबरों को पढ़ा है : कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि 1951 को आधार वर्ष माना जाये।

उन्होंने एक अन्य मांग भी रखी थी जिसका किसी सदस्य ने सभा में उल्लेख नहीं किया है—वह यह है कि पश्चिम बंगाल या त्रिपुरा द्वारा जारी किसी भी नागरिकता प्रमाण पत्र को मान्यता न दी जाये।

उनकी आठ मांगों में से भारत सरकार ने छः पर विचार किया है। इनमें से पाच मांगे सहमत थी। छठी मांग के बारे में यह कहा गया कि संवैधानिक उपबंध का अनुसरण करना होगा। उन्होंने मूलतः इन बातों को स्वीकार किया था किन्तु बैठक में वे किसी परिणाम पर नहीं पहुंच सके क्योंकि वे वापस जाकर अपने घटकों से बातचीत करके ही इस मामले पर अपना निर्णय प्रधान मंत्री को बताना चाहते थे।

मैं समझता हूं कि छात्रों ने खुले हिम्मत से वार्तालाप में भाग लिया था किन्तु उन लोगों ने जो छात्रों को असम आंदोलन के लिए उकसा रहे हैं बिलकुल भिन्न निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में निकाले गये निष्कर्षों को नहीं माना। श्री जेठमलानी सामने आएं और हमें बताएं कि असम के छात्रों का यह कैसा रवैया है कि जिन्होंने पहले प्रधान मंत्री से बातचीत की और बाद में निष्कर्षों से सहमत नहीं हुए ? निश्चित रूप से हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या है ? असम आंदोलन हमारे सामने अभी नहीं आया है, हम 1952 से यह स्थिति देखते आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं इसका विभाजन राजनैतिक कारणों से किया गया था और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से लाखों लोग भारत में आये थे। भारत में उनका खुले दिल से स्वागत किया था। क्या यह तथ्य नहीं है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले हमारे मित्रों को आर्थिक रूप से तथा अन्य रूप से पूरी तरह बसाया गया किंतु पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने वाले लाखों लोगों को कठिनाइयां ही कठिनाइयां भुगतनी पड़ीं और अब तक भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिकता-विहीन लाखों लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मारे मारे फिर रहे हैं। क्या आपने 1960, 1961 और 1962 के असम आंदोलन देखे हैं ? मुझे वहां जाने और आंदोलन की विभीषिका देखने का अवसर मिला था। उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव श्रीमती सुचेता कृपलानी वहां गई थी। मैं स्वयंसेवक के रूप में पूरी ब्रह्मपुत्र घाटी में उनके साथ घूमा था। यह यात्रा हमने नांव, बैलगाड़ी और परिवहन के अन्य साधनों से की थी। उस समय भाषाई आंदोलन चल रहा था। मैंने उन अत्याचारों को देखा था। यदि किसी गांव में मान लो यदि 20 मकान बंगला-भाषी लोगों के थे तो उन पर कोयले से निशान लगा दिया जाता था और उन्हें जला दिया जाता था। अंततः परिणाम क्या निकला। जोरेश्वर से 60,000 लोगों को निकाला गया ; कछार से लोगों को निकाला गया ; नवगांव से लोगों को निकाला गया और अन्य स्थानों से लोगों को निकाला गया और उन्हें मारा गया। औरतों की इज्जत लूटी गई। मैं एक मंत्री श्री महेन्द्र हजारिका की पत्नी द्वारा उस समय दिया गया वक्तव्य उद्धृत कर रहा हूं। वे हमें सभी को अपने घर ले गई और दरवाजे बंद करके कहने लगी कि "सुचेता जी ये मेरी दो लड़किया हैं कृपया इन्हें बंगाल या देश के किसी दूसरे अन्य भाग में ले जाइये और किसी अनाथालय में डाल दिजिए मैं एक असमी लडकि हूं किंतु मुझे यह कहते हुए घृणा हो रही है। मैं चाहती हूं की मेरे बच्चे इन सब अत्याचारों को न देखें। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का पालन पोषण उनको इनके माता पिता का नाम बताये बिना किया जाए। असम में अब भी यही स्थिति विद्यमान है किंतु इस समय हमारे महान नेता श्री जवाहरलाल नेहरु ने सुदृढ़ कदम उठाये थे। महोदय, कई बार किसी व्यक्ति को धक्का मारकर बाहर निकालने की बजाय उससे बात करना अधिक अच्छा होता है। असम में अनेक बड़े नेताओं को निकाला गया। मैं इन सब बातों के लिए क्षमा चाहता हूं। किन्तु यह सचाई है ; और यह इतिहास का भाग बन चुका है। जो लोग साम्प्रदायिकता और प्रांतीयता का प्रचार कर रहे थे उनके विरुद्ध पंडितजी को ये कदम उठाने पड़े।

जहां तक राज्यों के पुनर्विभाजन का प्रश्न है, मैं अनुरोध करता हूं कि आप उस ज्ञापन को पढ़ें जो असम के लोगों ने दिया था। असम एक पौराणिक देश है। इसे सात-बहिनों का राज्य कहा जाता है—इसमें सभी सात छोटी-छोटी क्षेत्र शामिल हैं। आज हमारे विद्वान मित्र श्री फ्रैंक एंथनी का यह कहना शत प्रतिशत सही है कि भाषाई हठधर्मिता ने असम की अर्थ-व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है और इसे दो संघ राज्यों के साथ सात विभिन्न राज्यों में विभक्त कर दिया है।

[श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय]

ऐसा क्यों हुआ ? कुछ लोग ऐसे अवांछित वातावरण को अश्रय देना चाहत हैं जिसमें देश के लिए कोई प्यार या आदर नहीं होगा, जहां देश की एकात्मकता के प्रति कोई प्यार नहीं होगा। वे देश की अखंडता को नष्ट कर देना चाहते हैं।

इस सभा में, आज भी हमें असम की उसी भावना की गूंज सुनाई दे रही है। हमें एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति श्री बीजू पटनायक को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमें एक अन्य युवा नेता श्री वर्मा को सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है और हमने श्री जेठमलानी को भी सुना है। क्या ये लोग पूरे देश को जानते हैं ? मैं उनसे पूछता हूं, आज असम को क्या हो गया है ? असम में कौन नेता है ? क्या उनमें यह बताने का साहस है कि वे क्या चाहते हैं। वे दुमुहें बने हुए हैं— यहां कुछ हैं और वहां कुछ। ये लोग वहां के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैंने अपने ुवा मित्र श्री संगमा को सुना है। मेरा विचार है कि उन्होंने वहां की संपूर्ण स्थिति का मोटे रूप से एक वास्तविक चित्र हमारे सामने रखा है। सभी राष्ट्रीय दलों का यह प्रयत्न होना चाहिए कि उन लोगों को देश की मुख्य धारा में मिलायें। हमारी तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां क्या कर रही हैं ? वे क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, भाषायी और अन्य बातों के आधार पर देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटने का प्रयास कर रही हैं। और अब परिणाम उनके सामने हैं। अब वे असम में शरण लेने का प्रयास कर रही हैं ताकि वे कम से कम राज्य के किसी एक भाग से ऐसी कोशिशें फिर आरम्भ कर सकें। महोदय, मैं वातावरण की गम्भीरता को हल्का करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस सम्बन्ध में जो कदम उठाये थे उन्हें देने का अवसर हमें मिला है। वह इन सात राज्यों के सम्पूर्ण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का गम्भीरता से विकास करना चाहते थे और इस कार्य को उन्होंने काफी महत्व दिया। मैं अपने वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे समुचित आयोजना के द्वारा इस क्षेत्र को आर्थिक कठिनाइयों को हल करेंगी। यदि आप एक विदेशी लेखक गुन्नार मिर्डल द्वारा लिखित पुस्तक 'एशियन ड्रामा' पढ़ें उसमें सम्पूर्ण एशियाई क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान केन्द्रीत किया गया है और यह बताया गया है कि किस तरह राजनैतिक अवसरवादी आर्थिक कठिनाई का लाभ उठाते हैं और किस प्रकार वे अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे ऐसा न करें। इस देश की जनता इसे सहन नहीं करेगी। उन्हें मिट्टी में मिला दिया जायेगा और वहां से बंगाल की खाड़ी भी बहुत दूर नहीं है। उन पार्टियों का अस्तित्व पूरी तरह से मिटा दिया जायेगा। महोदय, मेरे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकता।

महोदय, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह कड़े कदम उठाये। बातचीत की जाये लेकिन किसके साथ ? क्या पूरी तरह से गैर-जिम्मेदार लोगों की संख्या के साथ ? वे कहेंगे कि असम में उनको सबसे अधिक समर्थन प्राप्त है। यह तो उसी तरह हुआ जैसे कोई दिवालिया, जिसके बैंक खाते में जमाराशि के नाम पर शून्य हो, प्रत्येक व्यक्ति को 'ब्लैंक चेक' देता फिरे। वे भी हर एक को ब्लैंक चेक दिये जा रहे हैं। ट्रेड यूनियनों में भी ऐसा होता है। कारखानों में जब कोई आन्दोलन होता है तो जिन श्रमिकों को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता वे ही सबसे ज्यादा जोर से बोलते हैं। जिन लोगों को सबसे अधिक समर्थन प्राप्त होता है, वे व्यर्थ की बातें नहीं करते। भारत सरकार को चाहिए कि वह उन मिशनरियों का पता लगायें जो इसके लिए जिम्मेदार हैं तथा वे मिशनरी, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं दो और भी कदमों का सुझाव दूंगा। एक तो, पहले क्षेत्रवार मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की एक समिति हुआ करती थी। पूर्वी क्षेत्र में ऐसी समिति थी। जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ मुख्य मंत्रियों ने यह इच्छा व्यक्त की है कि इस क्षेत्र की ओर और अधिक ध्यान दिये जाने की दृष्टि से यह समिति फिर गठित की जानी चाहिए। साथ ही, इस क्षेत्र के आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रकार के विकास की देखरेख के लिए एक केन्द्रीय मंत्री होना चाहिए। केन्द्र को यह करना चाहिए। महोदय, समय की कमी के कारण मैं विकास के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सका।

आपने जो मुझे अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं बजट के अपने समर्थन को दोहराता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : डॉ० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनन्तनाग) : पिछले दो दिन से मैं आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मुझे बोलने का मौका मिले...

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक छोटे दल के हैं।

श्री गुलाम रसूल कोचक : यहां उस दल की भी बात सुनी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जायेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : यह असम राज्य का लेखानुदान है जिसे श्री पी० वेंकटरमन पेश कर रहे हैं। असम से संबंधित जिन मामलों पर यहां चर्चा हो रही है उनमें से अधिकांश राजनीतिक मुद्दे हैं। मालूम नहीं मंत्रीजी कितने दिन तक अपने पद पर बने रहेंगे क्योंकि मैंने तमिलनाडु में युवा कांग्रेस के कुछ पोस्टर देखे हैं जिनमें उन्हें हटाने की मांग की गई है। किन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं उनका आदर करता हूं ...

एक माननीय सदस्य : यह हमारा घरेलु मामला है।

एक और माननीय सदस्य : इस बात का इस चर्चा से कोई संबंध नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, सभा में बहुत से अध्यक्ष हो गये हैं। एक समय केवल एक ही अध्यक्ष होना चाहिए। प्रश्न यह है कि क्या सही है और क्या नहीं।... (**व्यवधान**) फिर व्यवधान हो रहा है। मेरी ओर के सदस्य भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने आपसे व्यवस्था बनाये रखने का अनुरोध किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब वे खड़े हो कर व्यवधान करें तो व्यवधान होगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जो बाद में सही नहीं पायी जाती। उदाहरण के लिए मैं कुछ ऐसा कहूं जिसका असम से सीधा सम्बन्ध न हो। अपनी बात समझाने के लिये मैं आपका ध्यान देश में चल रही बहस के स्तर की ओर दिलाना चाहता हूं। उदाहरणार्थ विधान सभाओं के चुनावों के दौरान यह आरोप निरन्तर लगाया जाता रहा कि देश में सोने का भण्डार समाप्त हो गया है। खास तौर पर वह सोना जो चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों के दौरान इकठ्ठा किया गया था उसे जनता सरकार ने बेच दिया है।

कल संसद में एक प्रश्न पूछा गया। वित्त मंत्री ने बताया कि उस सोने पर बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया और केवल वही सोना बेचा गया जो सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया था। यह मन्त्री महोदय का कथन है। चुनाव प्रचार में कुछ और कहा जाता है और जब सरकार के रूप में पूछा जाता है तो उनका कुछ और ही जवाब होता है। असम के बारे में भी ठीक यही बात है। मेरा यह कहना है कि यह बात सच साबित नहीं होती। असम में यह स्थिति क्यों है? वहां पर वर्षों से इस तरह की स्थिति चली आ रही है। बल्कि एक तरह से यह स्थिति 1951 के बहुत पहले से ही चली आ रही है। आज इस बात पर विचार करना है कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाये। दूसरी ओर के सदस्य यही बात कह रहे हैं। मुझे कहते हुए दुःख है कि कुछ सदस्य इस आन्दोलन के प्रति उत्तेजनापूर्ण रवैया अपना रहे हैं। कुल मिलाकर इस आन्दोलन को व्यापक अथवा सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिला है। अतः प्रश्न है कि क्या किया जायें? श्री चटर्जी ने कहा कि एक भाषायी समूह के लोगों अर्थात बंगालियों पर आक्रमण किये जा रहे हैं लेकिन उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। असम में केवल बंगाली ही नहीं हैं अपितु अन्य गैर-असमी लोग भी हैं। वहां पर बड़ी संख्या में मद्रासी और बिहारी भी हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि वह केवल बंगालियों की ही रट क्यों लगाये हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आजकल उन्हें मद्रासी नहीं अपितु तमिल कहते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यहां उनको मद्रासी के नाम से ही जाना जाता है। उत्तर भारत में उन्हें मद्रासी कहा जाता है। आप यहां के लिए नये व्यक्ति हैं। मैं यहां पुराना हो गया हूं। दक्षिण भारत में उन्हें तमिल कहा जाता है। मेरा कहना यह है कि श्री चटर्जी बंगालियों की ही रट क्यों लगाये हुए हैं। वह इससे अपनी पार्टी के लिए कुछ राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं क्योंकि उनकी पार्टी उस राज्य में केवल एक भाषायी समुदाय पर ही निर्भर है। मेरा यही कहना है कि हमें इस समस्या पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष में विचार करना चाहिए। गृह मंत्री का कल का भाषण अहंकारपूर्ण था। उसमें सत्ता का अहंकार था। हम लोगों को, जो कि सोच रहे थे कि कोई हल ढूंढा जायेगा, उनके भाषण से गहरी निराशा हुई है। समाचार पत्रों से पता चलता है कि सरकार का यह विचार है कि बातचीत के लिए समय समाप्त हो चुका है। फिर बातचीत के द्वारा समस्या हल करने का क्या अर्थ है? (**व्यवधान**) यदि यह रवैया अपनाया जाता है तो आन्दोलन

[डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी]

का नेतृत्व करने वालों का क्या होगा? आन्दोलन उनके हाथ से निकल कर उन्हीं हाथों में चला जायेगा जिनमें जाने से हम रोकना चाहते हैं (व्यवधान) गृह मंत्री को अपना वक्तव्य ठीक करना चाहिए। यह आज के सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है। शीर्षक है—बातचीत के लिए समय समाप्त हो चुका है। सख्त कार्यवाही करने का समय आ गया है। इसी तरह के शीर्षक आज पढने में आ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वित्त मंत्री को गृह मंत्री की ओर से उस वक्तव्य में संशोधन करना चाहिए और कहना चाहिए कि "हम बातचीत के लिए तैयार हैं"। (व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यह गलत वक्तव्य है। यह झूठा वक्तव्य है। आज सुबह प्रधान मंत्री ने कहा है कि बातचीत के लिए रास्ता खुला है। वे जब भी चाहें बातचीत के लिए आ सकते हैं।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : यह सही नहीं है। प्रधान मंत्री ने यह नहीं कहा कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने यह कहा कि सबका स्वागत है।

प्रो० एन० जी० रंगा : इसका मतलब क्या हुआ। मैं भी अंग्रेजी जानता हूं। इसका क्या अर्थ निकलता है?

श्री राम जेठमलानी : यदि आप स्वयं आना चाहें तो आपका स्वागत है।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं कहता हूं कि यह गलत वक्तव्य है। आप रिकार्ड देखिए।

श्री राम जेठमलानी : मैंने रिकार्ड देखा है। संभवतः उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मुझे अंग्रेजी भाषा की आपसे अधिक अच्छी जानकारी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी वह प्रोफेसर हैं और उन्हें अंग्रेजी भाषा की आपसे अधिक अच्छी जानकारी है।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं बहुत समय से चुप हूं किन्तु मैं बिना विरोध प्रकट किये गलत बात कहने नहीं दूंगा।

श्री राम जेठमलानी : यदि मंत्री महोदय यह कह दे कि वार्ता के लिये सब के लिये रास्ता खुला है तो यह विवाद समाप्त हो सकता है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : डाक्टर सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि उन्होंने यह केवल समाचार पत्रों में देखा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मेरी बात जो ध्यान से सुने। यह नहीं कि मैंने मंत्री महोदय को ऐसा कहते सुना है।

महोदय, प्रश्न यह है कि असम के लोगों को क्या सुनने को मिलता है। वे लोग सभा की कार्यवाही के टेपरिकार्ड किये गये वक्तव्य नहीं सुनते। वे वही देखते है जो समाचार पत्र छापते है और यदि बात समाचार पत्रों ने छापी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ समाचार पत्रों में छपा है वे बहुत ही खतरनाक विचार है। वे विचार इस देश की एकता के लिये बहुत हानिकारक हैं। इसलिये यह आवश्यक है कि गृहमंत्री सरकार के विचारों को स्पष्ट करने के लिये बार बार वक्तव्य दें। सरकार के लिये यह और भी अधिक आवश्यक है कि वे वह इस बात को दोहराये कि वह बातचीत से मामला सुलझाना चाहते है।

अब प्रश्न यह है कि बातचीत द्वारा सुलझाया गया मामला पूर्वशर्त के अथवा बिना पूर्वशर्त के होना चाहिये। मैं असम के नेताओं से कहना चाहता हूं कि उन्हें 1951 को आधार वर्ष मानने की पूर्वशर्त पर आग्रह नहीं करना चाहिए। यह संभव नहीं है। आधार वर्ष की बात निरर्थक है 50 लाख विदेशियों की समस्या एक विशाल मानवीय समस्या है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार से वे चाहते हैं वैसा हम नहीं कर सकते। किन्तु हमें यह बात स्वीकार करनी होगी कि उस क्षेत्र अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। उस क्षेत्र के स्वरूप में मनमाने ढंग से परिवर्तन किया गया है। इसलिये समझौते के किसी रास्ते का पता लगाना होगा और इसका केवल बातचीत द्वारा पता लगाया जा सकता है।

दुर्भाग्य से उस प्रकार का रवैया नहीं अपनाया गया है । सरकार ने भी पूर्व शर्तें लगाई हैं । उसने लोगों को जेल में बन्द कर दिया है तथा वहां सेना भेज दी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में आपका क्या योगदान है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप यहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नहीं हैं । आप इस सभा के उपाध्यक्ष हैं। मैं आपके सामन किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। सभा का एक सदस्य होने के नाते मैं अपनी बात कह रहा हूं ।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पष्ट बात यह है कि दोनो पक्षों को पूर्व-शर्तें हटा लेनी चाहिये । उन्हें बातचीत बिनाशर्त के करनी चाहिये । म कहना चाहता हूं कि आसाम के विद्यार्थियों को 1951 आधार वर्ष मानने की बात पर जिद नहीं करनी चाहिए तथा सेना को हटा दिया जाना चाहिये और लोगों को जेल से मुक्त कर ना चाहिये ।

प्रो० एन० जी० रंगा : सेना को नहीं हटाया जाना चाहिए तथा उपद्रवियों को मनमानी नहीं करने देना चाहिये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय सी० आई० ए० तथा आर० एस० एस० पर बिना प्रमाण के मन माने आरोप नहीं लगाने चाहिये । क्या हम वैसा ही आरोप नहीं लगा रहे हैं जैसा कि सीनेटर मोनिहान ने लगाया था कि श्रीमती गांधीने सी० आई० ए० से धनराशि ली थी । अध्यक्ष को माननीय सदस्यों को यह बताना चाहिये कि ऐसे आरोप लगाते समय कम से कम कुछ ध्यान रखें । या तो इस बात का प्रमाण दें कि इसमें सी० आई० ए० अथवा आर० एस० एस० का हाथ है अथवा वे ऐसी बात बिलकुल न करें । इसलिये हमारा कार्य यह है कि उन्हें बातचीत के लिये राजी करें तथा उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करें तथा उस समस्या को सुलझाकर ही मानें । श्रीमती गांधी ने एक बार कहा था कि मैं समस्या सुलझाने के लिये हर रोज बात करने को तैयार हूं उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा है संभवतः यह विचार उनके मस्तिष्क में रहा हो । सरकार को स्पष्ट रूप से कहना चाहिये कि हम बिना किसी शर्त के बातचीत द्वारा इस समस्या को तय करना काफी चाहते हैं । 'बातचीत द्वारा तय करना' की बात ही कारण नहीं है हमें कहना चाहिये 'बिना शर्त के बातचीत द्वारा तय' करेंगे। इसी की आवश्यकता है । मैं विद्यार्थियों तथा आसाम के लोगों से अपील करता हूं कि उन्हें 1951 को आधार वर्ष मानने की जिद नहीं करनी चाहिये हमें मानवीय समस्या को ध्यान में रखना चाहिये और उसमें कुछ समाधान का पता लगाना चाहिये केवल इसी तरीके से हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। किसी अन्य प्रकार का रवैया अपनाने का अर्थ आसाम में अतिवादीतायों के हाथ में खेलना होगा जिससे कि देश की एकता खतरे में पड़ जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सी० टी० दंडपाणि, आपको 3 मिनट का समय दिया जाता है ।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : महोदय, कल की चर्चा में मेरी पार्टी को आमन्त्रित नहीं किया गया । मुझे नहीं मालूम कि ऐसा जानकर किया गया था या अन्य कारण से...

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा जानकर नहीं किया गया आप जानते है इंसान से भूल हो जाती है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला क्योंकि आसाम के लेखानुदान पर चर्चा हो रही है । आसाम में इस समय जो अशान्ति है वह उसमें आर्थिक पिछड़ेपन के कारण है । यह भी सच है कि कुछ निहित स्वार्थ, पार्टियां तथा वर्ग आसाम में उपद्रव को प्रोत्साहन दे रहे है । किन्तु इससे और हमें असम में रहने वाले लोगो की सामाजिक, आर्थिक दशा के बारे में भी पता लगाने का प्रयास करना चाहिये। यह बताया गया है कि वहा के लोग अनेक दृष्टियो से गरीब हैं। यह कहा जाता है कि सदन के अन्दर तथा सदन के बाहर पिछले अनेक वर्षों से राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य के हितों की उपेक्षा की गई है । इसका सीधा सा कारण यही है । उन्हें किसी कारण से इन वर्षों के दौरान अलग-अलग रखा गया है । यह अशान्ति एकाएक पैदा नहीं हो गई यह काफी लम्बे समय से बढ़ती जा रही थी । मैं तो यह कहूंगा कि आसाम के लोग बहुत बहादुर हैं उन्होंने बर्मा के दो आक्रमणों का सामना किया । फिर 1962 में आसाम पर चीन का आक्रमण हुआ । उस का सीधा सा कारण है कि यह जानकर कि आसाम राज्य उर्वर है उन्होंने राज्य को उर्वरता का लाभ उठाने के लिये उस राज्य को जीतना चाहा । आर्थिक दशा और बेरोजगारी की समस्याने आसाम के लोगों के मन में अन्य लोगोंके प्रति

(श्री सी० टी० दण्डपाणि)

कुछ गलतफहमी पैदा कर दी है । उनकी सरकार के प्रति शिकायत उचित ही है । उसका भी कारण सीधा सा है । रेल के मामले में वहां एक भी बड़ी लाइन नहीं है । वहां सभी मीटर गेज लाइनें हैं। उस राज्य में पोस्ट ग्रेजुएट अध्ययन के लिये उच्च संस्थायें नहीं है । जहां तक आसाम की जनजातियों का सम्बन्ध है जब वे लोग आसाम से बाहर आ जाते हैं तो उन्हें पर्वतीय जन जाति का व्यक्ति नहीं माना जाता है । आसाम के बाहर उन्हें किसी बात का अवसर नहीं दिया जाता है । जहां तक अनुसूचित जातियां तथा अनसूचित जनजातियों का सम्बन्ध है उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग माना जाता है किन्तु जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे व्यक्तियों का सम्बन्ध है, मैं तो यही कहूँगा कि, नियुक्तियों के मामले में तथा शैक्षिक संस्थाओं आदि में प्रवेश पाने के सम्बन्ध में उन्हें पर्वतीय जनजातीय नहीं माना जाता है ।

मैं अगली बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे विद्वान वित्त मंत्री यहां बैठे हैं। गाडगिल फारमूला पर कार्यवाही हो रही है । सरकार गाडगिला फारमूल को क्रियान्वित करने के लिये जोर दे रही है गाडगिल फारमूले छोटे राज्य कम आबादी वाले राज्यों के हितों में नहीं है। यह केवल अपेक्षाकृत बड़े राज्यों के हित में लिये लाभदायक है । केन्द्रीय सरकार मानव जन्म दर पर रोक लगाने के लिये परिवार नियोजन का कार्यक्रम चला रही है किन्तु साथ ही योजना नियतन तथा वित्त जनसंख्या के आधार पर दिये जाते हैं। यह बात बहुत अनुचित है। वास्तव में छोटे राज्यों को इससे हानि होती है । यद्यपि पर्वतीय क्षेत्रों के लिये कुछ विशेष कार्यक्रम भी होते हैं किन्तु मेरा सुझाव है कि समग्रनियतन पिछड़ेपन के आधार पर होना चाहिये ।

तीसरी बात यह है कि यहां चुनाव के सम्बन्ध में तथा अन्य बातों के सम्बन्ध में जो समस्यायें पैदा हुई उनका जिक्र किया गया है । एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में 45,000 से अधिक मतदाताओं के नामजोड़े गये । आसाम के लोगो ने इसका विरोध किया और चुनाव न केवल एक वरन् 11 और संसदीय चुनाव क्षेत्रों में नहीं हो सके । उनकी शिकायतो को बताने के लिये यहां आसाम का एक भी सदस्य नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : श्री लास्कर यहां हैं ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : वह तो मंत्री है तथा मूक दर्शक है ? वे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बोलेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : दो और सदस्य भी यहां है ।

श्री सी० के० दण्डपाणि : तथापि, ऐसा वहां हुआ है । प्रधान मंत्री या गृह मंत्री ने इस क्षेत्र में सामान्यस्थिति लाने के लिये जो प्रयास किये हैं, उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हू।किन्तु असम में जो लोग आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे है वे अपनी बात पर अड़े हुए हैं और चाहते है कि तत्काल उनकी मांग मान ली जाये और उसे क्रियान्वित कर दिया जाये । उनमें से एक नेता ने तो यह कहा है कि उनकी तीन मांगें हैं— विदेशियों का पता किया जाये, उनके नाम मतदाता सूचियों से हटा दिये जाये और उन्हें वहां से निकाल दिया जायें उनका कहना है कि ये ही उनकी अंतिम मांगें हैं।

पहली बात यह है कि हमें इस समस्या के मूल कारण का पता लगाना चाहिए । हमारे बंगाली और अन्य मित्र साम्प्रदायिक और भाषायी समस्याओं की चर्चा कर रहे थे । प्रश्न यह है कि असम के लोग इस हद तक क्यों गये। इसका क्या कारण है? डॉ सुब्रम्हण्यम स्वामी ने ठीक ही कहा है कि दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, केरल और अन्य बहुत से राज्यो में अनेक धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक रह रहे है। पश्चिम बंगाल तक में कुछ अल्पसंख्यक रह रहे हैं। किन्तु केवल असम के लोगों ने ही अपने राज्य में गैर-असमी लोगों का विरोध करने का निश्चय क्यों किया ? इसका वास्तविक कारण क्या था ? सरकार को चाहिए कि इस कारण का पता लगाये और उसे सभा के समक्ष रखे । यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या यह असमके निवासियों की शिकायत है अथवा इसके पीछे उन शक्तियों का हाथ है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के विरुद्ध हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इन सभी तथ्यों को सभा के समक्ष रखे ।

हमने उनकी पृथक्करण की मांग के बारे में सुना है । दरअसल में नहीं सोचता कि असम के लोग भारत से अलग होने की मांग करेंगे। हमारी पार्टी ने पहली बार अलग होने की मांग की थी । हम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के चार राज्यों का एक अलग द्रवीड़स्तान चाहते थे, हम उन दिनों एक पृथक राज्य चाहते थे जो उत्तर भारत से अलग हो। किन्तु 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान हमने देखा कि देश के सामने खतरा पैदा हो गया । हमारे दिवंगत नेता अन्ना ने यह विचार छोड़ दिया और यह बयान

दिया कि हम पृथक द्रविड़िस्तान की मांग को वापस लेते हैं। 1962 से फिर हमने कभी उस मांग को नहीं दोहराया। इतना ही नहीं, यदि असम में या किसी अन्य क्षेत्र में पृथकता का सवाल उठाया जाता है तो द्रमुक उस मांग का विरोध करने में किसी से पीछे नहीं रहेगा। किन्तु साथ ही इस समस्या को सुलझाने के लिए मैं एक सुझाव देता हूं। प्रधान मंत्री, सभी राजनीतिक दलों तथा छात्र नेताओं—अखिल असम छात्र संघ, गण संग्राम परिषद तथा अन्य राजनीतिक दलों की एक समिति गठित करें: संभवतः 11 राजनीतिक दल हैं। उनके नेताओं को इस समिति में शामिल किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में शीघ्र ही एक राष्ट्रीय परिषद बनायी जाये। भविष्य में कम से कम अगले छः महीने अथवा एक वर्ष तक इसी परिषद को असम के मामलों की देखरेख करनी चाहिए। यही परिषद असम के लोगों की शिकायतों की जांच करें और साथ ही इस बात पर विचार करे कि क्या अल्पसंख्यकों को वहां से निकाला जाये या नहीं।

जहां तक आधार वर्ष का संबंध है, हमारी पार्टी का यह मत है कि यह व्यवहार्य नहीं है। यह तय नहीं किया जा सकता। असम के लोगों को यह मान्य हो या न हो किन्तु मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि यह प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। जो लोग वहां रह रहे हैं, यदि वे सचमुच विदेशी—जैसे नेपाली आदि—नहीं हैं तो उन्हें वहां से नहीं निकाला जाना चाहिए। वहां जो भारतीय हैं उन्हें वापस नहीं भेजा जाना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य: (सीरमपुर) : बहुत से नेपाली भारतीय भी हैं।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गये लेखानुदान की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री कमलामिश्र मधुकर : (मोतिहारी): उपाध्यक्ष जी, हमारी पार्टी ने असम की समस्या को जिस रूप में समझा है, उस को हमारे नेता ने अपने भाषण में कहा है, मैं उस को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह समस्या अत्यन्त गम्भीर है और देश की एकता के लिये, देश की आर्थिक स्थिति के लिये एक गम्भीर खतरा है—इस बारे में कोई दो मत नहीं है। कुछ पार्टियां जरूर इस बात से अपना उल्लू सीधा करना चाहती है, लेकिन हमारी पार्टी और हम लोग उस के खिलाफ है। आप सब और हम भी यह जानते है कि कुछविदेशी शक्तियां, जिन की चर्चा सदन में भी हुई है, ये तमाम काम करा रही है और केवल असम में ही नहीं, दूसरी जगहों से भी हमारे पास आ रही है, जिनसे देश की एकता को बरबाद करने की कोशिश हो रही है, उन लोगों का प्रयास है कि ऐसी प्रवृत्ति सारे देश में बढ़े, जिस से हमारा यह देश छिन्न-भिन्न हो जाय।

इस बारे में हम रूलिंग पार्टी के साथ है, इस सदन के साथ है कि हमारी एकता किसी भी कीमत पर भंग नहीं होनी चाहिये। लेकिन फिर भी यह जरूर समझना चाहिये कि पिछले 30 वर्षों के अन्दर ऐसी कोन सी ताकतें थी जो असम के विकास में बाधक थीं। केन्द्रीय सरकार, और राज्य सरकार और कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन से ऐसे कदम उठाये गये जिन से असम की समस्याओं को सुलझान में मदद मिली हो? एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की वार्षिक स्थिति और पिछड़ेपन का लाभ उठा कर ये तमाम शक्तियां काम कर रही हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आज भी असम में क्यों 27 प्रतिशत लोग ही पढ़े-लिखे हैं, बाकी तमाम लोग निरक्षर हैं—ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो गई? असम की आबादी का 90 प्रतिशत आज भी खेती पर निर्भर करता है और वहां की खेती भी पंजाब की खेती नहीं है, हरियाणा की खेती नहीं है, बहुत पिछड़ी अवस्था मे है। खेती का विकास क्यों नहीं किया गया, ऐसी स्थिति क्यों पैदा नहीं की गई जिस से वहां की खेती में तरक्की हो सकती थी, खेती का आधुनिकीकरण जहां तक भी सम्भव हो सकता था, वह करना चाहिये था, लेकिन आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? वहां की प्राकृतिक सम्पदा का, तेल और चाय को छोड़ कर, उद्योगों के लगाने में सही ढंग से इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। अगर वहां पर उद्योग खोल जाते, तो सम्भव था कि वहां के लोगों की पर-कैपिटा इन्कम में तरक्की होती और ऐसी स्थिति पैदा न होती। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ?

पिछली सरकार के गृह मंत्री ने कहा है कि असाम की अर्थ-व्यवस्था को तीन ढंग से लूटा जाता है। एक तो यह कि वहां की जो प्राकृतिक सम्पदा है, उस की रायल्टी का सवाल है, तेल या चाय के टैक्स का सवाल है—उस को केन्द्रीय सरकार ने हल नहीं किया और उस के हल न करने से वहां के आर्थिक विकास में बाधा पैदा होती गई, जो कि आज एक मुख्य कारण बनी हुई है। इस पर क्यों नही ध्यान दिया गया। मैं आप को बताऊं कि असम के फाइनेन्स मिनिस्टर जी ने यह कहा था कि हमारे यहां के जो साधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वे बहुत बड़े पैमाने पर बाहर चले जाते हैं और इस ओर उन्होंने केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया था। उन्होंने तेल की रायल्टी बढ़ाने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि चाय पर सेल्स

[कमला मिश्र मधुकर]

टैक्स बढ़ा कर आसाम को फायदा उठाने दिया जाए । केन्द्रीय सरकार ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अब यह कहा जाता है कि वहां पर पृथकतावादी शक्तियां काम कर रही हैं। इस के लिए ग्राउन्ड किस ने बनाई? आज यह कहा जाता है कि वहां पर सी०आई ए० और आनन्दमार्गी काम कर रहे हैं। इस के लिए ग्राउन्ड किस ने बनने दी । हमारा कहना यह है कि सरकार की जो पूंजीवादी नीति रही है, वही इस का कारण है । कांग्रेस सरकार हो या जनता सरकार हो, ये पूंजीवादी नीति चलाती रहीं और पूंजीवादी विकास होने पर इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। मैं यह नहीं कहता कि हिन्दुस्तान में विकास का काम नहीं हुआ है लेकिन मेरा कहना यह है कि कुछ इलाकों का विकास हुआ है और कुछ इलाके पिछड़े रह गये हैं। किसी इलाके में अधिक विकास हुआ है और किसी में कम विकास हुआ है । बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, जिन को पिछड़ा इलाका बताया गया है लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि उन के लिए आप ने क्या किया। आप खुद इस चीज को जानते हैं । यहां पर श्री केदार पांडे, मंत्री जी बैठे हुए हैं । वे जानते हैं कि हमारे यहां चम्पारण को बहुत पिछड़ा हुआ इलाका माना गया है लेकिन वहां पर कोई भी उद्योग नहीं खुल रहा है । वहां अगर विद्रोह होता है तो कोई कहेगा कि यह कम्युनिस्ट करा रहे हैं । ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि आसाम के आर्थिक विकास में जो बाधाएं हैं, उन को दूर किया जाए । अगर आसाम के पिछड़ेपन को दूर नहीं किया गया, तो राजनीतिक तौर पर समस्या का हल नहीं हो सकता है। बिना वहां का आर्थिक विकास किये काम नहीं हो सकता है । इसी सदन में कई बार हमारे माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री ने यह कहा था कि आनन्दमार्गी और सी०आई०ए० के एजेन्ट देश के विभिन्न हिस्सों में जा कर काम कर रहे हैं और देश की एकता को खतरे में डाल रहे हैं लेकिन उस वक्त सरकार ने उन की बात को अनसुनी कर दिया । उस वक्त उन की बात को नहीं सुना गया और अब रोना रो रहे हैं कि आसाम में ये गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं । अभी 'पेट्रीयेट' अखबार में आसाम के लिए नई वार्षिक योजना के बारे में लिखा है । वह बड़ी लम्बी-चौड़ी योजना है लेकिन वह योजना कब प्रकाशित हुई ? यह योजना तब बनाई गई जब आसाम आग में जल रहा है ।

इसी तरह से आप यह देखें कि आसाम में बाढ़ नियंत्रण की कई योजनाएं हैं लेकिन उन पर काम नहीं हुआ है। ब्रह्मपुत्र से जो बाढ़ आती है क्या उस को नियंत्रित करने के लिए कोई खास काम किया गया? बाढ़ों को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए और आसाम की तरक्की के लिए क्या किया गया? जब तक उन योजनाओं को पूरा नहीं किया जाएगा और उन पर काम नहीं होगा, तब तक आसाम की तरक्की नहीं होने वाली है। आसाम के इलाके में जितने बिजली के साधन हैं, उन का उपयोग नहीं किया गया । वहां पर हाइडिल पावर हो सकती है । उसके लिए आप की ओर से कौन सी कार्यवाही की गई है ? मैं तो यह कहूंगा कि जो योजना बनी हुई है, वह भी खटाई में पड़ी हुई है। हमारे वित्त मंत्री जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहां पर बिजली की जो परियोजनाएं हैं, उन को लागू किया जाए । अगर उन को लागू किया जाएगा, तो पूरे नार्थ-इस्टर्न रीजन को बिजली प्राप्त हो सकती है । इसी तरह से वहां पर कोयले की खानें हैं लेकिन उन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है । उन खानों की तरक्की के लिए आप योजनाएं बनाएं और आसाम में विकास के कार्यक्रमों में तेजी लाएं क्योंकि आसाम पिछड़ा इलाका होने के कारण, जो समस्या आज वहां पर उत्पन्न हो गई है, उस की बुनियाद वही है । वहां पर जो आर्थिक पिछड़ापन है, वही पृथकतावादी शक्तियों को बल देता है और आज जो वहां आग लगी हुई है, वह फैलती जा रही है, जिस से देश की एकता को खतरा पैदा हो गया है । मेरा कहना यह है कि देश की एकता कायम रहनी चाहिए । जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर जो एक दूसरे को कत्ल करने की योजना बन रही है, वह नहीं बननी चाहिए। आज जो खतरा आसाम में पैदा हो गया है, वह सारे देश में न फैल जाए, इसका मुझे डर है । आज यह फैलता जा रहा है । गृह मंत्री जी ने कल आसाम के बारे में बोलते हुए कुछ बातों को उठाया था । कुछ हद तक हम उन से सहमत हैं लेकिन एक प्रवृत्ति, जिस के बारे में श्री राम जेठमलानी जी ने बताया था, जो पैदा हो रही है, उस प्रवृत्ति को जरूर कुचल देना चाहिए और जनता की राय ले कर देश की एकता को कायम रखना चाहिए । जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या इलाके के नाम पर राष्ट्रीय एकता भंग न हो । हम चाहेंगे कि वित्त मंत्री जी आसाम की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए कदम उठाएं और वहां पर उद्योगों को बढ़ाने में और बेकारी की समस्या को दूर करने में अपनी शक्ति लगाएं और आसाम का आर्थिक विकास करें। और हमारी पार्टी के लोगों और दूसरी पार्टी के लोगों को साथ ले कर आप आगे बढ़ें । असम का खतरा सारे देश का खतरा है । असम का खतरा देश के खंडित होने का खतरा है।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पहले सभा में यह बताया गया कि सरकार ने कहा है कि बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं। कल हम यहां उपस्थित थे । गृह मंत्री तथा प्रधान मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि सरकार असम आन्दोलन के नेताओं के साथ खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है । समय ऐसा है कि इस समस्या को भावनात्मक दृष्टि से देखने से कुछ हल नहीं निकलेगा । अब अखिल असम छात्र संघ और गण संग्राम परिषद के नेता प्रधान मंत्री से मिले तो उन्होंने इस समस्या के हल के लिए आठ मांगें रखीं : (एक) विदेशी नागरिकों का पता लगाया जाये और उन्हें वहां से निकाला जाये, (दो) विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटा दिये जाये, (तीन) भावी मतदाता सुचियों में विदेशी नागरिकों के नाम शामिल न किये जायें, (चार) घुसपैठ रोकने के लिए सीमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था की जाये, (पांच) मतदाताओं को पहचान पत्र दिये जायें जिनमें उनके फोटो हों, (छः) संवैधानिक परिव्राणों को हटाया जाये, (सात) असम सरकार को प्राधिकृत किया जाये कि वह पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सरकार के प्रमाणपत्रों को अस्वीकार कर दे और (आठ) राज्य सरकारों को नागरिकता देने का प्राधिकार दिया जाये ।

इन आठ मांगों में सरकार ने पहली पांच मांगों को स्वीकार कर लिया है। जबकिसी समस्या के प्रति मतभेद पैदा होता है तो प्रत्येक व्यक्ति वहां से बात आरम्भ करता है जहां तक समझौता हो चुका है । यहां पर स्थिति यह है कि प्रधान मंत्री पांच मांगों को स्वीकार कर चुकी हैं । तीन मांगों पर विचार-विमर्श होना शेष है । विरोधी पक्ष के कुछ सदस्य यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें बातचीत आरम्भ करने के लिए आमंत्रित कीजिये और हम इसकी जिम्मेदारी लेंगे ।

पांच मांगें स्वीकार की जा चुकी हैं और इस सर्वमान्य आधार को लेकर बातचीत आरम्भ की जाये तो समाधान निकालने में आसानी हो सकती है । समस्या यह है कि विदेशी किन्हें कहा जाये? असम में उड़ीसा के लोग भी रहते हैं । कल मुझे एक खबर मिली की डिबरूगढ़ मे एक उड़िया महिला की नाक काट दी गई क्योंकि उसने कुछ लोगों को मांग करने पर पैसा नहीं दिया । हमें वास्तव में इस बात की परिभाषा करनी चाहिए कि विदेशियों से हमारा क्या तात्पर्य है । उन्हें तीन वर्गों में बांटा जा सकता है । क्या जो लोग अन्य राज्यों से असम में गये हैं, उन्हें विदेशी माना जाये? भारत के सभी राज्यों से लोग असम गये थे । दूसरे, देश के विभाजन के समय पूर्व बंगाल से कई लोग यहां आये और उड़ीसा के दण्डकारण्य में तथा अन्य स्थानों मे बस गये । हम उन्हें विदेशी नहीं मानते । उनमें से कई लोग असम में बस गये । मुझे आशा है कि उन्हे विदेशी नहीं माना जायेगा । मैं एस०आर०सी० रिपोर्ट देख रहा था । इस पर वहां विचार किया गया । जिन लोगों को पूर्व बंगाल से आने के लिए कहा गया था वे बंगला देश के शरणार्थी थे और उनसे कहा गया कि यदि आप अपने को असमिया भाषी बताते हैं तो हम आपको यहां का नागरिक मान लेंगे । हम असम में उनका प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं । ये लोग दूसरे वर्ग में आते हैं। तीसरे वर्ग में वे लोग आते हैं जो बंगला देश से आये घुसपैठिये थे । जैसा कि सरकार बता चुकी है, इन स्वीकृत पांच मांगों के आधार पर यदि बातचीत आरम्भ होती है तो समस्या को हल करना आसान हो जायेगा । उन लोगों का कहना है कि वहां 40 लाख विदेशी हैं । मैं ऐसे लोगों के तीन वर्गों के बारे में बता चुका हूं । एक बार बातचीत आरम्भ हो जाये तो कठिनाइयां कम हो जायेंगी । यह संख्या 40 लाख नहीं होगी । इनमें वे लोग भी हैं जो अन्य राज्यों से आये हैं, 1947 से और उसके बाद बंगला देश से आये हुए शरणार्थी और फिर बंगला देश से आये घुसपैठिये भी शामिल हैं । अतः इस प्रकार समस्या आसान हो जायेगी ।

मैं विरोधी पक्ष सहित सभा के सभी सदस्यों, असम के छात्रों और गण संग्राम परिषद से यह कहना चाहता हूं कि हम किसी बाहरी देश के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाईयों के साथ बातचीत कर रहे हैं । असम, भारत का ही एक भाग है । अतः इसमें कोई समय नहीं गंवाया जाना चाहिए । अच्छा होगा कि अखिल असम छात्र संघ, गण संग्राम परिषद तथा उनका समर्थन करने वाली पार्टियों के नेता इस मामले को सुलझाने के लिए बातचीत करें ।

यह बहुत नाजुक और जटिल समस्या है । ऐसी राष्ट्रीय समस्या पर भावनाओं के आवेग से कोई लाभ नहीं होगा । सभी विधायकों से मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में, जबकि सरकार के दरवाजे खुले हैं, वे इस बात का प्रयास करें कि असम में सौहार्दपूर्ण ढंग से ऐसा समाधान हो जिससे सब संतुष्ट हो जायें।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : माननीय मंत्री महोदय ने सभा के समक्ष असम से संबंधित दूसरा लेखानुदान रखा है किन्तु इस दूसरे लेखानुदान पर, हमारे देश के इस भाग अर्थात् असम में होने वाले उपद्रव और जनसंहार की वर्तमान घटनाओं से अलग करके विचार नहीं किया जा सकता । दरअसल आर्थिक पिछड़ेपन की उनकी शिकायत उचित है । आर्थिक प्रश्न भी है । किन्तु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और असम के लोगों को भी यह महसूस करना चाहिए कि वर्तमान उपद्रवों से वे आर्थिक स्थिति को और भी बिगाड़ते जा रहे हैं । एक आकलन क अनुसार असम के वर्तमान

[श्री० एम० जी० बनातवाला]

उपद्रवों से देश को प्रति माह लगभग 300 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा रहा है । देश की तथा स्वयं असम की अर्थ-व्यवस्था को अत्यधिक क्षति पहुंच रही है । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस सभा के माध्यम से देश को बतायें कि इन उपद्रवों के कारण देश को तथा असम को कितनी हानि हो रही है । वह हमें यह भी बतायें कि सभा के समक्ष उन्होंने जो वित्तीय नियंत्रण का ब्यौरा रखा है उससे इस जबरदस्त क्षति को किस तरह पूरा किया जायेगा । किन्तु यहां केवल इसी प्रश्न पर विचार नहीं करना है कि अर्थव्यवस्था को कितनी क्षति पहुंच रही है । यह दूर्भाग्यपूर्ण आन्दोलन तथाकथित विदेशी नागरिकों का पता लगाने और मतदाता सूचियों से उनका नाम हटाने के अपने मूल उद्देश्य से कहीं आगे बढ़ चुका है । यह आन्दोलन अब खतरनाक रूप धारण कर चुका है । वह मुस्लिम विरोधी, अल्पसंख्यांक विरोधी, वामपंथ विरोधी और भारत विरोधी रूप धारण कर चुका है और इस प्रकार देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहा है ।

विदेशी राष्ट्रिकों का पता लगाने के नाम पर, अल्पसंख्यकों, विशेषत: मुसलमानों के साथ जघन्य अपराध किए ज रहे हैं । सब घटनाओं का वर्णन करके मैं सभा का समय नहीं लूंगा । केवल एक उदाहरण के रूप में हम बरपेटा और नलबाड़ी डिविजन में हुए भयंकर विध्वंस को ले सकते हैं जिसका शिकार अल्प संख्यक और विशेषत: मुसलमान बने ।

माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं कि उन्होंने पुलिस शीर्ष के अंतर्गत जो आवंटन किया है सभा उसकी स्वीकृति दे । मगर हमें पुलिस और आंदोलनकारियों की साफ नजर आने वाली सांठ-गांठ देखकर दुख होता है । उदाहरण के लिए, बरपेटा और नलबाड़ी डिविजन के कुछ गांवों में, हमें बराबर शिकायत मिल रही है कि आन्दोलनकारियों को असम बटालियन का समर्थन प्राप्त है । इन सभी डिविजनों में हमें शिकायत मिली है कि पहले पुलिस गांवों में घुस जाती है और गांववालों को डराती-धमकाती है और फिर उनके पीछे-पीछे ये तथाकथित आन्दोलन कारी आते हैं और लूटमार, आगजनी और अन्य जघन्य अपराध करते हैं । पूरे सिविल प्रशासन को आन्दोलनकारियों से सांठ-गांठ है ।

1 मई, 1980 के 'द स्टेट्समेन' दिल्ली संस्करण में बहुत सही लिखा गया है :

> "इससे पहले ऐसा कोई आन्दोलन नहीं हुआ है जिसमें स्थानीय प्रशासन का इतना सक्रिय सहयोग रहा हो कि अधिकारी आन्दोलनकारियों से आदेश लेते हों ।"

मैं केवल एक उदाहरण दे दूंगा । जब सरकार ने मिट्टी के तेल पर राशन शुरू करने का निर्णय किया तो तत्कालीन मुख्य सचिव ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे अखिल असम छात्र संघ कार्यालय जाएं और वहां के नेताओं से उसकी पद्धति के बारे में बातचीत करें और उनसे हिदायत लें । जब कि यह हालत हो रही है तब यह विचित्र मांग की जा रही है कि सेना को वापिस बुला लिया जाए । मैं सरकार को यह बतला देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और सेना की अधिक से अधिक सहायता ली जाए ताकि न केवल सब के अधिकारों, जान, इज्जत और सम्पत्ति की रक्षा हो सके बल्कि असम की हालत फिर से सामान्य बनाई जा सके ।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां मैं विशेष रूप से कुछ झूठे प्रचार का उल्लेख करना चाहूंगा जो कि असम की समस्या को और प्रचंड बना रहा है । ऐसी धारणा बनाई जा रही है कि असमिया भाषा और असमिया संस्कृति खतरे में है । दूसरे लोग उन्हें नष्ट कर देना चाहते हैं । मगर आंकड़े क्या कहते हैं ? मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इन पर विचार करें । 1901 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार असमिया भाषी लोग केवल 22 प्रतिशत थे परन्तु 1971 तक, यह आंकड़े 61 प्रतिशत तक पहुंच गए । हमें बंगला-भाषी लोगों के बारे में बताया जा रहा है । 1901 में असम में 48 प्रतिशत बंगला भाषी लोग थे । 1971 की जनगणना के अनुसार उनकी संख्या 19.88 प्रतिशत ही रह गई ।

हर तरह का प्रचार खुले आम हो रहा है । हमें बताया जा रहा है कि ऐसा खतरा है कि मुसलमान अल्पसंख्यक क्षेत्र मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्रों से बदल जाएंगे । फूट डालने वाला ऐसा प्रचार चल रहा है । माननीय सदस्य, श्री राम जेठमलानी कल इस विषय में इतने जोश में बोल रहे थे जिससे बात और बढ़ती है । लेकिन आंकड़े हमें बिल्कुल दूसरी ही स्थिति से अवगत कराते हैं ।

मुख्यत: गोलपाड़ा, कामरूप, दारंग और नाओगांग जिलों में बंगला देश से घुसपैठ होने का समाचार है । 1961 और 1971 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इन जिलों में मुसलमानों की जनसंख्या कम हो गई है । उदाहरण के लिए, गोलपाड़ा में 1961 में मुसलमान की जनसंख्या 43.32 प्रतिशत थी । 1971 तक वह 42.25 प्रतिशत रह गई । 1961 में उनकी जनसंख्या 29.36 प्रतिशत थी जो कि 1971 तक 28.93 रह गई । 1961 में दारंग में 19.33 प्रतिशत थी जो कि 1971 में 16.19 प्रतिशत रह गई । 1961 में नाओगांग में मुसलमानों की जनसंख्या 41.24 थी जो कि केवल एक दशक में ही 24.40 प्रतिशत ही रह गई । इन तथ्यों के होते हुए भी, ऐसा

असत्य प्रचार हो रहा है और आन्दोलन की आग भड़कायी जा रही है । सभा में यह सही कहा गया है कि देश की एकता और अखंडता खतरे में है । मैं पूरी सभा से निवेदन करता हूँ कि आप सब समय से काम लें और तथ्यों को तटस्थ होकर देखें ।

मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं क्योंकि मैं सरकार की डुलमुल नीति से संतुष्ट नहीं हूँ । मैंने एक कटौती प्रस्ताव में आन्दोलन के मामले में ठोस उपाय करने में सरकार की असफलता का उल्लेख किया है और मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि वे इस दिशा में ठोस कदम उठाए ।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि आर्थिक पिछड़ेपन के प्रश्न पर उचित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए । वहां की सामाजिक आर्थिक समस्याएं और स्थिति की गम्भीरता बहुत स्पष्ट है । हमें पहले ही बताया जा चुका है कि असम में प्रति व्यक्ति आय, उड़ीसा को छोड़कर, सब से कम है । असम में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत केवल 24 प्रतिशत है जबकि 1974-75 की अखिल भारतीय औसत खपत 89.4 प्रतिशत है ।

वित्त और उद्योग मंत्री (श्री आर० वेंकटरमन) : यूनिट ।

श्री जी० एम० बनातवाला : जी हां । असम में मुश्किल से 6 प्रतिशत गांवों में बिजली पहुंचाई गई है—देखिए इसका प्रतिशत कितना कम है । अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अन्य राज्यों की प्रतिशतता से इसकी तुलना करूँ । इस पिछड़ेपन के अनेक सामाजिक आर्थिक सबूत है । मुझ उन्हें सभा में प्रस्तुत करने के लिए कुछ समय दिया जाए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको फिर अवसर मिल जाएगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : बशर्ते कि आप अगली बार भी मुझे अवसर दें ।

फिर भी, मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ कि आर्थिक पिछड़ापन बहुत गम्भीर प्रश्न है । उदाहरण के लिए चाय, असम की महत्वपूर्ण सम्पत्ति है । विश्व में चाय की कुल खपत का 25 से 30 प्रतिशत भाग असम से मिलता है । मगर असम में एक भी चाय का विपणन केन्द्र नहीं है । इन मामलों पर विचार किया जाना चाहिए । हमें इस राज्य के तीव्र विकास के लिए भरपूर प्रयत्न करने चाहिए । महोदय इसके साथ ही मैं सरकार से यह आग्रह करके अपनी बात समाप्त करूँगा कि वह इन दुर्भाग्यपूर्ण उपद्रवों के मामले में ठोस कदम उठाए ताकि हमारे देश की एकता और अखंडता की रक्षा हो सके । धन्यवाद ।

प्रो० मधु दंडवते: (राजापुर) : यह लोक सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त है जिसमें गृह मंत्री का भाषण दिया हुआ है । आप स्वयं देख लीजिए । पृष्ठ 144 पर, उन्होंने कहा है : "बातचीत का मौका अब हाथ से निकल चुका है ।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मगर प्रधान मंत्री के आज सुबह के वक्तव्य के बारे में आपकी क्या राय है? वह तो अघतन है । पुराने वक्तव्य का राग क्यों अलाप रहे हैं? हमें आज के वक्तव्य को सामने रखना चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, मगर मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं, कि गृह मंत्री और प्रधान मंत्री हमेशा अलग-अलग बातें कहते है । मैं नहीं जानता कि ये पहले से तय करके होता है या केवल संयोगवश ।

श्री गुलाम रसूल कोचक (अनंतनाग) : पिछले दो दिन से असम की स्थिति के बारे में चर्चा हो रही है जो कि आन्दोलन की ज्वाला में धधक रहा है । हम इस सभा में इस देश रूपी परिवार के सदस्यों को अलग-अलग कर उनके अधिकारों की बात कर रहे है जबकि मुख्य चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हम पूरे घर को कैसे बचाएं । इस मामले को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान परिस्थिति में अपेक्षित नहीं था ।

सबसे पहले तो मैं इस समस्या को ही समझ नहीं पाया कि असम की समस्या क्या है । मेरे विचार से अब तक किसी भी सदस्य ने इसे स्पष्ट नहीं किया है । कुछ वक्ताओं ने कहा कि यह एक ऐसे पिछड़े राज्य और उसके लोगों की समस्या है जिनकी आर्थिक वा अन्य प्रकार के विकास की उपेक्षा की गयी है, जिनके प्रति भेद-भाव बरता गया है । अथवा जिनकी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया है । जिससे कि वे अन्य भारतीयों की भांति प्रगति नहीं कर पाए हैं और सम्मानपूर्वक से आगे नहीं बढ़ पाए हैं । कुछ मित्रों ने यह मुद्दा उठाया कि यह विषय असम में विदेशियों के होने से संबंधित है, किन्तु अभी तक किसी ने भी यह नहीं स्पष्ट किया है कि असम क्षेत्र में किन्हें विदेशी बताया जा रहा है । मैंने इस समस्या को समझने का भरसक प्रयास किया है, और मेरा विचार है कि प्रत्येक सदस्य समस्या को समझने में यही कठिनाई सामना कर रहा होगा । अभी तक कोई भी हमें इस बात से संतुष्ट नहीं कर पाया है कि असम में कौन लोग विदेशी है, क्यों वे लोग ऐसे विदेशी हैं जो भारत-विभाजन के दौरान या उससे पहले या उसके बाद भी

[श्री गुलाब रसूल कोयल]

उत्तर-पूर्व से या अन्य क्षेत्रों में से असम में आकर बस गए हैं, अथवा वे लोग विदेशी हैं, जो कालक्रम में धीरे-धीरे वहां बस गए हैं। कोई भी हमें इस बात को समझा नहीं पाया है कि जिन्हें भी विदेशी माना जाएगा की वे वास्तव में विदेशी हैं या नहीं।

भारत विभाजन के परिणामस्वरूप बहुत से लोग असम में आकर बस गए। भारत विभाजन के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान से काफी लोग असम में आकर बसे जिनमें अधिकतर लोग मुसलमान थे। बहुत से असमवासी बंगाल में जाकर बस गए। तत्पश्चात उनके बहुत अधिक संख्या में वहां बस जाने और द्वेषपूर्ण वातावरण उत्पन्न हो जाने की वजह से उन्हें अपने राज्य में वापस आ जाना पड़ा। अतः हम देखते है कि पूर्वी पाकिस्तान से असम में विशेषतः मुसलमान इतनी भारी संख्या में आ गए कि उनके बारे में क्या कार्यवाही की जाए यह एक समस्या बन गयी। उस समय भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच एक समस्या उत्पन्न हो गई जिसका समाधान नेहरू-लियाकत अली समझौते के रूप में हुआ। इसके अंतर्गत उस समय पूर्वी पाकिस्तान से आये लोगों को भारतीय नागरिक मान लिया गया।

समस्या यहीं समाप्त नहीं हो जाती। तब से तीस वर्ष गुजर चुके है। वे लोग अब देश के कानून ही नहीं वरन संविधान के अंतर्गत भी असम के नागरिकों के रूप में बस चुके है। जो लोग पिछले 30 वर्षों से वहा रह रहे हैं उनके नाती-पोते हैं, और वे दादा-नाना बन चुके हैं। वे लोग देश के कानून संविधान के भारत के नागरिक हैं। इसलिए उन्हें विदेशी मानने का हमें कोई अधिकार नहीं है। वे लोग वहां कानूनी तौर पर रह रहे हैं, वे वहां किसी समझौते के परिणामस्वरूप रहे हैं; वे वहां संविधान में की गयी व्यवस्था के अनुसार रह रहे हैं। अतः यदि हम उन्हें विदेशी कहते है तो फिर वहां भारतीय किसे कहेंगे? उन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है जो पंजाब से जाकर असम में बस गए है, जो दिल्ली से जाकर असम में बस गए हैं? उन्हें क्या कहा जाएगा? उनसे कैसा व्यवहार किया जाएगा? यदि इन्हें विदेशी नहीं कहां जाता तो उन्हें भी विदेशी कहना असंगत है। यदि कोई इन भारतीयों को विदेशी कहने का आंदोलन चलाए और उसे जारी रखे तो मैं उसे समर्थन देना उचित नहीं समझता। उनसे देश के दुश्मनों के रूप में व्यवहार किया जाना चाहिए। वे आंदोलन कारी देशद्रोही हैं, जो देश के कानून संविधान के अनुसार रह रहे तथा नेहरू-लियाकत अली समझौते के अनुसार रह रहे लोगों के हटाए जाने के लिए अन्य लोगों को भड़का रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि नेहरू और लियाकत अली द्वारा हस्ताक्षरित समझौता न केवल आसमवासियों के लिए वरन् भारत और पाकिस्तान के लिए भी बंधनकारी है। हम इतिहास की गतिशीलता को नहीं बदल सकते। हम इतिहास को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम विभाजन के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकते।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

वे वहां देश के विभाजन के परिणामस्वरूप है। देश को बंटवारे को हमने एक वास्तविकता के रूप में स्वीकार किया इसीलिए उसके परिणाम को भी हमने स्वीकार किया। पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने वाले सैकड़ो लोगों को इन देशों में क्रमशः भारतीय नागरिक और पाकिस्तानी नागरिक मान लिया गया।

दूसरा मुद्दा यह है कि जो लोग यह आंदोलन कर रहे हैं, वे ही विदेशी है और देशद्रोही हैं क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाइयों से कोई सहायता नहीं मिले। तीस वर्ष बीत जाने के बाद वे ऐसे हालत पैदा करना चाहते है जिससे पूरे भारत की एकता खण्डित हो। यह आंदोलन पूरे भारत में फैला जाएगा और भाषा तथा धर्म के आधार पर ऐसे हालत पैदा करेगा जिसके कारण, अब तो केवल हम असम को नियंत्रण में लाने की बात कर रहे हैं। और तब हमें यह देखना होगा कि भारत का अस्तित्व कायम है भी या नहीं। ऐसी अव्यवस्था और गड़बड़ी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

मेरे विचार से यहां उपस्थित हमारे मित्र गंभीरता से इस समस्या पर विचार करें। यदि यह समस्या असम के पिछड़ेपन या शोषण अथवा असमवासियों के प्रति ऐसे ही किसी व्यवहार से संबंधित है, तो उसका समाधान खोजने के लिए हम मिल बैठकर चर्चा कर सकते थे। लेकिन जब असम और पूरे देश का अस्तित्व खतरे में हो तो इस समय हमारे सामने और क्या समस्या है? वहां गोली चलाई जा रही है, तथा कानून और व्यवस्था की सभी मशीनरी ठप्प है। यहां तक कि पुलिस और आसूचना विभाग भी उन विदेशियों अथवा तथाकथित भारतीय नेताओं के हाथ में खिलौना बन गए है जो असम के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। वे भारतीय नहीं है, वे विदेशी देश द्रोही और विदेशी है, जो असम के निर्दोष लोगों को भड़का रहे है, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नहीं वरन ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जिसका भारत सरकार को सामना करना पड़ेगा और उस प्रयास के कारण पूरा देश आंदोलन की ज्वाला में धधक उठेगा।

महोदय अब मैं दूसरा मुद्दा यह उठाना चाहता हूं कि कुछ मित्रों ने यहां बताया है कि बातचीत से समस्या का निपटारा करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिये। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन किस के लिए बातचीत की जाए? वे बतायें कि वहां कि समस्या क्या है, जिस पर हमें चर्चा करनी है? क्या यह बातचीत देश को अनेक टुकड़ों में बांटने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए होगी या ऐसे समस्या का समाधान करेगी जो कि है ही नहीं? वस्तुतः इस समय समस्या यह रह गयी है कि असम में जन-जीवन सामान्य करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां किस प्रकार तैयार कि जांएं। कुछ मित्र कहते है, 'सेना क्यों नहीं भेजी गई?' जब वहां कानून और व्यवस्था नहीं है, तंत्र ठप्प हो गया है, और सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया है। तो अब क्या रह गया? मैं कहूंगा कि लाखों असमवासी हमारे ही बंधु है, उनकी समस्या हमारी समस्या है। किंतु समस्या यह है कि वे बाहरी तत्वों, समाज विरोधी तत्वों और उन्हें राजनीतिक स्तर पर शोषित करने की इच्छा रखने वालों के हाथ में खिलौना बन गए है।

हम उन्हें पहले उस स्थिति से बचाना चाहते हैं। पर तरीका क्या है? तरीका यही है कि पहले उन तत्वों की गतिविधियों को रोका जाए, उन रूकावटों को समाप्त किया जाए, ताकि हम लोगों के पास पहुंच सके और उनके पिछडेपन को दूर करने की कार्यवाही कर सकें। परन्तु पहले हम उन तक पहुंचने का वातावरण तो बनाए। वह वातावरण कवल इस प्रकार बन सकता है कि जो लोग इस आन्दोलन को भड़का रहे हैं और जो ऐसी स्थिति पैदा कर रहें हैं, जो भारत की अखंडता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं उन के विरुद्ध कडी कार्रवाई की जाए। अतः जो तत्व स्थिति को राजनैतिक तौर पर विस्फोटक बना रहे हैं उनका दमन किया जाए। इस संबंध में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हमें एक होना चाहिए, इस सभा को एक होना चाहिए, ताकि जो शक्तियां भारत विरोधी हैं, यदि धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध हैं और जो भारत की अखंडता के लिए खतरा बनती जा रही हैं, उनका दमन किया जा सके। असम की समस्या पर तभी काबू पाया जा सकता है अन्यथा यह संभव नहीं है।

मेरे अनेक मित्रों ने कहा है कि हमें बल-प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं भी बल–प्रयोग के हक में नहीं हूं। परन्तु मैं ऐसी स्थिति में बल–प्रयोग के विरुद्ध नहीं हूं जब इस आन्दोलन को भड़काने वाले और इसका अनुचित लाभ उठाने वाले तत्वों का दमन करने के लिए बल का प्रयोग अत्यावश्यक हो।

हम धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र में विश्वास करने वाली एकमात्र नेता श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा, स्थिति को बेकाबू होने से रोकने संबंधी, किए जा रहे कार्यों का पूरा समर्थन करते हैं, हम उनके द्वारा स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए किए गए वास्तविक प्रयासों का भी पूरा–पूरा समर्थन करते हैं। हम उनका साथ देने में कतई पीछे नहीं रहेंगे और हम भारतियता की आड़ में छिपे भारत के दुश्मनों को बेनकाब करके अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। मेरा यही निवेदन है।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, श्रीमन् असम जल रहा है। असम, गैर–असमियों के लिए बूचड़खाना बना हुआ है। मेरा विचार है कि माननीय वित्त मंत्री मुझे से उस बात पर सहमत होंगे कि देश की 71 प्रतिशत जनता गरीबी की सीमारेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। असम में गरीबी की सीमारेखा से नीचे जीवन मापन करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि असम में बेरोजगारी की समस्या थी/है। परन्तु अखिल असम विद्यार्थी संघ और गण संग्राम परिषद् द्वारा चलाया गया यह आन्दोलन एक अहितकारी आन्दोलन है, एक प्रतिक्रियावादी आन्दोलन है जो देश का विभाजन कर देगा। वे न केवल असमी अल्पसंख्यकों की हत्या कर रहे हैं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले अल्पसंख्यकों की भी हत्या कर रहें, वे हरिजनों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की भी हत्या कर रहे हैं। वे गोलपाड़ा और कामरूप जिलों में कोच, मेर, रवा, बोरु, कधरी और राजबंसियों की भी हत्या कर रहे हैं, जो असम के मूल निवासी हैं। श्रीमन् तर्क के तौर पर यदि हम 18वीं और 19वीं शताब्दी का अपना इतिहास देखें तो असम के कामरुप और गोलपाड़ा जिले तथा दीनजपुर से लेकर गोहाटी तक का सारा क्षेत्र कामतपुर राज्य था। इस क्षेत्र के मूल निवासी कौन है? वे हैं कूच, मेर, रवा, बोरुन, कच्छी और राजबंसी तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लोग न कि ये आसामी। मैं स्वयं राजबंसी समुदाय से संबंधित हूं। क्या मैं कह सकता हूं "तुम, आसामी गोलपाड़ा और कामरूप जिलों से निकल जाओ" क्योंकि हम उस क्षेत्र के मूल निवासी है। मैं ऐसा नहीं कह सकता, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए। श्रीमन् भारत हमारी मातृभूमि है। यह मेरी प्यारी जन्मभूमि है।

"जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी"

[श्री अमरराय प्रधान]

सभापति महोदय, प्रश्न आसमियों और बंगालियों का नहीं है। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चाय के बागान हैं। श्रीमन्, श्री रविन्द्र वर्मा कहां है, एक बार वे रांची क्षेत्र से लौटे थे। वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चाय बागान में काम करने वाले 93% कामगार छोटा नागपुर, बिहार के हैं। श्रीमन्, श्री आनन्द गोपाल बाबू जानते हैं कि पटसन मिलें और खानों में 67 प्रतिशत कामगार बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। श्री बीजू पटनायक कहां है। उन्हें मालूम होना चाहिए। वे अच्छी तरह जानते हैं कि कलकत्ता और पश्चिम बंगाल के अन्य शहरों में 60 प्रतिशत होटल और रेस्टोरेंट उड़िया लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं। गृह मंत्री जी कहां है? उन्हें भी ज्ञात होना चाहिए कि ओटोमोबाइल के क्षेत्र और ट्रकों के व्यापार में लगे 50% प्रतिशत लोग सिक्ख हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता कहा है? यह केवल बड़े औद्योगिक घराने का प्रश्न नहीं है। श्रीमन 50 प्रतिशत व्यापार राजस्थानियों के हाथों में है। अतः क्या मैं यह कह सकता हूं कि "आप बिहारियों, उत्तर प्रदेश वालों, उड़िसा वालों, सिक्खों पश्चिम बंगाल से निकल जाओ" कदापि नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार यह नहीं कह सकती।

सभापति महोदय, श्रीमन् अखिल असम विद्यार्थी संघ और गण संग्राम परिषद के लोग घर-घर जा कर यह कह रहे है कि "आप अपना नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाए। अन्यथा आप असम से बाहर चले जायें। श्रीमन् मैं समझता हूं मतदाता सूची मे आपका नाम है परन्तु यदि मैं आपसे कहूं "कृपया अपना नागरिकता प्रमाणपत्र दिखाए" या कि इन सभी सदस्यों से कहू कि 'आप अपना नागरिकता प्रमाणपत्र दिखाए वरना आप भारत से बाहर चले जायें,' तो आपमें से कितने लोग यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। क्या आप अपना नागरिकता प्रमाणपत्र दिखा सकेंगे जहां तक मेरा संबंध है मैं पूर्वी पाकिस्तान के दीनजपुर जिले से आया हूं। अपने छात्र काल से ही मैं पश्चिम बंगाल में रहा हूं। 1962 से 1971 तक मैं पश्चिम बंगाल विधान सभा का सदस्य रहा हूं और अब 1977 से संसद सदस्य हूं। यदि आप मेरे से यह कहें कि मैं अपना नागरिकता प्रमाण-पत्र दिखाऊ तो यह संभव नहीं है। तो क्या आप कहेंगे कि "इस सदन से बाहर निकल जाओं और भारत छोड़ दों" तो श्रीमान असम में क्या हो रहा है?

सभापति महोदय : श्री० प्रधान, आपका समय समाप्त हो गया है। आपने अपने विचार स्पष्ट रूप प्रकट कर दिए हैं।

श्री अमर राय प्रधान : इस आन्दोलन के पीछे केवल विदेशी नागरिकों का ही प्रश्न नहीं है। अपितु विदेशी लोग ही इस आन्दोलन के पीछे हैं।

इस संबंध में मैं टाइम्स आफ इण्डिया का उध्दरण देना चाहूंगा। टाइम्स आफ इण्डिया ने अपने दिनांक 27 मई 1980 के संस्करण में बताया है:—

"ऐसा ज्ञात हुआ है कि विद्रोहीयों में 'नामत' नामक एक भूमिगत संगठन, जिसमें नागालैण्ड, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के व्यक्ति है, बनाया है जिसका मुख्यालय बर्मा है।

उग्रवादी दलों ने इस संगठन के साथ सम्पर्क स्थापित किया है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि राज्य राज्य में एक अलग संघीय शासन स्थापित करने के संबंध में उनमें एक करार हुआ है।"

अतः श्रीमन् विदेशी लोग इस आन्दोलन के पीछे हैं। राष्ट्रीय शक्तियों, राजनैतिक दलों, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी तथा अन्यों से मेरी अपील है कि वे यह न भूले कि 1947 में भारत का विभाजन कैसे हुआ था। जवाहरलाल नेहरु ने जो आश्वासन दिया था उसे मत भूलें, महात्मा गांधी ने जो आश्वासन दिया था उसे मत भूलें। 1951 का नेहरु-लियाकत, समझौता मत भूलें। वाजपेयी जी कहां है? मेरा विचार है कि तब हमने इन्दिरा-मुजीब समझौते का स्वागत किया था। अतः मेरी सभा से और सभी उपस्थित मित्रों से अपील है कि हम इस खतरनाक आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए एकजुट हो जाए। हम अखिल असम विद्यार्थी संघ द्वारा प्रस्तावित 1951 को कैसे आधार वर्ष मान सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री जेठमलानी आपके पास काफी कम समय है।

श्री राम जेठमलानी (बंबई उत्तर पश्चिम) : मैं निर्धारित समय से एक मिनट भी अधिक नहीं लूंगा। मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे 5 मिनट का समय दिया है।

सर्व प्रथम मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इस समस्या का बातचीत करके हल ढूंढा जाए। श्रीमान 31 मई को प्रधान मंत्री महोदया ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें मेरी पार्टी का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हो सका। परन्तु उसी दिन मेरी पार्टी के नेता को उनको एक पत्र मिला जिसमें कुछ स्पष्टीकरण दिए गए थे। मेरी पार्टी ने उस पर तत्काल विचार किया और 3 जून 1980 को मेरी पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री जी को उत्तर दिया कि इस समस्या का हल करने के प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई किसी बैठक में हम केवल पार्टी के नेता ही नहीं अपितु, अन्य प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

श्रीमन् एक सप्ताह से अधिक समय बीत गया है। अभी तक हमें प्रधानमंत्री महोदया से कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। हम समझते हैं कि वे अन्य कार्यों में व्यस्त होंगी। मैं इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराता। परन्तु इस सप्ताह की अवधि बीत जाने और जो कुछ गृहमंत्री जी ने कल कहा था उससे ऐसा लगता है कि आगे और कोई बातचीत नहीं होने वाली है।

अपने दल तथा अपनी ओर से मैं यह कहना चाहता हूं कि हम विचार-विमर्श करने के लिए तैयार हैं तथा प्रधानमंत्री व अन्य दलों के साथ इस समस्या के निदान व समाधान के उपाय निकालने के लिये तैयार हैं।

जहां तक प्रो० रंगा का प्रश्न है वह यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने कुछ और बात कही थी। लेकिन हम पूरी नम्रता के साथ यह समझ सकते हैं कि गृहमंत्री के कल के वक्तव्य को प्रधानमंत्री रद्द नहीं करेंगी क्योंकि गृहमंत्री ने कल कहा था.... (व्यवधान)

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय (आसनसोल) : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : यह क्या है ?

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या श्री जेठमलानी को उत्तर देने का अधिकार है ? बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था, परन्तु वह कल दिए गए भाषणों के अंश के संबंध में कह रहे हैं।

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या उन्हें उत्तर देने का अधिकार है अथवा नहीं।

श्री आनन्द गोपाल मुखोपाध्याय : क्या यह उनका व्यक्तिगत स्पष्टीकरण है।

सभापति महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं उनको भाषण जारी रखने की अनुमति देता हूं।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, अगला प्रश्न असम के अल्पसंख्यकों के बारे में है। मैंने कल भी कहा था और आज मैं फिर दोहराऊंगा कि पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा दर्शायी गयी उत्तेजना भावनाओं व उत्साह का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। हमने कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट की है। असम आन्दोलन के नेताओं द्वारा दिए गए आज सुबह के इस वक्तव्य से सभी के संदेह आशंका व भय दूर हो जाने चाहिए कि असम आंदोलन किसी भी भारतीय नागरिक के विरुद्ध नहीं है वरन यह केवल उन विदेशीयों के विरुद्ध है जो भारतीय नागरिकों का रूप धारण कर अभी भी देश में घूसे चले आ रहे हैं। (व्यवधान) ये विदेशी नागरिक कौन है? मेरे विचार से यह आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन (1942) की तरह है जो कुछ उन विशेष गतिविधियों में संयोगवश उलझ रहा है जो कि उस आंदोलन के उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। मैं जानता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ सदस्य वास्तव में भारतीय नागरिक हैं और वे इन दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। लेकिन महोदय, मैं उन सदस्यों को, जो चिल्ला रहे हैं और छाती पीट रहे हैं, याद दिलाना चाहता हूं कि मैं स्वयं इस देश के एक छोटे भाषायी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित हूं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिस से अल्पसंख्यकों के हितों को खतरा पैदा हो। दूसरी ओर, हम यह भी नहीं भूल सकते हैं कि आसाम की कुछ ऐसी वास्तविक शिकायतें भी हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन के नेताओं द्वारा आठ मांगें रखी गई हैं। सरकार यह दावा करती है कि— गृह मंत्री तथा प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की थी— आंदोलनकारियों द्वारा रखी गई आठ मांगों में से पांच मान ली गई हैं, अब यदि सरकार द्वारा पांच मांगे मान ली गई हैं, तो मैं यह सोच सकता हूं कि सरकार ने यह कार्य किसी दबाव में आकर नहीं किया है। सरकारने ये पांच मांगें इसलिए मान ली क्योंकि ये मांगे उसे राष्ट्रीय हित के अनुकूल लगी। इस प्रकार, तथाकथित आंदोलनकारियों द्वारा रखी गई अधिकतर मांगें राष्ट्रीय हितों के अनुकूल है, अन्यथा आप ये मांगें नहीं स्वीकार करते। आपने मांगो पर स्वयं उनकी खूबियों के कारण विचार किया, इसलिए आपने उन्हें स्वीकार किया है।

[श्री राम जेठमलानी]

प्रधान मंत्री ने मेरे दल के नेता, श्री अटल विहारी वाजपेयी को लिखे दिनांक 31 मई, के पत्र में यह स्वीकार किया है भारत का समग्र विकास के परिणाम दुर्भाग्यवश असन्तुलित रहे हैं, और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उनका लाभ नहीं पहुंच पाया है। प्रधानमंत्रीने अपने पत्र में यह वायदा किया है कि इस असंतुलन को हटाने के कदम उठाए जा रहे हैं। अतः यदि तीस वर्ष के बाद आप अब नींद से जागे हैं और आप यह कह रहे हैं कि अब आप पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे रहे हैं तो आपको उन आंदोलनकारियों का आभार मानना चाहिए जो इसे आपके ध्यान में लाए हैं, और आपको उनकी अधिकतर मांगे माननी पड़ी हैं। इस मुद्दे को आपके समक्ष रखने के लिए उनका आभार प्रकट करने के बजाए आप आंदोलन को बुराई कर रहे हैं और इस प्रकार आप आंदोलन के प्रति कृतघ्न हो रहे हैं. और ....(व्यवधान)

अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि महोदय, आंदोलनकारियों की मांगों और सरकार के दृष्टिकोण के बीच अन्तर केवल आधार वर्ष मानने के बारे में है। (व्यवधान)

महोदय, इस गड़बड़ी से बचने का वायदा किया गया था और फिर वही हो रहा है। (व्यवधान)

महोदय सरकार द्वारा स्वीकृत मांगों में से पहली मांग यह है कि विदेशी नागरिकों का पता लगाया जाए और उन्हें देश से निकाल दिया जाए। महोदय, दूसरी तरफ के माननीय सदस्य यह भी नहीं जानते कि उनकी सरकार क्या कर रही है।

सभापति महोदय, मेरा उनसे अनुरोध है कि वे उस समाधान को मान लें जो आज से कई साल पहले, इस देश के एक प्रतिष्ठित नेता ने 1962 में संसद् में प्रस्तुत किया था। इस देश के उस महान नेता ने कहा था कि इस समस्या के निदान के लिए 1952 सही आधार-वर्ष होगा। अब महोदय, अब यदि वे उस नेता के प्रति आदरभाव नहीं रखते तो मैं क्या कर सकता हूं। वह महान नेता पंडित जवाहरलाल नेहरु ही थे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन के कारण ही न केवल आसाम में वरन् अन्य भागों में भी यह समस्या पैदा हो गई है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में यह समस्या आर्थिक पिछड़ेपन के कारण उत्पन्न हुई है। महोदय, इस देश की आजादी के बाद से उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा इस क्षेत्र विशेष के आर्थिक विकास के लिए, कुछ भी नहीं किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सरकार ने कुछ करने का प्रयत्न किया था, परन्तु बाद में बनने वाली सरकारों ने इस संबंध में, जो उन सरकारों से अपेक्षा की गई थी, कुछ नहीं किया। जनता काफी कष्ट सहन करती आ रही है। इसी लिए उन्होंने इस प्रकार का आंदोलन आरंभ किया है। कुछ राजनैतिक दलों और निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा इस समस्या को और तूल दिया जा रही है। वे समस्या का हल निकालने की कोशिश नहीं कर रहें हैं वरन् स्थिति को और अधिक बिगाड रहे हैं। वर्तमान सरकार भी जब से सत्ता में आई है उसने इस विषय में, जो उससे अपेक्षा की जा रही थी, कुछ नहीं किया। जब से यह सरकार सत्तारुढ़ हुई है तब से स्थिति और भी बिगड़ गई है। महोदय, अब न केवल आसाम में वरन् त्रिपुरा में भी एक विशेष स्थिति पैदा हो गई है। हम समाचार पत्रों में यह सब देखते हैं। हम सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था वरन् पूरे देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई है। आसाम में रेल यातायात व डाक सेवाएं अस्तव्यस्त हो गई हैं, तेल शोधक कारखाने या तो काम नहीं कर रहे या ठीक से नहीं चल रहे हैं। यह सरकार के अपने आंकड़े हैं कि इस कारण 300 करोड़ रुपये प्रतिमाह की हानि हो रही है। इस सबके बावजूद सत्तारुढ़ दल ने नाकाबन्दी प्रारम्भ कर दी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस (आई) ने नाकाबन्दी प्रारंभ कर दी है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या वह वास्तव में इस क्षेत्र विशेष का आर्थिक विकास करना चाहते हैं। महोदय, जब तक कि आर्थिक विकास नहीं होगा, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब जबकि यह मुद्दा उठाया जा चुका है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में वे इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं। इन सब बातों पर आपको विचार करना पड़ेगा, और आपको इस प्रकार के आंदोलनों की अगुवाई नहीं करनी चाहिए।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या वह लोक सभा से इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वह सत्तारुढ़ दल के टिकट पर चुने गए हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : चूंकि हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, नागालैण्ड आदि में आप दलबदलुओं पर निर्भर करते हैं इसलिए किसी से इस्तीफा मांगने का आपको कोई नैतिक अधिकार प्राप्त नहीं है । आपने वचन दिया था कि आप दल-बदल के खिलाफ एक विधेयक लाएंगे । आप उसे नहीं लाए, और आपने जनता को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया । हम यह महसूस करते हैं कि आपके साथ बैठना भी पाप है, और इसलिए हम आपके जात से निकलने का फैसला कर चुके हैं । और किसी से इस्तीफा मांगने का आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है ।

महोदय, कल श्री इंद्रजीत गुप्ता ने ठीक ही पूछा था, कि— विदेशी कौन है? लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि से आए हैं । क्या वे विदेशी कहलाए जाएंगे । इस समस्या पर उचित ढंग से विचार किया जाना चाहिए । यदि यह विचार किया जाए कि 1971 को 'आधार-वर्ष' माना जाए, तो क्या होगा? क्या वे लोग जो असम में 1971 के बाद आए हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा? यदि ऐसा हुआ तो उन्हें कहां बसाया जाएगा? महोदय, श्री जेठमलानी का वक्तव्य सुनकर मुझे वस्तुतः दुःख हुआ है । मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है पर मुझे वास्तव में ही मालूम नहीं था कि अल्पसंख्यकों के प्रति उनके ऐसे विचार हैं । अल्पसंख्यकों के प्रति उन्हें कोई सहानुभूति नहीं है । जो भी आसाम में हो रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, व कांग्रेस (आई) दोनों ही जिम्मेदार हैं। यह निश्चय ही बहुत लज्जा की बात है । मैं चाहूंगा कि कांग्रेस (आई) व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, और स्पष्टतः बताएं कि क्या वास्तव में वे इस समस्या के निदान में रुचि रखते हैं अथवा नहीं ।

हमारे नेता श्री एच० एन० बहुगुणा ने प्रधान मंत्री को लिखे अपने 30 जनवरी, 1980 के पत्र में यह आग्रह किया था कि इस समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाए जाएं । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यदि सरकार अल्पसंख्यकों की इस समस्या को हल नहीं करेंगी तो बाद में इसका समाधान बहुत कठिन हो जाएगा और साम्प्रदायिक दंगे हो जाएंगे । अन्ततः वही हुआ । आप ने उचित रुचि नहीं दिखाई, वरना, यह समस्या हल हो चुकी होती ।

अंत में, मैं सरकार से आग्रह करुंगा कि इस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिये उचित कदम उठाए जाएं तभी अन्य समस्याएं भी हल होंगी, अन्यथा स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी ।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : सभापति महोदय, हमारी यह बहस काफी विचारोत्तेजक रही और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभी तरफ से परस्पर विरोधी विचारों के बावजूद एक भी सदस्य ने अनुदान की मांगों का विरोध नहीं किया ।

एक माननीय सदस्य : मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : श्री बनातवाला ने कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं ।

श्री आर० वेंकटरामन : यह मांगों का विरोध करना नहीं है । आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप को पता ही होगा ।

जब मैंने पहला लेखानुदान प्रस्तुत किया था तो मेरा ख्याल था कि अन्य राज्यों के साथ-साथ असम में भी लोकप्रिय सरकार कायम हो सकेगी और मुझे दूसरा लेखानुदान प्रस्तुत करने के मामलें में नहीं पड़ना पड़ेगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ । बहस का क्षेत्र निस्संदेह रूप से बढ़ गया है । कुछेक लोगों का कहना है कि असम की स्थिति का कारण, वर्षों से विकसित कुछ आर्थिक परिस्थितियां हैं तथा अन्य लोगों का विचार है कि इस के पीछे विभिन्न राजनीतिक कारण हैं । असम की स्थिति के राजनीतिक पहलू के बारे में कल हमारी बहस काफी लम्बी रोचक और गरमा-गरम रही । अतः मैं अपने आप को बहस के दौरान उठाए गए आर्थिक मुद्दों तक ही विचार करने के लिए सीमित रखूंगा । सबसे पहले मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि इस बारे में प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया यह आश्वासन—कि वह सभी संबद्ध दलों से इस विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं— अभी भी कायम हैं और अब यह संबद्ध दलों पर निर्भर करता है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं तथा समाधान निकालने के उद्देश्य से सरकार द्वारा अपनाए गए स्पष्ट रवैये का फायदा उठाये । मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्रजीत यादव, जिन्होंने बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया है, ने बताया है कि असम एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है, इस की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और इसकी उपेक्षा की जाती रही है ।

[श्री आर० वेंकटरामन]

मैं पहली दो बातों का समर्थन करता हूं कि असम एक पिछड़ा राज्य.....

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : पिछले 32 वर्षों से इस का शोषण किया जाता रहा है।

श्री आर० वेंकटरामन : यही नहीं कहा गया। आपने यह कहा होगा क्या आपने कहा था जहां तक इन तीन बातों का संबंध है, पहली यानी असम एक पिछड़ा राज्य है, से मैं सहमत हूं। यह तो निश्चित ही है।

प्रति व्यक्ति आय सबसे कम नहीं है, यह सबसे कम में से है और मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि यह सबसे कम नहीं है, हां सब से कम के लगभग ही है, मैं बहस को छोटी छोटी बातों पर बल नहीं देना चाहता। किन्तु अब तक सरकार द्वारा इस की उपेक्षा की गई है, इस पर मैं आपत्ति करना चाहूंगा। मेरे पास यहां प्रस्तुत करने के लिए आंकड़े उपलब्ध हैं कि पिछले दस वर्षों से अधिक समय से असम के विकास में केन्द्र का कितना योगदान रहा। आप देखेंगे कि अन्य पहाड़ी राज्यों के साथ-साथ असम के साथ दूसरे राज्यों की अपेक्षा अलग से वर्ताव किया गया। मेरे माननीय मित्र श्री दंडपाणि ने कहा कि असम को गाडगिल फार्मूले के कारण हानि उठानी पड़ी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि गाडगिल फार्मूला असम पर लागू नहीं है। वस्तुतः असम को विशेष श्रेणी के राज्य के रूप में केन्द्र से विशेष सहायता दी जाती रही है। गाड़गिल फार्मूले में मोटे तौर पर यह व्यवस्था है कि केन्द्रीय सहायता का 60 प्रतिशत राज्यों को जनसंख्या के अनुसार 10 प्रतिशत पिछड़े पन के हिसाब से और 10 प्रतिशत कुछेक चल रहे कार्यक्रमों आदि के अनुसार दिया जाएगा। इस फार्मूले का पर्वतीय राज्यों और कम जनसंख्या वाले राज्यों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। असम राज्य पर जहां की आबादी कम है, यह फार्मूला लागू नहीं किया गया है। वास्तव में हमने असम और अन्य पर्वतीय राज्यों के लिए किया यह है कि उन्हें केन्द्र द्वारा विशेष सहायता दी जाती है और केन्द्र द्वारा दी गई सहायता अन्य राज्यों को दी गई औसतन सहायता से ज्यादा रही है। मैं 1974-75 से आंकड़े उपलब्ध करा सकता हूं। चाहे ये आंकड़े पिछली कांग्रेस सरकार अथवा बाद की जनता सरकार अथवा अब की कांग्रेस सरकार किसी से भी संबद्ध क्यों न हों, हम ने यही एक सिद्धान्त अपनाया है और इस से पीछे नहीं हटे हैं।

प्रोफेसर मधु दण्डवते (राजापुर) : एक और सरकार का नाम आप भूल गए हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : वर्ष 1976-77 में असम को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता 25 रु० दी गई जबकि राष्ट्रीय औसत 14 रु० की थी, 1977-78 में यह राशि 39 रु० थी जब कि राष्ट्रीय औसत 21 रु० की थी। वर्ष 1978-79 में यह 72 रु० थी जब कि राष्ट्रीय औसत 37 रु० थी, वर्ष 1979-80 में यह 69 रु० थी जब कि राष्ट्रीय औसत 36 रु० की थी और 1980-81 में हमने 83 रु० दिए हैं जब कि राष्ट्रीय औसत 46 रु० की है। अतः केन्द्र ने असम के साथ विशेष रियायत बरती है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केन्द्र द्वारा असम की उपेक्षा नही की गई। केन्द्र ने असम को विशेष सहायता पाने वाले राज्यों के रूप में ही लिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : पहली 4 पंचवर्षीय योजनाओं में क्या स्थिति थी?

श्री आर० वेंकटरामन : मेरे पास सूची है। यह सहायता लगभग बराबर ही हैं। मैं यह कह रहा था कि अब तक यही स्थिति रही है। हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आबादी का फार्मूला असम के लिये नुकसानदायक होगा, असम को विशेष मामले के रूप में लिया है। यह बात जनता तथा सदस्य नेता गण और प्रेस द्वारा पहुँचाई जाए कि भारत ने अपने एक अंग अर्थात् असम के विकास की ओर उनके पिछड़े पन का दृष्टि में रखते हुए विशेष ध्यान दिया है। महोदय, आप को पता ही होगा कि अंग्रेजों के संपूर्ण भारत में आ जाने से पहले भारत अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि एक राज्य विकसित था और अन्य पिछड़े हुए लेकिन अंग्रेजों के आगमन के बाद उन्होंने अपने व्यापारिक लाभ के लिए कुछेक क्षेत्रों का विकास किया, और उस प्रक्रिया में महाराष्ट्र, बंगाल और कुछ हद तक मद्रास का विकास किया गया। इसलिए जब हम आजाद हुए तो इन राज्यों की स्थिति, अन्य राज्यों की अपेक्षा जो कि आजादी से पूर्व लगभग पिछड़े हुए थे के मुकाबले कहीं बेहतर थे।

पिछले 30 वर्षों में हमने इस असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया है, और इस असमानता को दूर करने का एक उपाय यह अपनाया गया कि केन्द्रीय सहायता इस प्रकार दी जाएं कि वे राज्य जो पिछड़े हुए हैं, उन्हें उन्नत राज्यों की अपेक्षा कुछ ज्यादा केन्द्रीय सहायता मिल सके ।

राष्ट्रीय विकास परिषद् में भी इस बात पर हमेशा विचार विमर्श होता है कि किस राज्य को कितनी राशि दी जाए । केन्द्रीय सहायता देने के बारे में यह फार्मूला सभी राज्यों की सहमति से निर्धारित किया गया है तथा सभी राज्य इस पर सहमत भी हुए हैं कि विकसित राज्यों की अपेक्षा पिछड़े राज्यों को थोड़ी अधिक प्राथमिकता, और सहायता दी जाए। अतः मैं इस धारणा को दूर करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने असम के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। वास्तव में, अगर असम पिछड़ा हुआ है, तो यह भारत के अन्य पिछड़े भागों के समान ही है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर इस आन्दोलन का कारण केवल यही है तो मैं इस सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि मेरे माननीय सहयोगी योजना मंत्री और मैं असम जाकर उसकी समस्या का विशेष अध्ययन करने को तैयार है जिससे कि उन की भावना बदल सके । हम उन्हें सहायता देने का यथा संभव प्रयास करेंगे ताकि वे देश के अन्य भागों के समकक्ष आ सकें ।

मैं यह आशा करता हूं कि असम की जनता तक यह संदेश पहुँच जाएगा कि असम की जनता के प्रति भारत के अन्य भागों के लोगों की पूरी सद्भावना है तथा भारत के दूसरे भागों के लोग, भारत का एक भाग, जो कि सचमुच पिछड़ा हुआ है, को देश के अन्य भागों को समकक्ष लाने के लिए थोड़ा बहुत त्याग करने को तैयार हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में विचार व्यक्त करना चाहता था । कई अन्य बातों का भी उल्लेख किया गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह बात कही है कि आन्दोलन से न केवल असम की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है अपितु देश के अन्य भाग भी इस से प्रभावित हुए हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वास्तव में असम में तेल-शोधन को रोकने से असम के लोगों को हानि होती है। केवल यही नहीं, बरौनी तेल शोधन कारखाने को तेल की सप्लाई रोकने से समूचे उत्तर भारत को हानि होती है। अकेले बरौनी तेल-शोधन कारखाने को केवल तेल से प्रतिदिन 4 करोड़ रुपये की हानि होगी और इस से हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था तथा बजट पर भी प्रभाव पड़ेगा। अतः यह देखना राष्ट्र के हित में है कि चाहे मतभेद कुछ भी हों, विभिन्न पार्टियों के विचार अलग-अलग हों, चाहे असम के लोगों की मांगे कुछ भी हो, कम से कम उन्हें देश की अर्थ-व्यवस्था को बनाये रखने का प्रयास करना चाहिये, ताकि उन्हें तथा शेष देश को हानि न हो। यदि वे अपने क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों का विकास रोकते हुए आन्दोलन को जारी रखते हैं, तो उनकी अपनी अर्थ-व्यवस्था पर इतना गम्भीर असर पड़ेगा कि यदि वे अपने आन्दोलन में सफल भी हो जाते हैं, तो आने वाले काफी लंबे समय तक वे सम्भल नहीं पायेंगे।

मैं असम के बारे में एक या दो अन्य तथ्य बताना चाहता हूं। जब मैंने पहला लेखानुदान प्रस्तुत किया था, मैंने इस सदन को बताया था कि इस चालू वर्ष के लिये असम के लिये योजना आबंटन 160 करोड़ रुपये होगा। उसके बाद हमने इन आंकड़ों को बदल दिया और इसे बढ़ाकर 178 करोड़ रुपये कर दिया और केन्द्रीय सहायता भी बढ़ा दी है। हमने इसे 115 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 122 करोड़ रुपये कर दिया है। हमने इस आन्दोलन को ध्यान में रखकर नियतन की राशि को नहीं बढ़ाया है, हमारे दिमाग में यह बात आई ही नहीं है । हम यह देखना चाहते है कि असम को उचित राशि का नियतन किया जाये ।

पहले लेखानुदान के बाद हमने ऐसा किया है । मैं चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखा जाये । जहां तक राशियों के वितरण का सम्बन्ध है, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिये 81 करोड़ रुपये, कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिये 34 करोड़ रुपये; सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के लिये 33 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी। परिवहन और संचार के लिये 17 करोड़ रुपये की राशि दी जायेगी। कुल मिलाकर यह राशि 178 करोड़ रुपये बैठती है। अतः कोई भी व्यक्ति असम के प्रश्न के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया न अपनाने का आरोप भारत सरकार पर नहीं लगा सकता ।

कुछ सदस्यों नें यह कहा है कि असम तेल के लिये दी गई रायल्टी गुजरात तेल के लिये दी गई रायल्टी से कम है। दोनों के लिये रायल्टी बराबर है; उनमें भेद-भाव नहीं किया गया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आपके द्वारा आयातित कच्चे तेल के मुकाबले इसकी क्या स्थिति है ?

सभापति महोदय : श्री बसु इस प्रकार व्यवधान न डालें ।

श्री आर० वेंकटरामन : प्रश्न उतने सीधे नहीं हैं जैसे ये प्रतीत होते हैं । वह बजट के बारे में मुझ से कुछ उगलवाना चाहते हैं, जो मैं नहीं करूंगा । उनमें कोई अन्तर नहीं है । हम असम तेल को भी वही रायल्टी दे रहे है जो गुजरात तेल को देते है । अतः असम को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव : तेल संशोधन कारखाने के लिये उनकी मांग का क्या हुआ ?

श्री आर० वेंकटरामन : वहां पर पहले तेल-संशोधन कारखाने हैं; गोहाटी तेल–शोधन कारखाना, बोंगाई-गांव तेल शोधन कारखाना, वहां पर तीन कारखाने हैं । यदि वे इनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने शुरु में बताया कि यदि वे ऐसा आर्थिक विकास के रूप में चाहते हैं, तो हम आमने-सामने बैठकर इस पर उनके साथ चर्चा कर सकते हैं; मैंने कहा है कि मेरे साथी योजना मंत्री और मैं असम जाने के लिये तथा उनसे सभी आर्थिक प्रश्नों पर वार्ता करने के लिये तैयार हैं। इससे उन्हें अपना विकास करने में सहायता मिलेगी । यदि अधिक तेल-शोधन कारखानों की उनकी मांग है, तो यह कोई ऐसा मामला नहीं जिसपर भारत सरकार को कोई आपत्ति हो । वास्तव में, यदि तेल का उत्पादन किया जाता है, तो किसी अन्य स्थान के बजाय वहां पर कारखाना लगाना बेहतर है । केवल वितरण प्रयोजन के लिये बरौनी वहां पर स्थित है, श्री यादव यह बात अच्छी तरह जानते हैं ।

मैंने उन सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये हैं जो आर्थिक मामलों के संबंध में उठाये गये थे । जहां तक राजनीतिक प्रश्नों का संबंध है, उनपर काफी चर्चा की जा चुकी है और मैं पुनः यह आश्वासन देता हूं कि प्रधान मंत्री सभी लोगों से मिलने और इस प्रश्न पर चर्चा करने तथा उसका हल ढूंढने के लिये तैयार है । अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांगे स्वीकृत की जायें ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे और अस्वीकृत हुए ।

सभापति महोदय : मैं मांगों को मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के संबंध में 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य-सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक लेखानुदान की राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये ।"

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 1980-81 के लेखानुदान की मागो (आसाम) की सूची

(दिनांक.....की कार्य सूची देखिए)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखानुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1	राज्य विधान मंडल . . .	16,74,000	..
3	मंत्रिपरिषद्	5,81,000	..
4	विवेकाधीन अनुदान . . .	17,000	..
5	न्याय प्रशासन	52,77,000	..
6	निर्वाचन	13,36,000	..
7	आय और व्यय पर कर . . .	2,24,000	..
8	भू-राजस्व और भूमि की अधिकतम सीमा .	2,15,58,000	..
9	स्टाम्प	2,56,000	..

लेखानुदानों की मांगें (आसाम), 1980-81 की सूची—जारी

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जानेवाली लेखानुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
10	पंजीकरण	7,68,000	..
11	राज्य उत्पाद शुल्क	20,03,000	..
12	बिक्री कर और अन्य कर	29,67,000	..
13	परिवहन सेवाएं	1,02,16,000	8,67,000
14	बिजली निरीक्षणालय	2,19,000	..
15	अल्प बचतें	82,000	..
16	वित्तीय निरीक्षण	66,000	..
19	सिविल सचिवालय तथा संबद्ध कार्यालय	94,32,000	..
20	जिला प्रशासन	84,84,000	..
21	राजकोष और लेखा प्रशासन	29,24,000	..
22	पुलिस	9,39,81,000	..
23	जेले	55,16,000	..
24	राज्य के कैदी और नजरबन्द	10,000	..
25	लेखन सामग्री और मुद्रण	40,76,000	..
26	प्रशासनिक और कार्योपलक्षी इमारतें	2,06,80,000	2,20,28,000
27	अग्निशमन सेवाएं	30,20,000	..
28	सतर्कता और विशेष आयोग	1,93,000	..
29	नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड	39,11,000	..
30	सामूहिक परिवहन	83,000	..
31	अतिथिगृह, सरकारी होस्टल आदि	8,41,000	..
32	प्रशासनिक प्रशिक्षण	1,27,000	..
33	जन्म मरण संबंधी आंकडे आदि	4,43,000	..
34	पेंशने और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,03,10,000	..
35	सहायता सामग्री	51,07,000	..
36	राज्य लाटरियां	11,18,000	..
37	शिक्षा	26,64,20,000	1,00,000
38	कला और संस्कृति	24,10,000	..
39	राज्य अभिलेखाकार	67,000	..
40	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	12,06,11,000	47,50,000
41	सफाई और मल निकासी	2,51,000	..
42	आवास स्कीमें	43,05,000	10,33,000
43	रिहायशी इमारतें	77,71,000	1,11,30,000
44	नगर विकास	41,36,000	2,00,000
45	सूचना और प्रचार	17,42,000	..
46	श्रम और रोजगार	71,85,000	..
47	नागरिक पूर्ति	36,79,000	..
48	राहत और पुनर्वास	38,000	1,67,000

[सभापति महोदय]

लेखानुदानों की मांगें (आसाम), 1980-81 की सूची—जारी

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली लेखानुदान की मांग की रकम	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
49	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्यों का कल्याण	1,33,24,000	..
50	समाज कल्याण	83,51,000	..
51	नशाबन्दी	13,34,000	..
52	स्वतंत्रता सेनानियों, राज्य सैनिक बोर्ड आदि को पेंशन	13,08,000	..
53	दैवी विपत्तियां	2,30,67,000	..
54	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	69,000	..
55	योजना बोर्ड	9,53,000	..
56	सहकारिता	1,83,90,000	1,16,55,000
57	उत्तरपूर्वी परिषद् स्कीमें	18,67,000	78,04,000
58	सांख्यिकी	32,60,000	..
59	तौल और माप	9,90,000	..
60	व्यापार सलाहकार	1,57,000	..
61	कृषि	6,15,95,000	1,00,000
62	सिंचाई	1,32,13,000	7,03,03,000
63	भूमि और जल संरक्षण	1,11,19,000	20,24,000
64	पशु पालन और पशु चिकित्सा	2,32,87,000	..
65	डेरी विकास	39,65,000	..
66	मीन उद्योग	53,28,000	67,000
67	वन	4,65,37,000	..
68	सामुदायिक विकास	2,61,44,000	..
69	उद्योग	8,43,000	63,67,000
70	रेशम कीट पालन और बुनाई	1,22,23,000	3,14,000
71	कुटीर उद्योग	74,23,000	30,03,000
72	खोंने और खनिज	23,82,000	12,54,70,000
73	बाढ़ नियंत्रण	1,66,06,000	4,54,67,000
74	सड़कें और पूल	6,94,78,000	4,50,72,000
75	पर्यटन	8,79,000	..
76	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को मुआवजा और समनुदिष्ट राशि की अदायगी	1,28,33,000	..
77	आसाम राजधानी निर्माण	..	10,83,000
80	सरकारी सेवकों को उधार और अग्रिम	..	1,60,13,000
82	काम के बदले अनाज कार्यक्रम	67,000	..

असम विनियोग (दूसरा लेखानुदान) विधेयक, 1980

श्री आर० वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये असाम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

असम विनियोग (दूसरा लेखानुदान) विधेयक, 1980 — पुरःस्थापित

सभापति महोदय : तकनीकी रूप से विधेयक अब पुरःस्थापित किया जा चुका है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने सूचना दी है ।

सभापति महोदय : पहले इसे पेश होने दीजिये ।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिये असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

सभापति महोदय : मैं आपको अनुमति देता हूँ । श्री फर्नान्डीस, नियम के अनुसार आवेदन में उन मुद्दों का उल्लेख किया जाना चाहिये जिन्हें आप उठाना चाहते हैं । मैं इस पर जोर नहीं दे रहा । कृपया बहुत कम समय लें ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने आपको सूचना दी है ।

सभापति महोदय : मैं आप को भी अनुमति दूंगा ।

श्री जार्ज फर्नांडिस (मुजफ्फरपुर) : गत तीन दिनों में सभा में राजनीतिक मामलों पर चर्चा की गई है । मैं उन मामलों पर बोलना नहीं चाहता । मैं उन मांगों पर ही बोलूंगा जो यहां पेश की गई हैं । यदि मैं समग्र आर्थिक स्थिति का उल्लेख करूंगा, तो कहना पड़ेगा कि इससे असम में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है । प्रत्येक सदस्य ने कहा है कि वर्तमान राजनीतिक संकट का एकमात्र कारण उस राज्य का आर्थिक रूप से पिछडापन है । वित्त मंत्री ने कहा है कि मांगों पर चर्चा करते समय उस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिति से आत्मनियंत्रण खो बैठे हैं और उन्होंने सभा में प्रस्तुत की गई मांगों का भी विरोध नहीं किया है । मैं इनका विरोध करता हूं । मंत्री जी ने अतिरिक्त राशि—160 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 178 करोड़ रुपये करना-उपलब्ध कराये जाने की बात कही है । मैं समझता हूं कि इससे रुपये की कीमत और कम होगी, जो लगातार कम होती जा रही है । परन्तु इसके अलावा गत कुछ सप्ताहों में, सम्भवतः महीनों में पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम की मूल आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी दी गई है । कुछ दिन पूर्व इस क्षेत्र की आलोचना पर विचार करने के लिये एक नई समिति नियुक्त की गई है जिसमें अधिकतर वे अधिकारी हैं, जो या तो राज्यपालों के या सलाहकारों के या किसी अन्य रूप में ऐसी स्थिति पैदा करने के लिये उत्तरदायी हैं । परन्तु यदि उस क्षेत्र की आर्थिक समस्याओं के बारे में सरकार फिर से विचार कर रही है, यदि सरकार को यह पता है कि राजनीतिक संकट का कारण उस क्षेत्र का आर्थिक रूप से पिछडापन है, तो सदन में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये इस दूसरे लेखानुदान में उसका आभास नहीं होता । पांच मिनट पहले उन्होंने कहा था कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया है । उस समय मैंने कहा था— 'नहीं' । मैं ऐसा केवल इसलिए नहीं

[श्री जार्ज फर्नाण्डिस]

कह रहा कि मैं विरोधीपक्ष का हूं, अपितु इसलिए कि इस दस्तावेज में असम में विद्यमान स्थिति के प्रति ठीक जागरुकता दिखाई नहीं पड़ती । क्षेत्र के आर्थिक विकास पर उद्योग तथा निवेश के अन्य क्षेत्रों को लेखे बिना कोई कैसे विचार कर सकता है।

मैं चाहता हूं कि इन मांगों का एक-एक करके अध्ययन किया जाये। किन्तु अभी इसके लिए समय नहीं है । मैं कुछ विशेष बातों की ओर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उस क्षेत्र में बरोजगार लोगों को उद्योगों में खपाकर भी रोजगार देने जा रहे हैं। सम्पूर्ण वर्ष के लिए आपने कितनी धनराशि की मांग की है ? 25.30 लाख रु० ? रेशम की खेती और बुनाई (वीविंग) दूसरा क्षेत्र है जिसमें पूर्वोत्तरी भाग, विशेषकर असम में काफी कुछ रोजगार दिया जा सकता है। इसके लिए 3.66 करोड़ रु० की मांग की है। डेरी विकास के लिए 1.18 करोड़ रु० की मांग की है। सिंचाई के लिए 3.96 करोड़ रु० की तथा भू तथा जल संरक्षण के लिए 3.33 करोड़ रु० की मांग की गई है। यहां तक कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य लोगों के कल्याण के लिए अपने 3.99 करोड़ रु० की ही मांग की है जबकि इस क्षेत्र में इन लोगों की भारी संख्या है ।

निःसंदेह ऊपर से देखने पर इनमें से कुछ आंकड़े ठीक ही लगेंगे जैसे कि अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु 3.99 करोड़ रु० ; सिंचाई के लिए 3.96 करोड़ रु० ; भू और जल संरक्षण हेतु 3.33 करोड़ रु० किन्तु दूसरी ओर यदि आप मद संख्या 22, जो कि पुलिस से संबंधित है, को देखें तो उसमें असम में पुलिस के लिए चालू बजट में कुल 28.19 करोड़ रु० की मांग की गई है। क्या आप असम के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पुलिस के लिए 28.19 करोड़ रु० के, उद्योग के लिए 25 लाख रु० के, रेशम की खेती तथा बुनाई (वीविंग) के लिए 3.66 करोड़ रु० तथा मछली पालन के लिए 1.59 करोड़ रु० के अनुदान से असम के लोगों की आर्थिक समस्याएँ हल हो जायेंगी ? आप इसी दिशा में अग्रसर हैं । जागरूकता का प्रश्न ही कहां उठता है? यह आपका बजट है, मेरा नहीं । आपने यह बजट जनवरी मे तैयार किया था । आपने पहले मार्च में लेखानुदान कराया और पहले चार महीनों के लिए पैसा ले लिया और अब आप चार महीने की दूसरी किस्त को लेकर हाजिर हो गये हैं। इस बजट के भीतर आप कौनसी आर्थिक समस्या का हल करने जा रहे हैं। चालू बजट में 25 लाख रु० की उद्योग के लिए तथा 28.19 करोड़ रु० की पुलिस के लिए मांग की गई है । इसमें आशा की कौनसी किरण नजर आती है ? दूसरी ओर जेलों के लिए 1.65 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। मैं जेलों का इसलिए उल्लेख नहीं कर रहा कि आप अभी से ही लोगों को जेल में भरने जा रहे हैं । अपितु इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि मद 42 असम के लोगों के लिए आवास योजनाओं से संबंधित है और मद 44 असम के नगरीय विकास से संबंधित है। आपने जेलों के लिए तो 1.65 करोड़ रु० की व्यवस्था की है, किन्तु असम के 1.5 करोड़ लोगों के लिए आपने केवल 1.29 करोड़ रु० ही आवास के लिए रखे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि घरों से जेलें ज्यादा आरामदायक होंगी क्योंकि जेल में रहन वालों के लिए 1.65 करोड़ रु० की व्यवस्था है और सारे असम के आवास के लिए 1.29 करोड़ रु० की तथा नगरीय विकास के लिए 1.24 करोड़ रु० की। मैं यह बात केवल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह सरकार स्थिति को ठीक करे। यह तो असन्तुलित स्थिति का द्योतक हुआ । केन्द्र द्वारा राज्यों को कितना धन दिया जा रहा है, यह उस असन्तुलन का संकेत मात्र नहीं है। वित्त मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं। किंतु यह समय उस पर विरोध प्रकट करने अथवा वाद विवाद करने का नहीं है। किन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि मैं उनका विरोध करना चाहता हूं और उन पर बहस करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि असम की कितनी उपेक्षा की गई है। किन्तु चूंकि वित्त मंत्री महोदय ने यह बात वादविवाद के उत्तर में कहीं है, इसलिए आर्थिक विकास के एक और पहलू के बारे में मैं उनसे एक पक्का वायदा चाहता हूं। यह तेल पर रायल्टी बढ़ाने से संबंध रखता है। यह कहना बिलकुल हीन है कि गुजरात को भी इतनी ही धनराशि मिल रही है। संभवतः महाराष्ट्र को भी इतनी ही धनराशि मिल रही है। गुजरात की भी धनराशि बढ़ाईय । वस्तुतः गुजरात, महाराष्ट्र और असम के मुख्य मंत्रियों ने इसके बारे में एक सी मांग की है। सिर्फ इसलिए कि गुजरात को कम धनराशि दी जा रही है, असम को आज दी जाने वाली धनराशि को उचित नहीं ठहराया जा सकता । हम तेल का आयात 1800 रु० प्रति टन के हिसाब से कर रहे हैं और इस देश की तेल की एक-तिहाई मांग आज असम पूरी कर रहा है जबकि इसका मूल्य उसको 42 रु० प्रति टन के हिसाब से दिया जाता है । वहीं तो न्याय होना चाहिये । असम के लोग अनपढ़ तो नहीं हैं। वे लोग आर्थिक विकास की समस्याओं को समझते हैं। उनको यह बात मालूम है कि हम 1800 रु० प्रति टन के हिसाब से तेल का आयात कर रहे हैं । जबकि रायल्टी के रूप में उनके तेल का, जो सारे देश में उपयोग किया जा रहा है, उन्हें 42 रु० ही मल्य दिया जा रहा है ।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : देश तो एक ही है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ठीक है देश एक है । किन्तु जब कोई इस प्रश्न पर चर्चा करेगा तो बहुत महत्वपूर्ण बात....

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : आपने गत तीन साल के अपने कार्यकाल में असम को तेल की रायल्टी किस हिसाब से दी ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इतनी ही राशि । अतः आज मैं यह मांग कर रहा हूं कि आप इस रायल्टी की राशि बढ़ाइये । मैंने अनुभव से सीखा है । आप की बुद्धिमत्ता का परिचय दीजिये । यही मैं आपसे कह रहा हूं । यदि मैंने अनुभव से सीखा है तो आप भी मेरे अनुभव का कुछ फायदा उठा सकते हैं ? (व्यवधान) अतः सभापति महोदय मेरा निवेदन है : वित्त मंत्री को कोई पक्का वायदा करने दें ।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : आपने वहां कितने उद्योग लगाये । आप सिल्चर गये थे और आपने कहा था कि तीन महीने के अन्दर आप एक कागज का कारखाना वहां स्थापित करेंगे । आपने ऐसा कुछ नहीं किया । आपको रातों-रात अक्ल आ गई ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस सभा के नियमों में यह व्यवस्था है कि सदस्य अन्य सदस्यों से विधिवत् सूचना देकर प्रश्न पूछ सकता हैं और यदि वे प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उन्हें प्रश्न की सूचना देनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आपने प्रश्न आमंत्रित किये थे । अब जबकि आपसे प्रश्न किये गये हैं आप...

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : बिल्कुल, मुझे सूचना दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : आप की कथनी और करनी में अन्तर है ।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया । आप अपना प्रश्न पूछिये । आपका प्रश्न यह है कि पिछली सरकार ने क्यों...

सभापति महोदय : श्री फर्नान्डीस, अच्छा हो यदि आप पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, इनका प्रश्न यह है कि : पिछली सरकार ने यह क्यों नहीं किया । मेरा मतलब है कि उस सरकार से ही जिसमें मैं था । मेरा उत्तर है : उस सरकार ने यह नहीं किया । जहां तक मेरा संबंध है मुझे अनुभव ने सिखाया है । अतः आज मैं इस सरकार से भी कह रहा हूं कि वह दूसरों के अनुभव से सबक ले । परन्तु यदि प्रश्न विशेष यह है कि जब दो वर्ष तक मैं उद्योग मंत्री था उस समय उस क्षेत्र में कितने उद्योग लगाये गये, उसके लिए मुझे सूचना चाहिए । यह बिल्कुल सही उत्तर है और इसलिए अच्छा हो कि सदस्य अध्यक्ष महोदय को विधिवत् प्रश्न की सूचना दें या जिस रूप में वह मुझसे उत्तर चाहें मैं उसको देने को तैयार हूं ।

किन्तु महोदय, मैं उन बातों के संदर्भ में वित्त मंत्री महोदय को उत्तर दे रहा हूं जोकि उन्होंने उस क्षेत्र के विकास के संबंध में कही हैं । नम्बर एक : क्या आप असम के तेल की रायल्टी की राशि बढ़ायेंगे ? और इस मांग को करते समय मुझे यह पता है कि अन्ततोगत्वा देश एक ही है । किन्तु यदि आप देश की आर्थिक स्थिति को देखें—तो आप पायेंगे तीन राज्य ऐसे हैं जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से सबसे समृद्ध हैं, वे हैं असम, बिहार और उड़ीसा । देश में ये राज्य कोयले, तेल, अयस्क तथा हर तरह के खनिज भण्डार (निक्षेप) की दृष्टि से सबसे समृद्ध है । देश के सबसे धनी राज्य ये तीन राज्य ही हैं । परन्तु, प्रति व्यक्ति आय के अनुसार विकास के हिसाब से, ये तीनों राज्य भारत संघ के सर्वाधिक निर्धन राज्य हैं, जो निर्धन राज्यों की सूची में सबसे नीचे है । क्यों ? क्योंकि इन राज्यों का शोषण किया गया है । आप बिहार से कोयला ले जाते हैं और उड़ीसा से अयस्क ले जाते हैं और महानगरों का विकास करते हैं । असन्तुलित विकास को, जिसका वित्त मन्त्री ने उल्लेख किया और जिसे अंग्रेजों द्वारा प्रारम्भ किया गया था, जारी रखा गया और इसलिए बिहार का शोषण हो रहा है, उड़ीसा का शोषण हो रहा है, असम का शोषण हो रहा है । और इसीलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या वित्त मंत्री....

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : आप स्थिति से नाजायज फायदा उठा रहे हैं । आप सम्पूर्ण राष्ट्र को एक इकाई क्यों नहीं मानते ?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसलिए, पहले आप तेल पर दी जाने वाली रायल्टी में वृद्धि कीजिए। दूसरे, आपके पास चाय बागान है। किसी माननीय सदस्य ने कहा कि चाय को ले जाने देने की अनुमति है। इसलिए चाय की वजह से असम को जो एकमात्र चीज प्राप्त हो रही है, वह उन श्रमिकों की मजूरी है, जो वहाँ तैनात हैं। उत्पाद शुल्क, कम्पनी के मुख्यालयें, उनके लाभ और उन पर लगाने वाले करों के रूप में असम को क्या मिलता है? सब कुछ बम्बई या कलकत्ता या किसी अन्य महानगर को चला जाता है, असम को कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार असम का बाँस देश के कागज मिलों को प्राप्त होता है। उन्हें क्या रायल्टी मिलती है? क्या यह पर्याप्त है? क्या वित्त मंत्री कोई स्पष्ट घोषणा करेंगे, क्योंकि उन्होंने असम के लोगों की समस्याओं का ध्यान रखने की बात कही है?

इसलिए, जब मैं यह कहता हूं कि मैं इन अनुदानों की मांगों का विरोध कर रहा हूं और जब मैं विनियोग विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा होता हूं, तो यही निश्चित कारण है कि जहां तक उस क्षेत्र की वास्तविक आर्थिक समस्याओं का सम्बन्ध है, सरकार में कोई भी जागरूकता नहीं है। यह वही पुराना बजट है, उन्हीं पुरानी प्राथमिकताओं की वही पुरानी रट इसमें है। उद्योग या सिंचाई या मत्स्य पालन केन्द्रों या बुनकरों या गृह निर्माण या ग्रामीण विकास की अपेक्षा पुलिस और जेल को अधिक धन प्राप्त होता। अगर यही हालत रही, तो यह स्पष्ट है कि राजनैतिक समस्या का भी कोई समाधान नहीं होगा, क्योंकि अन्ततोगत्वा यह आर्थिक समस्या से ही सम्बद्ध है। आज केवल आर्थिक समस्या को ही गंभीर बनायेंगे। इसलिए, इन आधारोंपर मैं इस विनियोग विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैंने अपने दाईं ओर और बाईं ओर बैठे हुए अपने मित्रों के बीच प्रशंसा वचनों के आदान प्रदान को बड़े ध्यान से सुना है। हमारी समीक्षा यह है कि जहाँ तक आर्थिक समस्याओं का सम्बन्ध है, जनता पार्टी ने कांग्रेस पथ का अनुसरण किया और कांग्रेस पार्टी जनता पथ का अनुसरण कर रही है और इस लिए इन दोनों के बीच से पसन्द करने वाली कोई चीज नहीं है।

अपने बचपन के दिनों से ही मैं असम को बहुत निकट से जानता हूं। एक नवयुवक अफसर के रूप में मैं वहां पर तैनात था और मैं अनेक बार असम की यात्रा करता रहा हूं। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और गृह मंत्री को मैंने अनेक पत्र लिखे हैं कि जहाँ तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, हम एक ज्वालामुखी पर बैठे हुए हैं।

उन्होंने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की। बाह्य आवरण क्या था? विकास गतिविधि / लोक लेखा समिति के सभापति के रूप में, मैंने पूर्वोत्तर परिषद् के सचिव को बुलाया और उनसे विकास परियोजनाओं का ब्यौरा देने के लिए कहा। बाद में, पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि परिषद् के सचिव, रिसर्च एंड एनालेसिस विंग के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, जो असम में गुप्तचर्या कार्य करने में लगे हुए थे। यह विकास है जो हमने अब तक किया है।

वर्ष 1967 में असम में एक आन्दोलन चला था, जो मुख्यतः आर्थिक कारणों से हुआ था। उस आन्दोलन से हम मूर्ख राजनीतिज्ञों के समूह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तेरह वर्ष बीत चुके हैं और अब वे ज्वालामुखी की आग के अन्दर आ चुके हैं और अब वे अग्निशामकों से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं।

अब मैं रायल्टी का जिक्र करना चाहूंगा। केवल रायल्टी की ही बात नहीं है। रायल्टी का निर्धारण भी सही प्रकार से होना चाहिए। रुपये के स्थिर मूल्य के अनुसार सामग्री के वास्तविक मूल्य के बारे में कुछ मानक होना चाहिए। प्रश्न यह है। परन्तु हमें यह भी देखना चाहिए कि चाय के निर्यात से विदेशी मुद्रा के रूप में असम कितना योगदान कर रहा है। अगर आप पूछें कि सरकार हमें यह सही सही बतायें कि असम के चाय बागान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा और अन्य करों के रूप में कितना भुगतान कर रहे हैं, तो वे यह कह कर टालने का प्रयास करेंगे कि "हम अलग हिसाब नहीं रखते।" लेकिन हम जानते हैं कि यह राशि कितनी है। चाय, जूट, लकड़ी, वन उत्पाद—प्लाईवुड उद्योग तो असम का सबसे बड़ा केन्द्र है—और बाँस का उत्पादन असम में होता है—जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीस ने उल्लेख किया कि बाँस के बिना तो कागज मिलों को चलाया ही नहीं जा सकता। श्री डी० के० बरुआ कहाँ हैं जिन्होंने कहा था, "इण्डिया इज इन्दिरा; इन्दिरा इज इण्डिया (भारत इन्दिरा है और इन्दिरा भारत है)" उनका पता मुझे नहीं मालूम। उस आदमी ने चुनावों से पहले क्या करतब किया। वे कछार में गये और कागज मिल की आधारशिला रख दी और एक अन्य कागज मिल की आधारशिला नौगांव में रख दी। कृषि भूमि के अधिग्रहण के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। यह तो आधा तीतर आधा बटेर वाली बात हुई; न तो उद्योग ही लगा और न खेती ही रही। यह सब इन अद्भुत कांग्रेसियों की वजह से हुआ, जो हमारे चारों ओर बैठे हैं।

असम का सम्पूर्ण राज्य ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा विभाजित है। आज अगर आप असम में जायें, श्रीमान् जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मानसून के बाद आप कृपया असम की यात्रा करें —इस समय राजनैतिक दृष्टि से और मौसम की दृष्टि से भी वहां की यात्रा करना कठिन है—तो आप पायेंगे कि अगर असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों किनारों को जोड़ने के लिए बहुत संख्या में पुल नहीं बनाये जातें, तो आर्थिक विकास करना बहुत कठिन हो जायेगा। बड़ी कठिनाई से काफी आंदोलन के बाद रेल एवं सड़क पुल उन्हें प्राप्त हो सका है। वे असम के आखिरी सिरे तक बड़ी रेलवे लाइन की मांग कर रहे हैं। कितने सालों से ? जब से वे सत्ता में आये हैं। लेकिन क्या हुआ है? बहुत कम काम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, असम के लोगों को कलकत्ता या पटना अथवा दिल्ली के निवासियों की तुलना में सामान की अगर दुगनी नहीं तो ड्योढी कीमत तो देनी ही पड़ती है। ऐसा क्यों है ? जम्मू तथा कश्मीर के बारे में राष्ट्रीय कारणों से राजसहायता दी जाती है। हालांकि हमने अनेक बार लिखा है कि उपभोक्ता वस्तुओं पर असम को राष्ट्रीय राजसहायता देने की आवश्यकता है, इस मांग को बार बार ठुकरा दिया गया। ऐसा क्यों है? अब, आज आप समझने लगे हैं कि असमिया लोग भी कुछ कर सकने की क्षमता रखते हैं।

असम में शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है? आपने जिस राशि की मंजूरी दी है, वह बहुत ही थोड़ी है। यह देश में नियत सबसे कम राशि है। कितनी राशि का नियतन किया गया है? मैं ब्यौरे में जाकर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। "राजस्व" शीर्ष के अन्तर्गत यह राशि 1.32 करोड़ रुपये है। राज्य के लिए व्यय कितना है? यह राशि समुद्र में एक बूंद के समान है। ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में, मैं वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे एक सूची तैयार करें, तो वह पायेंगे कि असम का नाम सबसे नीचे है। संचार के मामले में, यह देश में सबसे पिछड़ा हुआ है। अब सेना को भेजा जाना है, अर्ध-सैनिक बल को पहुंचाना है और छाताधारी सैनिकों को उतारना है, तो संचार साधनों की स्थापना की जा सकती है, अन्यथा नहीं।

मैं वित्त मंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि वह इस सदन को बतायें कि असैनिक और सैनिक सेवाओं में असम के लोगों का योगदान क्या है? यह कुछ भी नहीं है। इसलिए, अगर आर्थिक कारणों से लोग आन्दोलन कर रहे हैं, तो आप उन्हें दोष नहीं दे सकते। यहां बैठे हुए कांग्रेसियों ने असम को एक ऐसा रस्म बना दिया है, जहां से पूंजी और कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। आज यही स्पष्ट कारण है कि असम में इतनी अधिक मात्रा में बेरोजगारी है और आन्दोलन हो रहा है। सारी समस्या आर्थिक घोटाले से शुरू होती है। इसलिए मैं विनियोग विधेयक से सहमत नहीं हूं और इसका विरोध करता हूं।

श्री आर० वेंकटरामन : श्रीमान्, सभापति महोदय, मुझे खेद है कि मैंने अपने माननीय मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज को विनियोग विधेयक का विरोध करने के लिए भड़काया। अन्यथा, अगर मैंने उल्लेख न किया होता, तो एक भी सदस्य ने इस अनुदान की मांग का विरोध न किया होता, वह इसका विरोध करना ही भूल गये होते।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप बड़े अनुदार हैं। आप कृपया नोटिस, तारीख और नियम का उल्लेख कीजिए जिसके अन्तर्गत मैंने दिया था।

श्री आर० वेंकटरामन : मैं तो श्री जार्ज फर्नान्डीस से कह रहा था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम दोनों साथ साथ बैठे हुए हैं।

श्री आर० वेंकटरामन : सभापति महोदय, श्री जार्ज एक बाजीगर हैं—आंकड़ों के बाजीगर, अन्य किसी चीज के नहीं। वह इधर, उधर से कुछ आंकड़े ले आते हैं और कहते हैं 'आपने केवल एक करोड़ रुपया दिया है और कुटीर उद्योगों तक को दो करोड़ रुपए मिले हैं' इत्यादि। बजट पर दृष्टिपात करने का यह तरीका नहीं है। आपको प्रत्येक शीर्ष के तहत कुल आबंटन को देखना चाहिए जिस बजट पत्र में विभिन्न भागों में बांटा गया है। कुछ राजस्व लेखा में हैं और कुछ पूंजी लेखे में और इसलिए, जब तक आप पूंजी लेखे और राजस्व लखे की सम्पूर्ण स्थिति को नहीं जानते तब तक आप यह नहीं जान पायेंगे कि इस प्रयोजन के लिए वास्तव में कितनी धनराशि आबंटित की गई है।

श्री जार्ज ने जो कुछ कहा उसका मैंने कुछ सीमा तक पूर्वानुमान लगा लिया था। उन्होंने ऐसा जताया कि उद्योग, सिंचाई और कृषि के लिए आबंटन बहुत थोड़ा है। 178 करोड़ रुपयों में से, जिनका मैंने उल्लेख किया था, 'योजना-राजस्व और पूंजी' के अंतर्गत कृषि और सम्बद्ध सेवाओं के लिए कुल आबंटन 34,56,00,000 रुपए है; 'कृषि, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत' के लिए 81,71,00,000 रुपये है तथा 'उद्योग और खनिजों' के लिए 6,19,00,000 रुपय है। ये आंकड़े मेरे पास हैं।

[श्री आर० वेंकटरामन]

इसलिए, सदन से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बजट पत्रों में से अलग से कोई एक मद ले लें तो सही तस्वीर सामने नहीं आएगी । वास्तव में, आपको उन सब आंबटनों को जोड़ना होगा जो योजना मद, गैर-योजना मद, राजस्व मद और पूंजी मद में शामिल हैं और उन सब को एक साथ रखना होगा । केवल सही तस्वीर आपके सामने तभी उभरेगी । इसकी जो तस्वीर मेरे पास है वह यही प्रदर्शित करती है कि, यद्यपि मैं नहीं कहूंगा कि यह बहुत उदार है—मैंने हमेशा ही कहा है कि बजट में आसाम के लिए धनराशि के निर्धारण में और सुधार की गुंजाइश है, तथा हमें वस्तुतः आसाम के लिए कुछ अधिक करना चाहिए । (अपने पहल भाषण में मैंने इसके बारे में कहा है)—तथापि श्री जार्ज द्वारा उठाया गया मुद्दा सही नहीं है ।

एक दूसरा सवाल जो उन्होंने उठाया वह तेल की रायल्टी के बारे में था । उन्होंने कहा कि जो रायल्टी हम असाम तेल शोधक कारखानों को दे हैं वह बहुत कम है और कच्चे तेल के आयातित मूल्य बहुत ज्यादा हैं । यह ठीक है । परन्तु हम जो करते हैं वह यह है कि हम आयातित तेल के मूल्य में स्थानीय तेल के मूल्य को जोड़ते हैं और तत्पश्चात् एक कम मूल्य पर, एकीकृत मूल्य पर, जनता को उसकी आपूर्ति करते हैं । यदि हम स्थानीय कच्चे तेल के लिए ज्यादा धनराशि दें तो उसी सीमा में उपभोक्ता के लिए—जनता के लिए—इसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगी । इसलिए, हम आयात किए गये उर्वरकों और देश में बने उर्वरकों दोनों के लिए और इसी प्रकार आयातित और देश में उत्पादित तेल के लिए हम मूल्यों को एकीकृत करते हैं . . . (व्यवधान)

आप सही हों या गलत । मैं केवल वह बात बता रहा हूं जो हम कर रहे हैं और ऐसा क्यों है ।

एकीकृत मूल्य एक ऐसा मूल्य है जो व्यापक स्तर पर जनता और उपभोक्ताओं के लिए लाभदायक होगा । इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि यह नीति जिसका कि अनुसरण किया जा रहा है अर्थात् ऊंचे आयातित तेल मूल्य के साथ स्थानीय उत्पादों के मूल्य का एकीकरण किया जाना और तत्पश्चात् आयातित तेल मूल्य की तुलना में कम औसत मूल्य पर उसकी आपूर्ति करना, यह नीति आम जनता के हित में होगी और यही कारण है कि इस नीति का पालन किया जा रहा है ।

मेरे मित्र द्वारा उठाया गया दूसरा प्रश्न मंत्रालय सम्बन्धी समिति के बारे में है । वहां अधिकारियों के स्तर की एक समिति है—यह मेरे मित्र श्री जार्ज द्वारा दिया गया तर्क है । मैं बताना चाहता हूं कि यह एक मंत्रालयीय समिति है और अधिकारी इसकी सहायता के लिए हैं । मंत्रालयीय समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया है तथा अधिक सीमेंट, अधिक वैगन और रेल विस्तार योजनाएं निर्धारित की हैं और अनेक राजमार्ग हाथ में लिए हैं । इस तरह मंत्रालयीय समिति अब समस्याओं पर ध्यान दे रही है और विगत में पैदा हुए असंतुलनों को सुधारने के प्रयास कर रही है ।

ब्रह्मपुत्र घाटी विकास प्राधिकरण के पास ब्रह्मपुत्र के पानी को काम में लाने की एक बहुत बड़ी परियोजना है । यह कई करोड़ डालर की परियोजना है और इस परियोजना को पूरा करने क लिए हम दूसरे देशों से सहायता की मांग कर रहे हैं । इसलिए, वह परियोजना पूरी होने पर दुर्दान्त ब्रह्मपुत्र नदी को संभालना संभव होगा और हम जनता के उपभोग के लिए इस पर बांध बांधने और इसके पानी को काम में लाने में समर्थ हो सकेंगे ।

बड़ी लाइन का काम भी शुरू कर दिया गया है । यह मेरे मित्र श्री मधु दण्डवते द्वारा छोड़ी गई विरासत है । और मंत्रालयीय समिति ने अब योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय कर लिया है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम बहुत वर्षों से बड़ी लाइन के लिए मांग कर रहे हैं । दण्डवते जी, आप भी सुन रहे हैं?

श्री आर० वेंकटरामन : मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानता....

श्री ज्योतिर्मय बसु : उपभोक्ता वस्तुओं पर वित्तीय सहायता के बारे में क्या स्थिति है ? हमने जम्मू एवं कश्मीर को यह सहायता दी है । आसाम के लोगों के साथ भेद क्यों किया जा रहा है ? विभिन्न स्थानों पर ब्रह्मपुत्र पर पुल बनाने की क्या स्थिति है ?

श्री आर० वेंकटरमन : एक दूसरा प्रश्न हरिजनों के बारे में किया गया था—कि धनराशि की मात्रा बहुत थोड़ी है । मेरे पास आंकड़े हैं—हरिजनों सहित सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए 33 करोड़ रुपए रखे गये हैं । यह कुल राशि है जिसमें हरिजन, अनुसूचित जातियां, उनकी सामाजिक सेवाएं और इसी तरह की बातें शामिल हैं । विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत दी गई यह धनराशि गणना करके निकाली गई है ।

मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज अपनी आपत्ति को वापस ले लेंगे । मैं सदन से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने एक निश्चित उल्लेख किया है। मेरा तर्क यह है। हमने बोंगाईगांव से गोहाटी तक की बड़ी लाइन के आबंटन की राशि बढ़ा दियी थी। मुझे आशा है कि यह आबंटन तेजी के साथ बढ़ेगा। इससे अच्छा मात्रा में लाभ होगा।

श्री आर० वेंकटरामन : आप रेलवे बैजट का पूर्वानुमान नहीं कर सकते।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1980-81 के एक भाग की सेवाओं के लिए असाम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों को निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : कोई और संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 तथा अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

असम के कुछ विधायकों सहित कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी तथा रिहाई के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकट सुब्बैया) : सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, निम्नलिखित वक्तव्य देना चाहता हूं :

11-6-1980 को प्रातः लगभग 10-45 बजे रफी मार्ग राजपथ क्रासिंग पर अपराध प्रक्रिया दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए 28 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पार्लियामेन्ट स्ट्रीट पुलिस थाने में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत एक मामला, एफ० आई० आर० सं० 326, दर्ज कर लिया गया है।

गिरफ्तार किए गए इन 28 व्यक्तियों में असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री गोलप बारबोरा तथा श्री दुलाल चन्द्र बरूआ सहित असम के 17 विधायक शामिल हैं। शेष 11 व्यक्ति युवा जनता के हैं। श्री विक्रम सिंह, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उनके नेता हैं। इन 28 व्यक्तियों ने शान्तिपूर्ण ढंग से अपने को गिरफ्तार कराया।

उल्लेखनीय है कि ये 17 विधायक 9 जून, 1980 से धरने पर बैठे थे। यह धरना 10 जून को 24 घण्टे की भूख-हड़ताल में बदल गया। आज उन्होंने अपने को गिरफ्तार कराया। आज उन्हें पार्लियामेंट स्ट्रीट के मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया।

श्री मनोराम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, मैं एक जानकारी घर मंत्री जी से चाहूंगा। जो गिरफ्तारियां हुई हैं, गिरफ्तारी से पहले वह घर मंत्री जी से मिले थे या नहीं और उन्होंने अपनी समस्या रखी थी या नहीं? अगर रखीं थीं तो आप ने उस का कोई मुकम्मिल जवाब दिया या उस का कुछ हल निकालने की कोशिश आप ने की या नहीं की? ...(**व्यवधान**) ....क्या घर मंत्री बतायेंगे कि सत्याग्रह से पहले...(**व्यवधान**)...मैं तो पूछकर ही छोड़ूंगा। आखिर इसमें एक्स चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होने पर मजबूर हुए हैं और इसमें एम० एल० एज० भी गिरफ्तार हुए हैं। आप यह भी सोचें कि वे गैर हिन्दी भाषी इलाके के लोग हैं। आप इसका मजाक मत उड़ायें बल्कि आप बड़ी संजीदगी के साथ इसपर सोचें। यह कोई मामूली बात नहीं है।

सभापति महोदय : ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनपर एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं होता है। आपने रेज करना चाहा तो मैंने मना नहीं किया।

श्री ज्योतिर्मय वसु : आपकी जानकारी के लिए यहां दो प्रकार के नियम हैं : एक है प्रक्रिया संबंधी नियम तथा दूसरा है प्रक्रिया सम्बन्धी बागड़ी नियम।

श्री मनीराम बागड़ी : कायदे तो ठीक हैं। यह लोकसभा कायदे से चलनी चाहिए। लेकिन कई दफा जो रिवाज होते हैं वह भी कायदे बन जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पुराने रिवाज कभी बदले नहीं जाते हैं। जरूरत के मुताबिक रिवाजों को बदला भी जाता है। आज यह जरूरत है कि इस रिवाज को डालो कि अगर ऐसा सवाल आए तो उसका जवाब दिया जाए।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छलसाधक (संपत्ति समपहरण) संशोधन विधेयक

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगनभाई बरोट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) विधेयक, 1976 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का उद्देश्य अधिनियम की धारा 12 के कार्यकरण के सम्बन्ध में इस समय आ रही कठिनाइयों को दूर करना है। अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत गठित अपहृत सम्पत्ति संबंधी अपीलीय न्यायाधिकरण में एक चेयरमैन तथा दो सदस्य होते हैं। मामले की सुनवाई के समय जब तक दोनों सदस्य तथा चेयरमैन उपस्थित न हों तो यह न्यायाधिकरण किसी मामले का निपटान नहीं कर सकता। इसका परिणाम यह है कि जब कभी कोई सदस्य अथवा चेयरमैन अवकाश अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित रहता है तो यह न्यायाधिकरण कार्य करने में असमर्थ रहता है। इस वर्तमान संशोधन में यह प्रावधान है कि न्यायाधिकरण की शक्तियों तथा कृत्यों का उपयोग किन्हीं दो सदस्यों की पीठ द्वारा किया जा सकेगा।

अपीलीय न्यायाधिकरण में अभिलेखों तथा रजिस्टरों का निरीक्षण करने अथवा उनकी प्रतिलिपि लेने के लिए समुचित शुल्क निर्धारित करने की शक्ति न्यायाधिकरण को प्रदान करके लोक सभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति को दिए गए आश्वासन को कार्यान्वित करने के लिए भी अवसर का उपयोग किया गया है।

मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि उपर्युक्त विषय पर 5-11-1975 के पूर्व अध्यादेश के स्थान पर यह अधिनियम 25-1-1976 से लागू हुआ। सक्षम अधिकारियों ने, जिन्हें इस अधिनिमय को लागू करने का दायित्व सौंपा गया था, मार्च, 1980 के अन्त तक सम्पत्ति समपहरण के 1965 मामले शुरू किए। इन मामलों में संपत्ति का अनुमानित मूल्य 31.48 करोड़ रु० था। इन 1965 मामलों में, 9.13 करोड़ रु० मूल्य की सम्पत्ति के 929 मामलों में संपत्ति समपहरण आदेश जारी किए गए है। अतः यह अधिनियम देश में तस्करी के कार्यों के विरुद्ध निवारक उपाय के रूप में काफी सफल रहा है।

मैं अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक पर जो उपरोक्त अधिनियम के संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है, सदन द्वारा विचार किया जाए तथा स्वीकृत किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) विधेयक, 1976 में संशोधन करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : यह बहुत अनपकारी विधेयक है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से एक जानकारी लेना चाहूंगा तथा वह इस संबंध में है कि लगभग 2000 मामलों में सम्पत्ति समपहरण संबंधी कार्यवाही शुरू की गई है, जिसमें 31 करोड़ रु० की राशि अन्तर्ग्रस्त है किंतु बहुत ही कम मामलों में आदेश जारी किए गए हैं जिसकी संख्या 929 है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस न्यायाधिकरण द्वारा अब तक जब्त की गयी सम्पत्ति कितनी है जिस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है तथा उन सम्पत्तियों का कब्जा लेने के संबंध में जिसे इस न्यायाधिकरण द्वारा जब्त किया गया है तथा अन्तिम आदेश जारी किए गए हैं, सरकार क्या करने जा रही है। मुझे मालूम हुआ है कि भूमि, भवन तथा अन्य संपत्तियां सरकार द्वारा अब तक अपने कब्ज में नहीं ली गई है। यह तो हुआ पहला प्रश्न। दूसरा यह कि वास्तव में 4 वर्षों से लम्बित पड़े मामलों को तत्परता से निपटाने के लिए सरकार क्या उपाय करना चाहती है? लम्बित मामलों को निपटाने के लिए सरकार कौन से नये उपायों तथा पद्धतियों को प्रारम्भ करने जा रही है?

सभापति महोदय : अब मैं माननीय सदस्य श्री मसूदल हुसैन से बोलने का अनुरोध करूंगा ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने यह विधेयक केवल न्यायाधिकरण मामलों को तत्परता से निपटाने के लिए प्रस्तुत किया है, न कि असली तस्करों को परेशान करने के लिए, जो वास्तव में हमारे देश के शत्रु हैं तथा जो असामाजिक तत्त्व हैं ।

हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस विधेयक को बहुत मासूमियत से प्रस्तुत किया है, मैं समझता हूं कि समूचा प्रशासन आपके साथ सहयोग नहीं करेगा । मैंने दिनांक 14-4-79 का पेट्रियट अखबार में पढ़ा है कि सीमा शुल्क अधिकारियों, सीमा सुरक्षा बल तथा एअर-इंडिया के अधिकारियों सहित एक बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी भी इन तस्करी के मामलों में शामिल हैं । उन्हें अनेक राजनैतिक दलों से—मेरा कहना है बुर्जुआ किस्म के सभी राजनैतिक दलों से संरक्षण प्राप्त होता है । यही कारण है कि हमारे वित्त मंत्री महोदय को इन सरकारी कर्मचारियों तथा अपने दल का कोई सहयोग नहीं मिलेगा ।

डागली समिति के प्रतिवेदन के अनुसार भारत में एक वर्ष में लगभग 50 टन सोने की तस्करी होती है जो लगभग 300 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा होने के मूल्य के बराबर है । सोने की खरीद मुद्रा-स्फीति से बचाव के रूप में तथा सट्टे के उद्देश्यों से की जाती है, काला धन रखने के लिए सोना सुविधाजनक है । काला धन किसके पास है ?

सभापति महोदय : इस विधेयक का विस्तार क्षेत्र सीमित है ।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : मैं जानता हूं कि इसका विस्तार क्षेत्र काफी सीमित है । काला धन रखने वाले वे कौन लोग हैं ? वे वर्तमान सत्तारूढ़ दल के आधार स्तम्भ हैं । यही कारण है कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल तथा उन्हीं के साथ साथ सरकारी कर्मचारी इन तस्करों को गिरफ्तार नहीं करेंगे । यदि सरकारी कर्मचारी सरकार के साथ सहयोग नहीं करते तो इस विधेयक का उद्देश्य निष्फल हो जाएगा ।

श्री कोडियन आपको बोलने के लिए केवल दो या तीन मिनट दिए जाएंगे ।

श्री० पी० के कोडियन (अड़ूर) : सभापति महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं । जैसा कि माननीय उप मंत्री महोदय ने बताया है कि इस विधेयक का उद्देश्य तस्करों की सम्पत्ति को जप्त करने के संबंध में अपीलीय न्यायाधिकरण के पास पड़े लम्बित मामलों को तत्परता से निपटाना है ।

किंतु, यदि इस संशोधन को स्वीकार भी कर लिया गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि लम्बित मामले—जिनकी संख्या कम नहीं है—एक थोड़ी अवधि में निपटा दिए जाएंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : चुनाव के दौरान ये मामले तेजी से निपटा दिए जाएंगे ।

श्री पी० के० कोडियन : मैं जानता हूं अतः तस्करों के विरुद्ध पड़े सभी लम्बित मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए एक और चुनाव कराना चाहिए ।

अतः महोदय, यद्यपि इस विधेयक का विस्तार क्षेत्र काफी सीमित है, मैं तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं । सरकार को कुछ बातों की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि तस्करों ने अपनी कार्य पद्धति में कुछ परिवर्तन कर लिये हैं । मैं यह मानता हूं कि सरकार द्वारा किये गये तस्करी निवारक उपायों के परिणामस्वरूप तस्करी की गतिविधियां बहुत हद तक कम हो गई हैं परन्तु ये पूर्णतया समाप्त नहीं हुई हैं तथा अभी भी तस्कर व्यापार भिन्न रूपों में चलाया जा रहा है ।

अब हमें बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों से तस्करों ने . . .

सभापति महोदय : आप अधिनियम के कार्य क्षेत्र में न आने वाले मुद्दों को नहीं उठा सकते । यह अधिनियम तस्करों के विरुद्ध मामलों तक सीमित है । समय बहुत कम है तथा मैं आशा करता हूं कि आप सदन की सहायता करेंगे ।

श्री पी० के० कोडियन : मैं इस अवसर पर तस्करों द्वारा अपनाई जाने वाली नई गतिविधियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाए । मेरा अभिप्राय केवल मात्र यही है । अब वे हवाई जहाज से और यहां तक कि डाक सेवाओं से भी वस्तुओं की तस्करी करने की कोशिश कर रहे हैं ।

अन्य विषय जिस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं वह हमारी सीमाओं का अपेक्षाकृत अधिक उपेक्षित इलाका है जहां पर पिछले कुछ दिनों से तस्करी की गतिविधियां बढ़ रही हैं । मेरा इशारा भारत–नेपाल सीमान्त प्रदेश की ओर है, जिस पर इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इस सीमान्त प्रदेश पर विशेष निगरानी करनी पड़ेगी तथा तस्करी निवारक उपायों का कड़ाई से पालन करना होगा ।

[श्री पी० के० कोडियन]

अब मैं दूसरे पक्ष, अर्थात् विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने संबंधी पक्ष पर आता हूं । मुझे नहीं पता कि मंत्री महोदय इस मामले पर मुझसे सहमत होंगे अथवा नहीं । वह बात यह है कि विशेषकर विदेशी मुद्रा प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य संस्थाओं में उदासीनता की भावना व्याप्त है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहां विदेशी मुद्रा के भंडार में वृद्धि हुई है । इस कारण विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उल्लंघन की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान एक विशेष मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें 2½ करोड़ रु० से भी अधिक मूल्य के कीमती जवाहरात जनेवा में सक्षम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत रिसीवर के पास रखे हुए है तथा यह सामान जयपुर के एक परिवार, अर्थात्, गोलचा परिवार का बताया जाता है तथा यह मामला कई वर्षों पूर्व घटित हुआ था, जबकि जनता सरकार नही बनी थी, उस समय कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। यह मामला अभी भी चल रहा है । मुझे नहीं पता कि इस लम्बे समय तक इसके चलने के क्या कारण हैं । वह सम्पत्ति अभी भी जनेवा में जमा है । मैं जानना चाहता हूं कि अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? इस विशेष मामले को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? जनेवा में जमा सम्पत्ति को भारत में वापस लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? मैंने सिर्फ एक मामले का उल्लेख किया है । विदेशी मुद्रा की बहुत हानि होती है । कीमती हीरे, जवाहरात एवं अन्य बहुमूल्य सामान का विदेशों में निर्यात करते समय बीजक में कम मूल्य दिखाने के विभिन्न मामलों के कारण देश की विदेशी मुद्रा में हानि होती है । मैं नहीं जानता कि हमारे निर्यात व्यापार में बीजक में कम मूल्य दिखाने के कारण देश को कितनी अधिक धनराशि की हानि हो रही है ।

सभापति महोदय : आपने निर्धारित समय से अधिक समय ले लिया है । मैंने श्री दंडपाणि को बोलने के लिए कहा है।

श्री पी० के० कोडियन : मैं केवल इतना चाहता हूं कि सरकार इन विषयों के संबंध में स्पष्टीकरण दे । धन्यवाद ।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : सभापति महोदय, मैं तस्करों तथा विदेशी मुद्रा में गड़बड़ी करने वालों की सम्पत्ति को जप्त करने सम्बन्धी वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विशेष कानून को प्रशासन की सुविधा के लिए यहां पेश किया गया है । परन्तु विधेयक का अभिप्राय विदेशी मुद्रा में गड़बड़ी करने वालों तथा तस्करों को दंड देना है । इस प्रकार की गतिविधियों पर आपात्-स्थिति के दौरान 1975 से 1977 के प्रारम्भ तक अत्यन्त प्रभावशाली तरीके से प्रतिबन्ध लगाया गया था । परन्तु जनता पार्टी के सत्ता में आने के पश्चात् इस प्रकार के व्यापार को वैध कर दिया गया था क्योंकि वे हमेशा अबाध उद्यम में विश्वास रखते थे । एक बोर्ड गठित किया जा रहा है । सदस्यों को इन मामलों के संबंध में पूछताछ करने का अधिकार है । मुझे नहीं पता कि वे इनकी जांच करने में क्यों असफल रहे । मैं नहीं जानता कि इसके पीछे कोई राजनैतिक कारण हैं अथवा नहीं । बोर्ड के सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे मामलों की जांच करें तथा संबंधित दोषी व्यक्तियों को सजा दें । मैंने लगभग 4 वर्ष पूर्व एक विशेष सज्जन के विरुद्ध शिकायत की थी ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : सज्जन पुरुष अथवा तस्कर ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं उसे सज्जन पुरुष कहूंगा क्योंकि तमिलनाडु में अच्छी हैसियत का व्यक्ति हैं । निस्सन्देह वह एक तस्कर थे । मैंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया था तथा उन्होंने इसे सरकार को प्रेषित कर दिया है । आज तक मुझे सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । मुझे नहीं पता कि इसका क्या कारण है । वही व्यक्ति तमिलनाडु में आजकल मुख्यमंत्री है । विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के प्रश्न के सम्बन्ध में यह प्रश्न संसद में भी उठा था ।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : वह उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं । मैं केवल मुख्यमंत्री पद की ओर इशारा कर रहा हूं । उन्होंने अपने उपयोग के लिए सरकार से धन लिया था । मैं केवल तथ्यों के बारे में बताऊंगा । उन्होंने केन्द्र सरकार से एक विशेष उद्देश्य के लिए विदेशी मुद्रा में धन लिया था, लेकिन उन्होंने इस धन का उपयोग नहीं किया...

सभापति महोदय : यह एक अच्छी नीति नहीं है कि जो व्यक्ति यहां पर उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं है, उसका उल्लेख किया जाय ।

श्री सी० टी० दंडपाणि : सरकार इसका उत्तर दे सकती है । मैं एक प्रश्न का उद्धरण देना चाहूंगा जोकि इसी सदन में पूछा गया था । वह प्रश्न श्री चित्त बसु ने पूछा था :

(क) क्या उपनिदेशक, 'प्रवर्तन' निदेशालय, मद्रास द्वारा फिल्म अभिनेता श्री एम० जी० रामचन्द्रन को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत निदेश जारी किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके जारी करने की तिथि कौनसी हैं ;

(ग) क्या उस व्यक्ति से कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

सभापति महोदय : मुझे आपको टोकते हुए दुःख है, परन्तु आप मुख्य विषय से हट रहे हैं...

एक माननीय सदस्य : संभवतः यह प्रश्न राज्य सभा में पूछा गया था।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह इसी सदन में पूछा गया था। इसकी प्रश्न संख्या 4304 दिनांक 13-12-1972 है। इसके आगे प्रश्न था :

"(घ) सरकार द्वारा इस पर क्या प्रस्तावित अनुवर्ती कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी ?"

सभापति महोदय : इसका विषय से क्या संबंध है ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : इस प्रश्न का सरकार ने यहां उत्तर दिया था, परन्तु इसके उपरान्त कोई कार्यवाही नहीं की गई। यही मेरा प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) ने कहा था :

"(क) तथा (ख) जी हां। विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 की धारा 19 की उप धारा (2) के अंतर्गत 22 अगस्त, 1972 को उपनिदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, मद्रास द्वारा श्री एम० जी० रामचन्द्रन को एक निदेश जारी किया गया था।

(ग) तथा (घ) श्री एम० जी० रामचन्द्रन से प्राप्त उत्तरों की जांच की जा रही है। यह उचित नहीं होगा...

सभापति महोदय : आप समाचार पत्र की खबरों का व्यापक रूप से उल्लेख किस प्रकार कर सकते हैं ?

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह समाचार पत्र की खबर नहीं है, अपितु इस सदन में पूछा गया प्रश्न है। मेरे पास पूछे गए प्रश्न तथा यहां दिए गये उत्तर की फोटोस्टेट प्रतिलिपियां है। मैंने इन्हें अपने ग्रंथालय से प्राप्त किया था। इसमें आगे कहा गया है :

"इसके और विवरण बताना उचित नहीं होगा क्योंकि इससे जांच में बाधा पड़ेगी। जांच के परिणामों के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्यवाही की जायेगी", यह उत्तर दिया गया था। मुझे नहीं पता कि इसके बाद इस मामले का क्या हुआ। मैं जो कह रहा हूं, उसका कारण यह है कि...

श्री आर० वेंकटरामन : यह उचित नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य चाहें, वह इस प्रश्न का उल्लेख करते हुए एक प्रश्न पूछ सकते हैं तथा फिर सरकार इस का उत्तर देगी।

प्रो० मधु दंडवते : (राजापुर) : अब कई मुख्य मंत्रियों की बारी आयेगी।

एक माननीय सदस्य : उसमें कुछ केन्द्रीय मंत्रीगण भी होंगे।

श्री सी० टी० दंडपाणि : इस प्रकार के मामले अनिर्णीत पड़े हुए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह न केवल किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपितु अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ कठोर कदम उठाएं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह एक और विधान लायें ताकि जो लोग विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन करें और तस्करी करें उन्हें कड़ी सजा मिल सके।

इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करते हुए माननीय मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, यह जो इस एक्ट को अमेंड करने की कोशिश की गयी है, मेरे ख्याल से यह गलत अटेम्प्ट की गयी है। इस एक्ट के सेक्शन 12 के सब-सेक्शन 6 में आपने अमेंडमेंट की है कि अपीलेंट में तीन की जगह दो मेम्बर होंगे। आपने तीन मेम्बर्स की जगह दो मेम्बर्स रखने के बारे में कहा है कि यदि तीन मेम्बर होते हैं तो एक मेम्बर बीमार हो सकता है, इसलिए दो मेम्बर रख दिये जाएं।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दिये गए कारण इस प्रकार हैं :—

"चूंकि इस धारा के अधीन केवल तीन सदस्यों का अधिकरण गठित किया गया है, अधिकरण के दैनिक कार्य के दौरान यह देखा गया है कि जब कोई सदस्य अस्वस्थता आदि के आधार पर छुट्टी पर रहता है तो अधिकरण कार्य करने में असमर्थ हो जाता है...."

अब तीन की जगह दो मैम्बर और रख दिए जाते हैं और उन में से एक बीमार हो जाए तो क्या होगा ? एक और बात भी आप देखें। अगर दो मैम्बर्स में डिफरेंस आफ ओपिनियन होगा तो दुबारा उस मैटर को रेफर किया जाएगा और दुबारा हीयरिंग की जाएगी। किस चीज को आप लाना चाहते हैं और उसका परपज क्या है यह मेरी समझ में नहीं आया है।

[श्री मूलचंद डागा]

मैं चाहता हूं कि मेहरबानी करके आप मुझे यह बताएं कि एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास कितने केसिस हैं, कितनी बार एक मैम्बर के बीमार होने की वजह से बम्बई में या मद्रास में या दिल्ली में या कहीं और केसिस को एडजर्न करने पर मजबूर होना पड़ा है किसी मैम्बर के बीमार होने की वजह से या किसी और कारण से। आपने कहा है कि तीन की जगह दो रख दिए जाएं। दो की ओपिनियन अगर अलग अलग हो जाएगी तब क्या होगा ?

इसके बाद एक लम्बी प्रक्रिया निर्धारित की गई है और यह कहा गया है कि अपीलीय अधिकरण अपील पर विचार कर सकता है .....

फिर से सुनवाई की जाएगी और दुबारा उनको चांस दिया जाएगा। यह चीज मेरी समझ में नहीं आई है। आपने कहा है :—

"परन्तु यदि इस प्रकार गठित न्यायपीठ के सदस्यों में किसी बात या बातों पर मतभेद हो जायें तो वे उस बात या उन बातों को कथित करेंगे जिन पर उनका मतभेद है और उन्हें किसी तीसरे सदस्य को (जिसे अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा। ऐसी बात या बातों की सुनवाई के लिए निर्दिष्ट करेंगे और ऐसी बात या बातों का विनिश्चय उस सदस्य की राय के अनुसार किया जाएगा।"

श्री बरौट नवांगतुक हैं ; किन्तु एक वकील होने के नाते उन्हें इस का सुझाव नहीं देना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम कि इस संशोधन का प्रयोजन क्या है। इसलिए मैंने एक संशोधन रखा है। दो सदस्य ही क्यों ? एक ही क्यों नहीं ? मैंने इस आशय का संशोधन रखा है।

मैं एक नई बात बताना चाहता हूं। एक रूल पहले से बना हुआ है। जो चीज सबार्डिनेट लेजिस्लेशन ने, पहले से डेलीगेट नहीं की है उसके बारे में एग्जैक्टिव आथोरिटी ने पहले से ही रूल बना दिया है और ऐसा करके एग्जैक्टिव अथारोटी ने हमारे राइट्स पर एनक्रोचमेंट किया है। जब रूल पहले से मौजूद था तब सभा में नहीं आया है कि एमेंडमेंट आप क्यो लाए हैं। रूल नम्बर 19 इस तरह से है :—

"(1) (क) जहां अधिकरण का निर्णय सर्वसम्मत होगा वहां अधिकरण के सभी सदस्य एक आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे।

(ख) जहां मत-वैभिन्य होगा, वहां निर्णय अधिकरण के सदस्यों के बहुमत के अनुसार होगा।

(ग) निर्णय से भिन्न मतवाला सदस्य उस बात या उन बातों पर जिन पर उसका मत-वैभिन्य है, अपना आदेश लिख सकता है।

(घ) बहुमत के निर्णय को लिखित रूप दिया जायेगा और भिन्न मत रखने वाले सदस्य सहित सभी सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे।"

अब मैं संगत भाग को उद्धृत करता हूं :

"(2) जहां न्यायपीठ द्वारा किसी अपील या याचिका की सुनवाई की जाती है और कोई एक सदस्य अपरिहार्य कारणवश अनुपस्थित होता है तो इसका रिकार्ड अन्य सदस्यों के समक्ष रखा जायेगा और ऐसे सदस्य रिकार्ड की जांच करने और आपसी विचार-विमर्श के बाद अपील या याचिका पर अंतिम आदेश पारित कर सकते हैं...।"

इस प्रकार सदस्य को भी सुनवाई का अवसर नहीं दिया जायेगा, वह उस पर सदस्यों के साथ चर्चा करेगा और तब आदेश पारित करेगा।

तो जब सबार्डिनेट लैजिस्लेशन ने अपने रूल बना लिये हैं।

सभापति महोदय : समय समाप्त हो चुका है। छः बज चुके हैं। आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा अब कल 11-00 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6-01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 जून, 1980/22 ज्येष्ठ, 1902 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

भा०स०मु०ना०—वि० 4—223एल० एस० एस० (एन. डी.)/80—29-7-80—210